राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 4] नवम् विधान सभा के चतुर्थ सत्र का 27वां दिवस [संख्या : 12

बुधवार

20 मार्च, 1991

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही पूर्वाह्न 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 69। श्री रामसिंह विश्नोई।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्रीमती मदन कौर। प्रश्न संख्या 70

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री हजारीलाल (अनुपस्थित)

श्री महावीर प्रसाद।

श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) : श्री गोविन्द सिंह जी का नाम भी है।

श्री अध्यक्ष : हां, श्री गोविन्द सिंह।

उपभोक्ताओं की शिकायतों का निपटारा

71. श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) उपभोक्ताओं की विभिन्न कानूनों के तहत की गई शिकायतों का निपटारा एक ही खिड़की पर हो इसके लिए राज्य स्तर पर गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को कब प्रस्तुत की ? समिति की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त रिपोर्ट पर राज्य सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

(3) क्या यह सही है कि समिति की सिफारिश के अनुसार स्वास्थ्य विभाग के निरीक्षकों को खाद्य विभाग को देने के सम्बन्ध में विवाद है ?

(4) समिति की सिफारिशों को 20 माह बाद भी लागू न करने के क्या कारण हैं ?

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री (श्री रामकिशोर मीणा) : (1) उपभोक्ताओं की विभिन्न कानूनों के तहत की गई शिकायतों का निपटारा एक ही खिड़की पर हो, इसके लिए राज्य स्तर पर गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को दि 29.5.1989 को प्रस्तुत की। समिति की रिपोर्ट सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उक्त रिपोर्ट राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(3) जी नहीं।

(4) समिति की सिफारिशों को लागू करने सम्बन्धी प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(रिपोर्ट विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इस समिति की रिपोर्ट पर करीब 22 माह तक भी निर्णय नहीं होने से उपभोक्ता संरक्षण कानून में जो महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार उपभोक्ताओं का है कि उन्हें शुद्ध और मानक पदार्थ मिले उसमें दिक्कत आ रही है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, खास तौर से मुख्य मंत्रीजी से भी, कि गत विधान सभा सत्र में भी यह प्रश्न मैंने उठाया था, माननीय मुख्य मंत्रीजी, करीब दो साल होने को आ गये और इसमें दो तरह की सिफारिशें कमेटी ने की, एक सिफारिश तो है जो आगे लागू करनी है और एक सिफारिश वह है जो अन्तरिम है जिसके आधार पर आप तुरन्त सिंगल विंडो के ऊपर उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण के लिए डाइरेक्टर कन्जूमर्स का एक दफ्तर खोल कर इस काम को लागू कर सकते हैं। फिलहाल जब तक कि इसके और बाकी जो परिणाम है, अधिक व्यय की जो जरूरत है, वह पूरे न हों। तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और उपभोक्ताओं से सम्बन्धित प्रश्न है, इसकी आप कोई निश्चित तारीख दे दीजिए कि आप उस तारीख तक इस पर विचार कर के निर्णय लेंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री रामकिशोर मीणा : अध्यक्ष महोदय,. यह प्रश्न जो रखा गया है इसमें उपभोक्ताओं को एक ही खिड़की पर सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हों और उपभोक्ताओं को ज्यादा से ज्यादा राहत त्वरित गति से मिले, इस प्रकार की व्यवस्था करने के लिए केन्द्र सरकार की तरफ से केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण समिति की बैठक 28.4.88 को हुई थी और उसमें यह महसूस किया गया था कि राज्य सरकारें उपभोक्ता निदेशालय खोलें और उसमें एक ही खिड़की पर सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हों। इसके आधार पर राज्य सरकार ने 15.12.88 को कमेटी का गठन किया था तथा इसने 29.5.89 को रिपोर्ट दी। उसके बाद विभिन्न विभागों से संबंधित जो-जो भी बाबुओं के, कर्मचारियों की सर्विसेज से सम्बन्धित मामले थे उनके बारे में लगातार विभाग जागरूकता के आधार पर बैठकें कर के इनको जल्दी से जल्दी निर्णीत कराने का प्रयास करेगा।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं तो केवल यह पूछ रहा हूं कि इसमें बाधा क्या है? कमेटी बन गई, उसने रिपोर्ट दे दी और जो फाइनेन्सियल इम्प्लीकेशन्स है उनको अवाइड करते हुए जो इन्होंने निर्णय लिया है जैसी कि आपने मेरे को रिपोर्ट दी है, उसमें उन्होंने स्वयं ने कहा है कि ट्रांजिस्नल स्टेज के लिए हम कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं "Till the transfer is not complete and till the position after transfer is not asse sed, the staff involved in enforcement of an Act will be made to work as usual but should report for the progress of challan purposes etc. to the controlling officers at the Headquarters or to the District Supply Officers in the concerned districts." यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, कन्जूमर्स हैं, आज उपभोक्ता परेशान है, इसके सम्बन्ध में....

श्री अध्यक्ष : आप जल्दी तय कर लीजिए।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अगर दो साल में भी हम निर्णय नहीं करेंगे तो इस एक्ट को बनाने से फायदा क्या है ?

श्री रामकिशोर मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी एक दो बार बैठकें ली हैं और मैं लगातार इस प्रयास में हूं कि जल्दी से जल्दी इसका गठन किया जाकर उपभोक्ताओं को ज्यादा से ज्यादा राहत मिले।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, जल्दी करिये।

प्रश्न संख्या 72। श्री महावीर प्रसाद जैन। (अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री हरीश झामनानी।

दहेज अत्याचार प्रकरण

73. **श्री हरीश झामनानी** (अजमेर पश्चिम) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 1987 व 1988-89 एवं 1990 में राज्य में दहेज प्रकोष्ठ के अन्तर्गत कितनी महिलाओं पर अत्याचार के केस पंजीबद्ध हुए ? इनमें से अजमेर जिले के कितने-कितने केस पंजीबद्ध हुए ?

(2) इनमें से कितनी महिलाओं की 7 वर्ष की वैवाहिक अवधि के अन्दर मृत्यु हुई ? हत्या, आत्म हत्या एवं अन्य अत्याचार के कितने परिवाद पंजीबद्ध किये गये ? अजमेर जिले की संख्या सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या राज्य में महिला पुलिस थाने स्थापित किये गये हैं ? यदि हां, तो कहां कहां और ये कब से कार्यरत है ?

राज्य मंत्री, गृह (श्री शांतिलाल चपलोत) : माननीय अध्यक्ष महोदय, (1) वर्ष 1987 में 704 मुकदमे दर्ज हुए, वर्ष 1988 में 941 मुकदमे दर्ज हुए, वर्ष 1989 में 1268 मुकदमे दर्ज हुए एवं वर्ष 1990 में 1471 मुकदमे दर्ज हुए। जिनमें से अजमेर जिले में दर्ज हुए मुकदमों का वर्षवार विवरण इस प्रकार है :—

वर्ष 1987 में 3 मुकदमे दर्ज हुए,
वर्ष 1988 में 42 मुकदमे दर्ज हुए,
वर्ष 1989 में 53 मुकदमे दर्ज हुए एवं
वर्ष 1990 में 53 मुकदमे दर्ज हुए।

(2) 7 वर्ष की वैवाहिक अवधि के अन्दर 698 महिलाओं की मृत्यु हुई जिनसे संबंधित हत्या, आत्म हत्या एवं अन्य अत्याचार से संबंधित पंजीबद्ध हुए अपराधों की विवरण तालिका निम्न प्रकार से है :—

वर्ष 1987...

श्री अध्यक्ष : यह तालिका तो पढ़ ली होगी उन्होंने। वह तो अंक हैं, आपने देख लिए होंगे।

श्री हरीश झामनानी : इसमें जो तालिका में विवरण दिया है ...

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराजें। माननीय मंत्रीजी, बैठिए। उन्होंने तालिका पढ़ ली है, आपने साथ दी है।

श्री हरीश झामनानी : नहीं, नहीं।

(श्री हरीश झामनानी)

तालिका के सम्बन्ध में एक जानकारी लेनी है–यह जो ऊपर से इन्होंने शार्ट लिखा है, अ. द., अ. प्र. इससे....

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : खण्ड तीन का उत्तर तो देने दो।

श्री अध्यक्ष : खण्ड तीन का उत्तर पढ़ दीजिए खाली आप।

श्री शांतिलाल चपलोत :(3) राज्य में एक ही महिला थाना जिला जयपुर (शहर) के गांधीनगर में दिनांक 8-3-89 से कार्यरत है, इसके अतिरिक्त किसी भी जिले में महिला पुलिस थाना नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अब पूछिये आप।

श्री हरीश झामनानी : पहले तो सामान्य सी जानकारी चाहिए, प्रश्न तो बाद में पूछूंगा मैं। वह यह कि जो इन्होंने तालिका बनाई है उसमें यह अ. द., अ. प्र., ऐसा करके जो लिखा है, इसे मैं समझ नहीं पाया। मैं, पूर्व में जो अधिकारीगण आये हुए हैं उनसे जानकारी चाह रहा था पर मुझे वहां भी जानकारी नहीं मिली। कृपया पहले इसको तो स्पष्ट करें, फिर प्रश्न पूछता हूं।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी, अ. प्र. क्या है, पूछ रहे हैं यह।

श्री शांतिलाल चपलोत : यह अन्वेषण यानि अभियोग जो दर्ज हुए हैं उनकी संख्या है। अभियोग दर्ज 281,554,685;

श्री अध्यक्ष : नहीं, वह अ. प्र. पूछ रहे हैं पहले वाला।

श्री हरीश झामनानी : ऊपर ही ऊपर जो लिखा है–अ. प्र.

श्री अध्यक्ष : शुरू में ही जो अ. प्र. आया है। अन्वेषणाधीन के पहले ही जो कॉलम है अ. प्र. का, आठवां....

श्री शांतिलाल चपलोत : पेज नं. 2 पर ?

श्री अध्यक्ष : पेज न. 2 का कॉलम आठवां, यह अ. प्र. जो लिखा है जैसे पहले वाले में वर्ष लिखा है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इनको भी ध्यान नहीं है।

श्री हरीश झामनानी : आप अधिकारी से पूछ कर मुझे बता दें।

श्री अध्यक्ष : तो आप सवाल नहीं पूछ रहे हैं ?

श्री हरीश झामनानी : इसी से संबंधित तो सवाल उठेंगे जाकर के।

श्री अध्यक्ष : नहीं है, चलिये, छोड़िये फिर।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : इसको स्थगित कर दीजिए।

श्री शांतिलाल चपलोत : नहीं-नहीं, किस बात के लिए स्थगित ?

श्री हरीश झामनानी : नहीं, स्थगित नहीं कर रहे हैं, दिक्कत ही क्या है, इसमें अ. प्र. है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसमें अ. प्र. का मतलब है-अप्रमाणित ।

श्री हरीश भामनानी : इससे आगे ?

श्री शांतिलाल चपलोत : अप्रमाणित और अभियोग दर्ज, मेरा....

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : इनको आप जवाब देना तो सिखाओ ।

श्री हरीश भामनानी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि जो तालिका दी है, 1987 में अ. दर्ज 110, चालान 73, अ.प्र. 37, फिर अन्वेषणाधीन-कुछ भी नहीं, फिर अ. दर्ज, मैं यह समझ नहीं पाया । अ. दर्ज, अ. दर्ज फिर अ. प्र., यह बार-बार इस तरह से दिया हुआ है और इसके अलग-अलग अंक खुल कर समझाइये, तब बात समझ में आ जायेगी । एक तो यह है ।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : यह भी समझ नहीं पाये, ऑफिसर ने लिखा है वह ले आए ।

श्री शांतिलाल चपलोत : नहीं, सब समझा हुआ है, आपसे ज्यादा ही हूँ ।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : मुख्य मंत्रीजी से भी ज्यादा हैं ?

श्री शांतिलाल चपलोत : मुख्य मंत्रीजी नहीं, आपसे तो ज्यादा ही हूं ।

श्री अध्यक्ष : चलिये, बता दीजिए ।

श्री शांतिलाल चपलोत : 1987 में अभियोग दर्ज हुए 110....

श्री अध्यक्ष : अ. से मतलब अभियोग है ।

श्री शांतिलाल चपलोत : मैंने कहा है साहब पहले ही, अभियोग ।

श्री अध्यक्ष : प्र. से मतलब ?

श्री शांतिलाल चपलोत : अप्रमाणित ।

श्री अध्यक्ष : अप्रमाणित दो कैसे बैठेगा ?

श्री शांतिलाल चपलोत : अ. प्र. का मतलब अप्रमाणित ।

श्री अध्यक्ष : अ. प्र. का अप्रमाणित ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह फाइनल रिपोर्ट दी जाती है दो तरह से ।

श्री हरीश भामनानी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हत्या हैं या आत्म हत्या हैं या कोई और अन्य अत्याचार हैं यह ऊपर अलग से इन्डीकेशन तो है नहीं । यह 110 क्या है ? हत्या हैं, आत्म हत्या हैं या अन्य अत्याचार हैं ?

श्री शांतिलाल चपलोत : 110 अभियोग दर्ज हुए हैं । 110 इसलिए दर्ज हुए कि उसमें किसी ने कहा कि आत्म हत्या कर ली है, किसी ने कहा कि दहेज के कारण मर्डर हो गये हैं । तो यह सारे मुकदमे हैं यह 110 इस प्रकार से हुए हैं ।

श्री अध्यक्ष । यह आपका अ.प्र. है इसका मतलब अभियोग प्रमाणित जो प्रमाणित हो चुके हैं । यह है । बाकी अन्वेषणाधीन हैं और अभियोग जो दर्ज हुए हैं और चालान हुए हैं और जो अभियोग प्रमाणित हुए हैं, यह है मतलब । 'अभियोग प्रमाणित' अप्रमाणित नहीं, प्रमाणित ।

श्री हरीश भामनानी : अध्यक्ष महोदय

(श्री हरीश भामनानी)

तालिका संख्या 10 में देखें, सिर्फ 281 अभियोग दर्ज लिखे हैं तो 110 दर्ज हैं या 281, क्या दर्ज हैं ?

श्री अध्यक्ष : अभियोग दर्ज हैं।

श्री हरीश भामनानी : किस संबंधित?

श्री शांतिलाल चपलोत : आपने जिस सम्बन्धित पूछा है प्रश्न, उस संबंधित।

श्री हरीश भामनानी : इसको स्पष्ट तो करें।

श्री शांतिलाल चपलोत : आपने यह पूछा है कि दहेज के मामले में कुल कितनी हत्याएं हुई हैं यानी यह हत्यायें भी हो सकती हैं, आत्म हत्यायें भी हो सकती हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। इसलिए 281 अभियोग....

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि जो माननीय सदस्यों को उत्तर दिये जाते हैं तो कम से कम ऐसी भाषा तो हो कि हम समझ जायें, वह तो कम से कम लिखा जाना चाहिये। ऐसे कल्पना कैसे करेंगे। जिससे आप भी एम्बीग्यूटिव महसूस कर रहे हैं, आप भी अण्डरस्टेण्ड नहीं कर पा रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिये।

श्री शांतिलाल चपलोत : आइन्दा ध्यान रखेंगे।

श्री अध्यक्ष : चलिए, माननीय मंत्रीजी। इसको स्थगित करते हैं। नैक्स्ट, श्री महावीर प्रसाद जैन।

श्री हरीश भामनानी : मैं इससे आगे के सवाल पूछ लेता हूं। जो यह नहीं समझ पा रहे हैं, कोई बात नहीं।

श्री अध्यक्ष : स्थगित कर दिया है.... स्थगित में आगे आ जायेगा।

प्रश्न संख्या 74

श्री रामप्रसाद, - (अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 75

श्री जनार्दन सिंह गहलोत - (अनुपस्थित) (कृपया आगे देखिये)

श्री सम्पतसिंह (नगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि पिछली विधान सभा में भी इस पर चिन्ता प्रकट की गयी थी। इन सवालों की तैयारी में और जानकारी में बहुत खर्चा होता है स्टेट का भी और माननीय सदस्य भी मेहनत करते हैं और हम भी मेहनत करते हैं और एक इम्प्रेशन यह लिया जाता है कि जब प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित होता है तो वह किसी न किसी से इन्फलुन्स होकर भी अनुपस्थित होता है। इस पर व्यवस्था देने की कृपा करें।

श्री केदारनाथ शर्मा : हाउस के अन्दर किसी माननीय सदस्य के ऊपर यह चार्ज नहीं लगना चाहिए।

श्री सम्पत सिंह : यह रोज बातें होती हैं माननीय सदस्य। हमको अपनी भी जिम्मेदारी महसूस करनी चाहिए। प्रश्न लगा दिया और गैर हाजिर हो गए। इस पर कोई व्यवस्था होनी चाहिए।

एक माननीय सदस्य : अनुपस्थित

(एक माननीय सदस्य)

रहने की कोई कोशिश भी नहीं करता है और अति आवश्यक कार्य से अनुपस्थित रह सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती तारा भण्डारी,

सरपंच ग्राम पंचायत, पोसालिया के विरुद्ध शिकायतें

76. **श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) :** क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ग्राम पंचायत, पोसालिया के सरपंच के विरुद्ध, भ्रष्टाचार, गबन एवं पद के दुरुपयोग की शिकायतें राज्य सरकार को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो क्या इन शिकायतों की जांच करवाई गई और क्या जांच रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई है ?

(2) क्या जांच रिपोर्ट में, उपरोक्त शिकायतें सही पाई गई हैं ? यदि हां, तो सरपंच के विरुद्ध अब तक कार्यवाही न करने के क्या कारण रहे हैं ? अब कब तक कार्यवाही पूर्ण कर ली जायेगी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री हरलाल सिंह खर्रा) : (1) जी हां। दिनांक 17-8-90 को शिकायत प्राप्त हुई थी जिसकी जांच कराई जा रही है। राज्य सरकार को रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(2) जी, नहीं, जांच रिपोर्ट प्राप्त होते ही समुचित कार्यवाही कर दी जावेगी।

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, ग्राम पंचायत, पोसालिया के सरपंच अपने पद का दुरुपयोग करते हुए एक ही नम्बर की दो-दो रसीदें रखते हैं। उन दो रसीदों में से एक तो केश बुक में जमा कराते हैं और दूसरी को अपनी जेब में रखते हैं। इस प्रकार सरपंच द्वारा किए जा रहे गबन की शिकायत मय आवश्यक तथ्यों के जब राज्य सरकार को माह अगस्त में दे दी गयी थी उसके बाद 7 महीने बाद भी अभी तक जांच रिपोर्ट नहीं आने से क्या यह साबित नहीं होता कि उक्त सरपंच को सरकार जानबूझकर गबन के और अवसर दे रही है। प्रश्न यह है कि आज 7 महीने बाद भी इसकी जांच रिपोर्ट नहीं आई। प्रश्न 2 क्या यह भी सत्य है कि इस मामले में सरकार द्वारा जानबूझकर ढिलाई की जा रही है। प्रश्न 3–सिरोही जिले के ऐसे कितने सरपंच हैं जिनके विरुद्ध गबन एवं भ्रष्टाचार के मामले हैं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री हरलालसिंह खर्रा : माननीय अध्यक्ष जी, जानबूझकर बचाने का प्रश्न पैदा नहीं होता। यह प्रोसीजर है सरपंच की जांच का कि जिला कलक्टर के मार्फत उच्च अधिकारी से जांच करवाई जाती है। जब शिकायत हमारे पास में आई, राज्य सरकार के पास में आई तो तुरन्त कलेक्टर को लिख दिया गया। उसके बाद कलेक्टर को 20-11-90 को लिखा गया, फिर फरवरी में लिखा गया और अब फिर एक जनरल आदेश भी दे दिये गये हैं कि तीन माह के अन्दर-अन्दर जितनी भी पेन्डिंग जांच की फाइलें कलेक्टर्स के पास हैं, जांच करके भिजवा दें। 3 महीने का अधिक से अधिक समय अब दिया गया है। पहले कई

(श्री हरलालसिंह खर्रा)

फाइलें जांच में पड़ी रहीं, यह सही है, डिले हुई है इसमें। पहले ए. सी. एम. के नाम आदेश हुए तो ए. सी. एम. की बदली होने से फिर एस. डी. ओ. के नाम आदेश हुए। इस तरह से थोड़ी डिले हो गयी। अब मैं माननीय सदस्या को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि 15 दिन के अन्दर-अन्दर उसकी जांच रिपोर्ट मंगवा कर उचित कार्यवाही कर दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट,

श्री रमाकांत शर्मा : 3 महीने का समय कब से लागू है यह? (व्यवधान)

(व्यवस्था-सूचक घण्टी)

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

कई माननीय सदस्य : ×××

श्री अध्यक्ष : बैठिये, बैठिये......... (व्यवधान)

कई माननीय सदस्य : ×××

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री मदन जी बैठिये, प्लीज सिट डाउन.........बैठ जाइये आप...प्लीज सिट डाउन....नेक्स्ट श्री दयाराम परमार। मंत्री महोदय। बैठिए आप, प्लीज सिट डाउन। आपका (श्री महावीर प्रसाद जैन) नाम पुकारा तब तो आप गायब थे, बैठिये आप।...प्लीज सिट डाउन.... महावीर प्रसाद जी, पहले बैठिये आप.... बिलकुल नहीं....मंत्रीजी जवाब दीजिए। ....(व्यवधान)....आपने 15 दिन का मौका दे दिया, ठीक है। आप बैठिये, बैठिये जिनका सवाल था उनको 15 दिन में जांच रिपोर्ट मंगवाने का आश्वासन मंत्रीजी ने दे दिया है।.. (व्यवधान) यह सारे राजस्थान का सवाल नहीं है।....माननीय हीरासिंह जी, आप हाउस चलाना नहीं चाहते? आज विपक्ष में नहीं हैं तो सारा आपने ठेका ले लिया है कि हल्ला गुल्ला करेंगे। जब 15 दिन का उन्होंने आश्वासन दे दिया कि 15 दिन में रिपोर्ट आ जायेगी, समाप्त हो गया। नेक्स्ट, श्री दयाराम परमार। माननीय मंत्रीजी, आप जवाब नहीं दे रहे हैं क्या? आप जवाब दीजिए।

उदयपुर का आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण केन्द्र

77. **श्री दयाराम परमार** (खैरवाड़ा) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर में आदिम जाति शोध संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र कार्यरत है? यदि हां, तो अब तक शोध कार्य की क्या-क्या उपलब्धियां हैं? अभी तक शोध के आधार पर आदिवासियों के लिए क्या-क्या उपयोगी कार्य किया गया।

(2) क्या यह सही है कि उक्त संस्थान प्रशिक्षण देने का कार्य भी करती है? यदि हां, तो किस-किस प्रकार का प्रशिक्षण देती है? आज तक किन-किन को क्या-क्या प्रशिक्षण दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री (श्री चुन्नीलाल गरासिया) : (1) जी हां,

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

अब तक शोध संस्थान द्वारा आदिवासी जीवन एवं समस्याओं पर शोध के 169 कार्य किये गये हैं जिसकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट 'अ') शोध उपरान्त प्रतिवेदन सुझावों सहित संबंधित विभागों को उपयोग हेतु भेज दिया गया है ताकि वह आगे की कार्यवाही कर सकें।

(2) जी हां, आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में विकास के कार्यों में कार्यरत अधिकारियों एवं क्षेत्र में कार्यरत कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके साथ-साथ पूर्व परीक्षा पाठ्यक्रम भी आयोजित करता है। अब तक कुल 103 प्रशिक्षण, संगोष्ठियां, चेतना शिविर, कार्यशाला, पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री दयाराम परमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आर.ए.एस. और आर. टी. एस. की पूर्व परीक्षाओं की कोचिंग क्लासेज कब से शुरू की हैं और आज तक क्या परिणाम रहे? नम्बर एक।

नम्बर दो, शोध कार्य करने के बाद आज तक सरकार ने जो प्रतिवेदन प्राप्त किये इस आधार पर किस निष्कर्ष पर पहुंची है सरकार और क्या आदिवासियों की मोटे रूप से समस्याएं हैं, उन समस्याओं के समाधान के लिये सरकार ने किस तरह क्या कदम उठाये हैं?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस शोध प्रशिक्षण संस्थान में अब तक यानी जो भी राजस्थान सरकार द्वारा नयी-नयी भर्तियां की जाती थीं उनके लिये कोर्स चलाये जाते थे। उसमें आर. टी. एस., आर. ए. एस. की क्लासेज भी चलायी गयी हैं लेकिन जहां तक आउट-पुट का प्रश्न है, हमारे सामने बैठे हुए माननीय सदस्य भी जानते हैं, पूर्व सरकार में इस शोध संस्थान से कोई ऐसा आर. ए. एस., आर. टी. एस नहीं निकला है लेकिन आने वाले समय में इस शोध संस्थान से निश्चित रूप से एक निश्चित समय में योजना बना रहा हूं जिसमें निश्चित समय पर निश्चित कोर्स चले। जैसा कि आर. टी. एस., आर. ए. एस. के विषय में अन्य जो शोध कार्य किया गया है, हम स्वयं किसी कार्य को हमारे पास मैनपावर न होने के कारण नहीं करते हैं, वह शोध कार्य संबंधित विभाग को भेज दिया जाता है। अब वह विभाग उसको कितना एक्जीक्यूट करता है वह वहां के विभागाध्यक्ष पर डिपेण्ड करता है। लेकिन हम प्रशासनिक ढंग से....

श्री अध्यक्ष : उन्होंने बड़े सिम्पल प्रश्न पूछे हैं कि शोध पर कोई प्रोमीनेन्ट पाइन्ट्स हों तो बता दीजिये।

श्री चुन्नीलाल गरासिया: प्रोमीनेन्ट पाइन्ट तो अब तक आर.ए.एस., आर टी एस. का ऐसा कोई छात्र हमारा नहीं निकला है जो

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

वहां से क्लास अटेण्ड करके मतलब शिक्षार्थी के रूप में हो यह आउट पुट है।

श्री दयाराम परमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने यह तो स्वीकार किया कि कोई आर.ए.एस., आर.टी.एस. में नहीं निकला लेकिन शोध संस्थान से क्या प्राब्लम्स हमारे सामने आई और उसके लिये हमने क्या कदम उठाये उनको साल्व करने के लिये इस सम्बन्ध में ?

श्री चुन्नीलाल गरासिया : जैसा कि मैंने माननीय सदस्य को बताया, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि यह शोध संस्थान जिस विषय में शोध करता है उसको संबंधित विभाग को भेजते हैं उस योजना को लागू करने के लिये ट्राइबल एरिया में।

श्री अध्यक्ष : श्री अहारीजी।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को यह निवेदन करता हूं कि यह चूंकि आदिवासियों के बारे में शोध करता है और आदिवासियों के सर्वांगीण विकास के बारे में शोध करता है तो क्या आपने उस विभाग में विभिन्न क्षेत्रों से कोई ऐसे अनुभवी कर्मचारी रखे हैं जिनके माध्यम से आदिवासियों की जो भी संस्कृति है उस बारे में समय-समय पर उनको जानकारी मिल सके और उन्हें शोध करने में सहयोग मिल सके ? मैं यह जानना चाहता हूं आपने अलग-अलग क्षेत्रों से कौन-कौन ऐसे कार्यकर्ता या किस पद के कार्यकर्ता रखे हुए हैं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महोदय ने जो पूछा है इस तरह के कार्यकर्ता जो आदिवासियों के विकास के लिये योजना रखते हों, ऐसे कार्यकर्ता रखे हुए हैं। ऐसे पर्टीकूलर कोई विषयों में आदिवासी ही कार्यकर्ता या उस क्षेत्र में रहने वाले तो नहीं हैं लेकिन हम डेपुटेशन पर ऐसे अधिकारी लेते हैं जो शोध कार्य में निपुण होते है या इस आदिवासी समाज के बारे में जानते हैं। ऐसे हम डेपुटेशन पर प्राध्यापक लेते हैं विश्वविद्यालयों से और उनके द्वारा हम शोध कार्य करवाते हैं। वही शोध कार्य विभिन्न विभागों में भेजे जाते हैं जैसा कि मैंने पूर्व में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सदस्य महोदय को बताया।

श्री दयाराम परमार : क्या, माननीय मंत्रीजी, यह बात सही है कि आर.ए.एस., आर. टी. एस. की कोचिंग क्लासेज में पढ़ाने के लिये आपके पास कोई आदमी नही जाते, इस वजह से कोई आउट पुट आज तक नहीं मिला ?

श्री चुन्नीलाल गरासिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, आर. टी. एस. और आर. ए. एस. को पढ़ाने के लिये हमारे पास पूरे समय के प्राध्यापक नहीं हैं। उदयपुर में जो विश्वविद्यालय है वहीं से हम प्राध्यापकों को पीरियड, कालांश के आधार पर मेहनताना देकर बुलाते है और क्लासेज आर.टी.एस. और आर.ए.एस. की चलाते हैं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आउट पुट कुछ भी नहीं हुआ क्या उसका ?

श्री चुन्नीलाल गरासिया : नहीं तो वह रिटन में नहीं आये, जो एग्जाम में पास होते करते।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती मदन कौर।

श्रीमती मदन कौर (गुढामालानी) : क्या राज्य सरकार यह महसूस करती है कि उदयपुर का आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान जिस उद्देश्य से खड़ा किया गया था उसमें से किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई है ? अगर नहीं हुई है तो अब इस सम्बन्ध में आपके पास क्या सुधार के सुझाव हैं ? क्या ठोस निर्णय करना चाहते हैं ? उसकी सदन को जानकारी दे दें।

मुख्य मन्त्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात तो सही नहीं है कि इस शोध संस्थान द्वारा जो कार्यवाही की गई है उसके परिणाम नहीं निकले हों। शोध संस्थान के दो भाग हैं। एक आदिवासियों के बारे में जिस प्रकार की समस्याएं हैं, सामाजिक, आर्थिक इस प्रकार की समस्याएं हैं उनका शोध किया जाता है और मैं आज तो नहीं कह सकता लेकिन मैंने इस सारे शोध संस्थान के जितने भी पत्रक निकले हैं उनका आज के दो साल पहले अध्ययन किया और लगातार मैं अध्ययन करता रहा।

श्री केदारनाथ शर्मा : बोले भी हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : और मैं इस मामले में बोला भी हूं। बोलने के बाद कुछ कानून भी बने हैं और कुछ कानूनों में संशोधन भी किये गये हैं। इस कारण से शोध का जितना लाभ है, जो सरकार लाभ उठाना चाहती है वह लाभ तो उठाया गया है। जहां तक ट्रेनिंग का प्रश्न आता है, मैं समझता हूं यह बहुत ही मुश्किल मामला है और यह हम सबके लिये एक चिन्ता का विषय है कि आर.ए.एस. में, आर.टी.एस. में, आई.ए.एस. में आदिवासियों के लड़के चयनित नहीं होते। उसमें उनकी कोचिंग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। उस कोचिंग में सुधार करने के लिये विचार राज्य सरकार कर रही है कि किस प्रकार के लोग एग्जामिनेशन में जाकर इनका सलेक्शन किया जा सके। यह आप आर. ए. एस., आर. टी. एस की बात कर रहे हैं, मैंने तो यह भी आंकड़े निकाले हैं कि पुलिस का सिपाही हो, कनिष्ठ लिपिक हो, कम्पाउण्डर हो, छोटी-छोटी सर्विसेज में उन लोगों की भर्ती नहीं होती। इस कारण से राज्य सरकार ने इस बार 50 प्रतिशत का रिजर्वेशन किया है। मैं सदन को इतना ही कह सकता हूं कि इस शोध संस्थान का जितना लाभ उठाया जाना चाहिये, उतना लाभ उठाया गया है और भविष्य में और अधिक लाभ किस प्रकार से उठाया जा सके, उस सम्बन्ध में भी राज्य सरकार विचार करेगी।

श्री नाथूराम अहारी : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : फिर क्या रह गया अब ?

श्री नाथूराम अहारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि मंत्रीजी एस.टी. से हैं और एस.टी. के बारे में उनको पूरी जानकारी है लेकिन हमने आज तक यह अनुभव किया है कि एस.टी. का यह विभाग एस.टी. के सुधार के लिये तैनात किया गया है तो उस में आने डेपुटेशन बड़े अफसर लगाये जाते हैं, मैं समझता हूं, आदिवासियों के विकास के बारे में जो खर्चा होता है उसका 1/2 भाग उन्हीं पर खर्च हो जाता है। आदिवासियों के जो लड़के वहां लगे हुए हैं उनकी

(श्री नाथूराम ग्रहारी)

पदोन्नतियां रुकी हुई हैं। ग्रभी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बताया कि हमने 50 पर्सेन्ट कर दिया है लेकिन मैं यह कहता हूं कि 50 पर्सेन्स भी जो लगे हुए हैं, जो पहले से ग्रारक्षण है उसमें भी पूरी पूर्ति नहीं हुई है। पदोन्नति में भी नहीं हुए है ग्रौर जो रोस्टर प्रणाली के ग्रनुसार सिस्टम चालू है उसमें भी नहीं हुई है। मैं तो ग्रापसे 50 पर्सेन्ट के लिये नहीं, मैं तो ग्रापसे यह निवेदन करता हूं कि ग्रादिवासियों की पहले वाली जो ग्रारक्षण नीति है उसके ग्रनुसार भी पूरा नहीं किया। ग्राज तक मस्टर रोल पर जो कार्यकर्ता रखे जाते थे उस पर भी बैन लगा हुग्रा है। जब से ग्रापकी सरकार बैठी है उस समय से मस्टर रोल पर रखने वाले छोटे कर्मचारियों के लिये भी बैन लगा हुग्रा है। यहां तक कि मंत्रीजी को कहते हैं ग्राप एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रखो तो ग्राप कहते हैं कि बैन लगा हुग्रा है। तो मैं तो ग्रापसे यह निवेदन करता हूं यह जो शोध संस्थान है उसका यह पूरा काम है कि हमारे ग्रादिवासी जो लोग हैं, उसमें कोई ग्रादिवासी ऐसा ग्रधिकारी नहीं जो कि ग्राप उस विभाग में डेपूट कर सकते हो। कोई ऐसा ग्रधिकारी या कर्मचारी नहीं है जो कि ग्रादिवासियों के बारे में पूरी जानकारी रखता हो। ग्राप दूसरे लोगों को लाकर रख देते हैं। दूसरे जो नहीं जानते हैं ऐसे ग्रधिकारी को लाकर रख देते है। तो हमारा यह कहना है, ग्राप चूंकि ग्रादिवासी हैं, इसलिये ग्राप इस विभाग में ग्रामूलचूल परिवर्तन करें।

श्री ग्रध्यक्ष : श्री हेतराम बेनीवाल।

विधान सभा क्षेत्र संगरिया के ग्रायुर्वेद ग्रौषधालय

78. श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया): क्या ग्रायुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) संगरिया विधान सभा क्षेत्र में कितने ग्रायुर्वेदिक ग्रौषधालय हैं? उनमें प्रत्येक में कितना-कितना स्टाफ है?

(2) वर्ष 1989-90 में उक्त निर्वाचन क्षेत्र में कितने ग्रौषधालय खोले गये उनमें दवाइयों का बजट कितनी राशि का रखा गया था?

(3) क्या ग्रौषधालय हेतु दवाइयों की खरीद केवल जयपुर में ही होती है? प्रत्येक वर्ष में डिस्पेंसरी के लिए कितने रुपये की दवाइयां उपलब्ध कराई जाती है?

(4) प्रत्येक नये ग्रौषधालय में वैद्य के रहने की क्या व्यवस्था है? वर्ष 1989-90 में राज्य सरकार ने ग्रावास के लिये कितने रुपये स्वीकृत किये?

(5) क्या यह भी सही है कि जहां-जहां सरकार की ग्रोर से ग्रावास की व्यवस्था नहीं है वहां के वैद्य शहरों में रहते हैं ग्रौर गांव में केवल उपस्थिति ग्रंकित करते हैं?

राज्य मंत्री, ग्रायुर्वेद (श्री जोगेश्वर गर्ग) : (1) संगरिया विधान सभा क्षेत्र में 16 ग्रायुर्वेदिक ग्रौषधालय स्वीकृत है। इन में प्रत्येक में एक चिकित्सक, एक नर्स ग्रथवा कम्पाउण्डर एवं एक परिचारक का पद सृजित है।

ग्रौषधालयों की सूची एवं स्टाफ का

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

विवरण संलग्न परिशिष्ट "क" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) वर्ष 1989-90 में संगरिया विधान सभा क्षेत्र में दो नवीन औषधालय ग्राम दूलपुरा एवं 77 के डब्लू. ताखरावाली स्वीकृत किये गये थे। इन नवीन औषधालयों में दो हजार रुपये तक की औषधियां वितरित करने हेतु औषध बजट निर्धारित किया गया था।

(3) जी नहीं, विभागीय औषधालयों को राजकीय आयुर्वेद रसायन शाला में निर्मित औषधियां वितरित की जाती है। औषध निर्माण हेतु कच्चे औषध घटक, द्रव्य, जड़ी-बूटियां निविदा के माध्यम से नियमानुसार न्यूनतम दर वाले व्यापारी से क्रय की जाती है।

विभाग में निर्मित औषधियां औषधालयों की गत वर्ष की रोगी संख्या के आधार पर निम्न मापदण्ड के अनुसार वितरित की जाती है :-

अंतरंग विभाग हेतु – प्रति रोगी प्रति दिन 3.00 रुपया

बहिरंग विभाग हेतु – प्रति रोगी प्रति दिन 1.00 रुपया

नवीन औषधालयों के लिये प्रथम वर्ष में दो हजार रुपये तक की निर्मित औषधियां देने का प्रावधान है।

(4) नवीन औषधालयों में वैद्य के रहने की व्यवस्था राज्य सरकार के स्तर पर नहीं की जाती है। यहां तक कि औषधालय भवन की व्यवस्था भी ग्रामवासियों द्वारा निःशुल्क की जाती है। जिन औषधालयों के भवन में स्टाफ के रहने की व्यवस्था उपलब्ध है। वहां चिकित्सक औषधालय भवन में निवास कर सकता है। वर्ष 89-90 में राज्य सरकार द्वारा औषधालय भवन या आवास निर्माण के लिये कोई बजट प्रावधान स्वीकृत नहीं किया गया है।

(5) जी नहीं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष जी, यह जो मंत्री महोदय ने जवाब दिया है, संगरिया विधान सभा क्षेत्र की उन्होंने सूची दी है, मैं समझता हूं कि अगर उसी को ठीक माना जाय और उसी सूची के आधार पर उन्होंने जवाब दिया है तो यह सारा उत्तर ही निरर्थक हो जाता है। क्योंकि यह सूची इस विधान सभा क्षेत्र के औषधालयों की नहीं है। इस सूची में जो गांव दिये हैं वह मेरे विधान सभा क्षेत्र के गांव ही नहीं है। पक्का सारणा, गणेशगढ़, हिरनावाली गांव इस विधान सभा क्षेत्र के नहीं हैं और यह किसी और, गंगानगर, हनुमानगढ़ और एक तीसरे विधान सभा क्षेत्र के हैं। इसलिये यह जो उत्तर है, मैं समझता हूं जो मेरे क्षेत्र के 12-13 नाम दिये हैं वह भी मुझे लगता है, सच्चाई से दूर है। क्या सच्चाई है, माननीय मंत्री जी बतायेंगे। तीसरा जो उन्होंने औषधियों के वितरण के सिलसिले में उत्तर दिया है, मैं एक सवाल राज्य सरकार की नीति से सम्बन्धित पूछना चाहूंगा कि हमारी जो प्राचीन चिकित्सा व्यवस्था है उसके बारे में कितने चिन्तित हैं और सरकार की उसके बारे में क्या इच्छा शक्ति है, यह इससे

(श्री हेतराम बेनीवाल)

जाहिर होता है कि दो हजार रुपये बजट रखा है दवाइयों का। इसका मतलब 6 रुपये प्रतिदिन। माननीय अध्यक्ष जी, कोई ऐसी दवा है क्या जो 6 रुपये में आये? पूरे रोगी दिन भर आयें एक गांव के, जिसमें 5-6 हजार की आबादी हो तो उनको कोई दवा दे सकते हैं? मैं निवेदन करना चाहूंगा अगर पानी भी पिलाना शुरू कर दो तो 6 रुपये में पानी भी नहीं पिला सकते। इस तरह की व्यवस्था रखी है, क्या राज्य सरकार इसके बारे में विचार करेगी?

इसी प्रकार से उन्होंने यह जवाब दिया है कि विभागीय औषधालयों की दवाइयां जयपुर से नहीं खरीदी जाती है। वह टेण्डर से लेते हैं पर उसका आधार यह दिया है कि तीन रुपये प्रति इन्डोर रोगी और एक रुपया प्रति आउट डोर पेशेन्ट। अध्यक्ष जी, क्या कोई ऐसी दवाई है जो एक रोगी को एक रुपये में इलाज से ठीक कर दे? मान लीजिये एक हजार रोगी आये साल में और एक रोगी को एक रुपया के हिसाब दवाई दी गई तो मैं सदन के सामने निवेदन करना चाहूंगा कि यह मजाक उन औषधालयों के साथ है और उन औषधालयों को दवाई देने की अपेक्षा सिर्फ चिकित्सक दिये हैं। मैं उनके बारे में भी एक सवाल पूछना चाहूंगा। माननीय मंत्री जी ने चौथे खण्ड में जवाब दिया है – औषधालय भवन गांव वाले बनायेंगे, उसकी कोई बजट व्यवस्था है रहने की। इस लिहाज से अगर औषधालय भवन नहीं बना है और उनके रहने की पूरी व्यवस्था गांव में वह करना नहीं चाहते तो यह जवाब दिया है पांचवां कि क्या यह सही नहीं है कि जहां-जहां सरकार की ओर से आवास की व्यवस्था नहीं है वहां के वैद्य शहरों में रहते हैं, इसका जवाब दिया है "नहीं"। मुझे समझ में नहीं आता। पहले का जवाब तो यह है कि गांव वाले बनायेंगे तभी वहां रहेंगे, व्यवस्था उनकी होगी, और छठे में जवाब दिया है "जी नहीं" यानि वह सारे रहते हैं तो कहां रहते हैं? मैं माननीय मंत्री जी से आज सदन में कहता हूं, मेरे यहां जो 10 या 12 की उन्होंने सूची दी है उसमें से दो-तीन के सिवाय, जो शहर में हैं किसी जगह वैद्य वहां नहीं रहते यह मैं आज सदन में कहना चाहूंगा और मंत्री जी से इसका स्पष्टीकरण चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री जोगेश्वर गर्ग : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पहला जो प्रश्न किया है दो हजार रुपये नये औषधालयों के लिए....

श्री अध्यक्ष : पहला प्रश्न तो यह किया है कि जो सूची दी है आपने औषधालयों की....

श्री जोगेश्वर गर्ग : क्षमा करें। औषधालयों की सूची का जहां तक सवाल है, आपने सूचना मांगी थी विधान सभा क्षेत्र के अनुसार, हमारे पास सूचना राजस्व जिले के हिसाब से रहती है और राजस्व जिले में भी राजस्व तहसील के हिसाब से रहती है, विधान सभा क्षेत्र में कई बार अन्य तहसीलों पर....

श्री हेतराम बेनीवाल : यह कौन सी तहसील के हैं। वहां तीन तहसीलें हैं। दोनों ही बातें गलत हैं, न तहसील से है न जिले से है।

श्री जोगेश्वर गर्ग : आप सुन तो लीजिए, कौन से विधान सभा क्षेत्र में कौन-कौन से गांव आते हैं यह सूचना हमें जिला प्रशासन ही देता है उसी के आधार पर हमने सूची तैयार की है, हमारे विभाग में इसका कोई अथान्टिक रिकार्ड नहीं होता है।

श्री हेतराम बेनीवाल : यह क्या मतलब हुआ ? माननीय मन्त्री जी, मैं अर्ज करूं, यह सूची तीन तहसीलों की है और जिले में ग्यारह तहसीलें हैं ...(व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष : बिराजिए आप, मैं बोल रहा हूं। यह सवाल विधानसभा क्षेत्र से पूछा है तो वह जिले में इन्क्लूड विधानसभा क्षेत्र की भी आपके पास सूचना रहती होगी, जिले में इन्क्लूड जितनी विधानसभा क्षेत्र है उतनी ही सूचना आ जाती है। यह तो जवाब देते समय देखने की बात थी कि विधानसभा क्षेत्र ही देखते, जिला तो आ ही जाता इसमें आटोमेटिकली।

श्री जोगेश्वर गर्ग : अध्यक्ष महोदय, इसमें संशोधन कर लिया जाएगा। दूसरा-दो हजार रुपये नये औषधालयों को देने का है। जब भी कोई नया औषधालय खुलता है, जैसा मैंने निवेदन किया औषधालयों के बजट का निर्धारण एक वर्ष के रोगियों की संख्या के आधार पर होता है। चूंकि औषधालय नया खुल रहा है इसलिए उसमें कितने रोगी आयेंगे यह कोई पहले से पता नहीं होता। तो अनुमान से दो हजार रुपये की नये औषधालयों को दवा दी जाती है। उसके बाद अगले साल उसका बजट निर्धारित होता है तो गत वर्ष की रोगी संख्या के आधार पर होता है। उसके हिसाब से आवंटन होता है। माननीय सदस्य ने कहा कि एक रुपया प्रति मरीज। मुझे लगता है आपने एक रुपया प्रति मरीज प्रति वर्ष मान लिया है जबकि यह प्रतिदिन प्रति मरीज है।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं भी यही कह रहा हूं माननीय मन्त्री जी, एक वर्ष नहीं कहा है। आप वर्ष कहना चाहते हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद। यदि एक रुपया दिन की बजाय वर्ष करना चाहते हैं तो सरकार बड़ी प्रगति कर रही है।

श्री जोगेश्वर गर्ग : आपने जो उदाहरण दिया है वह एक वर्ष का दिया है। आपने एक हजार मरीज का उदाहरण दिया वह वर्ष के लिए दिया है।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री जी, उनका सवाल यह है कि एक रु. कम है, ऐसा कह रहे हैं। वह प्रतिदिन ही कह रहे हैं, प्रति वर्ष नहीं कह रहे हैं। वह कह रहे हैं एक रुपये में दवाई मिलती है क्या, यह बतावें ?

श्री जोगेश्वर गर्ग : एक दिन में ऐसे 50 मरीज आये तो 50 रुपये की दवाई।

श्री हेतराम बेनीवाल : आप उस दवाई का नाम बतावें जो एक रुपये में आती है।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, +++ मिनिस्टर क्या है ?

श्री जोगेश्वर गर्ग : माननीय सदस्य, आयुर्वेद विभाग में बहुत सी ऐसी दवाइयां हैं जो 10 पैसे में आती है।

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(16)

एक माननीय सदस्य : पूरी सूचना नहीं हो तो स्थगित करा दिया जावे, अध्यक्ष महोदय।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय मुख्य मन्त्री जी, आप तो इस्तेमाल करो स्वर्ण भस्म....(व्यवधान)।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कम है कम है....

श्री हेतराम बेनीवाल : एक रुपये में नहीं आती। उसका पैकेट एक रुपये में दिलवाइये। क्या चिकित्सा विभाग यह लिखने को तैयार है कि उसके पैकेट पर एक रुपया लिखेंगे ?

श्री मदनलाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, सारे मरीज स्वर्ण भस्म वाले नहीं आते हैं। (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष : सैनी जी, आप मन्त्री हैं ? मन्त्री जी जवाब दे रहे हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : कोई चीज एक रुपये की आपके राज में है ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : आप कुछ तो नोर्म्स रखिए।

श्री हेतराम बेनीवाल : पानी भी डेढ़ रुपये का है।

श्री जोगेश्वर गर्ग : मैं निवेदन कर रहा हूं, कई चीज ऐसी है जो 10 पैसे में आती है। आप एक रुपये की बात करते हो।

श्री हेतराम बेनीवाल : आप एक भी नाम बताइये।

श्री जोगेश्वर गर्ग : बहुत सारी है।

एक माननीय सदस्य : मन्त्री जी को ब्रह्मीवटी का सेवन करना चाहिए।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि यह बहुत कम है। जो दवाइयां दी जा रही है, वह बहुत कम है। उसके लिये बतायें कि क्या बढ़ा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिए। मैं बताता हूं आपको जो आयुर्वेद की औषधियां हैं, जो लोकल जड़ी-बूटी की है वह एक रुपये में कम पड़ती है।

श्री हेतराम बेनीवाल : बहुत ही कम पड़ती है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, वह एक रुपये में ज्यादा आ जाती है लोकल जड़ी-बूटियों की। आयुर्वेद में लोकल जड़ी बूटियों की बहुत दवाइयां है, बहुत से क्वाथ है जो लोकल जड़ी बूटियों के हैं जिसमें पैसा नहीं लगता। बाकी तो सब महंगी है। हां बोलिए।

श्री हेतराम बेनीवाल : लोकल यह थोड़े ही लेते है ? ये तो टेण्डर से लेते हैं। लोकल दवाइयां जो बाजार से लेकर आते हैं, उसका मूल्य बताइये।

श्री अध्यक्ष : आप बोलिये, मन्त्री जी बोलिए।

श्री जोगेश्वर गर्ग : अध्यक्ष महोदय, अगला प्रश्न माननीय सदस्य ने किया था औषधालय में रहने की व्यवस्था के बारे में। मैंने निवेदन किया है कि राज्य सरकार अपने स्तर पर न तो औषधालय का भवन बनाती है और न उनके आवास के लिए कोई व्यवस्था करती है। राज्य

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

सरकार से मतलब आयुर्वेद विभाग से है। बाकी जहां जन सहयोग से भवन मिल जाता है, बहुत बढ़िया बात है। जहां नहीं मिलता है, वहां जवाहर रोजगार योजना है, या इसी तरह की अन्य योजनायें विकास की चल रही हैं उनके माध्यम से भवन बनाकर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है।

श्री हेतराम बेनीवाल : कितने बने हैं ? कोई है ऐसा ?

श्री जोगेश्वर गर्ग : बहुत सारे बने हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने केवल इस समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया है कि जो कीमत आपने लगाई है, वह बहुत कम है, इसको रि-एक्जामिन करिये। दूसरा यह प्रेक्टिकल समस्या है कि जब कोई वैद्य गांव में आता है, उसके रहने की व्यवस्था नहीं है तो वह शहर में रहता है, अप-डाउन करता है। यह प्राब्लम है, अब इसका हल कैसे हो सकता है, इसका तरीका निकालिये आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसका हल निकल रहा है। हमने "अपना गांव अपना काम" योजना में इसका हल निकालने की कोशिश की है। 30 प्रतिशत गांव वाले दे दें और 70 प्रतिशत सरकार देगी और वहां पर आयुर्वेद के वैद्यों के लिए भवन बनाये या डाक्टरों के लिए भवन बनाये या औषधालय भवन बनाये या रसायन शाला बनाये, सब के लिए सहायता दी जावेगी।

श्री नत्थीसिंह : आपने आयुर्वेद दवाइयां खरीदने के लिए भी 'अपना गांव अपना काम' में प्रावधान कर दिया है ? (व्यवधान) आयुर्वेद दवाइयों के लिए क्या आप समझते हैं कि जो प्रावधान है, वह प्रावधान कम है और उसका वास्तव में गांव के लोगों को फायदा नहीं मिल रहा है ? नाम के ही औषधालय खोले हुए हैं, आप महसूस करते हैं या नहीं ?

श्री हेतराम बेनीवाल : यह आयुर्वेद चिकित्सा का मजाक है, यह चिकित्सा पद्धति के बारे में मजाक है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह सही है कि औषधियों के लिए जितनी राशि रखी गई है वह कम है, इससे कोई इन्कार करने का प्रश्न नहीं पैदा होता, कम है। राजस्थान के अन्दर अगर रोगियों की संख्या देखें और डाक्टरों की संख्या देखें तो दवाइयों का प्रावधान कम है। (व्यवधान)।

श्री हेतराम बेनीवाल : आप कौनसी चिकित्सा पद्धति में विश्वास करते हैं, यह सवाल उठता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं एक इस समस्या की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आज आयुर्वेद की दवाइयां सही मिल जायें। यह बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि यह जड़ी बूटियों और बाकी इसी तरह की चीजों पर निर्भर करता है। कई बार तो जब दवाइयां खरीदते हैं तो इस प्रकार की चीजें सामने आती हैं जिन्हें खरीदना उचित नहीं समझते हैं। कई बार ऐसी चीजें आती हैं जिनके दाम बहुत महंगे होते हैं और इस आधार पर अगर फार्मेसिस्ट से दवाइयां खरीदें या हमारी जो फार्मेसी है, उसको

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

दवाइयां बनाने के लिए दें, उसमें भी कई बार कटु अनुभव इस प्रकार के आये हैं। इस सम्बन्ध में जैसे आपने सुझाव दिये हैं, मेरे पास भी पिछले दिनों में इस तरह के सुझाव आये हैं, इस सारी व्यवस्था में क्या परिवर्तन किया जाय जिससे दवाइयां शुद्ध मिल सकें, नम्बर एक, दवाइयां सस्ती मिल सकें, नम्बर दो और उसके आधार पर यदि बजट में प्रावधान करने की और गुजांइश रही वित्तीय स्थिति को देखते हुए, तो निश्चित रूप से मैं आपकी बात से सहमत हूं कि वित्तीय राशि इसमें कम है, इसको बढ़ाई जानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री गुलाम मुस्तुफा खां।

श्री गुलाम मुस्तुफा खां (नागौर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री जी और डिपार्टमेन्ट बजट नियत करता है, उसके अनुसार भी वे सप्लाई नहीं करते हैं। जहां तक यूनानी दवाखानों का सवाल है, राजस्थान में कोई भी ऐसा यूनानी दवाखाना नहीं है जिसमें इन्होंने 20 प्रतिशत से अधिक भी बजट दिया हो। बजट भी पूरा का पूरा लैप्स हो जाता है, उसका क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी।

श्री जोगेश्वर गर्ग : अध्यक्ष महोदय, कोई बजट लैप्स नहीं होता। यूनानी और आयुर्वेद दोनों तरह की दवाइयां उसी रसायन शाला में बनती हैं और उपलब्ध बजट के प्रावधान के अनुपात में प्रत्येक औषधालय को सप्लाई की जाती हैं।

श्री गुलाम मुस्तुफा खां : एक भी यूनानी दवाखाना मन्त्री जी नहीं बता सकते जिसमें बजट के अनुसार 100 प्रतिशत दवाइयां सप्लाई की हों। मन्त्री जी मेरे सवाल का जवाब दें। एक भी यूनानी दवाखाना ऐसा नहीं है जिसमें आपके बजट के अनुसार दवाइयां सप्लाई की हों। आप एक भी नाम बता दें।

श्री अध्यक्ष : माननीय माहिर आजाद।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष में कितने बजट का प्रावधान है, कितना लैप्स हुआ, कितने की औषधियां आयी हैं ?

श्री गुलाम मुस्तुफा खां : नहीं, नहीं मेरे सवाल का जवाब दें आप।

श्री अध्यक्ष : आ जायेगा, बैठिये तो सही आप।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जिस मुद्दे पर चर्चा हो रही थी, यह तस्वीर का एक रूख है....

श्री अध्यक्ष : आप भाषण मत दीजिये। प्रश्न पूछिये।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : भाषण नहीं बहुत इम्पार्टेन्ट बात पूछ रहा हूं। आपने यह बताया कि आयुर्वेद की दवाइयां काफी महंगी हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि काफी दवाइयां, जो जीवन रक्षक औषधि हैं आयुर्वेद की, के पुन: भुगतान पर बेन लगाया हुआ है, ऐसा क्यों है ? क्या

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

आप उस बैन को हटाने के सम्बन्ध में विचार कर रहे हैं ? यदि कर रहे हैं तो कब तक इस पर निर्णय ले लिया जायेगा ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह अलग से प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी।

श्री जोगेश्वर गर्ग : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य गुलाम मुस्तुफा खां ने फरमाया कि शत-प्रतिशत प्रावधान के अनुरूप सप्लाई नहीं हुई है, यह बात सही है....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जांच करवा लीजिये, ये जो कह रहे हैं उसकी।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मेरे सवाल का जवाब तो दें, वो तो इसी से कनेक्टेड है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट श्री गोविन्द सिंह गुर्जर।

अन्य राज्यों के शरणार्थियों का पुनर्वास

79. श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जम्मू, कश्मीर व पंजाब तथा असम से कितने लोग आतंकवादियों के उत्पीड़न से शरणार्थी के रूप में राजस्थान आये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन शरणार्थियों के पुनर्वास हेतु सरकार द्वारा क्या सहायता एवं सुविधाएं दी जा रही हैं ?

(3) इनको वापस अपने मूल प्रदेश में भेजने की सरकार की क्या योजना है ?

सहायता मन्त्री (सुश्री पुष्पा जैन) :

(1) असम प्रान्त से शरणार्थी के रूप में राजस्थान में किसी भी व्यक्ति के आने की सूचना नहीं है। जम्मू-कश्मीर तथा पंजाब से आने वाले व्यक्तियों की जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) जम्मू व कश्मीर से आने वाले शरणार्थियों को राज्य सरकार द्वारा दैनिक आवश्यकताओं एवं राशन आदि के लिए 150/ रुपये प्रति सदस्य अधिकतम 500/–रुपये प्रति परिवार प्रति माह देने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए जिला जयपुर को 75,500/–, भीलवाड़ा को 6,500/- उदयपुर जिले को 18,000/– अजमेर को 5,400/– तथा कोटा को 2,000/– की राशि आवंटित की गयी है।

(3) पंजाब से आये व्यक्तियों में से भरतपुर जिले से दो परिवार, भीलवाड़ा से 4 परिवार वापस पंजाब चले गये हैं। इस सम्बन्ध में फिलहाल कोई योजना राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत अफसोस हुआ इस प्रश्न का उत्तर सुनकर कि हमारे अप्रवासी भाई जो आसाम से उत्पीड़ित होकर आपके जिले में भी आये हैं...

श्री अध्यक्ष : वह शरणार्थी बन कर नहीं आये हैं।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : नहीं, वह शरणार्थी नहीं हैं तो क्या हैं ? उनको क्या कहेंगे आप ? आप बता दीजिये, अगर कोई दूसरा शब्द उनके लिए हो तो....

श्री अध्यक्ष : वह अपने घर आ गये वापस।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : घर आ गये तो उनके लिए हमने कोई व्यवस्था नहीं की। दुर्भाग्य की बात है डेढ़ महीने पहले अध्यक्ष महोदय, मैंने यह प्रश्न दिया था, अगर मंत्री महोदया चाहती तो सूचना एकत्रित कर सकती थीं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं। आप असम की कोई समस्या उन शरणार्थियों की हो तो पूछ लीजिये।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : असम की समस्या मेरे यहां है। उनकी समस्या सबसे बड़ी यह है कि वह अपना सब कुछ छोड़कर, अपनी दुकान में भरा हुआ सामान, अपने जेवर, अपनी सारी चल और अचल सम्पत्ति वहां छोड़ कर आ गये, उनके एक नोटिस पर कि अगर फलां तारीख तक आपने यह मकान नहीं छोड़ा, यह दुकान नहीं छोड़ी तो आपको जान से मार दिया जावेगा या आप अपने एक बच्चे को हमारी इस आतंकवादी फौज में शामिल करिये तब आप बच सकते हैं। वह उसी एक नोटिस पर हवाई जहाज से हमारे यहां राजस्थान में आये हैं। मेरे यहां नसीराबाद में भी आये हैं। उन्होंने मुझको दास्तान बताई है। अखबारों में रोज आ रहा है लेकिन इनके लिए सरकार कुछ नहीं करना चाहती। इससे ज्यादा अफसोस की बात और नहीं हो सकती। दूसरी बात, जैसा प्रश्न तीन में....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : असम से जो शरणार्थी आये हैं, वह आपके क्षेत्र के ही रहने वाले हैं न?

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर: वह रहने वाले वहां के हैं लेकिन आपके यहां भी आये हैं क्योंकि आप बड़ी +++ कि हमारे अप्रवासी भाई हैं, राजस्थान में आओ, यहां राजस्थान में पैसा लगाओ लेकिन अब वह आ रहे हैं तो उनके लिए हमारे पास कोई योजना नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं है हमारे पास। आपने खुद ने माना है कि उनको वापस भेजने के लिए भी हमारे पास कोई योजना नहीं है। मंत्री महोदया, भाग तीन में आपने खुद स्वीकार किया है कि उनको पुनर्स्थापित करने के लिए, जिस प्रदेश से वह आये हैं वहां भेजने के लिए हमारे पास कोई योजना नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, असम के शरणार्थियों की जो मूल समस्या है, जिससे वह पीड़ित हैं, वह तो आप भूल रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : नहीं, वह समस्या तो उनकी अलग है। वह तो आतंकवाद की वजह से....

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं। वह समस्या नहीं है। उनकी समस्या यह है कि उनके लड़के जो वहां पर पढ़ते-पढ़ते यहां आये हैं, वहां पर तीस-तीस

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री अध्यक्ष)

प्रतिशत में वह पास होते हैं, असम में 30 प्रतिशत में पास माने जाते हैं, यहां 36 प्रतिशत में पास माने जाते हैं तो उनका यहां एडमिशन नहीं हो रहा है। वह पास हैं वहां के मैट्रिकुलेशन के हिसाब से, लेकिन उनका एडमिशन नहीं हो रहा है क्योंकि वह अपने यहां के हिसाब से फेल हैं, पास ही नहीं हैं। तो यह है उनकी मूल समस्या।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : यह आपने बतायी, यह भी समस्या है। लेकिन मूल समस्या तो यह है...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मूल समस्या की इनको जानकारी ही नहीं हुई।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : नहीं, मेरे को तो नहीं होगी, आपको तो है। आपने क्या किया, बता दीजिये। अध्यक्षजी ने जो समस्या बतायी, उसके बारे में आपने क्या किया, आप बता दीजिये। मैं तो इन्नोसेंट हो सकता हूं, जिम्मेदारी आपकी है और आप उस जिम्मेदारी से विमुक्त नहीं हो सकते। जो हमारे भाई आये हैं उनके लिए कुछ कीजिये। मेहरबानी करके कीजिये और इस तरह का जवाब नहीं दीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जवाब में क्या गलती देखी आपने।

सुश्री पुष्पा जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले ही कहा कि असम प्रान्त से शरणार्थी के रूप में राजस्थान में किसी भी व्यक्ति के आने की कोई सूचना नहीं है बल्कि, मैं अपनी ओर से कहना चाहूंगी कि आसाम से आये हुए जितने भी लोग जयपुर में हैं जिन्हें मैं जानती हूं या राजस्थान में हैं, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए कहना चाहूंगी कि वह शरणार्थी नहीं हैं, उन्हें शरणार्थी कह कर लज्जित न करें। वह आसाम से यहां पर आये जरूर हैं लेकिन उनके अपने उद्योग हैं और वह तो इतने समृद्ध हैं कि जो और प्रान्तों से शरणार्थी यहां आये हैं वह उन्हें भी मदद कर रहे हैं। आप इसे करेक्ट कर लीजिये।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : सरकार उनकी कोई मदद नहीं करना चाहती क्या?

सुश्री पुष्पा जैन : आप बतायेंगे तो मैं निश्चित रूप से करूंगी। अगर आप ऐसे असम से आये हुए किसी भी शरणार्थी के बारे में जानकारी देंगे और वह हमारी मदद स्वीकार करना चाहेंगे तो मैं निश्चित रूप से उनकी मदद करूंगी।

श्री अध्यक्ष : विराजिए। श्री राजेन्द्र गहलोत। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : वह भी समस्या है, उनके रहने की समस्या है....

श्री राजेन्द्र गहलोत : कश्मीर से आये हुए शरणार्थी...

श्री अध्यक्ष : उनका सवाल अभी चल रहा है। हां, बोलिए।

श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कश्मीर से आये हुए तेरह शरणार्थी विद्यार्थी जोधपुर मेडिकल कालेज में पढ़ रहे हैं। उनकी आर्थिक स्थिति खराब है और उनको छात्रावास में रखने की और उनकी फीस की व्यवस्था सरकार करे।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि इसी नेचर का मेरा प्रश्न 3-4 दिन पहले था, उसका जवाब भी बिल्कुल यों का यों ही आया था। मैं कहना चाहती हूं कि जो यह 150 रुपया व्यक्ति या 500 रुपया परिवार के बारे में आपने प्रावधान किया है, इसके लिए तो धन्यवाद। पर यह अपर्याप्त है। स्थायी समाधान के लिए वह जिस सर्विस से आये हैं उस सर्विस को यहीं मान कर उनको एडजस्ट किया जाना चाहिये, नम्बर एक।

दूसरा, उनके बच्चों के प्रवेश के सम्बन्ध में मैंने महारानी कालेज और वी. सी. तक से बातचीत की है। जो वहां पर स्कीम है वह अपने यहां पर लागू नहीं है। अपने यहां पर हायर सैकण्डरी और सीनियर हायर सैकण्डरी के हिसाब से है और वहां पर इन्टर की स्कीम है। तो वह सैकण्ड ईयर में भर्ती होने चाहिये थे लेकिन उनको प्रवेश नहीं मिला। यह कहा गया कि इनको प्रवेश नहीं दे सकते। इस प्रकार से जो परेशानी छात्रों की है, जो परेशानी उनको है उसके स्थायी समाधान के लिए कोई उपचार करना चाहिये। वह धर्मशालाओं में पड़े हुए हैं, यह कोई शोभाजनक बात नहीं लगती है।

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछ रही हैं या भाषण दे रही हैं ? आप प्रश्न पूछेंगी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : प्रश्न ही पूछ रही हूं। तो मैं यह जानना चाहती हूं कि आप इस सम्बन्ध में आगे क्या समाधान ढूंढ़ रहे हैं, यह बतायें।

श्री अध्यक्ष : एक मिनट। श्री ललितजी कुछ बोल रहे हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : मेडिकल कालेज में जो लोग ट्रान्सफर होकर आते हैं उनके लिए कुछ नियम हैं। फिर भी राज्य सरकार ने पंजाब और कश्मीर से आने वाले जो मेडिकल के बन्धु हैं जो विद्यार्थी हैं उनके लिए सब कानूनों को एक तरफ रख कर उन सब को यहां पर प्रवेश दिया है। जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि वह गरीब हैं और अपनी फीस नहीं दे सकते। राज्य सरकार के यह प्रश्न विचाराधीन है और माननीय मुख्य मंत्रीजी से बात करके उनकी फीस की माफी की जाय, निश्चित रूप से ऐसा हम प्रयास करेंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीया पुष्पाजी।

सुश्री पुष्पा जैन : माननीय सदस्य ने अपर्याप्त सहायता के लिए चिन्ता जाहिर की है। मैं बताना चाहूंगी इस सदन को कि ऐसे व्यक्तियों की सहायता के सम्बन्ध में हमने भारत सरकार से मार्गदर्शन चाहा था। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया कि भारत सरकार की यह मंशा है कि कानून एवं व्यवस्था की स्थिति में सुधार होने पर ही एक तो ऐसे व्यक्तियों को पुन. वापस भेजा जाय। दूसरा, जो दिल्ली में सहायता दी जा रही है वह मैं बताना चाहूंगी। वित्तीय सहायता के रूप में 125 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति माह, 4 सदस्यों अथवा अधिक होने पर अधिकतम राशि 500 रुपया। तो उसी के अनुसार हम सहायता दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री ईश्वरलाल सैनी।

(23)

जनाना अस्पताल अलवर की टूटी चार दीवारी।

80. श्री ईश्वरलाल सैनी (लक्ष्मणगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जनाना अस्पताल, अलवर की चारदीवारी टूटी हुई है ? क्या यह सही है कि इस टूटी हुई दीवार के कारण अस्पताल के अन्दर आवारा पशु आते जाते रहते हैं और गन्दगी फैलाते रहते हैं ?

(2) क्या यह सही है कि इस टूटी हुई दीवार के कारण अस्पताल के मुख्य भवन के पास ही पड़ोस के लोगों ने अपनी सुविधा के लिए उस स्थान को शौचालय बना रखा है ?

(3) क्या यह सही है कि अस्पताल के आपरेशन थियेटर के पास ही यह गन्दगी का भण्डार है ?

(4) क्या इस अस्पताल में दो प्राइवेट वार्ड हैं ? क्या यह सही है कि अब इन दो प्राइवेट वार्डों में से एक वार्ड को समाप्त कर प्रशासन ने अपना कार्यालय बना लिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) क्या सरकार पुनः इस प्राइवेट वार्ड को शुरू करेगी ?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) : (1) जी हां।

(2) जी हां। आस-पास कच्ची बस्ती बसी हुई है और इस बस्ती में मूलभूत सुविधाओं की कमी के कारण पड़ोस के लोग अस्पताल के परिसर का उपयोग करते रहते हैं।

(3) जी नहीं। परन्तु परिसर के बाहर चारदीवारी के पास बस्ती के निवासियों के द्वारा कचरा आदि डाल दिया जाता है जिसकी नगर पालिका द्वारा सफाई नहीं किये जाने पर ढेर का रूप ले लेता है।

(4) इस अस्पताल में दो प्राइवेट वार्ड हैं। एक वार्ड शौचालय एवं पाइप लाइन की खराबी के कारण बन्द था, जिसे ठीक करा दिया गया है।

(5) प्राइवेट वार्ड मरम्मत के पश्चात दिनांक 22.2.1991 को पुनः शुरू कर दिया गया है।

श्री ईश्वरलाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, मेरे मूल प्रश्न में इन्होंने हां की है कि उसकी चारदीवारी टूटी हुई है। मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि जनाना अस्पताल है इसकी चारदीवारी काफी दूर तक बनी हुई है, चारों तरफ से टूटने पर एक तो इसकी मरम्मत का आप आश्वासन दीजिये कि आप उसकी मरम्मत करवायेंगे। क्योंकि यह अकेला एक ही जनाना अस्पताल है। दूसरा, आपने कच्ची बस्तियों की बात बतायी है। वह सारी बस्ती पक्की बन चुकी है और आपने यह जवाब दिया कि उसके परिसर के बाहर कूड़ा डाला जाता है। मैं यह कहता हूं कि इसकी टूटी हुई दीवार के कारण अन्दर भी कूड़ा डाला जा रहा है। अगर आप चाहें तो मैं आपको मौका दिखा सकता हूं। तीसरा, मेरा यह था कि प्राइवेट वार्ड दो थे इनमें से एक खराबी के कारण बन्द है, यह भी इन्होंने गलत बताया है। सही बात यह थी कि

(25)

(श्री ईश्वरलाल सैनी)

वहां पर उन्होंने कार्यालय बना लिया था। अब जब मेरा प्रश्न लगा तो उसको ठीक करवा कर दुबारा बना दिया। इसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन उसकी टूटी हुई दीवार ठीक करवायें, ऐसा आश्वासन दें। जो गन्दगी अन्दर आ रही है चाहे तो चारदीवारी ऊंची करें, बाड़ लगायें, उसकी उचित व्यवस्था करें, इतना मेरा आपसे निवेदन है। मैं मानता हूं कि आज आप इसका मुझे आश्वासन देंगे।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो चिन्ता प्रकट की है वह मेरी भी चिन्ता का विषय है किन्तु मैं इस सारी कार्यवाही में माननीय विधायक का और अलवर से आने वाले माननीय विधायक का भी समर्थन चाहूंगा। प्रश्न यह हुआ है, जनाना अस्पताल, अलवर की चारदीवारी है उसका निर्माण नगर विकास न्यास ने किया था, दक्षिण एवं पूर्व की तरफ की दीवार को 42 हजार रुपये में बनवाया गया था, दूसरे चरण में उत्तर और पश्चिम की तरफ का निर्माण भी 65 हजार रुपये की लागत से करवा दिया था। इस प्रकार चार दीवारी करने पर 1 लाख 07 हजार रु की राशि खर्च हुई। 1986-87 में उत्तर पश्चिम की दीवार की तरफ से और टूट गयी दीवारें। मेरा कहना है कि जो आस-पास के लोग रहते हैं वह इन दीवारों के बनाने के पश्चात् फिर तोड़ देते हैं क्योंकि वह उसका उपयोग करना चाहते हैं। हमने 36 हजार रुपया लगा कर एक बार कांटेदार तार और लगवाये परन्तु उन्होंने उन कांटेदार तारों को भी तोड़ दिया। फिर 23 जनवरी, 1991 को चारदीवारी के टूटे हुए तारों की मरम्मत की गयी और उसके बाद भी जब-जब उनको अवसर मिलता है, क्योंकि वह उसका उपयोग करना चाहते हैं कच्ची बस्ती के रहने वाले बन्धु इसलिए कांटेदार तारों को भी तोड़ देते हैं, दीवारों को भी चार जगह तोड़ देते हैं। बार-बार मरम्मत करने के पश्चात् भी अभी 6 स्थानों पर 14 मीटर की लम्बाई में दीवार टूटी हुई है। इस दीवार की मरम्मत करने के लिए 25 हजार रुपये चाहिये। मैंने विभाग को कहा है 25 हजार रुपया मुहैया करवा कर जून माह तक इस दीवार को फिर ठीक करा दिया जाय। मैं माननीय सदस्य और अलवर से आने वाले माननीय सदस्य से चाहूंगा कि सुरक्षा की व्यवस्था हमारे करने के पश्चात् भी उनके उपयोग में आने के कारण जो लोग दीवारें तोड़ देते हैं उसमें आप भी कुछ वहां थोड़ी सी कांशसनेस बनायें और इस प्रकार की स्थिति बने कि हमारी बनी हुई दीवार को न तोड़ा जा सके।

श्री अध्यक्ष : अब आप आश्वासन दीजिए की इसकी व्यवस्था होगी।

श्री ईश्वरलाल सैनी : मैं धन्यवाद देता हूं, इन्होंने 25 हजार रुपये मंजूर किये। एक मेरा निवेदन है कि इस समस्या का सबसे बड़ा कारण है उस दीवार की ऊंचाई छोटी होना। आपके पास पैसा उपलब्ध हो सके, मैं भी कोशिश करूंगा कि अलवर से धन उपलब्ध करा दूं, अगर वह दीवार आठ फीट की कर दें तो फिर कोई समस्या ही नहीं रहेगी।

श्री अध्यक्ष : आप आश्वासन दे रहे हैं, आश्वासन दीजिए।

(25)

श्री जीतमल जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग की ओर से इस दीवार के रख-रखाव के लिए भूतकाल में काफी पैसा खर्च किया गया है लेकिन समस्या का समाधान तभी निकल सकता है, क्योंकि जनाना अस्पताल है, वहां पर जब तक एक-दो रेजीडेंशल क्वार्टर्स डाक्टरों के लिए नहीं बनेंगे तब तक यह कठिनाई रहेगी। रात को जब भी मरीजों को तकलीफ होती है तो डाक्टर उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। इसलिए विभाग वहां दो-तीन क्वार्टर बनाये, तो क्वार्टर बनने के बाद ही इस समस्या का समाधान हो सकता है और विभाग बार-बार पैसा लगायेगा तो इस समस्या का समाधान आसानी से नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : क्वार्टर बने तब तक तो आप ध्यान रखिए इसका।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को निवेदन करना चाहूंगा कि जब गांवों में भवन को बनाने की प्रक्रिया गांव वाले बन्धु करते हैं, अलवर बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य सहयोग करके भवन बनायेंगे और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपना गांव अपना काम गांवों में शुरू किया होगा पर शहर में भी 30-70 की बात लेकर आयेंगे तो निश्चित रूप से उतना पैसा मुहैया कराकर वह भवन भी बना दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

फर्नीचर स्टोर का भौतिक सत्यापन

69. श्री रामसिह विश्नोई (लूणी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत जयपुर स्थित फर्नीचर स्टोर का भौतिक सत्यापन कब कराया गया ? फर्नीचर स्टोर के सामान का लेखा-जोखा (चार्ज) किस अधिकारी/कर्मचारी के पास कब से है ?

(2) क्या यह सही है कि पिछले लम्बे समय से एक ही अधिकारी कर्मचारी के पास चार्ज होने से भौतिक सत्यापन नहीं हो सका है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि नये सामान की एवज में हल्का और पुराना सामान लाकर भौतिक सत्यापन हेतु रख दिया जाता है ? यदि हां तो पिछले 10 वर्षों में फर्नीचर स्टोर का भौतिक सत्यापन किस-किस अधिकारी से कराया गया ?

(4) क्या यह सही है कि जो सामान सही हालत में स्टोर में रखा हुआ है उस सामान को जारी न कर नया सामान खरीदने की क्या आवश्यकता रहती है ? क्या सरकार जब तक स्टोर में सामान उपलब्ध है तब तक नया सामान नहीं खरीदने के संबंध में आदेश जारी करेगी ?

(5) क्या यह भी सही है कि मंत्रियों, अधिकारियों के हटते ही अल्प समय में ही नये मंत्रियों, अधिकारियों के पद भार

(श्री रामसिंह विश्नोई)

सम्भालने पर फिर नया सामान खरीदा जाता है ?

(6) क्या यह भी सही है कि लाखों रुपयों का बिना स्वीकृति के क्रय किया जाता है ?

(7) क्या सरकार पुनः भौतिक सत्यापन करा कर किसी नये अधिकारी/कर्मचारी को फर्नीचर स्टोर्स का कार्यभार सौंपने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) फर्नीचर स्टोर का भौतिक सत्यापन वर्ष 1978-79 में कराया गया था। सामान के लेखा-जोखा का चार्ज अधीक्षक एवं स्टोर कीपर के पास है।

(2) सामान का आगमन/निर्गमन का लेजर तैयार नहीं हो पाने के कारण भौतिक सत्यापन नहीं हो सका है। यह सही नहीं है कि एक ही अधिकारी/कर्मचारी के पास लम्बे समय से चार्ज होने के कारण भौतिक सत्यापन नहीं हो सका है।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं। पुराना सामान सही हालत में हो तो उसे जारी कर दिया जाता है। पुराने सामान की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए ही नया सामान क्रय किया जाता है।

(5) जी नहीं।

(6) जी नहीं। क्रय हेतु बजट प्रावधान होने के उपरान्त ही सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बाद सामान क्रय किया जाता है।

(7) फर्नीचर स्टोर हेतु एक उप खण्ड बना कर एक सहायक अभियन्ता की नियुक्ति कर दी गई है। भौतिक सत्यापन के लिए उचित कार्यवाही जारी है।

बाड़मेर जिले में बाढ़ से प्रभावित कुएं

70 श्रीमती मदन कौर (गुड़ामालानी): क्या बाढ़ एवं अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जुलाई, अगस्त, 1990 में बाड़मेर जिले में बाढ़ के फलस्वरूप विभिन्न गांवों में बड़ी संख्या में किसानों के कृषि कुएं क्षतिग्रस्त हो गये थे ? यदि हां, तो कितने कुएं क्षतिग्रस्त हुए ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ने क्षतिग्रस्त हुए कुओं की मरम्मत करने हेतु किसानों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की थी ? यदि हां, तो क्या उसकी क्रियान्विति हो गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) बाड़मेर जिले की सिवाना, पचपदरा और गुड़ामालानी तहसीलों के कितने किसानों को यह सहायता दी गयी ? तहसीलवार किसानों को दी जाने वाली राशि की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि जुलाई, अगस्त, 1990 में बाढ़ के फलस्वरूप बाड़मेर जिले के 376 ग्रामों में 2456 कुएं

(बाढ़ एवं अकाल सहायता मंत्री)

क्षतिग्रस्त हुए। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) ऐसे क्षतिग्रस्त कुओं की मिट्टी निकालने के लिये राज्य सरकार के विशिष्ट योजनाएं एवं एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से आदेश दि. 18.8.90 के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति के लघु एवं सीमान्त कृषकों तथा बंधुआ मजदूरों को, जो गरीबी की रेखा से नीचे हों, इस कार्य के लिये 3000 रुपये अधिकतम की राशि जीवनधारा, कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई है। अन्य लघु एवं सीमान्त कृषकों को, जो गरीबी की रेखा से नीचे हों, इस कार्य हेतु राशि ग्राम पंचायत स्तर पर जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई राशि में से उपलब्ध कराई गई है।

(3) जिला बाड़मेर की तहसील सिवाना, पचपदरा और गुड़ामालानी के गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लघु/सीमान्त कृषकों को निम्न प्रकार से सहायता राशि दी गई है:–

क्र. सं.	नाम तहसील	कुल स्वीकृत अनु. जाति/जनजाति	अन्य	योग	राशि (लाखों में)
1	2	3	4	5	6
1.	सिवाना	29	44	73	2.19
2.	पचपदरा	35	56	91	2.73
3.	गुड़ामालानी	7	75	82	1.074
	योग :	71	175	246	5.994

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जयपुर शहर की पेयजल योजना

72. **श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) :** क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

जयपुर शहर में पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सरकार की क्या योजना है ? इसमें कितनी राशि व्यय होगी ? यह योजना कब प्रारम्भ होगी एवं कब तक पूरी हो जायेगी ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जयपुर शहर में पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु निम्न योजनाएं हैं :–

(अ) आपातकालीन योजना–

वर्ष 1990 के वर्षाकाल में रामगढ़ झील के जल संग्रहण क्षेत्र में अपर्याप्त वर्षा होने के कारण झील में पर्याप्त मात्रा में पानी की आवक नहीं हुई। आगामी समय में संतोषप्रद पेयजल व्यवस्था बनाए रखने हेतु 207 लाख रुपये अनुमानित लागत की एक आपातकालीन योजना स्वीकृत की गई है, जिसमें 51 नलकूप, वितरण व्यवस्था में सुधार इत्यादि का प्रावधान है। इस योजना के कार्य प्रगति पर हैं।

(ब) अल्पकालीन योजना–

अंशकालीन उपायों के अन्तर्गत जयपुर

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

शहर की पेयजल मांग की पूर्ति हेतु बांडी बेसिन योजना, 1989 में स्वीकृत की गई। लगभग 7·56 करोड़ रुपये की इस योजना में 24 नलकूप, जलाशयों एवं पाइप लाइन इत्यादि के प्रावधान हैं। इस योजना पर वर्ष 1989 में कार्य प्रारम्भ कर दिये गये थे।

(स) दीर्घकालीन योजना–

भविष्य में जनसंख्या वृद्धि के फलस्वरूप पेयजल मांग में वृद्धि की पूर्ति हेतु स्थायी समाधान के रूप में बीसलपुर बांध स्रोत से योजना बनाई जानी प्रस्तावित है। इस योजना के बनाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा रही है।

भरतपुर जिले की तहसीलों में कृषि उपज मण्डी की स्थापना

74. श्री रामप्रसाद (वैर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि भरतपुर जिले की तहसील वैर व तहसील रूपवास में कृषि उपज मण्डी नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी समिति के लिए वैर में जमीन उपलब्ध है ? यदि हां, तो क्या सरकार वर्ष 1991 में कृषि उपज मण्डी खोलने का विचार रखती है ?

(3) क्या यह सही है कि तहसील वैर के कस्बा भुसावर में कृषि उपज मण्डी खोलने की सरकार ने घोषणा की थी ? यदि हां, तो कृषि उपज मण्डी अब तक क्यों नहीं खोली गई ?

उत्तर

(1) जी हां। वैर को कृषि उपज मंडी समिति बयाना का गौण मण्डी यार्ड घोषित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है तथा रूपवास कृषि उपज मण्डी समिति, बयाना का गौण मण्डी यार्ड है।

(2) वैर में ग्रामीण प्राथमिक मण्डी हेतु 7.50 बीघा जमीन उपलब्ध है। आय कम होने से 1991 में पृथक रूप से कृषि उपज मण्डी समिति खोलने का विचार नहीं है।

(3) जी हां। राज्य सरकार ने अपने आदेश संख्या एफ. 10/59/कृषि–2/75 दिनांक अप्रेल, 1977 के द्वारा भुसावर में कृषि उपज मण्डी समिति की स्थापना की घोषणा की थी। किन्तु भुसावर मण्डी की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण इस के क्षेत्र को निकटस्थ मण्डी नदबई व बयाना के क्षेत्र में अपनी विज्ञप्ति दि. 14.6.1988 के द्वारा सम्मिलित किया गया है।

विद्युत की खपत एवं प्रति यूनिट दर में वृद्धि

75. श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) बिजली बोर्ड की प्रतिदिन की बिजली खपत कितनी यूनिट है ?

(2) क्या घरेलू कनेक्शन हेतु बिजली की दर प्रति यूनिट 1.12 रु. से बढ़ाकर

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

1.38 रु. करने से बिजली बोर्ड की मासिक औसत आय 65 करोड़ से बढ़कर 85 करोड़ हुई है ?

(3) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन के 134 करोड़ की विवादित राशि को अब तक हल नहीं करने के क्या कारण रहे हैं ?

(4) क्या यह सही है कि राजस्थान को पहले मध्य प्रदेश से 8-10 लाख यूनिट बिजली मिलती थी और अब उसी प्रदेश को हम 7-8 लाख यूनिट बिजली प्रतिदिन दे रहे हैं ?

(5) राज्य में विद्युत चोरी के कितने मामले पकड़े गये, उन पर क्या कार्यवाही हुई ? क्या करौली में भी कोई विद्युत चोरी के मामले पकड़े गये ?

(6) क्या उद्योगों और कृषि कार्य में विद्युत की कटौती कर मध्य प्रदेश को बिजली देना उचित है ?

उत्तर

(1) वर्तमान में (माह मार्च में अभी तक 14.3.91) राज्य की प्रतिदिन की बिजली की खपत औसतन 371.82 लाख यूनिट रही है।

(2) यह सही नहीं है कि घरेलू कनेक्शन हेतु बिजली की दर बढ़ाकर 1.38 रुपये प्रति यूनिट कर दी गई है। वस्तुतः स्थिति यह है कि यह दर 55 पैसे प्रति यूनिट (नेट) है।

(3) यह बकाया राशि कई वर्षों की है, राशि विवादास्पद नहीं है। विद्युत मण्डल की आर्थिक स्थिति बिजली दरों में अत्यधिक अनुदान देने के कारण बिगड़ती गई है। अतः भुगतान में कठिनाई हो रही है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा 40 करोड़ रुपये की राशि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन आदि के पेटे काट ली है।

(4) जी नहीं, यह सही नहीं है कि मध्य प्रदेश को हम 7-8 लाख यूनिट बिजली प्रति दिन दे रहे हैं। वर्तमान में (माह फरवरी से 17 मार्च तक) राजस्थान को मध्य प्रदेश से औसतन 40.29 लाख यूनिट प्रति दिन हिस्से के स्थान पर औसतन 42.90 लाख यूनिट बिजली प्रतिदिन प्राप्त हुई है, जो कि हिस्से से 2.61 लाख यूनिट प्रतिदिन अधिक है।

(5) विभिन्न सतर्कता इकाइयों द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में माह फरवरी तक राज्य में कुल 8005 विद्युत संयोजनों की जांच की गई है, जिनमें 993 विद्युत चोरी के मामले पकड़े गये हैं। 544 चोरी के मामलों में मण्डल की समझौता योजना के अन्तर्गत 33.10 लाख रुपये नकद राशि वसूल कर मौके पर निपटारा किया गया है। 158 मामलों में विभिन्न पुलिस थानों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई हैं। अन्य मामलों में राजस्व निर्धारण किया जा चुका है एवं वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

करौली क्षेत्र में इस अवधि में 11 विद्युत संयोजनों की जांच की गई है जिसमें 5 मामलों में विद्युत चोरी होना पाया गया है, इनमें 4 व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई है। इन पांच मामलों में 75,622/- रु. का राजस्व निर्धारण किया गया है।

(ऊर्जा मंत्री)

(6) क्रम संख्या 4 पर दिये गये उत्तर से यह स्पष्ट है कि उद्योगों और कृषि कार्यों में कटौती कर मध्य प्रदेश को कोई बिजली नहीं दी जा रही है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

बंधुआ मजदूरों को रोजगार

118. श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में सन् 1977 से अब तक किन-किन जिलों में कितने-कितने बंधुआ मजदूरों को राज्य सरकार ने किन-किन स्थानों से मुक्त करवाया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उनमें से राज्य सरकार द्वारा कितने व्यक्तियों को किस-किस विभाग में सर्विस में लिया गया ?

उत्तर

(1) राजस्थान में मुक्त हुए बन्धक श्रमिकों का जिलेवार विवरण संलग्न है।

(2) सन् 1976-77 में 52 बन्धक श्रमिक मुक्त हुए। उक्त बन्धक श्रमिकों को राजस्थान नहर पर मजदूरों के रूप में अस्थायी तौर पर कार्य पर लगाया गया। सन् 1981 में 7 ब.श्र. व उनके आश्रितों को परिवहन विभाग में 3, एक्साइज में 2, स्वायत्त शासन विभाग में 2 बन्धक श्रमिकों को काम पर लगाया गया था। तत्पश्चात् 1 को उदयपुर कलक्ट्रेट में च.श्रे. कर्मचारी के पद पर नियुक्ति दी गई। तीन को जोधपुर में जिला परिषद द्वारा च.श्रे. कर्मचारी की नौकरी का प्रबन्ध किया गया।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट–4 देखें)

सरमथुरा-फलोदी सड़क पर पुलियाओं का निर्माण

119. श्री प्रकाशचन्द्र बैरवा (फागी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि सरमथुरा से फलोदी तक स्टेट हाईवे नं. 2 घोषित किया गया है ? यदि हां, तो इसके मध्य पड़ने वाली नदियों पर पुलियाओं का निर्माण कब तक करवाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। इस राजमार्ग पर पड़ने वाली तीन नदियों के अतिरिक्त सभी नदियों पर पुलियाओं का निर्माण करवाया जा चुका है। इन तीन नदियों में से एक नदी (जिला नागौर में तुरत नदी) पर सरफेस काजवे पूर्व से ही निर्मित है। शेष दो नदियों (जिला जयपुर में) मोरेल नदी व बांडी नदी पर पुलियाओं का निर्माण राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। मोरेल नदी पर पुल की अभी तत्काल आवश्यकता अनुभव नहीं की जा रही है।

सीमलवाड़ा (डूंगरपुर) सड़क पर पुलिया निर्माण

120. श्री बहादुरसिंह (दानपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री बहादुर सिंह)

क्या यह सही है कि डूंगरपुर जिले में सीमलवाड़ा रोड़ पर लिरवी पंचायत के पास वातरक नदी पर पुलिया का निर्माण किया जा रहा है जिसमें 5 पीलर बने हैं ? इनमें कितनी राशि खर्च की गई व कार्य कब तक पूर्ण होगा ? इस पर कितना खर्चा किये जाने की सम्भावना है ?

उत्तर

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1985-86 व 1986-87 में इस सड़क का कार्य कराया गया था जिसके तहत 4.5 किमी. सड़क कार्य व तीन छोटी पुलिया तथा वातरक नदी पर 5 स्थान 6 मी. × 5 मी. के पियर/एवटमेन्ट का भी कार्य करवाया गया था जिस पर कुल खर्च 16.12 लाख रुपये हुआ। उक्त योजना के समाप्त हो जाने के कारण यह कार्य बन्द कर दिया गया था। इस कार्य को पूरा किये जाने हेतु रुपये 23.50 लाख (सड़क पर 13.50 लाख + सी. डी. कार्यों पर 10.00 लाख) की आवश्यकता है। इस वर्ष जिलाधीश (डी. आर. डी. ए.) डूंगरपुर ने माह जनवरी 1991 में जवाहर रोजगार योजना में इस कार्य हेतु 2 लाख की स्वीकृति दी है। शेष कार्य योजनान्तर्गत प्राथमिकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर होगा।

बांसवाड़ा से दाहोद सड़क निर्माण पर व्यय

121. श्री नवनीतलाल नीनामा (घाटोल) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बांसवाड़ा से दाहोद रोड पर गत एक वर्ष में कितनी बार सड़क का कार्य किया गया ?

(2) उक्त रोड पर एक वर्ष में कितना धन व्यय किया गया ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त सड़क बांसवाड़ा चुंगी नाके से बाहर आज भी टूटी हुई है ? यदि हां, तो बजट का दुरुपयोग करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है।

उत्तर

(1) बांसवाड़ा से दाहोद रोड पर विभिन्न कि. मी. में वर्ष 1990-91 में विभिन्न प्रकार के कुल 13 कार्य कराये गये। साधारण वार्षिक मरम्मत एवं रिन्युअल के चार, एस. आर. के चार, फ्लड-डेमेज के दो तथा सी. डी. वर्क्स के दो कार्य। (कुल 13 कार्य)।

(2) उक्त सड़क पर इस वर्ष में अब तक रुपये 20.51 लाख व्यय किये गये हैं।

(3) जी नहीं। सड़क की मरम्मत करा दी गई है।

पराई से सराड़ा (उदयपुर) अप्रोच सड़क पर पुलिया का निर्माण

122. श्री कुबेरसिंह (फलासिया) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 से पराई, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर के सराड़ा वाया खरबर, लिम्बोड़ा

(32)

(श्री कुबेरसिंह)

अप्रोच सड़क पर पुलिया निर्माण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पुलिया पूर्व में निर्माण की गई थी जो अब टूटी पड़ी है ?

उत्तर

(1) इस सड़क पर संवत् 2043 व 2044 के अकाल राहत के अन्तर्गत कार्य करवाया गया था तथा कुल 7 छोटी पुलियाएं बनाई गई थीं। ये सभी पुलियायें ठीक हैं तथा कोई पुलिया क्षतिग्रस्त नहीं है। पराई गांव के पास नदी पर पुल तथा 6 छोटी पुलियाओं का निर्माण करवाना शेष है। नदी पर वेन्टेड काजवे तथा पुलियाओं के निर्माण पर रुपये 15.00 लाख लागत आयेगी तथा सड़क निर्माण पर रुपये 65.00 लाख की लागत आयेगी। इस प्रकार रुपये 80.00 लाख की आवश्यकता होगी। इस कार्य को करवाना योजनान्तर्गत प्राथमिकताओं तथा संसाधनों की उपलब्धता पर ही निर्भर करता है।

(2) जी नहीं।

जयपुर शहर की रोड विभाजित पट्टियां

123. श्री भंवर लाल (सुजानगढ़) : क्या नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जयपुर शहर में किन-किन मुख्य मार्गों पर अब तक रोड विभाजित पट्टियां बनाई गई हैं तथा कहां-कहां नहीं बनाई गई हैं ?

(2) क्या सभी बनायी गयी रोड विभाजित पट्टियों पर रोड लाइट्स लगा दी गई हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार अजमेर रोड की रोड विभाजित पट्टियों पर रोड लाइट्स लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) मुख्य सड़कों पर विभाजित पट्टियां सा. नि. वि. द्वारा अधिकतर बनाई जाती हैं। अजमेरी गेट से गोपालपुरा बाई पास तक (बीच का टुकड़ा छोड़कर), अजमेर रोड पर शालीमार सिनेमा से क्विन्स रोड, अजमेरी गेट से ट्रांसपोर्ट नगर तक, गवर्नमेन्ट होस्टल से खासा कोठी चौराहे तक, चांदपोल गेट से पीतल फैक्ट्री तक, विभाजक पट्टियां सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाई गई हैं। सहकार मार्ग पर सहकार भवन से ज्योति नगर गन्दे नाले तक तथा स्टेशन रोड पर जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बनाई गई है।

मुख्य मार्ग जैसे मोती डूंगरी सड़क, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, गोविन्द मार्ग, जोरावरसिंह गेट से रामगढ़ लिंक रोड, सवाई जयसिंह मार्ग, पीतल फैक्ट्री से शास्त्री नगर सर्किल, पीतल फैक्ट्री से पानी पेच तक व अन्य सड़कों पर ये पट्टियां नहीं बनाई गई हैं।

(2) जी नहीं। रोड विभाजक पट्टियों पर रोड लाइट का कार्य वरीयता के आधार पर जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा हाथ

(नगरीय विकास मन्त्री)

में लिया जा रहा है। इस वर्ष निम्न सड़कों पर रोड लाइट लगाने का प्रस्ताव है। टोंक रोड ओवर ब्रिज से दुर्गापुरा तक, अजमेर रोड पर शालीमार सिनेमा से क्वीन्स रोड, निर्माण मार्ग पर चांदपोल गेट से पीतल फैक्ट्री तक सांगानेरी गेट से ट्रांसपोर्ट नगर तक।

(3) जी हां। अजमेर रोड पर क्वीन्स रोड मोड़ तक मार्ग विभाजक पट्टियों पर रोड लाइट्स लगाने हेतु कार्यादेश दे दिये गये हैं। शीघ्र ही कार्य चालू हो जाएगा।

ग्राम सरना पंचायत समिति झोटवाड़ा (जयपुर) की सड़क का निर्माण

124. श्री किशनाराम नाई (डूंगरगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति झोटवाड़ा, जिला जयपुर के अन्तर्गत कालवाड़ रोड पर रामकुटिया से ग्राम सरना वाया नारी का बास होते हुए करीब 3-4 किलोमीटर सड़क राज्य सरकार ने स्वीकृत कर रखी है ? यदि हां, तो यह सड़क कब बनकर तैयार हुई ? यदि नहीं, तो नहीं बनने के क्या कारण हैं ?

(2) उक्त सड़क को राज्य सरकार कब तक पूरी करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। इस सड़क का निर्माण राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(2) उपरोक्तानुसार।

महात्मा गांधी चिकित्सालय बांसवाड़ा में भ्रष्टाचार

125. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि महात्मा गांधी चिकित्सालय बांसवाड़ा के सम्बन्ध में 45 बिन्दुओं का ज्ञापन पत्र मुख्य मन्त्री महोदय को दिनांक 8-1-1991 को भिजवाया गया था ? यदि हां तो किसके द्वारा भेजा गया ?

(2) क्या इस ज्ञापन की फोटोस्टेट कॉपी चिकित्सा विभाग के सचिव श्री अरूण कुमार को उनके बांसवाड़ा प्रवास के दौरान दिनांक 10-1-1991 को दी गई थी ? यदि हां, तो इस ज्ञापन में वर्णित भ्रष्टाचार आदि के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) महात्मा गांधी अस्पताल के संबंध में जिला कलेक्टर-भरत मीणा ने कब-कब डी. ओ. लेटर भेजे, व उन पर क्या कार्यवाही हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विभाग को इस प्रकार की सूचना नहीं है।

(2) जी हां। एक ज्ञापन की फोटो कॉपी चिकित्सा सचिव को दी गई थी। ज्ञापन पर आवश्यक कार्यवाही करने के लिए निदेशक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग को इस विभाग के पत्र दिनांक 19-1-91 को लिखा गया है।

(चिकित्सा मन्त्री)

(3) जिला कलेक्टर, श्री भरत मीणा द्वारा डी. ओ. लेटर क्रमांक 1578 दिनांक 2-5-90, क्रमांक 1921 दिनांक 13-9-90, क्रमांक 2057 दिनांक 14-11-90, क्रमांक 4255 दिनांक 21-11-90, क्रमांक 15262 दिनांक 30-11-90 एवं क्रमांक 6115 दिनांक 4-12-90 को मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बांसवाड़ा को अस्पताल में औषधियों का अभाव अथवा उपलब्ध न होना, आपरेशन हेतु रोगियों को प्राइवेट क्लिनिक में जाना, डॉक्टरों द्वारा फीस लिए जाने तथा एक्सरे एवं मल-मूत्र की जांच हेतु फीस आदि लेना, पं. स. की बैठकों में भाग न लेना, कर्मचारियों की शिकायत आपरेशन के पश्चात् रोगी की मृत्यु एवं लावारिस बच्चे के सम्बन्ध में लिखे गए जिनके सम्बन्ध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाड़ा ने अपने स्तर से कार्यवाही कर जिलाधीश महोदय को समय-समय पर सूचित किया।

बांसवाड़ा जिले में डाक्टरों के रिक्त पद

126. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बांसवाड़ा जिले में शहरों व ग्रामीण चिकित्सालयों में डाक्टरों के कितने पद रिक्त हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा जिले के ग्रामीण क्षेत्र के हॉस्पीटल डाक्टरों के अभाव में खाली हैं ? यदि हां, तो रिक्त पद कब तक भर दिये जावेंगे ?

(3) क्या यह सही है कि हास्पिटलों में मरीजों की तुलना में दवाइयों की कमी है ? यदि हां, तो सरकार दवाइयों का माकूल इन्तजाम कब तक कर देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) बांसवाड़ा जिले में शहरी क्षेत्र में 10 एवं ग्रामीण क्षेत्र में 28 डॉक्टरों के पद रिक्त हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में समस्त चिकित्सा संस्थान कार्यरत हैं तथा केलामेला, नाहरपुरा, छलकिया को छोड़कर शेष अस्पतालों में एक से अधिक चिकित्सक पदस्थापित हैं। चिकित्सकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने के लिए 13 चिकित्सा अधिकारियों को गत माह तदर्थ नियुक्ति दी गई।

(3) हास्पिटलों में मरीजों को वर्तमान में आवंटित बजट के हिसाब से दवाइयां उपलब्ध कराई जाती हैं।

औषधियों के बजट को बढ़ाने की व्यवस्था अतिरिक्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर संभव हो सकेगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

जिला मोबाइल यूनिट, चूरू का प्रधान कार्यालय

127. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री राजेन्द्र राठोड़)

(1) क्या यह सही है कि चूरू जिले के मोबाइल यूनिट का हैड ग्राफिस रतनगढ़ है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह मोबाइल यूनिट पूरे जिले में भ्रमण करती है ? यदि हां, तो माह अक्टूबर, नवम्बर, एवं दिसम्बर, 1990 व वर्ष जनवरी, 1991 में मोबाइल यूनिट द्वारा भ्रमण किए गए गांवों की सूची तिथि सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) चूरू जिले में ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य उप-केन्द्रों को कितना बजट प्रति उप-केन्द्र के हिसाब से ग्रावंटित है तथा कितने उप केन्द्रों को बजट ग्रावंटित नहीं किया गया है ?

(3) क्या यह सही है कि चूरू के डेडराज भरतीया ग्रस्पताल में दानदाता द्वारा 5.50 लाख रुपये की लागत से दान की गई एक्स-रे मशीन पिछले 12 माह से बेकार पड़ी है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इस मशीन को ठीक कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) क्या यह सही है कि चूरू के डेडराज भरतीया ग्रस्पताल में ब्लड बैंक के निर्माण हेतु जिला कलेक्टर ने माह ग्रक्टूबर 1990 में 5 लाख रुपये स्वीकृत किए थे ? यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ करवाया जावेगा ? ग्रब तक कार्य प्रारम्भ न होने के क्या कारण रहे ?

(5) चूरू जिले के रतन नगर कस्बे में स्वीकृत रेफरल ग्रस्पताल में कितने पद कब से रिक्त हैं ? रतन नगर रेफरल ग्रस्पताल को 1990 में दवाई क्रय करने हेतु कितना बजट ग्रावंटित किया गया ?

(6) चूरू तहसील के कितने स्वास्थ्य उप केन्द्र ऐसे हैं जिनको भवन उपलब्ध नहीं है ? क्या सरकार स्वास्थ्य उप-केन्द्रों हेतु भवन निर्माण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। ऐसा इसलिये है क्योंकि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ग्रधिकारी का मुख्यालय रतनगढ़ में है। यह चल चिकित्सा इकाई ग्रन्धता निवारण कार्यक्रम के ग्रन्तर्गत समस्त जिले में नेत्र शिविर लगाती है। माह ग्रक्टूबर, 90 से जनवरी, 91 तक लगाए गए नेत्र शिविरों का विवरण निम्न प्रकार से है :—

माह ग्रक्टूबर, 90 ग्राम बाय दिनांक 24.10.90 से 30.10.90

– माह नवम्बर, 90 निल

– माह दिसम्बर, 90 ग्राम साहवा दिनांक 4.12.90 से 10.12.90

– माह जनवरी, 91 से बीदासर दिनांक 5.1.91 से 11.1.91

(2) चूरू जिले में ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य उप केन्द्रों में निम्न प्रकार से बजट ग्रावंटित है :—

1. वेतन	19,000/–	प्रति केन्द्र
2. मजदूरी	600/–	" "
3. टी. ए.	200/–	" "
4. चिकित्सा व्यय	120/–	" "
5. कार्यालय व्यय	100/–	" "
6. वर्दियां	640/–	" "

(36)

(चिकित्सा मंत्री)

7. जल एवं विद्युत 100/- प्रति केन्द्र
8. दवाइयां 2,000/- " "

सभी उप केन्द्रों में बजट स्वीकृत है।

(3) जी हां। श्री सीताराम भरतिया चेरेटेबिल ट्रस्ट कलकत्ता द्वारा अप्रेल, 90 में 4.95 लाख लागत की 300 एम. ए की एक्स-रे मशीन चिकित्सालय में दान स्वरूप भेंट की थी। मशीन प्राप्त होने पर मशीन निर्माता साईमन्स लि. जयपुर के प्रतिनिधि को सूचित किया गया। उनके प्रतिनिधि द्वारा 6/90 में एक्सरे मशीन स्थापना हेतु भवन व अन्य निरीक्षण गार्ड्स, एक्जेस्ट फेन, पावर फिटिंग, हाई पावर, ट्रांसफार्मर आदि लगवाने के सुझाव दिए जिन्हें निदेशक महोदय से स्वीकृति एवं बजट प्राप्त कर सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा पूर्ण कर दिया गया। उक्त कार्य पूर्ण होने पर वरिष्ठ विशेषज्ञ, चूरू के पत्र क्रमांक 3550 दिनांक 31.10.90 एवं तार दिनांक 10.1.91 पत्र क्र. 388 दिनांक 31.1.91 तार दिनांक 11.2.91 के ऊपर दिनांक 11.11.90 को जिला कलेक्टर चूरू ने तथा दिनांक 11.12.90 को श्री सीताराम भरतिया चेरेटेबिल ट्रस्ट ने फर्म को मशीन की स्थापना हेतु पत्र लिखे। उक्त सभी प्रयासों के पश्चात भी आज दिन तक मशीन की स्थापना नहीं हो पाई है जिसे दानदाता द्वारा फर्म के माध्यम से कराई जानी है।

(4) जी नहीं, चूरू में ब्लड बैंक स्थापना हेतु उप शासन सचिव, (आयोजना) जिला योजना विभाग, जयपुर द्वारा पत्र क्रमांक प. 3 (30) नियो/90 दिनांक 5.10.90 द्वारा मुख्यालय चूरू में ब्लड बैंक (भवन व उपकरण) हेतु 5.00 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई थी जिसकी सूचना मुख्य आयोजना अधिकारी (जिला योजना प्रकोष्ठ) चूरू ने अपने पत्र क्रमांक अन्टराईज फण्ड/नियो/90/680 दिनांक 26.10.90 द्वारा वरिष्ठ विशेषज्ञ, प्रभारी डेडराज भरतीया चिकित्सालय चूरू को भिजवाई। निर्माण कार्य तथा उपकरण क्रय आदि कार्य जिला योजना अधिकारी द्वारा ही किया जाना है। भवन व उपकरण आदि का विवरण मुख्य आयोजना अधिकारी, चूरू को भिजवाए जा चुके हैं।

चूरू जिले के रतन नगर कस्बे में राज्य सरकार के आदेश क्र एफ. 11 (64) एम पी एच/89/ग्रुप-II दिनांक 23.1.90 के द्वारा रेफरल चिकित्सालय स्वीकृत किया गया था। इसमें निम्नलिखित पद स्वीकृति तिथि से ही रिक्त चल रहे हैं।:—

1. कनिष्ठ विशेषज्ञ 2 (दो) पद
2. चिकित्सा अधिकारी 1 (एक) पद
3. स्टाफ नर्स 5 पद
4. लेब टेक्नीशियन 1 पद
5. वरिष्ठ लिपिक 1 पद
6. वार्ड ब्वाय (पार्ट टाइम दर 200/-) 3 पद
7. स्वीपर्स (पार्ट टाइम दर 200/-) 2 पद

रेफरल चिकित्सालय रतननगर के लिए वर्ष 1990-91 के लिए 13,000-रु. दवाइयां क्रय करने हेतु स्वीकृत किए गए हैं।

गत माह इस चिकित्सालय में एक चिकित्सा अधिकारी को तदर्थ नियुक्ति दी जा चुकी है।

(चिकित्सा मंत्री)

(5) चूरू तहसील के निम्नलिखित स्वास्थ्य उप केन्द्रों में भवन, उपलब्ध नहीं हैं :—

1. खण्डवा
2. जसरासर
3. खिवांसर
4. लालसर
5. कोटवाद टीबा
6. बाघसरा आथूना
7. रिबिया
8. घटेल
9. कड़वासर
10. महारावणसर
11. पिथिसर
12. भारियां
13. दूधवा मीठा
14. दोन्दू
15. बूटिया
16. फोटी
17. राणासर
18. रामसरा पट्टा भारिया
19. सहनाली छोटी

(6) उपकेन्द्रों के भवन का निर्माण विभिन्न चरणों में समुचित वित्तीय साधन उपलब्ध होने पर कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

राज्य के चिकित्सालयों में कर्मचारियों/अधिकारियों के पदस्थापन का आधार

128. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश के अस्पतालों में स्टाफ नियुक्ति का आधार किस पेटर्न पर है ? क्या स्टाफ पेटर्न निश्चित करने हेतु सरकार ने किसी समिति का गठन किया था ? यदि हां, तो कब ? समिति का नाम, उसके सदस्य के नाम व उसके गठन की तिथि सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में कितने जिला मुख्यालय ऐसे हैं, जिनमें मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी का कार्यालय जिला मुख्यालय पर न होकर अन्य तहसील में है ? क्या मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी का कार्यालय जिला मुख्यालय की बजाय अन्य जगह होने से प्रशासनिक कार्यों में कठिनाई होती है ?

(3) क्या सरकार ने चिकित्सा व्यवस्था सुधारने हेतु सलाहकार समितियां स्वास्थ्य उप केन्द्र के स्तर से जिला चिकित्सालय स्तर तक बनाई है ? यदि हां, तो चूरू जिले में कहां-कहां चिकित्सा सलाहकार समितियां बनाई गई हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) चूरू जिले का डेडराज भरतीया अस्पताल किस श्रेणी का अस्पताल है तथा यह कितनी शैयाओं का है तथा इसमें कितने चिकित्सकों एवं अन्य कर्मचारियों के पद कितने समय से रिक्त हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश के अस्पतालों में स्टाफ की नियुक्ति 1961 के स्टाफिंग पेटर्न से की जाती रही है। परन्तु विशेषज्ञ सेवाएं समय समय पर विकसित होने पर विशेषज्ञों का अस्पतालों में उपलब्ध शैयाओं के अनुसार

(चिकित्सा मंत्री)

पदस्थापन किया जाता है। स्टाफिंग पेटर्न निश्चित करने हेतु राज्य सरकार ने दिनांक 17.9.87 को एक समिति का गठन किया था, जिसका नाम "अस्पतालों के लिए विशेषज्ञ सेवाओं हेतु स्ट्रेन्थनिंग के लिये अध्ययन एवं सुझाव रेशनलाइजिंग स्टाफिंग पेटर्न चिकित्सालयों के लिए" था।

सदस्यों के नाम निम्नलिखित थे :–

1. डॉ. ज्ञान प्रकाश — अध्यक्ष
   भूतपूर्व निदेशक
2. डॉ. के.बी. सक्सेना — सदस्य सचिव
   संयुक्त निदेशक
3. डॉ. एच.एन. माथुर — सदस्य
   पूर्व वरिष्ठ विशेषज्ञ (शल्य)
4. श्री वी.एस. सिंह — संयोजक
   पूर्व उप शासन सचिव

(2) राज्य में 4 जिलों में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का कार्यालय जिला मुख्यालय पर नहीं है, परन्तु प्रशासनिक कार्यों में कोई विशेष कठिनाइ नहीं आती है।

(3) यह प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(4) डेडराज भरतीया अस्पताल "बी" श्रेणी का अस्पताल है जिसमें 150 शैयाएं हैं रिक्त पदों का विवरण निम्न प्रकार है :–

सिस्टर एक पद	6/89
मेल नर्स प्रथम एक पद	20.1.91
मेल नर्स श्रेणी-II एक पद	20.11.90
स्टाफ नर्स एक पद	10/89
मेकेनिक एक पद	4/89
डेन्टल टेक्नीशियन	24.11.90
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तीन पद	9/89

उप स्वास्थ्य केन्द्रों (पाली) में रिक्त पद

129. श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला पाली में कौन-कौन से उप स्वास्थ्य केन्द्रों में कौन-कौन से पद अभी तक रिक्त हैं ?

(2) रिक्त पदों की कब तक पूर्ति कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) उप केन्द्रों में रिक्त पदों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) प्रशिक्षित स्टाफ के उपलब्ध होने पर रिक्त पदों को भरना सम्भव हो सकेगा।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–6 देखें)

राजकीय चिकित्सालय, बून्दी का सर्जीकल वार्ड

130. श्री रामनारायण वर्मा (नैनवां): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) बून्दी स्थित राजकीय चिकित्सालय में कितने सर्जीकल वार्ड हैं ? क्या उनमें दिनांक 2 एवं 3 फरवरी, 1991 को मरीज भर्ती किये गए थे ? यदि हां, तो उनके

(श्री रामनारायण वर्मा)

भर्ती के समय सहित पूरे नाम, पते, बैड नम्बर सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त वर्णित दिनांकों को सर्जीकल वार्डों में भर्ती रहे कुल रोगियों में से किस-किस मरीज को किस-किस समय अस्पताल से किन-किन हालात में डिसचार्ज किया गया?

(3) क्या उक्त तिथियों को भर्ती मरीजों में से किसी मरीज की मृत्यु भी हुई है? यदि हां, तो उसके बैड टिकिट सहित उससे सम्बन्धित समस्त रेकार्ड को सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकार ने उन डाक्टरों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की जिनके कारण उक्त मरीज की मृत्यु हुई?

उत्तर

(1) बून्दी स्थित राजकीय चिकित्सालय में दो सर्जीकल वार्ड हैं। 2 एवं 3 फरवरी, 1991 को भर्ती किये गए मरीजों का विवरण निम्न प्रकार से है :–

क्र. सं.	टिकट नं.	नाम रोगी	बीमारी	भर्ती समय एवं यूनिट
		दिनांक 2.2.91		
1.	390	श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री मदनलाल उम्र 23 वर्ष	एक्यूट अपेन्डिसाईट	बी यूनिट एक्सट्रा 9.35 ए.एम.
2.	391	श्री सुखराम पुत्र श्री छोटूलाल उम्र 35 वर्ष	बर्न केस	बी एक्सट्रा 9.45 ए.एम.
3.	393	श्री जितेन्द्र पुत्र श्री बद्रीलाल उम्र डेढ़ वर्ष	बर्न केस	बी एक्सट्रा 12.10 दोपहर
4.	394	श्री भीमा पुत्र भंवर लाल	एपसस आर्म,	ए–एक्सट्रा 6.20 पी.एम.
		दिनांक 3.2.91		
1.	408	श्री सुगनी पुत्री बजरंग लाल 6 वर्ष	मल्टीपल इन्जरीज	ए. एक्सट्रा 6.20 पी.एम.
2.	401	श्री रामदेवा पुत्र धूलाजी उम्र 35 वर्ष	हीमोरोयड्स	बी. एक्सट्रा 9.25 ए.एम.

(2) सर्जीकल वार्ड से दिनांक 2 एवं 3 फरवरी, 1991 को जिन मरीजों की छुट्टी दी गई, उनका विवरण निम्न प्रकार से है :—

(40)

(चिकित्सा मन्त्री)

क्र. सं.	नाम	बीमारी	छुट्टी पर बीमार की स्थिति
		दिनांक 2.2.91 को जिन रोगियों को छुट्टी दी गई	
1.	शांति बाई	एक्युट अपेन्डिक्साईड	इम्प्रूव्ड
2.	कान्हा	मल्टीपर इन्जरीज	,, (भाग गया)
3.	अमरेश	हेड इन्जरी	,,
4.	मनीबाई	थाईरोग्लोसल साइनेस	क्योर्ड
		दिनांक 3.2.91	
1.	बसन्ती	अपेन्डिक्साइटिक्स	क्योर्ड
2.	मनभर	पेरोनोटाईनिस	,,
3.	उमादेवी	स्वेलिंग नेक	,,
4.	ओकर	मल्टीपल इन्जरीज	इम्प्रूव्ड
5.	मोहन लाल	अपेन्डिक्साइटिक्स	क्योर्ड

रोगियों को प्रातः अस्पताल के समय छुट्टी दी गई।

(3) उक्त तिथियों में भर्ती हुए मरीजों में से केवल एक मरीज जितेन्द्र की मृत्यु 3.2.91 को हुई जिसके बैड हेड टिकट एवं सम्बन्धित रेकार्ड सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(4) मृतक जितेन्द्र 80 प्रतिशत जला हुआ था जिसकी पूरी देखभाल एवं इलाज किया गया परन्तु उसे बचाया नहीं जा सका। चिकित्सकों एवं अन्य कर्मचारियों द्वारा देखरेख में कोई कमी नहीं रखी गई।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

पाली जिले के विभिन्न राजकीय चिकित्सालय

131. श्री अचला राम (देसूरी) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पाली जिले में कितने राजकीय चिकित्सालय, रेफरल अस्पताल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ग्रामीण डिस्पेंसरीज एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं ?

(2) पाली जिले में कहां-कहां पर चिकित्सक, कम्पाउण्डर्स, नर्स एवं अन्य पद रिक्त हैं ? अब उक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जायेगी ?

(श्री अचला राम)

(3) गत वर्ष में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा कौन-कौन सी औषधियां एवं उपकरण किन-किन दवा कम्पनियों की कब-कब कितनी-कितनी राशि की क्रय की गयी ?

(4) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जिले के किस-किस अस्पताल, डिस्पेंसरीज एवं उपस्वास्थ्य केन्द्रों को कौन-कौन सी औषधियां, बेन्डेज, उपकरण कब-कब कितनी-कितनी राशि के दिये गये ? सम्पूर्ण सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पाली जिले में 2 चिकित्सालय, 9 रेफरल अस्पताल, 61 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 11 मातृ शिशु कल्याण केन्द्र, 385 उप केन्द्र (जिनमें से 40 उच्चीकृत उप केन्द्र) हैं।

(2) विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट-क)

रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जा रही है।

(3) विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट-ख)

(4) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। (परिशिष्ट-ग)

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

नगरपालिका, बांसवाड़ा द्वारा गोशाला भूमि व भवन का अधिग्रहण

132. श्री सोमा (बागीडोरा) एवं श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या बांसवाड़ा गौशाला भूमि व भवन का अधिग्रहण (कब्जा) नगरपालिका बांसवाड़ा द्वारा किया हुआ है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) क्या गौशाला भूमि व भवन पर से नगरपालिका का कब्जा हटाने के लिये स्वायत्त शासन मंत्री महोदय को कोई पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो कब व उन पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) गौशाला की भवन व भूमि पर से नगरपालिका का कब्जा हटाने एवं अधिग्रहण करके भवन व भूमि गौशाला संघ को सुपुर्द करने हेतु किन-किन संघों व व्यक्तियों द्वारा जिला कलेक्टर का ध्यान पत्रों द्वारा दिलवाया गया है ? कलेक्टर महोदय ने इस दिशा में क्या कार्यवाही की ?

(4) क्या बांसवाड़ा जिले में गौशाला भूमि को आबादी में बदल कर प्लाट काट कर बेचने की कार्यवाही नगरपालिका के अफसरों एवं कर्मचारियों द्वारा की गई है ?

(5) बांसवाड़ा में नगरपालिका के क्रूर अत्याचारों से कितनी गायों की हत्याएं हुई हैं? क्या गौ पशुओं की तस्करी करके कटनी के कारखानों में पहुंचाने में नगरपालिका का भी हाथ है ?

(6) क्या इन तथ्यों की जानकारी सरकार व जिला प्रशासन को है ? यदि हां,

(श्री सोमा)

तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 21.4.64 से नगर पालिका के कब्जे में है, जो कि गौ सेवा संघ के प्रस्ताव दिनांक 15.4.64 के अनुसार है।

(2) जी हां, दिनांक 12.3.90 को प्राप्त पत्र पर विभाग के क्षेत्रीय उप निदेशक उदयपुर से वैधानिक स्थिति उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के विषय में अध्ययन कर रिपोर्ट मंगवाई जा रही है।

(3) गौ शाला की भूमि व भवन पर से नगर पालिका का कब्जा हटाने एवं सुपुर्द करने हेतु गौशाला संघ, बांसवाड़ा द्वारा जिला कलेक्टर, न्यायालय में नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 285(1) के अन्तर्गत वाद संख्या 4/90 दि. 23.8.90 को दर्ज कराया तथा पुनः संशोधन वाद पत्र दिनांक 27.2.91 को प्रस्तुत किया गया, जो विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त गौशाला संघ की ओर से उच्च न्यायालय में दायर याचिकाएं न्यायिक निर्णयार्थ विचाराधीन होने से फिलहाल प्रशासनिक कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है।

(4) गौशाला भूमि पर आवासीय योजना नगरपालिका एवं नगर नियोजक विभाग द्वारा तैयार की गई थी लेकिन कोई भूखण्ड बेचने की कार्यवाही नहीं की गई है।

(5) जी नहीं। गौ तस्करी कर कटनी के कारखानों में गौवध हेतु पशुओं को पहुंचाने में नगरपालिका का कोई हाथ नहीं है।

(6) प्रश्न के भाग 5 में सम्मिलित उत्तर के अन्तर्गत गौवध में नगरपालिका का कोई हाथ नहीं है। अन्य तथ्यों पर कार्यवाही न्यायालय के निर्णय उपरान्त हो सकेगी।

नगरपालिका, सोजत द्वारा भू खण्डों का बेचान

133. श्री प्रभूराम गरासिया (पिण्डवाड़ा) एवं श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नगर पालिका, सोजत ने सन् 1982 से आज तक कितने व्यक्तियों को भू-खण्डों का बेचान किया? उक्त बेचान एवं भू-खण्डों का आवंटन किन आय वर्ग के व्यक्तियों को किन-किन स्कीमों के तहत दिया गया? क्रमवार सूची मय शपथ-पत्र की प्रतिलिपि के सदन की मेज पर रखें।

(2) नगरपालिका सोजत द्वारा किन-किन निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों को रियायती दरों पर किस-किस स्थान पर कौन-कौन से भू-खण्ड दिये गये? नक्शे की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(3) नगरपालिका सोजत द्वारा सोजत नगरपालिका के पूर्व नगर पार्षदों एवं उनके रिश्तेदारों एवं नगरपालिका के किन-किन कर्मचारियों को किस स्कीम के तहत भू-खण्ड बेचान किये गये? सूची व भू-खण्ड संख्या मय नक्शे की प्रतिलिपि के सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगरपालिका सोजत द्वारा 1982 से जितने व्यक्तियों को भूखण्डों का बेचान किया है एवं स्कीमवाइज बेचान भूखण्डों के आवंटन की सूची मय उपलब्ध शपथ-पत्रों की प्रतिलिपि के सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) नगरपालिका सोजत द्वारा निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों को जिस-जिस स्थान पर जो भूखण्ड दिये गये हैं उनकी सूची संलग्न है। नक्शे की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) सोजत नगरपालिका के पूर्व पार्षदों एवं उनके रिश्तेदारों को किए गए भूखण्डों के बेचान के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। नगरपालिका के कर्मचारियों को जिस स्कीम में भूखण्डों का बेचान किया गया है उनकी सूची, भूखण्ड संख्या मय नक्शे की प्रतिलिपि के सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

सोडाला से न्यू सांगानेर (जयपुर) सड़क निर्माण

134. श्री भंवरलाल (सुजानगढ़) एवं श्री रामनारायण वर्मा (नैनवां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सोडाला से वाया न्यू सांगानेर रोड, जो कि जयपुर शहर की सबसे बड़ी कालोनी मानसरोवर को जाती है उक्त सड़क की हालत काफी दयनीय है ?

(2) क्या सरकार इस सड़क को भविष्य में ठीक करवाने का इरादा रखती है ? यदि, हां तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि निर्माण नगर से मानसरोवर तक जाने वाली सड़क पर अत्यधिक गड्ढे हैं, जिससे आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं ?

(4) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क पर डामरीकरण कराए जाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। सोडाला से सांगानेर सड़क 11.5 कि. मी. लम्बी है। इसमें से 3 कि. मी. सड़क (कि मी. 4/0 से 7/0) की स्थिति वर्तमान में खराब है। शेष 8.5 कि. मी. सड़क की स्थिति ठीक है।

(2) जी हां। इस 3 कि. मी. खराब सड़क को चौड़ा करना तथा डामरीकरण का कार्य प्रगति पर है। शेष लम्बाई के सुधार (चौड़ा करना तथा डामरीकरण) हेतु राज्य सरकार द्वारा 35.00 लाख रुपये की स्वीकृति जारी की गई है जिसका कार्य भी शीघ्र शुरू होने वाला है।

(3) यह सड़क इस विभाग की संधारण सूची में नहीं है और न ही इस विभाग द्वारा निर्मित है।

(4) उपरोक्तानुसार।

वरिष्ठ लिपिक, नगरपालिका सूरतगढ़ (श्री गंगानगर) का निलम्बन

135. श्री बन्शीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री गुलाब चन्द बंसल वरिष्ठ लिपिक, नगरपालिका, सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर को स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर ने 25-7-1985 को निलम्बित किया था ? यदि हां, तो किन आरोपों के अन्तर्गत ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि नगरपालिका द्वारा श्री बंसल के विरुद्ध जो आरोप-पत्र जारी किया था उसका जवाब निर्धारित अवधि में श्री बंसल द्वारा न दिया जाकर दो वर्ष बाद दिया गया ? यदि हां, तो किस तारीख को आरोप-पत्र का जवाब दिया गया ?

(3) क्या यह सही है कि तत्कालीन प्रशासक द्वारा श्री बंसल के आरोप-पत्र का जवाब जिस दिन प्राप्त किया, उसी दिन अथवा उसके एक-दो दिन बाद ही उनको पुनः सेवा में ले लिया गया ? यदि हां, तो क्या यह सी. सी. ए. कानून के विरुद्ध नहीं था ?

(4) क्या यह सही है कि जब क्षेत्रीय उप निदेशक, जोधपुर द्वारा श्री बंसल के विरुद्ध आरोपों की जांच की गई, उसमें भी श्री बंसल को एक हजार रुपये के गबन का दोषी पाया गया ? यदि हां, तो क्या वह राशि नगरपालिका में तत्काल जमा करवा कर विभाग ने इनके विरुद्ध गबन की एफ. आई. आर. दर्ज करवाई ? यदि हां, तो कब, यदि नहीं, तो क्यों ? विभाग अब इस पर क्या कार्यवाही करने का इरादा रखती है ?

(5) क्या यह सही है कि श्री एल. के. सक्सेना तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी सूरतगढ़ ने जो जांच की उसमें श्री बंसल के विरुद्ध जो गबन के आरोप थे उन्हें स्पष्ट अंकित नहीं कर जांच पक्षपात ढंग से की गई ? यदि हां, तो क्या विभाग श्री सक्सेना के विरुद्ध कार्यवाही का इरादा रखता है ? यदि नहीं तो क्यों ? क्या विभाग इस प्रकरण की पुनः किसी निष्पक्ष उच्च अधिकारी से जांच कराने का इरादा रखता है ? यदि हां, तो कब तक व किससे, यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) श्री गुलाबचंद बंसल, वरिष्ठ लिपिक को नगरपालिका ने अपने प्रस्ताव दिनांक 25-7-85 के द्वारा विभिन्न आरोपों के तहत निलम्बित किया था। आरोपों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) श्री गुलाबचंद बंसल को नगरपालिका द्वारा आरोप-पत्र दिया गया, उसकी तामील दिनांक 3-12-85 को हुई एवं निर्धारित अवधि के बाद दि 24.11.86 को उन्होंने आरोप-पत्र का जवाब प्रस्तुत किया।

(3) दिनांक 9-2-87 को जांच पेंडिंग रखते हुए सेवा में लिया गया। ऐसा करना सी. सी. ए. नियमों के विपरीत नहीं था।

(4) क्षेत्रीय उप निदेशक जोधपुर द्वारा

(स्वायत्त शासन मन्त्री)

श्री बंसल के विरुद्ध आरोपों की जांच नहीं की गई अपितु दि. 29.10.87 को उन्होंने नगरपालिका से पत्रावली मंगवाकर 12.9.89 को कार्यवाही करने हेतु निदेशालय में प्रेषित कीं, जो परीक्षणाधीन है।

(5) श्री एल के. सक्सेना इसमें जांच अधिकारी थे उन्होंने जांच में आरोपित कर्मचारी को दोषरहित पाया। जहां तक श्री एल. के. सक्सेना द्वारा पक्षपात ढंग से जांच करने का प्रश्न है इसमें उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय जोधपुर द्वारा जांच करवाए जाने के आदेश दिए जा रहे हैं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखा गया)

राणाप्रताप सागर बांध से रामगंज मंडी को पेयजल

136 श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) : क्या जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राणा प्रताप सागर बांध से पाइप लाइन द्वारा रामगंज मण्डी को पीने का पानी उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है ?

(2) यदि हां, तो क्या बीच में पड़ने वाले गांवों को भी पेयजल उपलब्ध कराये जाने का सरकार विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) उक्त योजना में 14 ग्रामों को भी सम्मिलित किये जाने का प्रावधान है।

बाबूलाल टेलर की मिस्त्री पद पर नियुक्ति

137. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) क्या जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री बाबूलाल टेलर को अधिशाषी अभियन्ता जन स्वा. अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर ने दिनांक 7.3.1973 को मिस्त्री के पद पर नियुक्ति दी थी और उसके बाद दिनांक 1.11.1974 को कार्य प्रभारी वर्ग में सहायक के पद की वेतन शृंखला में समायोजित कर वेतन वृद्धियां दी जाने लगीं ?

(2) उक्त कर्मचारी द्वारा उक्त आदेशों के खिलाफ श्रम न्यायालय जोधपुर में विवाद संख्या 20/87 को विवाद प्रस्तुत किया। उक्त न्यायालय ने दिनांक 16.3.90 को अधिशाषी अभियन्ता को आदेश दिया कि श्री टेलर को नीचे की वेतन शृंखलाओं में समायोजित नहीं किया जा सकता। यदि हां, तो न्यायालय के आदेशानुसार श्री बाबूलाल टेलर को पूर्व की वेतन शृंखला में स्थिरीकरण देकर बकाया वेतन व लाभांशों का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कर्मचारी को 7.3.73 से मिस्त्री के पद पर नियुक्त किया जाकर 21.9.73 को हटा दिया गया। तत्पश्चात् 1.11.73

(46)

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

से कार्यप्रभारित सहायक द्वितीय के पद पर पुन: नियुक्त किया गया तथा आदेश दिनांक 28.12.78 के द्वारा पम्प चालक तृतीय के के पद पर पदोन्नत किया जाकर वेतन लाभ दिया गया।

(2) जी हां। परन्तु श्रम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय में अपील दायर की गई है, जो स्वीकृति हेतु विचाराधीन है।

नगर खण्ड बीकानेर के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें

138. श्री अचलाराम (देसूरी) : क्या जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग बीकानेर नगर खण्ड में किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध गबन एवं घोटाले की शिकायतें प्राप्त हुईं ?

(2) क्या उक्त शिकायतों की जांच हेतु सन् 1990 में वरिष्ठ लेखाधिकारी (निरीक्षण) राजस्थान जलप्रदाय और सिवरेज प्रबन्धक मण्डल, जयपुर के अधीन विशेष जांच दल ने जांच रिपोर्ट तैयार की? यदि हां, तो उक्त जांच में किन अधिकारियों/कर्मचारियों को दोषी पाया गया ? किन-किन के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ? पूर्ण विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) खण्ड के खजान्ची श्री गंगादास बोहरा के विरुद्ध गबन की शिकायत प्राप्त हुई थी।

(2) जी हां। श्री गंगादास बोहरा को निलम्बित किया जाकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई थी। परीवेक्षीय लापरवाही से सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध विस्तृत जांच के फलस्वरूप दोषी पाये जाने के पश्चात ही कार्यवाही करना सम्भव होगा।

सुमेरपुर (पाली) में बिजली के ट्रांसफार्मर की चोरी

139. श्री गुलाबसिंह (सुमेरपुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि सुमेरपुर विद्युत विभाग से माह फरवरी में ट्रांसफार्मर आयल चोरी चला गया ? यदि हां, तो कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य का ? क्या इसकी एफ. आई. आर. दर्ज करवाई गई ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही हुई ?

(2) आयल चोरी के लिये कौन जिम्मेदार है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां। सुमेरपुर सब स्टेशन पर लगे दो 33/11 के. वी. के ट्रान्सफार्मर में से दिनांक 1.2.91 को लगभग 3200 लीटर आयल चोरी चला गया था जिसका अनुमानित मूल्य 48,000 रुपये। उक्त चोरी की एफ. आई. आर. थाना सुमेरपुर में दर्ज कराई गई है। तफतीश जारी है।

(ऊर्जा मंत्री)

(2) उक्त आयल चोरी के मामले में विद्युत मण्डल द्वारा प्रारम्भिक विभागीय जांच कर 2 कर्मचारियों को अपने कार्य में लापरवाही बरतने पर निलम्बित कर दिया गया है। अग्रिम कार्यवाही जारी है।

कोटा जिले के लम्बित कृषि कनेक्शन

140. श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) कोटा जिले में कृषि के कितने विद्युत् कनेक्शन मार्च, 1990 तक लम्बित थे ?

(2) सन् 1982 तक के प्रार्थना-पत्रों के आधार पर विद्युत् कनेक्शन देने की नीति के आधार पर कोटा जिले मे कृषि कार्य हेतु कितने विद्युत् कनेक्शन दिये गये ?

(3) सन् 1982 को आधार वर्ष मान कर कोटा जिले में कितने कनेक्शन स्थायी तौर पर दिये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कोटा जिले में मार्च, 1990 तक लगभग 7471 प्रार्थना-पत्र कृषि कनेक्शन हेतु लम्बित थे।

(2 व 3) कोटा जिले में इस वर्ष 1990–91 में फरवरी, 1991 तक 1272 कृषि कनेक्शन दिये जा चुके हैं। वर्ष 1982 के कृषि कनेक्शन हेतु 29 आवेदन लम्बित थे, जिसमें से 5 आवेदकों को कनेक्शन दिये जा चुके हैं तथा 15 आवेदकों ने मांग-पत्र की राशि जमा करा दी है। 9 प्रार्थना-पत्र मांग-पत्र की राशि जमा न होने के कारण निरस्त कर दिये गये हैं। जिनके मांग-पत्र की राशि जमा है उन आवेदकों से 'एल' फार्म प्राप्त होने तथा अन्य औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कनेक्शन दे दिये जायेंगे। कृषकों द्वारा औपचारिकताएं पूर्ण होने के अभाव में अभी तक कनेक्शन नहीं दिये जा सके हैं।

विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़) के गांवों का विद्युतीकरण

141. श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) वर्ष 1985 से 1990 तक विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा, छोटी सादड़ी के कितने गांवों को विद्युतीकृत करने की स्वीकृति प्रदान की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें:--

(2) क्या सरकार से स्वीकृत सभी गांवों का विद्युतीकरण हो गया है ? यदि हां, तो कब, नहीं तो क्यों ?

(3) शेष गांवों को कब तक विद्युतीकृतकर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) वर्ष 1985 से 1990 (अप्रेल 85 से मार्च, 1990) के दौरान विधानसभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा के 57 ग्रामों को ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्युतीकृत करना प्रस्तावित किया गया था। सूची "अ" संलग्न है।

(2) इनमें से मार्च, 1990 तक 46 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है।

(ऊर्जा मंत्री)

11 ग्रामों का विद्युतीकरण 1990-91 के ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम में प्रस्तावित किया गया है जिनमें से 6 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। योजना मद में ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु उपलब्ध सीमित धन एवं लक्ष्यों के कारण सभी स्वीकृत ग्रामों का विद्युतीकरण करना सम्भव नहीं हो पाता है।

(3) शेष ग्रामों का विद्युतीकरण योजना मद में ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु आवंटित वित्त एवं वार्षिक लक्ष्यानुसार आगामी वर्षों में किया जाना सम्भव हो सकेगा। निश्चित समयावधि बता पाना फिलहाल सम्भव नहीं है।

(सूची के लिए परिशिष्ट 7 देखें)

विधान सभा क्षेत्र फागी की हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण

142. श्री प्रकाशचन्द्र बैरवा (फागी) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) फागी क्षेत्र की कितनी पंचायतों की हरिजन बस्तियों को विद्युतीकृत करने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुए ?

(2) उन पर क्या कार्यवाही हुई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) फागी विधान सभा क्षेत्र में 26 हरिजन बस्तियों को विद्युतीकृत करने हेतु आवेदन प्राप्त हुए।

(2) इन 26 आवेदनों में से 7 हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। 8 आवेदन पत्र अनुबन्ध पत्र नहीं देने के कारण निरस्त किये जा चुके हैं। 8 आवेदन पत्रों के मामले में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से ऋण प्राप्त करने की योजना बनाई जा रही है। शेष 3 हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण हेतु तकमीने बनाने की कार्यवाही की जा रही है। 26 बस्तियों की सूची "अ" सलग्न है।

(सूची के लिए परिशिष्ट 8 देखें)

ग्राम आंवलहेड़ा (चित्तौड़गढ़) का विचाराधीन सब स्टेशन

143 श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या बेगूं पंचायत समिति के ग्राम आंवलहेड़ा में सब-स्टेशन बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? अगर हां तो कब तक क्रियान्वित हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बेगूं पंचायत समिति के गांव आंवलहेड़ा में 1.6 एमवीए 33/11 के.वी. क्षमता का नया सब-स्टेशन ओ. बी. स्कीम बेगूं के तहत स्थापित करना स्वीकृत है। मण्डल के वित्तीय संकट के संदर्भ में निश्चित अवधि निर्धारित करना कठिन है।

विधान सभा क्षेत्र छबड़ा (कोटा) में विद्युत् कनेक्शन

144. श्री नन्दकिशोर शर्मा (छबड़ा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटा जिले के छबड़ा क्षेत्र में वर्ष

(श्री नन्दकिशोर शर्मा)

1990-91 में कितने कृषि कुओं को विद्युत कनेक्शन दिये व कितने नये ग्राम बिजली से जोड़े गये हैं ?

(2) क्या कवाई (सालपुरा) में 132 के.वी. सब स्टेशन पावर लाइन का कार्य शुरू हो गया है ? यदि हां, तो कब तक पूरा होगा ?

उत्तर

(1) कोटा जिले के छबड़ा विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1990-91 में कृषि के 51 कनेक्शन दिये गये हैं। प्रथम चरण में 2 गांवों का विद्युतीकरण करना था तथा द्वितीय चरण में 18 गांवों का। प्रथम चरण का कार्य मार्च, 1991 में पूरा कर लिया जायेगा तथा द्वितीय चरण का भी काफी कार्य उक्त अवधि में प्रारम्भ करने की योजना है।

(2) जी हां। 132 के.वी. सांगोद से कवाई पावर लाइन का कार्य वर्ष 1991-92 तक तथा सब स्टेशन का कार्य वर्ष 1992-23 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में विद्युत कनेक्शन

145. श्री गुलाब सिंह (सुमेरपुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सुमेरपुर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1990-91 में कितने कुओं को, घरों को तथा उद्योगों को विद्युत कनेक्शन दिये गये ? क्रमवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जारी किये गये कनेक्शन किन-किन व्यक्तियों या उद्यमियों के नाम दिये गये तथा इनके आवेदन की तारीख व वर्ष क्या है ? क्रमवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्तमान में किन-किन के आवेदन पत्र कनेक्शन हेतु बकाया हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सुमेरपुर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1990-91 में कृषि, घरों व उद्योगों को दिये गये कनेक्शनों का विवरण क्रमवार निम्नानुसार है :-

कृषि कुएं	घरेलू (घरों को)	उद्योग
25	1263	19

(2) उपरोक्त घरेलू, कृषि व उद्यमियों दिये गये विद्युत कनेक्शनों की ग्रामवार संख्या संलग्न प्र-पत्र "अ" में दर्शा दी गई है। दिये गये कनेक्शन्स के नाम, तारीख व वर्षवार. सूचना तैयार करने में काफी समय लगेगा।

(3) वर्तमान में सुमेरपुर विधान सभा क्षेत्र में, घरेलू, कृषि व उद्योगों के क्रमशः 908, 678 व 13 आवेदन लम्बित हैं। ग्रामवार संख्या संलग्न प्रपत्र "ब" में दर्शा दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

जोधपुर जिले में आरक्षित श्रेणी के उपभोक्ताओं को विद्युत कनेक्शन

146. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

(1) जोधपुर जिले में आरक्षित श्रेणी के उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्शन हेतु गत दो वर्षों में कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं, उनमें से कितनों को कनेक्शन जारी कर दिए हैं ? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जोधपुर जिले के अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रार्थीगणों को फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पर ग्रामवार प्राथमिकता दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पूर्व वर्षों में कृषि कनेक्शन हेतु विभिन्न श्रेणी के आवेदकों की प्राथमिकताएं निर्धारित थी। गत 2 वर्षों में जोधपुर जिले में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों में से क्रमशः 315 व 12 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये तथा इस श्रेणी में क्रमशः 149 व 4 कनेक्शन जारी किये गये। ग्रामवार संख्या बताते हुये सूची "अ" व "ब" संलग्न है।

(2) जी हां, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को ग्राम में उनकी वरीयता के अनुसार ही कनेक्शन दिये गये हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

राज्य में दहेज के दर्ज मुकदमे

147. श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) एवं **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में सन् 1980 से अब तक कितने केस, किन-किन जिलों में दहेज प्रथा के दर्ज हुए ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) दहेज प्रथा के कारण जला कर या यातना देकर मार डाली गई महिलाओं के सम्बन्ध में कौन-कौन अपराधी पाये गये ? उनके खिलाफ कब-कब, क्या-क्या कड़ी कार्यवाही की गई तथा किस स्तर पर चल रहे हैं ? विवरण नाम पते सहित सदन की मेज पर रखें।

( ) उक्त मामले बढ़ने के क्या कारण हैं तथा इनकी रोकथाम के लिए सरकार क्या विशेष प्रयास कर रही है ?

उत्तर

(1) सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) महिलाओं पर दहेज के कारण हत्या के मामलों में वर्ष 1988 की तुलना में वर्ष 1989 व 1990 में पंजीबद्ध अपराधों में आंशिक रूप से वृद्धि हुई है। महिलाओं पर दहेज के कारण हत्या संबंधी अपराधों में जो वृद्धि हो रही है उसका मुख्य कारण महिलाओं का शिक्षित होना व सामाजित जागृति का होना है। जिसके कारण पुलिस में स्वतंत्र रूप से रिपोर्ट दर्ज कराना तथा न्यायालयों में भी परिवाद प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होना है। दहेज सम्बन्धी अपराध बढ़ने का एक कारण महिलाओं का शिक्षित होना सामाजिक बन्धनों व घरेलू झगड़ों के कारण भी होना है। दहेज सम्बन्धी हत्या की रोकथाम के लिए दहेज अधिनियम 1961 (संशोधित

(गृह मंत्री)

1986) उपबंधों के अधीन महिलाओं की दहेज के कारण हत्या के सभी अपराधों में कठोर एवं प्रभावशाली कार्यवाही करने के लिए समय-समय पर उचित दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के प्रति दहेज के कारण होने वाले अपराधों में विशेष ध्यान दिये जाने हेतु निर्दिष्ट किया गया है। उक्त अपराधों का अन्वेषण निष्पक्ष एवं स्वच्छन्द रूप से हो इस बाबत समय-समय पर उचित दिशा निर्देश प्रसारित किये गये हैं। उक्त प्रकरणों की कार्यवाही पर दहेज प्रकोष्ठ द्वारा निगरानी रखी जाती है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

वन कर्मचारियों द्वारा वृद्ध महिला की हत्या

148. श्री हुक्मा राम (सिवाना) एवं श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि गांधीनगर थाना क्षेत्र में बाई जी की कोठी के पास एक वृद्ध महिला को वन कर्मचारियों ने पीट-पीट कर मार डाला ? यदि हां, तो कब तथा किसके द्वारा मारा गया ?

(2) उक्त मामले में कौन व्यक्ति दोषी पाया गया तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) वृद्ध महिला की मृत्यु के सम्बन्ध में थाना गांधी नगर, जयपुर पर मुकदमा नम्बर 329/90 धारा 302, 323 ता.हि. में दर्ज किया जाकर अनुसंधान किया गया। मृतका की मौत डॉक्टरी रिपोर्ट के अनुसार पुरानी बीमारी के कारण होना पाया गया। जिस पर अभियोग में एफ. आर. नम्बर 193 दिनांक 31-12-90 को अदम वकू में दी गई है।

चित्तौड़गढ़ जिले में चोरी, डकेती, बलात्कार व हत्याओं के पंजीबद्ध मुकदमें

149. श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) चित्तौड़गढ़ जिले में पिछले तीन वर्षों में चोरी, डकैती, बलात्कार व हत्याओं के कितने मामले दर्ज हुए और कितने मामलों में अदालत में चालान पेश किया गया ?

(2) चित्तौड़गढ़ जिले में किन-किन थाना क्षेत्रों में कितने-कितने अपराध पंजीकृत हुए ? थानावार अलग-अलग विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला चित्तौड़गढ़ में पिछले तीन वर्षों में चोरी, डकैती, बलात्कार एवं हत्याओं के पंजीबद्ध अपराधों एवं उनके चालानों का वर्षवार ब्यौरा निम्न प्रकार है :-

(गृह मन्त्री)

वर्ष	1988		1989		1990	
	पंजीबद्ध अपराध	चालान	पंजीकृत अपराध	चालान	पंजीबद्ध अपराध	चालान
चोरी	798	258	772	233	765	246
डकैती	1	1	1	–	–	–
बलात्कार	24	13	26	15	46	28
हत्या	41	34	32	24	52	29

(2) थाने वाइज अपराधों की सूची परिशिष्ट 'अ" में संलग्न हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

आपराधिक गतिविधियों को रोकने हेतु राज्य की विशेष योजना

150. श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य में आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए राज्य सरकार ने भारत सरकार को एक विशेष योजना भेजी थी ?

(2) यदि हां, तो इस योजना के तहत कितने करोड़ की केन्द्रीय सहायता एवं राज्य पुलिस के लिये विशेष हथियारों की मांग की गई थी तथा क्या कुछ नई कम्पनियां भी मांगी गई थी ?

(3) क्या इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की सहायता प्राप्त हुई ? यदि हां, तो किस प्रकार की सहायता मिली। यदि नहीं, तो कब तक मिलने की सम्भावना है ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि राज्य में आतंकवादी गतिविधियों एवं संवेदनशील जिलों में कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिकोण से सीमावर्ती जिलों के लिये एक विशेष योजना बनाई जाकर नवें वित्त आयोग भारत सरकार को भेजी गई थी।

(2) इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार से 12,103.90 लाख रुपये की सहायता की मांग की गई है साथ ही इस योजना में दो कमाण्डो बटालियन के पद सृजित करने का प्रस्ताव भी था। हथियारों का प्रस्ताव एवं एम्यूनेशन्स के लिए 127.74 लाख रुपये की मांग की गई है।

(3) जी नहीं। नवें वित्त आयोग ने इस हेतु कोई राशि की पृथक से सिफारिश नहीं की है।

चयनित परिवार के व्यक्तियों को आवंटित ऋण

151. श्री नवनीत लाल नीनामा (घाटोल) : क्या विशिष्ट योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा चयनित परिवार व्यक्तियों को गाय, भैंस, बैल गाड़ियां आदि के लिये ऋण उपलब्ध कराया जाकर स्वावलम्बी बनाया जाता है ? यदि हां, तो पंचायत समिति घांटोल जिला बांसवाड़ा के 31 ग्राम पंचायतों में वर्ष 1985 से 1990 तक कितने व्यक्तियों को चयनित किया गया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ग्राम सभाओं द्वारा परिवारों का चयन किया जाता है ? यदि हां, तो पंचायत बड़ी पड़ाल पंचायत समिति घांटोल जिला बांसवाड़ा में 1985 से 1991 तक कितने परिवारों का चयन किया गया है एवं कितने परिवारों को लाभान्वित किया गया एवं कितने परिवार लाभ लेने से अब तक वंचित हैं। *वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें। उन परिवारों को कब तक लाभान्वित करने का सरकार विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी हां। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

*(विवरण के लिये परिशिष्ट 11 देखें)

ग्राम रूघनाथपुरा (बूंदी) के अनु. जाति के व्यक्तियों को मकान निर्माण हेतु ऋण

152. श्री अमृतलाल परमार (बाली) : क्या विशिष्ठ योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या ग्राम रुघनाथपुरा ग्राम पचायत दुगारी, जिला बूंदी के अनुसूचित जाति के बैरवाओं को मकान निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई राशि स्वीकृत की गई थी ? यदि हां, तो कब एवं कितनी-कितनी ? कृपया, नामजद सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या उपरोक्त वर्णित व्यक्तियों को मकान निर्माण की राशि पेटे गेहूं भी दिये गये थे ? यदि हां, तो गेहूं का वितरण किसके द्वारा किस तारीख को किया गया ?

(3) क्या लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों द्वारा उन्हें पूरा गेहूं वितरित नहीं होने तथा गेहूं का गबन करके सरपंच द्वारा गलत एवं फर्जी कागजात बना दिये जाने की शिकायत जिलाधीश बूंदी एवं अन्य अधिकारियों को प्रेषित की गई थी ? यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम रहे हैं ?

उत्तर

(1) जी हां। सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। जिलाधीश बूंदी द्वारा प्राप्त शिकायत-पत्र के आधार पर जांच

(विशिष्ट योजना संगठन मंत्री)

करवाई जा रही हैं। किन्तु जांच प्रतिवेदन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–12 देखें)

जयपुर शहर की उचित मूल्य की दुकानों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

153. श्री महावीर प्रसाद जैन(टौंक): क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर शहर में उचित मूल्य की दुकानों के खिलाफ कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? इनकी सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन शिकायतों के आधार पर कितनी दुकानों के खिलाफ जांच करवाई गई व कितने मामले इन दुकानों के खिलाफ जांच के बाद दर्ज किये ? जांच के क्या परिणाम रहे ? दोषियों के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जयपुर शहर में उचित मूल्य की दुकानों के खिलाफ 38 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) इन प्राप्त शिकायतों में उल्लेखित सभी दुकानों के खिलाफ जांच कराई गई। जांच के बाद 15 शिकायतों पर उचित मूल्य दुकानदारों के खिलाफ मामले बनाये गये तथा 21 शिकायतों की जांच कार्यवाही जारी है। जांच के दौरान जहां अनियमितताएं करना पाया गया उनके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिभूति राशि जप्त करने प्राधिकार-पत्र निरस्त करने आदि की कार्यवाही की गई।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–13 देखें)

विधान सभा क्षेत्र–बांदीकुई के कैरोसिन डीलर

154. श्री रामकिशोर सैनी (बांदीकुई) : क्या खाद्य व आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में कुल कितने कैरोसिन के डीलर हैं और क्या उन्हें अपने निश्चित स्थान का ही लाइसेन्स दिया गया है और क्या वह दुकानें खोल कर तेल का वितरण कर रहे हैं ? यदि नहीं तो क्यों ?

(2) क्या राज्य सरकार उन्हें निश्चित स्थान पर दुकान खोलकर उपभोक्ताओं को तेल वितरण के लिए बाध्य करेगी ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में कुल 19 कैरोसीन के डीलर हैं और उन्हें अपने निश्चित स्थान का लाइसेन्स दिया गया है। वे दुकानें खोल कर कैरोसिन का वितरण कर रहे हैं।

(2) जब कैरोसिन तेल का वितरण किया जा रहा है तो वितरण के लिए बाध्य करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के माध्यम से सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजनाओं का क्रियान्वयन

155. श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : क्या एकीकृत ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के माध्यम से सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना का क्रियान्वयन कर रही है और इस योजना के अन्तर्गत लघु, सीमान्त, अनुसूचित जाति-जनजाति के कृषकों की असिंचित भूमि, जो कि किसी नदी-तालाब के पास है, बहते हुए पानी को सिंचाई के लिए काम में लिया जा रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार एवं विद्युत मण्डल ऐसी योजनाओं को वरीयता देता था और कनेक्शन की सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाता था ? इससे एक अश्वशक्ति एक पोल निःशुल्क तथा सब मिलाकर करीब 5000/- रु. में कनेक्शन होकर यह योजना चालू हो जाती थी ? यदि हां, तो इसे बदलने के पीछे राज्य सरकार का क्या उद्देश्य रहा ?

(3) क्या यह सही है कि अब नए नियमों के अन्तर्गत जलोत्थान सिंचाई योजना हेतु कनेक्शन के लिए कम से कम 50000/- रु. और कुछ में तो 1,00,000/- रु. का व्यय बैठता है ?

(4) क्या यह सही है कि आयुक्त, जनजाति विकास विभाग, उदयपुर, जिलाधीश-उदयपुर, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, उदयपुर एवं जनप्रतिनिधियों ने अपने स्तर पर उदयपुर की करीब 20 योजनाओं की अनिश्चितता को लेकर इन नियमों की परेशानी की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित कराया है ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की और विद्युत मण्डल और ऊर्जा विभाग को पूर्व में दी जाने वाली सुविधाओं को यथावत रखने के संबंध में क्या निर्देश प्रदान किए ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) पूर्व में सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजनाओं को भी सामान्य कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सभी सुविधाएं दी जाती थी। परन्तु राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा जारी आदेश दिनांक 19 जुलाई, 90 द्वारा सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजनाओं को विद्युत कनेक्शन हेतु दी जा रही सुविधा/वरीयता बंद कर दी गई और इस आदेश के मुताबिक कनेक्शन में वरीयता प्राप्त करने हेतु, पोल की राशि आदि दिये जाने का प्रावधान था। इससे विद्युत कनेक्शन हेतु देय राशि काफी बढ़ गई थी। अब नये नियमों के अन्तर्गत सामान्य कृषि उपभोक्ताओं के समकक्ष प्रावधान ही जलोत्थान सिंचाई योजनाओं पर भी लागू कर दिया गया है एवं इन योजनाओं को अभी भी पहले की तरह से वरीयता दी जाती है। मोटे रूप से इस वर्ष में विचाराधीन सभी लिफ्ट योजनाओं का विद्युतीकरण हो जाने की सम्भावना है।

(3) जैसा कि प्रश्न के भाग दो में ऊपर दर्ज है अब यह सही नहीं है।

(4) ऐसा कोई मामला अब नहीं है।

पंचायत समिति शाहबाद की जीवन धारा योजना

156. श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री हेमराज मीणा)

(1) क्या शाहबाद पंचायत समिति में जीवनधारा योजना के अन्तर्गत कुओं का निर्माण किया गया है ? यदि हां, तो कौन-कौन से ग्राम में किन-किन किसानों को लाभान्वित किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जीवनधारा योजना से निर्मित कुओं से सिंचाई हो रही है ? यदि हां, तो कौन-कौन से कुए से कितने एकड़ सिंचाई हो रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) जीवनधारा व अकाल राहत में बने अधूरे कुओं को पूरा करने की सरकार की क्या योजना है ?

उत्तर

(1) जी हां, सूची परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां, 4 कुएं जो पूर्ण हुए हैं, उनसे 16 एकड़ भूमि में सिंचाई हो रही है। सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) अकाल राहत व जीवनधारा योजना में बने समस्त अधूरे कुओं को जो जवाहर रोजगार योजना के एवं जीवनधारा योजना के मापदण्डो को पूर्ण करते हैं, उन्हें पूर्ण कराने का प्रावधान रखा गया है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–14 देखें)

राज्य में रसोई गैस एजेन्सियां

157. श्री किशनाराम नाई (डूंगरगढ़) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य सरकार के रिकार्ड के अनुसार राज्य में रसोई गैस की एजेन्सियां कहां-कहां हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इनमें कितनी एजेन्सियां बन्द हैं और कितनी चालू हैं, सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) किन-किन एजेन्सियों के विरुद्ध क्या-क्या शिकायतें हैं, शिकायतों के आधार पर राज्य सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

(4) क्या रसोई गैस कनेक्शन पंजीकृत बकाया है ? यदि हां, तो उन्हें कब तक रसोई गैस उपलब्ध कराई जावेगी ?

उत्तर

(1) राज्य में रसोई गैस की एजेन्सियां जहां-जहां है, उसका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) इन एजेन्सियों में 146 चालू है तथा 2 बन्द है। इनकी सूची प्रश्न के भाग (1) में सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) गैस एजेन्सीज, तेल कम्पनीज के सीधे नियंत्रण में होने से राज्य सरकार को शिकायतें प्राप्त नहीं हुई है।

(4) जी हां। बकाया पंजीकृत गैस कनेक्शन जैसे जैसे गैस की उपलब्धी होगी, उपलब्ध कराये जायेंगे।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-15 देखें)

प्रतापगढ़ एवं अरनोद (चित्तौड़गढ़) तहसील में निर्माण कार्य

158. **श्री रखबचन्द मीणा** (प्रतापगढ़): क्या जन जाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) चित्तौड़गढ़ जिले के प्रतापगढ़, अरनोद तहसील में वर्ष 1990-91 में जन जातीय क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा कौन-कौन से निर्माण कार्य किन-किन विभागों को स्वीकृत किये ? स्वीकृति आदेश की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(2) स्वीकृत कार्यों की अब तक क्या प्रगति हुई ?

(3) वर्ष 1991-92 में उपरोक्त क्षेत्र में जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग के कौन-कौन से कार्य प्रस्तावित हैं ?

उत्तर

(1) वर्ष 1990-91 में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा निम्नांकित कार्यों के लिए स्वीकृति जारी की गई :–

1– जलोत्थान योजनाएं

1. शोलो	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण-चित्तौड़गढ़
2. कराड़िया	,,

2– एनीकट

3. बारावरदा	,,
4. मोबाई	,,

3– कन्या छात्रावास

5. धमोत्तर	,,

स्वीकृति की प्रतियां सदन के पटल रख दी गई हैं।

(2) शोलो, कराड़िया एवं बारावरदा का कार्य प्रगति पर है। मोबाई का कार्य अभी चालू होना है। कन्या छात्रावास धमोत्तर के कार्य बाबत निविदाएं आमंत्रित कर ली गई हैं।

(3) वर्ष 1991-92 के बारे में विस्तृत प्रस्ताव मांगे गए हैं। एनीकट एवं लिफ्ट मद में चित्तौड़गढ़ जिले के लिए क्रमश: 10.00 लाख एवं 7.20 लाख रु. की राशि का प्रावधान रखा गया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

देवस्थान विभाग, उदयपुर की जमीन का खनिज हेतु आवंटन

159. **श्री राजेन्द्र गहलोत** (सरदारपुरा) : क्या देवस्थान विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर में देवस्थान विभाग की कुछ जमीन खनिज हेतु आवंटित की गई है ? यदि हां, तो कब व कितनी व किस दर पर ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इससे राज्य सरकार को कितनी आय प्राप्त हुई ?

उत्तर

(1) जी नहीं। देवस्थान विभाग द्वारा उदयपुर में इस विभाग की कोई जमीन खनिज हेतु आवंटित नहीं की गई है।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम तलवास (बून्दी) के श्री रघुनाथ जी के मन्दिर में पुजारी की स्वीकृति

160. श्री रामनारायण वर्मा (नैनवा): क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम तलवास तहसील नैनवा के अजीतगढ़ किले में स्थित श्री रंगनाथ जी (श्री रघुनाथ जी) का मन्दिर बून्दी रियासत के समय का है ?

(2) क्या इस मन्दिर के सम्बन्ध में देवस्थान विभाग द्वारा कोई रिपोर्ट तैयार की गई है ? रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त मन्दिर के पुजारी को कोई आर्थिक सहायता दी गई है ? यदि हां, तो वर्ष 1990 में कितनी राशि का भुगतान किया गया है ? यदि नहीं, तो अब कब तक कर दिया जावेगा ?

(4) क्या यह भी सही है कि पुजारी श्री घनश्याम शर्मा की मृत्यु के पश्चात उसके वारिस पुजारी श्री कृष्ण मुरारी की स्वीकृति अभी सरकार द्वारा नहीं दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ? अब कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी ? इस संबंध में किस-किसने, कब-कब प्रयत्न किया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) देवस्थान विभाग, द्वारा मन्दिर बाबत कोई रिपोर्ट तैयार नहीं की गई है।

(3) इस मन्दिर को देवस्थान विभाग द्वारा 60/– रु. प्रतिमाह की दर से 720/– रु. वार्षिक सहायता अनुदान स्वीकृत है। जिसका भुगतान मार्च, 88 तक श्री घनश्याम लाल पुजारी को किया जा चुका है। श्री घनश्याम लाल पुजारी का स्वर्गवास हो जाने से सहायता राशि का चुकारा बन्द है। नये पुजारी की नियुक्ति के बाद उसे चुकारा किया जावेगा।

(4) इस मन्दिर पर वंशपरम्परागत पुजारी की नियुक्ति नहीं होती है। पूर्व पुजारी श्री घनश्याम लाल शर्मा का स्वर्गवास दिनांक 11.7.88 को हो जाने के पश्चात् मन्दिर की सेवा-पूजा का कार्य ग्राम पंचायत, तलवास द्वारा श्री कृष्ण मुरारी शर्मा पुत्र श्री नन्द किशोर से करवाया जा रहा है। परन्तु पुजारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन न करने के कारण वार्षिकी नहीं दी जा सकी है।

भू-संरक्षण एवं बीहड़ सुधार योजना में भ्रष्टाचार के मामले

161. श्री सालिगराम (बयाना) एवं **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य में भू-संरक्षण एवं बीहड़ सुधार योजनाओं में भ्रष्टाचार के मामलों में गत तीन वर्षों में शिकायतें विभाग को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो क्या उनकी जांच कराई गई ? शिकायतों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राज्य सरकार भू-संरक्षण एवं बीहड़ सुधार का मूल्यांकन किसी स्वेच्छिक संस्था अथवा मूल्यांकन विभाग द्वारा

(श्री सालिगराम)

कराने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो इनके मूल्यांकन की क्या व्यवस्था है ?

उत्तर

(1) यह सही है कि गत तीन वर्षों में भू-संरक्षण एवं बीहड़ सुधार कार्यक्रम में भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हुई जिसका विवरण मय निराकरण सहित निम्न प्रकार है :-

1- बीहड़ सुधार कार्यक्रम :

1- श्री चुन्नीलाल जी, विधायक खण्डार द्वारा विधान सभा क्षेत्र में कार्य की अनियमितता बाबत ।

2- श्री रामधन श्रमिक खनिज (करौली) के द्वारा भुगतान पूरा नहीं करने एवं मस्टररोल साइट पर नहीं दिखाने बाबत ।

3- श्री तेजसिंह मीणा ग्राम बासीमण्डरापाल के द्वारा मस्टररोल के भुगतान संबंधित शिकायत ।

4- श्री रामस्वरूप मीणा, विधायक, टोडाभीम के द्वारा ग्राम रोश्यी "नादोती" में निर्माणाधीन वाटरशैड की जांच के क्रम में ।

5- श्री सोमदत्त शर्मा, सहायक अभियन्ता के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत ।

6- बीहड़ सुधार कार्यक्रम, बालूपा (इटावा) में भ्रष्टाचार की शिकायत ।

7- श्री आई. के. जैन, अधि. अभि. बीहड़ सुधार कार्यक्रम कोटा द्वारा अनियमितता बरतना ।

8- नंदगांव एनीकट बून्दी निर्माण पर फर्जी मस्टररोल भरने की शिकायत ।

9- कलक्टर एवं अध्यक्ष जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, धौलपुर ने बीहड़ सुधार कार्यक्रम में अनियमितता की जानकारी दी ।

10- सहायक अभियन्ता, बीहड़ सुधार कार्यक्रम के. पाटन में सीमेन्ट खुले बाजार में बेचने बाबत ।

भू-संरक्षण

1- श्री महेश नाग, कनिष्ट अभियन्ता एवं दुर्गाशंकर, कृषि पर्यवेक्षक ग्राम बाछाना (कांकरोली) साइट पर घोटाला ।

2- श्री असगर अली पाटाला, सहायक कृषि अधिकारी, व मूलचन्द पोडावाल वरिष्ठ लिपिक द्वारा अनियमितता बरतना ।

3- बराड़ा एनीकट जिला उदयपुर के निर्माण में गड़बड़ी ।

4- श्री दलजीत सिंह, क. अभियन्ता एवं मनोहर लाल चौबीसा कृषि पर्यवेक्षक द्वारा साइट पर हाजरी में गड़बड़ी पाये जाने बाबत ।

5- भू-संरक्षण विभाग बांसवाड़ा क्षेत्र में निर्माण कराये जाने वाले कार्यों की जांच ।

6- जिला भू-संरक्षण अधिकारी, बागीडोरा द्वारा आकस्मिक व्यय में बरती गई अनियमितता बाबत ।

7- भू संरक्षण कार्यालय, डूंगरपुर में

69

(कृषि मन्त्री)

कार्यरत कर्मचारियों के भ्रष्टाचार समाप्त करने बाबत।

8– स्थिटोशेडा एनीकट पर भारी गबन करने बाबत।

9– शिकायत विरुद्ध श्री तेज बहादुर गोयल, जिला भू संरक्षण अधिकारी, भीलवाड़ा।

10–श्री शिवचरण लाल शर्मा, कृषि पर्यवेक्षक, द्वारा मस्टररोल में अनियमितता।

निराकरण

1– कृषि अभियन्ता द्वारा जांच की गई, कोई अनियमितता नहीं पाई गई।

2– खण्ड स्तर पर सहायक शस्य वैज्ञानिक द्वारा जांच की गई शिकायत सही नहीं पाई गई।

3– खण्ड स्तर पर सहायक अभियन्ता मुख्यालय द्वारा जांच की गई। भुगतान देरी से होने की पुष्टि की गई, लेकिन अन्य अनियमितता नहीं पायी गई।

4– खण्ड स्तर पर अधिशाषी अभियन्ता द्वारा जांच की गई। कोई तथ्य सही नहीं पाया गया।

5– अधिशाषी अभियन्ता, कोटा द्वारा जांच की गई व जांच रिपोर्ट कृषि निदेशालय को भेजी गई। जांच में स. अ. का मुख्यालय पर नहीं रहना पाया गया।

6– अधिशाषी अभियन्ता, कोटा ने जांच की व रिपोर्ट अतिरिक्त आयुक्त, सी.ए.डी. कोटा को भेजी।

7– जांच संयुक्त निदेशक कृषि. कोटा द्वारा की जा रही है।

8– अधि. अभि. कोटा ने जांच की व रिपोर्ट जिला कलक्टर बून्दी को भेजी।

9– अधीक्षण अभियन्ता, (शुष्क खेती) ने जांच की मामले में सहायक अभियन्ता एवं क. अभि. को निलम्बित किया गया।

10–जांच की गई, क. अभियंता, एवं स्टोर कीपर को निलम्बित किया गया।

भू संरक्षण

1– शिकायत सही पाये जाने के कारण नत्थीबद्ध किया गया।

2– मामले में जिला भू-संरक्षण अधिकारी गोगुन्दा से अभियुक्ति मांगी गयी है। विवरण प्राप्त होने पर कार्यवाही की जावेगी।

3– मामले में उप निदेशक कृषि (भू. सं.) उदयपुर के पास अभियुक्ति के लिये विचाराधीन है सही विवरण प्राप्त होने पर कार्यवाही की जावेगी।

4– मामले में उप निदेशक कृषि (भू संरक्षण) बांसवाड़ा से विवरण मांगा गया। सही पाये जाने पर विवरण प्राप्त होने पर कार्यवाही की जावेगी।

5– गवर्निंग कौन्सिल जिला ग्रामीण विकास अभिकरण बांसवाड़ा की बैठक में मामला उठाया गया है। विवरण की जानकारी होने पर कार्यवाही की जावेगी।

6– प्राथमिक जांच सम्पन्न कराई गई।

(कृषि मन्त्री)

दोषी राज्य सेवकों के विरुद्ध आरोप पत्र आदि तैयार कराये जा रहे हैं।

7- मामला सही नहीं पाये जाने पर नत्थीबद्ध कर दिया गया।

8- उप निदेशक, कृषि (भू-संरक्षण) उदयपुर से विवरण मांगा गया है।

9- उप निदेशक, कृषि (भू-संरक्षण) उदयपुर से विवरण मांगा गया है।

10- सहायक निदेशक, कृषि (भू-संरक्षण) से विवरण मांगा गया है।

(2) भू-संरक्षण तथा बीहड़ सुधार कार्यक्रम का मूल्यांकन विभागीय अधिकारियों द्वारा किया जाता है। मूल्यांकन विभाग से भी इसका मूल्यांकन कराया गया है। सरकार किसी स्वैच्छिक संस्था से इस कार्यक्रम का मूल्यांकन कराने की आवश्यकता नहीं समझती।

कृषि उपज मंडी, प्रतापगढ़ (चित्तौड़गढ़) द्वारा सड़कों का निर्माण

162. **श्री रखबचन्द मीणा (प्रतापगढ़)**: क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रतापगढ़ जिला चित्तौड़गढ़ मण्डी द्वारा सड़कों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है? यदि हां तो वर्ष 1989-90 एवं 1990-91 में किन-किन सड़कों की स्वीकृति दी गई? आदेश की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1991-92 में मण्डी द्वारा किन-किन सड़कों का निर्माण कराना प्रस्तावित है? क्या सरकार मण्डी द्वारा सड़क निर्माण कार्य कराना चाहती है? यदि हां, तो कब तक, नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) यह सही है कि कृषि उपज मण्डी समिति, प्रतापगढ़ जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा सड़कों का निर्माण करवाया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1989-90 में एवं 1990-91 में स्वीकृत सड़कों के आदेश परिशिष्ट "क" व "ख" पर संलग्न है।

(2) वर्ष 1989-90 में स्वीकृत सड़कों का कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है। वर्ष 1990-91 में स्वीकृत सड़कों का कार्य वर्ष 1991-92 में प्रारम्भ कराया जाना प्रस्तावित है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-16 देखें)

कृषि उपज मंडी समिति, जोधपुर को पंचायत समितियां एवं नगरपालिकायें

163. **श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा)** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जोधपुर कृषि उपज मंडी समिति क्षेत्र में कौन-कौनसी पंचायत समिति एवं नगरपालिकायें आती हैं?

(2) जो सलाहकार मंडल बनाये गये उनमें किन-किन वर्गों से, कितने-कितने प्रतिनिधि लेने थे व किस आधार पर लिये गये?

(3) जोधपुर कृषि उपज मंडी, समिति

(62)

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

जोधपुर ने मरम्मत कार्यों पर गत दो वर्षों में कितना-कितना बजट आवंटित किया ?

(4) दुकानों/गोदामों के आवंटन के सम्बन्ध में क्या नियम हैं ? क्या वर्तमान में जो नियम हैं उनके अनुसार किसी नये व्यवसायी को व्यापार शुरू करते ही दुकान/गोदाम आवंटित हो सकता है ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार ने अपनी विज्ञप्ति संख्या एफ-10/2/कृषि/ग्रुप-2/75 दिनांक 21.4.77 के द्वारा पंचायत समिति, मंडोर, बालेसर, शेरगढ़, लूनी, फलौदी, बाप, ओसियां एवं नगरपालिका क्षेत्र जोधपुर तथा फलौदी की सीमाओं को जोधपुर कृषि उपज मण्डी समिति का क्षेत्र घोषित किया है।

(2) राज्य सरकार ने अपने आदेश क्रमांक प. 15/11/कृषि/2बी/90 दिनांक 16.5.90 के द्वारा सलाहकार मण्डल का गठन किया था इस सलाहकार मण्डल में विभिन्न वर्गों के निम्न प्रतिनिधि सदस्य हैं–

प्रतिनिधि	संख्या
1. कृषक	7
2. व्यापारिक संस्थाओं के प्रतिनिधि	4
3. अध्यक्ष/प्रशासक सहकारी समितियों के प्रतिनिधि (कृषि विपणन से संबंधित)	1
4. अध्यक्ष/प्रशासक/नगर परिषद/नगरपालिका/प्रधान पंचायत (जहां नगर पालिका नहीं है)	1
	13

(3) कृषि उपज मण्डी समिति, जोधपुर को गत दो वर्षों में मरम्मत कार्यों के लिये निम्न प्रकार से बजट आवंटित किया गया है।

वर्ष	राशि (लाखों रु.)
1988-89	10.68
1989-90	38.04

(4) दुकानों/गोदामों के आवंटन के सम्बन्धी प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है। इन निर्देशों की परिधि में जो भी व्यवसायी आता है उनको उपलब्ध दुकान/गोदाम आवंटन की जाती है।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षित पद

164. श्री मांगीलाल मेघवाल (केशोराय पाटन) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) कृषि विभाग में चतुर्थ श्रेणी से अतिरिक्त निदेशक एवं संयुक्त निदेशक तक कुल कितने पद हैं ?

(2) क्या उक्त पदों पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को आरक्षित कोटेनुसार नियुक्त किया गया है ?

उत्तर

(1 व 2) कृषि विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से अतिरिक्त निदेशक कृषि तक कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी व आरक्षित कोटे में कार्यरत की संख्या संलग्न सूची में सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-17 देखें)

बारां (कोटा) में डी. ए. पी. खाद में रेत मिलाने का मामला

165. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) क्या यह सही है कि माह नवम्बर 1990 में सहायक कृषि अधिकारी की अगुवाई में छापा मार कर बारां में डी. ए. पी. खाद में रेत मिलाने का मामला पकड़ा था ? यदि हां, तो इस छापे में कुल कितने कट्टे पकड़े गये ?

(2) इस मामले में कौन दोषी पाये गये तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां। इस छापे में कुल 49 कट्टे सरदार डी. ए. पी. के नये कट्टों में बिना मुंह सिले हुए जब्त किये गये।

(2) पकड़े गये 49 कट्टों का कोई मालिक न होने की वजह से उर्वरक अधिनियम आदेश, 1985 के तहत बिना लाइसेन्स उर्वरक रखने व बेचने के धारा 19 एवं आवश्यक अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत श्री रतीराम एस आई. थाना बारां को सहायक निदेशक, कृषि द्वारा एफ. आई. आर. नं. 477 दर्ज करवा दी गई थी। थानाधिकारी, बारां द्वारा बाद में तफतीस इस एफ. आई. आर. को दिनांक 22-12-90 को लावारिस होने की दशा में एफ. आर. लगा दी गई है।

टोंक जिले में विभिन्न कार्यों पर व्यय राशि

166. श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) टोंक जिले में कृषि विभाग द्वारा वर्ष 1989-90 एवं वर्ष 1990 से 15 फरवरी 1991 तक किस-किस कार्य के लिये कहां-कहां पर, कितनी-कितनी राशि खर्च की गई एवं प्रत्येक वर्ष में प्रशासनिक खर्चा कितना-कितना हुआ ? प्रत्येक का अलग-अलग वर्षवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) टोंक जिले में कृषि विभाग द्वारा वर्ष 1989-90 एवं 1990-91 में 10 फरवरी, 91 तक खर्च की अलग-अलग वर्षवार तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

कृषि उपज मण्डी द्वारा तहसील टोडाभीम एवं नादोती में सड़कों का निर्माण

167. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) तहसील टोडाभीम एवं नादोती में कृषि उपज मण्डी द्वारा अब तक कितनी सड़कें, कहां-कहां बनाई गई ? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1991-92 में उक्त क्षेत्र में कहां-कहां, कौन-कौनसी सड़कें विचाराधीन हैं ? सूची पूर्ण करने की अवधि एवं राशि सहित सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) टोडाभीम एवं नादोती तहसील में कृषि उपज मण्डी समिति महुआ मंडावर द्वारा केवल एक सड़क टोडाभीम से रंगलालपुरा ग्राम का निर्माण करवाया गया है।

(2) मण्डी समिति की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं होने के कारण वर्ष 1991–92 में इस क्षेत्र के लिए कोई सड़क विचाराधीन नहीं है।

गौण कृषि उपज मण्डी भवन निर्माण हेतु भूमि अवाप्ति

168. श्री कुबेरसिंह (फलासिया) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) गौण कृषि उपज मण्डी भवन निर्माण हेतु कितनी भूमि अवाप्त किये जाने के नियम हैं ? भूमि अवाप्ति हेतु कितने-कितने समय में क्या प्रक्रिया अपनानी होती है ? कृपया नियमों/आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(2) उदयपुर जिले में गौण कृषि उपज मण्डी भवन का निर्माण किये जाने हेतु प्रत्येक व्यक्ति की कितनी-कितनी भूमि में से कितनी भूमि अवाप्त की जाकर कुल कितनी भूमि, कब कब, कहां-कहां अवाप्त की गई ? कृपया मण्डी का नाम, व्यक्ति का नाम, कुल भूमि, अवाप्त की गई भूमि, आदेशों की प्रतियों सहित, विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि धरियावद, जिला उदयपुर में गौण कृषि उपज मण्डी हेतु एक ही परिवार की 35 बीघा भूमि अवाप्त कर ली गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार गौण मण्डी हेतु किसी व्यक्ति की ज्यादा एवं किसी व्यक्ति की कम भूमि अवाप्त करने की कार्यवाही को अनुचित मानती है ? यदि हां, तो क्या सरकार क्र. सं. 3 में उल्लिखित अवाप्त की गई भूमि को समाप्त अथवा कम करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक नहीं तो क्यों ?

(5) क्या यह सही है कि उपरोक्त वर्णित अनियमित कार्यवाही के सम्बन्ध में उप जिलाधीश बल्लभनगर, जिला उदयपुर में दिनांक 18-6-1990 को कृषि विभाग उदयपुर को पत्र लिखा और उसकी प्रतिलिपि जिलाधीश, उदयपुर को प्रेषित की ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गौण मण्डी में कृषि उपज की आवक एवं भविष्य के विस्तार को मद्दे नजर रखते हुए भूमि की आवश्यकता वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा निश्चित की जाती है। गौण मण्डी के लिए न्यूनतम तीन हैक्टर भूमि होनी आवश्यक है। वरिष्ठ नगर नियोजक से भूमि चयन होने के पश्चात् केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम 1984 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की जाती है।

(2) विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है। भूमि अवाप्ति के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जारी की गई

(कृषि मन्त्री)

विज्ञप्तियां परिशिष्ट "ख", "ग" व "घ" पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। गौण मण्डी धरियावाद हेतु अवाप्त की गई 35 बीघा 14 बिस्वा भूमि में से एक परिवार की 21 बीघा 3 बिस्वा भूमि अवाप्त की गई।

(4) जी नहीं। जिस भूमि को वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा उपयुक्त समझा जाता है, उसे नियमानुसार अवाप्त किया जाता है। किसी व्यक्ति विशेष की भूमि का उल्लेख नहीं होता है।

(5) जी नहीं। उप जिला कलेक्टर द्वारा कृषि विभाग, उदयपुर को पत्र लिखने का कोई औचित्य नहीं है। परन्तु उनके द्वारा 18.6.90 को सचिव, मण्डी समिति, उदयपुर को पत्र लिखा जाकर प्रति जिला कलक्टर उदयपुर को दी गई। जिसमें धारा 17 [1] के तहत विज्ञप्ति में विलम्ब होने पर धारा 6 के तहत विज्ञप्ति की सिफारिश की। राज्य सरकार द्वारा धारा 17[1] की विज्ञप्ति पूर्व में दिनांक 25-1-90 को ही जारी की जा चुकी थी, जो 26-7-90 के राजपत्र में प्रकाशित हो गई।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)।

कृषि उपज मण्डी समिति, बांदीकुई द्वारा सड़कों का निर्माण

169. **श्री रामकिशोर सैनी (बांदीकुई)** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कृषि मण्डी समिति बांदीकुई द्वारा अब तक किन-किन गांवों को सड़कों से जोड़ा जा चुका है व कौन-कौन सी नई सड़कें मण्डी समिति से स्वीकृत हो चुकी हैं और उनका निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में बड़ियाल से लोटवाड़ा सड़क काफी क्षतिग्रस्त हो चुकी है ? यदि हां, तो क्या मण्डी समिति मरम्मत करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति बांदीकुई द्वारा बांदीकुई से बड़ियाल तक तथा बड़ियाल से लोटवाड़ा तक सड़क निर्माण कराई गई है। उक्त सड़कों में ग्राम नन्देरा, नूरपुर, मेदाड़ी, राजाड़ा, लीलोज, किशनपुरा, करौली, माडली, सुरेर, ब्रह्मवास, चादेरा, कायमपुर, विशाखा, नागरपाड़ा, बैजपाड़ा, झूथड़ा, गोलाड़ा, कोठनि, दिणरियाभीन, ढिगारीयकपुर, हांडली अलियापाड़ा, खैरपुर, पूदवाड़ा, जलालपुर, मीनापाड़ा, मूडघिरया इत्यादि को जोड़ा गया है।

कृषि उपज मण्डी समिति, बांदीकुई को राज्य सरकार द्वारा निम्न सड़कों को स्वीकृति प्रदान की गई है :-

1- बांदीकुई से लोटवाड़ा के मध्य अधूरी सड़क को पूरा करना (दूरी 1.50 कि. मी.)।

2- बड़ियाल रोड-द्रोपदी के मकान से मुख्य मण्डी यार्ड तक (दूरी 1.00 कि. मी.)।

(कृषि मन्त्री)

3– भौरीलाल जी की बगीची से मुख्य मण्डी यार्ड तक (दूरी 1.00 कि. मी.)

इन सड़कों के निर्माण हेतु निविदाएं आमन्त्रित की गई हैं तथा शीघ्र निर्माण कार्य प्रारम्भ होने की सम्भावना है।

(2) बांदीकुई में बड़ियाल-खोटवाड़ा सड़क अधूरी है। क्षतिग्रस्त नहीं है। इस अधूरी सड़क को पूर्ण कराने हेतु निविदाएं आमन्त्रित की गई हैं। शीघ्र कार्य प्रारम्भ होने की सम्भावना है।

सरसों की प्रदर्शनी हेतु गांवों का चयन

170. श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में कृषि विभाग द्वारा सन् 1990 में सरसों के प्रदर्शन हेतु किन-किन गांवों को चुना गया तथा किन-किन गांवों में कितने-कितने हैक्टेयर कृषि भूमि में सरसों के वृहद् प्रदर्शन हेतु कितना-कितना बीज तथा कितने-कितने बी. एच. सी. खाद के कट्टे किन-किन कृषि सुपरवाइजरों को दिये गये ?

(2) उक्त बीज एवं बी. एच. सी. खाद का उपयोग किन-किन स्थानों पर उक्त सरसों की खेती (सरकारी तौर पर) हेतु नहीं किया गया, किन-किन गांवों के काश्तकारों ने उक्त प्रदर्शन हेतु खाद एवं बीज उपलब्ध नहीं होने की शिकायतें कीं ? सम्बन्धित शिकायतों पर किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य में कृषि विभाग द्वारा सन् 1990 में सरसों के प्रदर्शन हेतु 397 गांवों का चयन कर 8559–75 हैक्टर क्षेत्र में सरसों के वृहद् प्रदर्शन लगाये गये। इन प्रदर्शनों के लिए 280 कृषि सुपरवाइजरों द्वारा 339–91 क्विण्टल सरसों का बीज, 9021–37 क्विण्टल यूरिया 4662–02 क्विण्टल डी. ए. पी., 2172–36 क्विण्टल सुपरफास्फेट व बी. एच. सी. 1651–09 क्विण्टल कृषकों को दिया गया। विस्तृत विवरण संलग्न है।

(2) प्रदर्शन आयोजित समस्त गांवों में बीज, बी. एच. सी. खाद का प्रयोग किया गया। किसी भी गांव के काश्तकारों में उक्त प्रदर्शन हेतु खाद एवं बीज उपलब्ध नहीं होने की कोई शिकायत नहीं की है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)।

सरपंच ग्राम पंचायत सियाट के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले

171. श्री प्रभुराम गरासिया (पिण्डवाड़ा): क्या ग्रामीण एवं पंचायती राज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्राम पंचायत सियाट के सरपंच मिश्रीलाल के विरुद्ध आबादी भूमि के घोटाले की जांच में दोषी पाये जाने के बाद भी उनके विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

(2) क्या जिलाधीश, पाली द्वारा उक्त सरपंच को आरोप पत्र दे दिया गया ?

(श्री प्रभुराम गरासिया)

यदि नहीं, तो क्यों नहीं दिया गया ? उक्त सरपंच के विरुद्ध राज्य सरकार अब कब तक क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) कलक्टर, पाली इनके विरुद्ध कार्यवाही कर रहे हैं।

(2) जी, नहीं, जिला कलक्टर द्वारा सरपंच से आरोपों पर स्पष्टीकरण चाहा गया था, जो प्राप्त हो चुका है । जिसका परीक्षण कलक्टर रिकार्ड के आधार पर कर रहे हैं ।

कलेक्टर के यहां से प्रस्ताव प्राप्त होने पर राज्य सरकार आवश्यक कार्यवाही करेगी ।

पंचायत समिति जैतारण एवं रायपुर (पाली) के सरपंचों में शेष रही नकद धनराशि

172 श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले के अन्तर्गत पंचायत समिति जैतारण एवं पंचायत समिति, रायपुर की किस-किस पंचायत के सरपंच के पास कितनी कितनी नकद धनराशि पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक माह उनके पास रही ?

(2) नियम के अनुसार सरपंच ऐसी कितनी धनराशि रखने के लिए अधिकृत हैं ? जिन सरपंचों के पास नियम से अधिक धनराशि चेतावनी के बाद भी बाकी रही उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति जैतारण व रायपुर के सरपंचों के पास पिछले 3 वर्षों में नकद धनराशि का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

(2) पंचायत एवं न्याय पंचायत सामान्य नियम 1961 के नियम 301 (2) के अन्तर्गत सरपंच फुटकर खर्च के लिए 50/- रु. अथवा मुख्यालय ट्रेजरी, बैंक व पोस्ट आफिस आदि सरपंच के मुख्यालय पर नहीं हो तो 200/- रु. तक राशि पंचायत समिति की अनुमति से रख सकते हैं । राज्य सरकार की किन्हीं सामान्य या विशेष आज्ञाओं के अधीन किसी विशेष योजना के अन्तर्गत किसी कार्य के निष्पादन के लिए अधिक रकम रख सकने का भी प्रावधान है ।

किसी प्रकरण विशेष में जांच से यदि यह निष्कर्ष निकलता है कि सरपंच ने धनराशि का दुरुपयोग किया है अथवा अस्थाई गबन किया है तो गुणावगुण के आधार पर कार्यवाही संबंधी निर्णय लिया जाता है । इन मामलों में भी इसी प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही होगी ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

राज्य में आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का प्रारम्भ

173. श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा

(श्री हेमराज मीणा)

करेंगे :--

(1) आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना किस तारीख से प्रारम्भ की गई ?

(2) राजस्थान में आपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत कितनी प्राथमिक पाठशालाओं के भवनों का निर्माण करवाया गया है ?

(3) उक्त योजना के तहत कितने पाठशाला भवन खातेदारी अधिकार की भूमि में बनाये गये हैं ? उनमें से कितने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की भूमि में निर्मित किये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के काश्तकारों की कृषि भूमि पर पाठशाला भवन निर्माण करने वाले दोषी सरपंचों के खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) राजस्थान में श्याम पट्ट योजना 12.2.88 से प्रारम्भ की गई।

(2) राजस्थान में श्याम पट्ट योजना के अन्तर्गत 1653 प्राथमिक पाठशालाओं के भवनों का निर्माण करवाया गया है।

(3) 12 पाठशाला भवन खातेदारी अधिकार की भूमि में एवं दो अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की भूमि में बनवाये गये हैं। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) यदि बिना खातेदार की सहमति या स्वीकृति के कोई भवन खातेदारी की भूमि पर बना लेने की शिकायत खातेदार करता है तो दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी।

(सूची के लिए परिशिष्ट 18 देखें)

विकास अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ (अलवर) के विरुद्ध शिकायतें

174. श्री ईश्वर लाल सैनी (लक्ष्मणगढ़) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि क्राफ्ट अध्यापिका कुमारी मीरा सैन को पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर ने द्वाकदा योजना के अन्तर्गत 500 रुपये पारितोषिक राशि देने की घोषणा की थी ?

(2) क्या यह सही है कि कुमारी मीरा सेन जब यह राशि लेकर पंचायत समिति कार्यालय से बाहर जा रही थी तो उस राशि में से 200 रुपये विकास अधिकारी लक्ष्मणगढ़, अलवर ने जबरन धमकी देकर ले लिये ?

(3) क्या यह भी सही है कि कुमारी मीरा सेन ने उक्त घटना की लिखित में शिकायत जिलाधीश अलवर, अति. जिलाधीश (विकास) अलवर, प्रधान पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़, अलवर तथा सरपंच लक्ष्मणगढ़ से की है ? यदि हां, तो कृपया शिकायत की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) शिकायत पर प्रशासन ने अब तक क्या कार्यवाही की ? नहीं, तो क्यों नहीं ?

(श्री ईश्वरलाल सैनी)

(5) क्या कुमारी मीरा सैन को उक्त राशि दिला दी गई है ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। शिकायत की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) जिला कलक्टर ने शिकायत को निराधार पाया।

(5) राशि दिलाने का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता।

(विवरण के लिए परिशिष्ट 19 देखें)

राज्य में पंचायतों का चुनाव

175. **श्री अमीन खां (शिव)** : क्या पंचायती राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) सरकार पंचायतों का चुनाव कब तक कराने का विचार रखती है ?

(2) प्रधानों के चुनाव में मतों का अधिकार किसे देना चाहती है ?

(3) जिला प्रमुखों के चुनाव किस पद्धति से कराना चाहती है ?

उत्तर

(1) ग्राम पंचायतों का चुनाव निर्धारित समय पर कराने हेतु मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(2) अभी ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(3) अभी ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

कच्चे मकानों की बाढ़ से हुई हानि की क्षतिपूर्ति

176. **श्री अमीन खां (शिव)** : क्या अकाल राहत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) गत वर्ष बाढ़ व बरसात से बाड़मेर, जालौर, जोधपुर जिलों के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कुल कितने-कितने कच्चे मकान गिरे ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जिन व्यक्तियों के कच्चे मकान गिरे थे, उनको कितनी-कितनी सहायता दी गई, तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गत वर्ष बाढ़ व बरसात से बाड़मेर, जालौर, जोधपुर जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 27,997 मकान गिरे। तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। (परिशिष्ट 'अ')।

(2) जिन व्यक्तियों के कच्चे मकान गिरे उनको 1,64,02,750 रुपये की अनुदान राशि दी गई। तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है (परिशिष्ट 'अ')।

(सूची के लिए परिशिष्ट 20 देखें)

अतारांकित प्रश्न संख्या 177

(स्थगित)

बांसवाड़ा जिले का घोषित डार्क जोन क्षेत्र

178. **श्री बहादुर सिंह (दानपुर)** : क्या भू-जल मन्त्री यह बताने की कृपा

(70)

(श्री बहादुर सिंह)

करेंगे :--

(1) बांसवाड़ा जिले में कितना क्षेत्र डार्क जोन कर रखा है। सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) डार्क जोन के गांवों के विकास की क्या योजना है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बांसवाड़ा जिले का कोई क्षेत्र डार्क जोन में नहीं है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र छबड़ा (कोटा) के आयुर्वेदिक औषधालय

179. श्री नन्दकिशोर शर्मा (छबड़ा) : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) छबड़ा क्षेत्र में कितने आयुर्वेदिक औषधालय हैं ? क्या उनमें स्टाफ पूरा है ? यदि नहीं, तो कब तक पूरा कर दिया जायेगा ?

(2) क्या सरकार का छबड़ा क्षेत्र के सुदूर गरीब इलाके चौकी-मोतीपुरा-दीलोद में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) छबड़ा विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में 15 आयुर्वेदिक औषधालय संचालित हैं। इनमें सृजित पदों में से निम्न पद वर्तमान में रिक्त हैं —

पद का नाम	पदों की संख्या
चिकित्सक-	एक पद
परिचारक-	सात पद

चिकित्सक का पद शीघ्र ही भर दिया जावेगा। परिचारक पद पर सीधी भर्ती से नवीन नियुक्ति पर राज्य सरकार का प्रतिबन्ध होने से फिलहाल पद भरना सम्भव नहीं है तथापि अन्य विभागों से अधिशेष कर्मचारियों की सूचना प्राप्त कर भरने की कार्यवाही की जा रही है।

(2) छबड़ा तहसील के ग्राम मोतीपुरा उर्फ इस्लाम नगर में विभागीय आयुर्वेद औषधालय संचालित है।

वर्ष 1991-92 में नवीन औषधालय खोलते समय छबड़ा तहसील के ग्राम चौकी मोतीपुरा उर्फ शकूरपुरा एवं दीलोद के सम्बन्ध में विचार कर लिया जावेगा।

विधान सभा क्षेत्र सिवाना (बाड़मेर) के आयुर्वेदिक औषधालय

180. श्री हुक्माराम (सिवाना) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र सिवाना में किन-किन स्थानों पर आयुर्वेदिक औषधालय खोले गये हैं व कितने और खोले जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन केन्द्रों में कितने पदों की नियुक्ति हो चुकी है व कितने स्थानों पर

(श्री हुक्माराम)

पद रिक्त पड़े हैं ? रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) विधानसभा क्षेत्र सिवाना जिला बाड़मेर में 13 आयुर्वेद औषधालय स्वीकृत हैं। इनमें से एक औषधालय निठोड़ा अभी आरम्भ नहीं हो सका है। सूची (परिशिष्ट "क") सदन की मेज पर रख दी गई है। चालू वित्तीय वर्ष में इस क्षेत्र में कोई नवीन औषधालय नहीं खोला गया है।

(2) वांछित सूचना सदन के पटल पर (परिशिष्ट "क") रख दी गई है। चिकित्सक एवं नर्स, कम्पाउण्डर के रिक्त पदों पर नियुक्तियां शीघ्र की जा रही हैं। परिचारक के रिक्त पदों को सीधी भर्ती से भरने पर राज्य सरकार का प्रतिबन्ध है। सार्वजनिक निर्माण विभाग आदि से अधिशेष कर्मचारियों से पद भरने की कार्यवाही की जा रही है।

(सूची के लिए परिशिष्ट 21 देखें)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्न लिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

1. श्री रामकरणसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से परिवहन निगम द्वारा कोटपूतली डिपो की बन्द की गयी 25 बसों को पुनः चलाये जाने के सम्बन्ध में।

2. श्री रामस्वरूप मीणा व 5 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला सवाई माधोपुर के श्री दिगम्बर जैन आदर्श महिला विद्यालय को बन्द करने से उत्पन्न स्थिति तथा महिला प्रशिक्षण संस्थान को एस. टी. सी. की स्वीकृति दिलवाने के सम्बन्ध में।

3. श्री हेतराम बेनीवाल व दो अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से विश्व हिन्दू परिषद् के महामन्त्री श्री अशोक सिंघल के दिनांक 18 मार्च, 1991 को कोटा में एक जन सभा को सम्बोधन से सम्बद्ध प्रकाशित समाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

4. श्री प्रद्युम्न सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजाखेड़ा जिला धौलपुर में अधिकांश हैण्ड पम्पों के खराब होने से पीने के पानी का गम्भीर संकट उत्पन्न होने के सम्बन्ध में।

5. श्री ईश्वरलाल सैनी, सदस्य, विधान सभा की ओर से पाली जिले के ग्राम धनला थाना सिरयारी में दहेज के सम्बन्ध में श्रीमती वर्षा जैन के हुए हत्या काण्ड के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है, सूचना प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि श्री रामकरण सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से परिवहन निगम के अधिकारियों द्वारा वाहनों के दुरुपयोग किये जाने से निगम को हो रहे घाटे के सम्बन्ध में प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव के उत्तर में राज्य

(72)

(श्री अध्यक्ष)

सरकार ने सूचित किया है कि समस्त विभागाध्यक्षों, प्रबन्ध निदेशक एवं अध्यक्ष को 100/–रु. प्रति माह भुगतान के आधार पर निगम वाहन को निवास से कार्यालय एवं कार्यालय से निवास तक ले जाने के लिए अधिकृत किया गया है। निगम वाहन व्यक्तिगत कार्यों के प्रयोग में नहीं लायी जा सकती। विधान सभा कार्यों के लिए शासन उप सचिव को एक वाहन दिया हुआ है। उप महाप्रबन्धक को वाहन आवंटित नहीं है। निगम अध्यक्ष द्वारा केवल एक ही वाहन का उपयोग किया जाता है। निगम अधिकारियों को 24 घंटे काम में लेने के लिए गाड़ी आवंटित नहीं की गयी है। अतः उक्त प्रस्ताव को मैं स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव

1. श्री अमीन खां, सदस्य, विधान सभा की ओर से पुलिस आरक्षकों की भर्ती में अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा पिछड़े हुए रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए 8 वीं कक्षा उत्तीर्ण व 25 वर्ष तक की आयु के व्यक्तियों को पात्रता में शामिल किये जाने के सम्बन्ध में।

2. श्री हीरालाल आर्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से सीलिंग के मामले में हाड़ौती क्षेत्र के किसानों से अवाप्त की गयी भूमि का बाजार भाव से मुआवजा दिलाने के सम्बन्ध में।

3. श्री रिछपालसिंह मिर्धा, सदस्य, विधान सभा की ओर से बीकानेर स्थित राजस्थान टंगस्टन परियोजना के आहरण एवं वितरण अधिकारी श्री बी. एल. पारीक द्वारा अनियमित एवं गैर कानूनी कार्य करने से निगम को हो रहे घाटे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

4. श्री निर्मयलाल (74), सदस्य, विधान सभा की ओर से समाज कल्याण विभाग में परियोजना निदेशक द्वारा किये जा रहे अनियमित कार्य से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

5 श्री हेमराज मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से किशनगंज व शाहबाद पंचायत समितियों में सैकण्डरी स्कूलों में अध्यापकों के रिक्त पद होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

6. श्री चुन्नीलाल (धण्डार), सदस्य, विधान सभा की ओर से सवाई माधोपुर के ग्राम हिंदवाड़ा के काश्तकारों की भूमि पर वन विभाग के अधिकारियों द्वारा जबरन पौधे लगाकर कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में।

7. श्री मोहनलाल बारुपाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला नागौर के विधान सभा क्षेत्र जायल में सोमड़ा से मांगलोद तथा बुरड़ी से खाबड़ियाणा तक सड़क के डामरीकरण नहीं होने से जनता में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में।

8. श्री जनार्दन सिंह गहलोत, सदस्य, विधान सभा की ओर से अजमेर स्थित खनिज अभियन्ता कार्यालय के अभियन्ता द्वारा अप्रधान खनिज एवं प्रधान खनिज में पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र में अनियमितता करने के सम्बन्ध में।

9. श्री शिवजीराम मीणा, सदस्य,

(श्री अध्यक्ष)

विधान सभा की ओर से जिला भीलवाड़ा की तहसील जहाजपुर में विद्युत की कमी एव अनियमित सप्लाई से किसानों को हो रही असुविधा एवं नुकसान के सम्बन्ध में।

10. श्री प्रेमसिह दहिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से कृषि उपज मण्डी समिति, भीनमाल, जो रही अन्तर्राष्ट्रीय मण्डी बनने जा रही है, में किसानों व व्यापारियों हेतु बैंक स्थापित कर फसल के एवज ऋण उपलब्ध करवाये जाने के सम्बन्ध में।

11. श्री जीतमल जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से अलवर में आवासन मंडल की अरावली विहार (कालाकुआं) कालोनी में खुले सेफ्टी टैंक में गिरने से बालक की मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में।

12. श्री परसादीलाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से लालसोट कस्बे में दिनांक 13 फरवरी, 1991 को जैन मन्दिर से मूर्तियों की चोरी हो जाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दिये गये प्रस्तावों को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री अमीन खां।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री बालचन्द आर्यवीर : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी 295 था, मैंने भी दे रखा है।

श्री अध्यक्ष : आप परसों बोल चुके हैं। बैठिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : पाइन्ट आफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के विरुद्ध निन्दा प्रस्ताव नियम 119 के अन्तर्गत दिनांक 12 को आपके यहां प्रस्तुत किया था और दिनांक 15 को मैंने आपसे आग्रह किया, निवेदन किया और आपने यह व्यवस्था दी कि मैं अवश्य जल्दी ही इस पर व्यवस्था दूंगा। अध्यक्ष महोदय मैंने दूसरा प्रस्ताव और रखा था 119 के तहत, वह मैंने आपको 15 तारीख को दिया था 18 तारीख को आपने व्यवस्था दे दी कि यह ग्राह्य नहीं है। वह व्यवस्था आपकी मैं क्या निवेदन करूंगा, वह यह समय नहीं है लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूं कि उसकी एडमिसिबिलटी डिसाइड कर दी जो 15 को दिया था और जो 12 को दिया, उसकी एडमिसिबिलिटी आप डिसाइड नहीं करते हैं। मैंने प्रेस कान्फ्रेंस करी और इस आशय से करी कि राजस्थान की जनता के सामने कुछ फैक्ट्स रखूं। माननीय मन्त्री महोदय को यह अवसर था कि वह आपको रिक्वेस्ट करते कि मेरे खिलाफ सेन्सर मोशन लेओ, सुओ मोटो आप स्टेटमेण्ट देते। लेकिन आपने जाकर प्रेस कान्फ्रेंस करके इश्यू को डाइवर्ट करने की कोशिश की। आपने एक तो यह आरोप लगाया कि मेरे बहनोई के ट्रान्सफर की वजह से मैंने यह सवाल उठाया है। मैं बिल्कुल चर्चा नहीं करना चाहता हूं, Without admitting and assuming for the same of argument' कि मेरे बहनोई के ट्रान्सफर की वजह से उठा रहा हूं। मेरी दुर्भावना तो निहित है। मैं विपक्ष का सदस्य हूं, मन्त्रिमण्डल का सदस्य यदि गलत काम करेगा तो उसको एक्सपोज करना, उसको उठाना मेरा कर्त्तव्य है लेकिन आप इश्यू

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

को डाइल्यूट नहीं कर सकते। यह इश्यू नहीं है कि मेरे बहनोई का ट्रान्सफर आपने किया या नहीं किया। इश्यू यह है कि आप ने स्ट्रॉन्ग्यूलेशन की एविडेंस को डाकूमेंटरी एविडेंस को इम्पीज करके उसकी क्रेडिटिबिलिटी इम्पीज करके सेक्शन 201 का आफेंस किया है। अध्यक्ष महोदय I do not hold brief for the doctors also. उन्होंने एक टेप रिकार्डर की बात पढ़कर सुनायी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, यह इस पर शुरू हो गये। आप इस पर अपनी व्यवस्था दे दें कि कब करना है तो कर लेंगे। यहां मेरिट की चर्चा अभी करने का क्या मतलब है? वरना मुझे फिर जवाब यहां का यहां देना पड़ेगा अभी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप जवाब दीजिए ना।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : एडमिट करके समय तय कर दें। उसकी मेरिट पर जाये बिना....

श्री महावीर प्रसाद जैन : इण्ट्रेस्टेड प्रश्न यहां पर नहीं उठाया जा सकता। इस पाइन्ट आफ आर्डर पर मेरा यह निवेदन है कि....

श्री अध्यक्ष : आपका पाइन्ट आफ आर्डर तो मैं समझ गया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक मिनट और बोलूंगा, मेरिट पर नहीं बोलता।

श्री अध्यक्ष : आप मेरिट पर नहीं बोलेंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष : बिराजिए। आप मेरिट पर नहीं बोल रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : पूर्व में यह व्यवस्था रही है आसन से कि किसी एक व्यक्ति की यहां पर वकालत नहीं कर सकते हैं। कोई इस प्रकार का इश्यू है, जिस प्रकार के तथ्य यहां पर आये हैं वह....

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप अंग्रेजी में समझते नहीं हैं। मैंने कह दिया।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिए। इनका पाइन्ट आफ आर्डर समाप्त होने दीजिए। हां, बोलिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा को शिरोधार्य करता हूं। मैं मंत्री महोदय के सुझाव को मानता हूं कि मैं खुद फैक्ट्स के ऊपर बात करना चाहता हूं, मेरिट्स पर बात करना चाहता हूं, इश्यू को डाइल्यूट नहीं होने देना चाहता हूं। इसलिए मैं चाहता हूं आप मेरे मोशन को रखें, समय दें।

श्री अध्यक्ष : बैठिए, अब आप मेरी बात सुनिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक बात अन्त में कहना चाहूंगा। आज मिनिस्टर यह बात कह देता है कि रघुवीर सिंह कौशल ने कहा है, मैं सुरेन्द्र व्यास कभी भी इनके घर पर नहीं गया। +++ (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप बाहर क्या बोलते हैं, इसका यहां क्या मतलब है। बिराजिए आप।

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, एक बात सुनिए। यहां ललित किशोर जी मेरे पास....

श्री अध्यक्ष : आप मेरिट पर बोलने को मना कर रहे थे। आप फिर मेरिट पर आ गये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं समाप्त कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आप अभी भी मेरिट पर जा रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मेरिट पर नहीं जाऊंगा। 14 तारीख को माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री, जो मेरे निजी मित्र हैं, कोई नयी बात नहीं है, इनको जब भी टाइम मिलता है तो मेरे पास यहां आकर बैठ जाते हैं, 23 वर्षों से मित्र हैं, जब हम यहां बैठे बात कर रहे थे, (व्यवधान) तब चतुर्वेदीजी वहां से क्या लेने आये थे यहां पर....

श्री महावीर प्रसाद जैन : इनकी आदत है। आसन पर आरोप लगा देते हैं....

श्री सुरेन्द्र व्यास : ब्लैकमेल सिखाते हो "सुरेन्द्र जी, मैं सब काम करूंगा, आप मेरे से क्यों नाराज हो रहे हो।" सुरेन्द्र व्यास काम की परवाह नहीं करता है....

एक माननीय सदस्य : व्यक्ति विशेष की बात यहां नहीं उठायी जाती है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : +++ इस तरह की बात करते हैं।

श्री अध्यक्ष : बिराजिए। बैठिए.... (व्यवधान) प्लीज।

श्री महावीर प्रसाद जैन : +++ इस प्रकार की चर्चा करते हैं।

श्री अध्यक्ष : देखिए, प्लीज। Point of order are meant to maintain order in the House, it is not to create disorder in the House. आपका पाइन्ट आफ आर्डर इतना ही था कि आपका जो सेन्सर मोशन आया, उसका क्या हुआ। बाकी बातें जो आपने कही हैं उससे संबंधित नहीं थीं....(व्यवधान)

सुन लीजिए मेरी बात। आपके साथी डाक्टर हरिसिंह जी कल मेरे पास इसको लेकर आये थे और उनकी मेरे चेम्बर में बात हुई। बात होने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपसे यानी व्यासजी से कन्सल्ट करके आपको वापस जवाब देता हूं। अब तक उनका जवाब मेरे पास नहीं आया है। जब तक वह मुझे जवाब नहीं देंगे तब तक मैं इस पर डिसीजन नहीं दूंगा। वह आकर मुझे अपना जवाब दे देंगे तो मैं अपना डिसीजन दे दूंगा। आज यह बहस का विषय नहीं है। अब यह बहस का विषय नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उनका मोशन नहीं है, मोशन मेरा है। डा. हरिसिंह का नहीं है यह मोशन।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मेरा है।

श्री अध्यक्ष : मेरे पास डाक्टर हरिसिंह आये थे....

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, +++ इसको, ध्यान आकर्षण में बदलने का सवाल ही नहीं है। यह निन्दा प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष : यानि आपको पता है। आप बिराजें। (व्यवधान)

आप बिराजें, अब हो गया आप बैठें (व्यवधान)

प्लीज सिट डाउन

श्री महावीर प्रसाद जैन : पेन्डिग है। इनको निकाला जाय सदन से। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन। यह क्या बात लगा रखी है आपने ? एक पाइंट आफ आर्डर उठाया, मैंने अपना डिसीजन दे दिया। That is all right. You meet me in the chamber. हर बात आप यहां कहेंगे, this is not way. Simply because you happen to be a member of the Assembly, you are going out of the privileges. It is not your privilege to speak any thing you like. You must be in your limitations.

श्री अमीन खां।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : I don't allow you.

श्री सुरेन्द्र व्यास : I am pleading with the chair.

श्री अध्यक्ष : I say sit down. (व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : हां बोलिये आप।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, हाउस के सामने मैं ऐसा सवाल रखना चाहता हूं जो राजस्थान में बहुत ही गम्भीर स्थिति पैदा कर रहा है। अभी 18 तारीख को....

श्री अध्यक्ष : नहीं। आपका पाइंट आफ आर्डर क्या है ?

श्री हेतराम बेनीवाल : मेरा स्थगन प्रस्ताव है, मैं यह चाहता हूं कि उस स्थगन प्रस्ताव पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, करेंगे। बैठिये। मैंने अभी अपनी व्यवस्था सुना दी, वह पर्याप्त है। अब आप मेरे से बाद में बात करें, I will not allow you. मैं यहां इस तरह से स्थगन प्रस्ताव पर आपको बोलने का मौका नहीं दूंगा। जब तक सरकार को मेरी व्यवस्था नहीं होगी, मैं बोलने नहीं दूंगा। आपको वेट करना होगा व्यवस्था के लिए। मैंने व्यवस्था दे दी है।

श्री हेतराम बेनीवाल : सवाल इसमें सरकार का नहीं है, मैं उस व्यवस्था पर शंका कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : You can't do it आप बैठिये। मैंने जो व्यवस्था दी है, उस पर आपको बोलने नहीं दूंगा।

श्री हेतराम बेनीवाल : आपने क्या व्यवस्था दी है ?

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री अध्यक्ष : मैंने यह व्यवस्था दी है कि सरकार को भेजा है, जवाब आने के बाद में व्यवस्था दूंगा ।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं आपको यह पढ़कर सुनाता हूं। सरकार के कमेंट्स जरूरी नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : नहीं, जरूरत ही नहीं मुझे। आप विराजें। मैं अलाउ नहीं करता ।

श्री अमीन खां । (अनुपस्थित)

श्री हीरालाल आर्य ।

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, इसमें इतना ही निवेदन है कि यह सूचना कल तक मांग लें आप ।

श्री अध्यक्ष : मैं अलाउ नहीं करूंगा। आप विराजें ।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं सूचना दे रहा हूं ....

श्री अध्यक्ष : पढ़िये आप । (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, अध्यक्ष महोदय ।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : सिवाय श्री हीरालाल जी के, किसी का अंकित मत करिये ।

डा. चन्द्रभान : ×××

श्री हेतराम बेनीवाल : ×××

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

हाड़ौती क्षेत्र के किसानों की भूमि का बाजार भाव से मुआवजा

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, देश में समानता लाने तथा समाजवाद का प्रतिपादन करने तथा जागीरदारी एवं जमींदारी प्रथा समाप्त करने के लिये राज्य में प्रथमत: कृषि जोतों पर सीमा का कानून वर्ष 1960 में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में नया अध्याय तृतीय 'बी' जोड़कर लागू किया गया। इसके पश्चात वर्ष 1973 में राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप पढ़ते जाइए। आप का जो है, वह आयेगा इसमें। जो आपने लिख कर दिया है, वह पढ़िये। (व्यवधान) कुछ भी नहीं लिखा जायेगा सिवाय श्री हीरालाल जी के ।

श्री हीरालाल आर्य : ....अधिरोपण; अधिनियम, 1973 बनाया गया। नये अधिनियम, 1973 में सीलिंग सीमा, परिवार की परिभाषा, भूमि की सिंचित क्षमता आदि कई प्रावधानों में आवश्यकता के अनुसार सुधार किया गया। परन्तु नये अधिनियम के कारण व्यक्ति या परिवार के पास कानूनी पेचीदगी के कारण अधिक भूमि न आने पाये, इस उद्देश्य से नये अधिनियम में धारा 4(1) (द्वितीय परन्तुक) जोड़ कर यह प्रावधान किया गया कि यदि व्यक्ति के पास नये अधिनियम के तहत अधिक भूमि आने

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

(श्री हीरालाल आर्य)

की स्थिति में वह पुराने एक्ट में उल्लिखित सीलिंग सीमा तक ही भूमि रख सकेगा। इसके अलावा पुराना अधिनियम समाप्त हो चुका था तथा नये अधिनियम की धारा 4 (2) एवं 40 के अनुसार ही पुराने अधिनियम में कार्यवाही की जा सकती है। 15 (1) एवं (2) में राज्य सरकार को यह अधिकार है कि वह किसी निर्णीत मामले को विशेष परिस्थितियों में पुनः खोलने के आदेश दे सकती है। इस अधिनियम की आड़ लेकर हाड़ौती में हजारों मामले पुनः खोले जा रहे हैं जिससे किसान बार-बार न्यायालयों के चक्कर लगा रहे हैं तथा किसान लुट रहे हैं। उनके साथ मनमाना व्यवहार किया जा रहा है जिससे उनमें भारी रोष एवं असंतोष व्याप्त है। अतः एक बार नये या पुराने कानून, किसी के भी तहत एक बार निर्णीत होने के बाद पुनः किसी भी हालत में नहीं खोला जाए तथा जिन्हें पुनः खोला गया है उन पर अविलम्ब रोक लगाई जावे।

सीलिंग के मामले में कोटा, बून्दी एवं झालावाड़ के किसानों के साथ पूर्व में ही कई मामलों में गंगानगर आदि जिलों की तुलना में भारी अन्याय हो चुका है जैसे :–

1– स्टैण्डर्ड एकड़ जमीन बहुत कम तय करना।

2– सैटलमेंट विभाग समान भूमि के आधार पर किश्त तय करता है तथा लगान नियमित करता है। लेकिन ऐसा नहीं किया गया।

3– गांवों के ग्रुप निश्चित करने के सम्बन्ध में।

4– बड़े भू-भाग में सिंचाई नहीं होते हुए भी सिंचित क्षेत्र माना जाता है।

5– सिंचित क्षेत्र होते हुए भी टेल क्षेत्र में पानी नहीं पहुंचता है, के संबंध में।

6– सीलिंग में अवाप्त कर दूसरे व्यक्तियों को अलाट कर देने तथा पैसा वसूल कर लेने के बावजूद भी अभी तक अवाप्त भूमि का मुआवजा किसानों को नहीं दिया गया है।

7– कारगों में परिवार आश्रित तथा हस्तान्तरण आदि की परिभाषा स्पष्ट नहीं होने।

8– एक बार निर्णीत होने के बाद भी बार-बार पुनः खोलना आदि।

अतः उक्त प्रस्ताव के माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि सीलिंग के मामले में हाड़ौती क्षेत्र के किसानों के साथ बरते जा रहे भेदभाव एवं अन्याय को अविलम्ब समाप्त किया जाए तथा एक बार निर्णीत होने के बाद पुनः नहीं खोले जावें तथा जो मामले पुनः खोल दिये गये हैं उन पर अविलम्ब रोक लगावें तथा किसानों से अवाप्त की गई भूमि का अविलम्ब बाजार भाव से मुआवजा दिलाये जाने की व्यवस्था की जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री रिछपाल सिंह जी। (अनुपस्थित)

श्री निर्भयलाल। श्री हेतराम मीणा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह विशेषाधिकार का प्रस्ताव मेरे खिलाफ रखा गया

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

था। ओमप्रकाश जी गुप्ता सरकारी मुख्य सचेतक थे और मैंने उस पर कोई प्रारम्भिक आपत्ति उठाकर के सचिव महोदय को जवाब दिया था। उसकी ग्राह्यता डिसाइड किये बिना मुझे एक नोटिस प्राप्त हुआ है कि....

श्री अध्यक्ष : आप, हरिसिंहजी क्यों खड़े हैं ?

श्री हरिसिंह (महुआ) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : यह बोल रहे हैं, फिर आप खड़े हैं।

श्री निर्भयलाल : नियम 295 के तहत....

श्री अध्यक्ष : एक मिनट ठहरिये, निर्भयलाल जी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : 20 तारीख को एक बजे तक जो मुझे कहना हो, वह कह दूं और प्रिविलेज कमेटी को वह मोशन रेफर हो गया। अध्यक्ष महोदय, हाउस जब सेशन में है तो प्रिविलेज कमेटी को इस तरह से आप रेफर कर दें, यह कतई उचित नहीं है। आप पुरानी कोई व्यवस्था....

श्री अध्यक्ष : देखिये मेरी व्यवस्था को बार-बार चैलेन्ज मत कीजिए। आप रूल्स पढ़िये। रूल 162 में मुझे अधिकार है और मैंने अपने अधिकारों का उपयोग किया है और आप बिराज जाइये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपको तो अधिकार है। मुझे बाहर निकालने का भी है।

श्री अध्यक्ष : वह भी है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : लेकिन आप मेरी आवाज नहीं रोक सकते।

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराजिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपको अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराजिये। अंकित नहीं होगा। मत करिये। चलिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : × × × (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : निर्भयलाल जी, बोलिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : × × ×

श्री अध्यक्ष : अब मैं नहीं सुनता। मैंने व्यवस्था दे दी है आपको।

श्री सुरेन्द्र व्यास : × × ×

श्री अध्यक्ष : मैंने सुन लिया है, 162 में विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया गया है। वह जांच कर रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : × × ×

श्री अध्यक्ष : हाउस, इसी हाउस में आ जायेगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : × × ×

श्री अध्यक्ष : रिपोर्ट इसी हाउस में आयेगी।

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : X X X

श्री अध्यक्ष : श्री निर्मयलाल जी, आप पढ़िये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : X X X

श्री अध्यक्ष : हां, आप बिराजिये। चलिये पढ़िये। पढ़िये।

श्री हरिसिंह (महुआ): अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : आप बोलिये। हां, बोलिये।

श्री हरिसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : एक मिनट ठहरिये निर्भय-लालजी, थोड़ा।

श्री हरिसिंह : मैं यह निवेदन करना चाह रहा हूं, मेरे को कई दिन हो गये, 7-8 दिन हो गये, राजस्थान रोडवेज निगम के कुछ कर्मचारियों के खिलाफ एक ध्याना-कर्षण प्रस्ताव लगाया था।

श्री अध्यक्ष : कल तक वह जवाब नहीं आया था।

श्री हरिसिंह : अध्यक्ष महोदय, आपको मंत्रीजी ने टेलीफोन पर बता दिया।

श्री अध्यक्ष : अभी कल शाम तक मेरे पास कोई जवाब नहीं आया है।

श्री हरिसिंह : मेरा अनुरोध सुन लो। आपको मंत्रीजी ने प्रोमिस किया है कल कि वह आपको जवाब भिजवा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आया नहीं है।

श्री हरिसिंह : मेरा मानना यह हैं, मुझे विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि सरकार जवाब नहीं भिजवा रही है और जवाब देने वाले अधिकारी तीन दिन के लिए उदयपुर जा रहे हैं, सिर्फ इस जवाब से बचने के लिए ही क्योंकि उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। मंत्रीजी यहां बैठे हुए हैं, आप उनसे आश्वासन दिलवाइये।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी जवाब देने वाले हैं। मंत्रीजी जो जवाब देंगे, वह आपको....

श्री हरिसिंह : मंत्रीजी को विभाग वाले कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं। मंत्री जी का कण्ट्रोल ही नहीं है वहां।

श्री अध्यक्ष : यह बात मुझे मंत्रीजी को कहने दीजिए। आप क्यों ?

श्री हरिसिंह : मंत्रीजी से कहिये कि जवाब देवें।

श्री अध्यक्ष : मैं पूछ लूंगा मंत्रीजी से। मंत्रीजी से पूछ लूंगा। श्री निर्मयलाल जी।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (सरकारी मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सुरेन्द्र व्यास जी ने + + + जैसे शब्दों का उपयोग किया और इसके अलावा + + + शब्द आया, को एक्सपन्ज किया जाये।

X X X माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री अध्यक्ष : वह अंकित ही नहीं हुआ है। वह जो बोल रहे थे, कोई अंकित नहीं हुआ है।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : +++ जो बोला....

श्री अध्यक्ष : कोई अंकित नहीं हुआ है। अंकित हुए हैं, निकाल दिया। अंकित ही नहीं हुआ है। वह बिना अंकित होते हुए ही बोल रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : जो....

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराजिये। अब आप नयी बात क्यों कर रहे हैं। वह है,....(व्यवधान)... वह हैं। चलिये, निर्भय-लाल जी। मैं अब मंत्रीजी से पूछूंगा। आप कह रहे हैं कि मंत्रीजी कह रहे हैं, आप मुझे जवाब नहीं दे रहे हैं।

श्री हरिसिंह : आप मंत्रीजी से पूछिये।

श्री अध्यक्ष : तो आप मुझे मंत्रीजी से पूछने दीजिये।

श्री हरिसिंह : आप उनको कहिये तो सही।

श्री अध्यक्ष : पूछ लूंगा, अभी कहां हैं मंत्रीजी। पूछ लूंगा, हैं नहीं।

समाज कल्याण विभाग में परियोजना निदेशक द्वारा अनियमित कार्य

श्री निर्भयलाल (रूपवास) : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया संचालन सम्बन्धित नियम 295 के तहत माननीय समाज कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इस विभाग में परियोजना निदेशक का एक पद स्वीकृत हुआ है जिसके साथ कई राजपत्रित अधिकारी एवं भारी मात्रा में अधीनस्थ स्टाफ लगा हुआ है, जो अनुसूचित जाति के कल्याण के कार्यों को देखता है। वर्तमान में इस पद पर श्री वी. के. खूंटेटा कार्यरत हैं, इनकी प्रतिनियुक्ति केवल 3 वर्ष के लिए हुई थी, फिर भी इन्हें अनाधिकृत रूप से लगभग 6 माह से विभाग में बैठा रखा है। कृपया परियोजना निदेशक का जॉब चार्ट पेश करें तथा यह भी बतलावें कि इनकी कार्य अवधि के दौरान कितनी बार विभागाध्यक्षों एवं जिला स्तर पर किन-किन जिलों में जिलाधिकारियों की बैठक हुई, ब्यौरा प्रस्तुत करें। साथ ही यह भी बतावें कि अनुसूचित जाति की बस्तियों में पानी एवं बिजली की व्यवस्था हेतु 17 प्रतिशत बजट कहां-कहां खर्च किया गया। यहां यह भी उल्लेख करें कि श्री खूंटेटा द्वारा 3 वर्ष के दौरान कितने यात्रा बिल उठाये गये। इन यात्राओं में कितनी अनु-सूचित जाति की बस्तियों का दौरा कर रिपोर्ट पेश की, बस्तीवार विवरण प्रस्तुत करें।

पिछले चार वर्षों में अनुसूचित जाति के किन-किन लोगों को इन्होंने क्या-क्या लाभ दिलाकर राहत दिलाई ? लघु उद्योग विकास के लिए कितने-कितने बिजली कने-क्शन एवं उद्योग लाइसेंस दिलाये गये, सूचना सदन के पटल पर रखें।

यहां यह भी कहना अनुपयुक्त नहीं होगा कि श्री खूंटेटा विभाग के अन्य कार्यों में दखल देते हैं तथा निदेशक को गुमराह करते हैं जिससे विभागीय अधिकारियों के हितों पर कुठाराघात हो रहा है।

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

82

(श्री निर्भयलाल)

परियोजना निदेशक द्वारा इनकी कार्य-अवधि में कितनी-कितनी खरीददारी कहां-कहां से की गई और किन नियमों के तहत की गई? क्या यह इस प्रकार की खरीददारी करने के लिए अधिकृत हैं? क्या राज्य सरकार ने श्री खूंटेटा को निदेशक का सलाहकार नियुक्त कर रखा है, कर रखा है तो आदेशों की प्रति संलग्न करें। सरकार ने इसे अनधिकृत रूप से किन कारणों से रख रखा है जबकि अनुसूचित जाति के जो कार्य एस. सी. पी. से सम्बन्धित हैं उनकी क्या भयंकर दयनीय स्थिति नहीं है। क्या सरकार इस व्यक्ति को तुरन्त हटाने को तैयार नहीं है, स्पष्ट करें?

श्री अध्यक्ष : श्री हेमराज मीणा।

किशनगंज व शाहबाद में अध्यापकों के रिक्त पद

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत, किशनगंज व शाहबाद में सैकण्डरी व सीनियर सैकण्डरी स्कूल में तृतीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी अध्यापकों व अन्य कर्मचारियों की जगह भरने बाबत निवेदन करना चाहता हूं कि किशनगंज व शाहबाद दोनों पंचायत समितियों में सहरिया आदिवासियों का बाहुल्य है। किशनगंज पंचायत समिति में सभी स्कूलों में स्थान रिक्त चल रहे हैं। इसी प्रकार शाहबाद में भी जगह खाली है। प्रत्येक सैकण्डरी एवं सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल में प्रथम ग्रेड व द्वितीय ग्रेड के अध्यापक व कर्मचारियों की जगह रिक्त चल रही है। इससे क्षेत्र में शिक्षा का स्तर खराब होता चला जा रहा है। इस पिछड़े क्षेत्र में कोई भी प्राध्यापक या अध्यापक जाना नहीं चाहता है इसलिए शिक्षा विभाग के सभी स्कूलों की हालत खराब है। मंत्री महोदय ने विधान सभा के पूर्व सत्र में भी रिक्त पद भरने का आश्वासन दिया था। मेरी जानकारी में आया है कि किशनगंज व शाहबाद क्षेत्र के अध्यापकों को कोटा व बारां में प्रतिनियुक्ति पर लगा रखा है। इससे स्कूल नाम मात्र के चलते हैं। दिनांक 7 मार्च, 1990 को रिक्त जगह के बारे में एक अतारांकित प्रश्न पूछा था उसमें केवल रिक्त जगह बतायी थीं। शिक्षा मन्त्री जी को भी विभाग के अधिकारियों ने गुमराह किया है। मैं, शिक्षा मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि किशनगंज व शाहबाद क्षेत्र में कितने स्कूल सैकण्डरी (पुरुष) व कितने सैकण्डरी स्कूल (बालिका) हैं? कितने सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल हैं? प्रत्येक सैकण्डरी स्कूल (पुरुष) व (बालिका) में स्कूलानुसार कौन-कौन अध्यापक व अध्यापिकायें कार्यरत हैं। विस्तृत सूची भिजवायें, सूची स्कूलानुसार भेजें। स्कूलवार कितनी नियुक्तियां स्वीकृत हैं? कौन-कौन अध्यापिकायें, अध्यापक व अन्य कर्मचारी कार्यरत हैं? कितनी पोस्ट स्वीकृत हैं? कितने पद रिक्त है, सही सूचना भेजने का कष्ट करें। नियुक्ति कागजों में हैं या प्रत्यक्ष में, सूची भिजवाने का कष्ट करें। शिक्षा मन्त्री कब तक खाली पदों को भरने का विचार रखते हैं?

श्री अध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल।

ग्राम हिन्दवाडा के काश्तकारों की भूमि पर वन विभाग का कब्जा करने बाबत

श्री चुन्नीलाल (खण्डार) : अध्यक्ष -

(श्री चुन्नीलाल)

महोदय, तहसील सवाईमाधोपुर के ग्राम हिंदवाड़ के बारह परिवार जो गुर्जर जाति के हैं, लगातार खेती करते आ रहे हैं। वह भूमि सिवाय चक की है। सिवाय चक की भूमि होने के नाते तहसीलदार द्वारा पैनल्टी भी ली गयी है, वे बराबर उसकी पैनल्टी लेते आ रहे हैं। लेकिन वन विभाग के अधिकारियों ने उस भूमि पर से उन 12 परिवारों को बेदखल कर रखा है और उनकी काश्तशुदा जमीन के अन्दर फैंसिग डाली जा रही है, जिससे वे परिवार बर्बाद हो रहे हैं। यह जो बारह परिवार है, सरकार की चयनित सूची में भी हैं और भूमिहीन की परिभाषा में भी आते हैं। इस सम्बन्ध में कई दफा सरकार को निवेदन करने के बावजूद भी वन विभाग के अधिकारियों ने हठधर्मी पकड़ रखी है। इस सम्बन्ध में मैंने माननीय मुख्य मन्त्री महोदय को भी निवेदन किया था, वन सैक्रेटरी को माननीय मुख्य मन्त्री जी ने एक चिट्ठी लिखी थी लेकिन उसके बावजूद भी उस कार्यवाही को वन विभाग के अधिकारी रोक नहीं पा रहे। वन मन्त्री महोदय को भी मैंने निवेदन किया। आज भी वन मन्त्री महोदय द्वारा एक चिट्ठी जारी की गई है, लेकिन आज तक उन कर्मचारियों पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं हो पा रहा है। मैं सदन से निवेदन करता हूं कि 12 परिवार 12 साल से लगातार जिस भूमि पर खेती करते आ रहे हैं उसी भूमि पर दो व्यक्तियों घनश्याम व बद्री मीणा ने एक साथ कब्जा किया था। वे रेवेन्यू विभाग के कर्मचारी हैं। उन लोगों ने उस भूमि को अलॉट करा लिया है और अपने काम में ले रहे हैं, लेकिन उन 12 व्यक्तियों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : आपने पढ़ लिया ?

श्री चुन्नीलाल : यही निवेदन करना है कि वन विभाग के कर्मचारियों को तुरन्त रोका जाए। उनकी जमीन है उस पर फैंसिग या किसी अन्य प्रकार की कार्यवाही नहीं की जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनलाल बारूपाल।

ग्राम जायल में सोमड़ा से मांगलोद तथा बुरडी से खावड़ियाना सड़क पर डामरीकरण

श्री मोहनलाल बारूपाल (जायल) : अध्यक्ष महोदय आपकी कृपा से सार्वजनिक निर्माण मन्त्री जी को नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र जायल जिला नागौर में लिंक रोड डेह से मांगलोद 18 किलोमीटर सड़क है, जो तहसील मुख्यालय जायल को जोड़ती है। इसमें डेह से सोमड़ा तक 8 किलोमीटर सड़क का डामरीकरण हो चुका है मगर सोमड़ा से मांगलोद तक 10 किलोमीटर सड़क अधूरी पड़ी है वहां मैटल रोड बनी हुई है जिस पर डामरीकरण कराने की कृपा करें। इस सड़क का निर्माण नहीं होने से जनता व वाहनों के आवागमन में भारी बाधा उत्पन्न हो रही है। दूसरी लिंक रोड डेह से लाडनू 66 किलोमीटर डामर सड़क है, जिसमें ग्राम बुरड़ी से खावड़ियाणा तक 12 किलोमीटर सड़क का डामरीकरण नहीं हुआ है। बाकी सड़क का

(श्री मोहनलाल बारूपाल)

डामरीकरण हो चुका है लेकिन केवल 12 किलो मीटर सड़क अधूरी पड़ी है । इसका डामरीकरण कराना नितान्त आवश्यक है । अगर इस सड़क का डामरीकरण हो जाता है तो नागौर से लाडनूं तक पूरी सड़क का निर्माण हो जायेगा । इन अधूरी सड़कों का निर्माण नहीं होने से जनता में भारी असन्तोष व आक्रोश व्याप्त है । यह एक लोक महत्व का गम्भीर मामला है । माननीय सार्वजनिक निर्माण मन्त्री जी से इस विशेष उल्लेख के जरिये मांग करता हूं कि इन दोनों अपूर्ण सड़कों पर शीघ्र डामरीकरण कराने की व्यवस्था करावें ।

अध्यक्ष महोदय, वादा करके गये थे कि सड़क बना देंगे, ऐसे बना देंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ । आपके सामने एक छोटी-सी कविता सुना देता हूं, महात्मा क्या कहते हैं :

"हीरालाल कहे सुण रे प्यारा
हरि हिसाब पूछेला सारा
होंठ कण्ठ सूख जावे थारा
जनता माय नै जायकर
थारो कियां बतासी नाखियो ।"

श्री अध्यक्ष : श्री शिवजी राम ।

तहसील जहाजपुर में विद्युत की कमी एवं अनियमितताएं

श्री शिवजी राम (जहाजपुर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा को विद्युत सप्लाई की अनियमितता एवं कमी के कारण स्थानीय किसानों को हो रही असुविधा एवं नुकसान की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन है कि जहाजपुर तहसील क्षेत्र को विद्युत सप्लाई पूर्व में देवली के 33 के. वी. सब स्टेशन से हो रही थी । किन्तु अगस्त, 1990 में देवली में भीलवाड़ा द्वारा लगाये गये 1.6 एम. वी. ए. का ट्रांसफार्मर जल गया, जिससे जहाजपुर को देवली से बिजली सप्लाई बन्द कर दी गयी एवं उसके पश्चात् जहाजपुर को 132 के. वी. सब स्टेशन बून्दी से विद्युत सप्लाई प्रारम्भ की गयी । बून्दी जहाजपुर से 80 किलोमीटर दूर है । 132 के. वी. सब स्टेशन बून्दी द्वारा ओवर करण्ट की चार ट्रिपिंग आने के बाद वहां से जहाजपुर की सप्लाई बन्द कर दी जाती है तथा लाइन को फाल्टी घोषित कर वहां बैठे सहायक अभियन्ता (आर. ई सी.) बून्दी द्वारा जहाजपुर लाइन के जम्फर काट दिये जाते हैं तथा उनके 33 के. वी. सब स्टेशन रामनगर को सप्लाई चालू कर दी जाती है । जहाजपुर में टेलीफोन की सही व्यवस्था नहीं होने एवं विभाग के पास वाहन की सुविधा नहीं होने के कारण बून्दी, जो जहाजपुर 80 किलोमीटर दूर है, सम्पर्क नहीं हो पाता है जिससे अक्टूबर, 1990 से आज तक कई सप्ताह तक लगातार क्षेत्र की विद्युत सप्लाई बन्द रही । इस प्रकार जहाजपुर क्षेत्र के किसानों को पर्याप्त विद्युत नहीं मिलने के कारण रबी की फसल में करोड़ों रुपयों की हानि हुई है । इस प्रकार क्षेत्र के जालमपुरा, पंडेर, जमोली, उडिया, खेड़ा, टिठोढ़ी. ठिठोड़ा, गन्धेर, तसवारिया बावड़ी, सरसिया, चारणान, बिहाड़ा जीरा हंथोड़िया, अमरवासी, कुराड़िया, गाड़ोली, लुहारी, भटूंदा,

(श्री शिवजीराम)

टोकड़ ऊंचा, सरसिया, खजूरी, पीपलूद, उलेला, अमरगढ़, आमल्दा, शकरगड़, धोड़, चिलठा, गीगीथला, तरणखेड़ा आदि गांवों के किसानों को विद्युत नहीं मिलने के कारण सिंचाई नहीं हो पायी एवं उनकी रबी की फसल की उपज पर विपरीत प्रभाव पड़ा जिससे किसानों का करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है। विद्युत मण्डल फिर भी उदासीन है जिससे क्षेत्र के किसानों एवं आम जनता में सरकार के प्रति भारी असन्तोष हैं। अगर समय रहते उक्त समस्या का समाधान कर विद्युत वितरण व्यवस्था को नहीं सुधारा गया तो क्षेत्रीय जनता में व्याप्त असन्तोष आन्दोलन का रूप ले सकता है।

अतः मैं इस सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकर्षित कर यह चाहूंगा कि जहाजपुर क्षेत्र के लिए देवली (मोरला) 132 के. वी. सब स्टेशन से जो 33 के. वी. की लाइन योजना के तहत स्वीकृत है उसका कार्य तुरन्त पूर्ण करवाकर जहाजपुर को सप्लाई दी जाय। साथ ही इस कार्य के पूर्ण होने तक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में 33 के. वी. सब स्टेशन देवली में एक एम. वी. ए. के स्थान पर 3.15 एम. वी. ए. का ट्रांसफार्मर रख कर विद्युत सप्लाई दी जाय एवं अमरवारी गांव को 132 के. वी. सब स्टेशन देवली से सीधे 11 के. वी. की लाइन द्वारा जोड़ा जाय ताकि विद्युत की इस क्षेत्र मे हो रही आंख-मिचौली की वजह से उत्पन्न समस्याओं का निराकरण हो सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रेमसिंह दहिया (अनुपस्थित)

श्री जीतमल जैन।

अलवर में आवासन मण्डल की कालोनी में सेप्टी टैंक में गिरने से बालक की मृत्यु।

श्री जीतमल जैन (अलवर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत मैं आपका ध्यान आवासन मण्डल एवं नगर परिषद् की लापरवाही की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसके कारण एक सात वर्ष के बालक की अकाल मृत्यु हो गयी। आवासन मण्डल द्वारा अरावली विहार काला कुआं में एक कालोनी का निर्माण वर्ष 1978-79 में प्रारम्भ हुआ एवं वर्ष 1982 से मकानों के आवंटन का कार्य प्रारम्भ हो गया। वर्ष 1986 में आवासन मण्डल ने नगर परिषद को उक्त कालोनी के हस्तान्तरण हेतु अपनी इच्छा प्रकट की। दिनांक 26.12.1988 को आवासन मण्डल द्वारा उक्त कालोनी का हस्तान्तरण इस शर्त के साथ हुआ कि वहां के दो सैक्टर में बचे हुए कार्यों हेतु आवासन मण्डल नगर परिषद को 10 लाख रुपए देगा एवं राशि प्राप्त होने के पश्चात् ही नगर परिषद द्वारा हस्तान्तरण मान्य होगा। सन् 1989 के मई माह में 10 लाख का भुगतान किया गया अतः हस्तान्तरण 1989 से माना जा सकता है। वर्ष 1989 में नगर परिषद ने बचे हुए कार्य एवं सड़कों की मरम्मत आदि के लिए 50 लाख की मांग की क्योंकि 10 लाख रुपए केवल दो सैक्टरों के लिए था और वास्तविक हस्तान्तरण सात सैक्टरों का हुआ था। इस सम्बन्ध में विशेष बात यह है कि सैप्टी टैंक जिस स्थान पर बनवाये गये हैं वहां आवासन मण्डल ने चार दीवारी नहीं बनवायी। गत 12 मार्च,

(श्री जीतमल जैन)

1989 को श्री लोकेश पुत्र श्री नेमीचन्द, जिसकी उम्र लगभग 7 वर्ष थी, खेलता हुआ उस स्थान पर चला गया और सैप्टी टैंक में गिर पड़ा जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। यह घटना लगभग दिन के दो बजे की है। बालक की लाश का पता रात्रि 10 बजे लगा। लगभग चार वर्ष पूर्व इसी प्रकार से एक लड़की की मृत्यु हो गयी थी। नगर परिषद् के अधिकारियों का कहना है कि सेप्टी टैंकों का ढक्कन हमको हस्तान्तरण के समय ही टूटा मिला और उसकी मरम्मत के लिए धन नहीं दिया गया।

इस घटना से दो बातें स्पष्ट हैं कि घटिया स्तर के काम के कारण ही सेप्टी टैंक के ढक्कन टूट गये एवं उसको ठीक कराने के लिए आवासन मण्डल एवं नगर परिषद् ने आवश्यक कार्यवाही नहीं की। इस दुखद घटना के लिए दोनों ही विभाग जिम्मेदार हैं। सरकार से मेरा अनुरोध है कि तुरन्त मरम्मत का कार्य हाथ में लिया जाय एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाय। इसके साथ ही किसी के जीवन का मूल्य हालांकि रुपयों में नहीं आंका जा सकता लेकिन फिर भी मानवीय आधार पर मृतक के परिवार को सरकार से समुचित आर्थिक अनुदान दिया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री परसादीलाल मीणा (अनुपस्थित)

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

भरतपुर शहर में गंदगी

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत श्री रामकिशन, सदस्य विधान सभा भरतपुर शहर में गन्दगी फैलने से उत्पन्न स्थिति की ओर स्वायत्त शासन मन्त्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। श्री रामकिशन। (अनुपस्थित)

कोटा में सिंचाई विभाग की नयी व पुरानी परियोजनाओं हेतु बजट

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत श्री हेमराज मीणा, सदस्य विधान सभा, कोटा में सिंचाई विभाग की नयी व पुरानी सिंचाई परियोजनाओं के लिए पक्षपातपूर्ण बजट आवंटन किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर सिंचाई मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री हेमराज मीणा (अनुपस्थित)

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत श्री लक्ष्मीनारायण दवे। (व्यवधान)

मगर वह दोनों नहीं हैं, आगे क्या करूं बताइये। (व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (चिकित्सा मंत्री) : कल के लिये इसको रख दें तो पूरा आ जायेगा, मैं कल कर दूंगा बाकी क्या है कि आज प्रातःकाल 9.30 बजे सूचना आई है, वक्तव्य नहीं आया। आप कल के लिये रख दें।

श्री अध्यक्ष : कल के लिये स्थगित करता हूं।

श्री कृष्ण कुमार गोयल, उद्योग मन्त्री, साम्भर साल्ट्स लिमिटेड का 25वां वार्षिक प्रतिवेदन (व्यवधान)

पहले यह है – सदन की मेज पर रखा जाने वाला पत्र।

श्री कृष्ण कुमार गोयल, उद्योग मंत्री,

(श्री अध्यक्ष)

साम्भर साल्ट्स लिमिटेड का 25 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1989-90 सदन की मेज पर रखेंगे;

श्री कृष्ण कुमार गोयल (अनुपस्थित)

मैं समझता हूं, यह बहुत विचित्र बात है।

सदन की मेज पर रखा गया पत्र प्रतिवेदन

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (चिकित्सा मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : आपको अधिकृत किया है उन्होंने ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जी हां।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619 (ए) की उप-धारा (3) का भाग (बी) के अन्तर्गत साम्भर साल्ट्स का 25 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1989-90 सदन की मेज पर रखता हूं।

आधे घण्टे की चर्चा

टौंक क्षेत्र में एनीकट्स का निर्माण
(ता. प्र. सं. 246)

श्री अध्यक्ष : श्री महावीर प्रसाद जैन, सदस्य, विधान सभा, पंचायत समिति, टौंक क्षेत्र के एनीकटों का निर्माण विषयक तारांकित प्रश्न संख्या 246 के उत्तर से, जो 11 मार्च, 1991 को दिया गया था, उत्पन्न मुद्दों पर आधा घण्टे की चर्चा उठायेंगे।

श्री हेमराज मीणा : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी है।

श्री अध्यक्ष : आप जाइये, बाहर विराजिये, चाय-पानी पीजिये, हो गया आपका काम।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे मैं चर्चा किससे करूंगा, सम्बन्धित मन्त्री यहां पर नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : आप अपना शुरू कीजिये। कौन मंत्रीजी हैं ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : जिनको जवाब देना है, आधे घण्टे की चर्चा पर.... आप जवाब देंगे या आप जवाब देंगे ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, 11 तारीख को....

श्री अध्यक्ष : तब आप चर्चा किनसे करेंगे ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : टौंक क्षेत्र में एनीकटों के निर्माण के बारे में सवाल आया था। उस सवाल के जवाब के सम्बन्ध में, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि....

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये, मंत्रीजी नहीं हैं।

अनुदान की मांग पर विचार एवं मतदान - माननीय शिक्षा मन्त्रीजी मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति - पर विचार एवं मतदान हेतु प्रस्तुत करेंगे।

श्री हरिकुमार औदिच्य।

आय-व्ययक 1991-92

मांग संख्या-24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति की प्रस्तुति

श्री हरिकुमार औदिच्य (शिक्षा मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता

(श्री हरिकुमार औदिच्य)

हूं कि मांग संख्या 24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 8,62,28 06,000/- (आठ अरब बासठ करोड़, अठाईस लाख छः हजार) तक की राशि प्रदान की जाय।

कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 24 मुख्य शीर्षक शिक्षा, कला एवं संस्कृति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय, :—

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली)

1. तहसील कोटपूतली के नारेडा कस्बों की स्कूल को सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत नहीं करने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

2. छात्रों के स्कूलों में प्रवेश देते समय फर्नीचर के लिये धनराशि वसूल किये जाने के उपरान्त भी फर्नीचर उपलब्ध नहीं कराये जाने एवं इसका हिसाब नहीं रखने से व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

3. कोटपूतली की प्रत्येक शिक्षण संस्था में अध्यापकों की कमी से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा)

4. पं. स. को स्थानान्तरित शिक्षा के अधिकार वापस राज्य सरकार को दिलाये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव)

5. सीमावर्ती पिछड़े जिला बाड़मेर में बालेवा-नेगरडा-गिराब में सैकण्डरी स्कूल खोलने पर चर्चा के लिये।

6. सीमा विकास कार्यक्रम के तहत सीमावर्ती जिलों में अधिक स्कूलें खोलने पर चर्चा के लिये।

7. सीमावर्ती जिला बाड़मेर के गडरा रोड कस्बा में लड़कियों की सैकण्डरी स्कूल में अध्यापक न होने पर चर्चा के लिये।

8. अनेक स्कूलों में कई विषयों के मास्टर न होने से बच्चों के शिक्षा जीवन के प्रति उत्पन्न खतरे पर चर्चा के लिये।

9. पश्चिमी राजस्थान की स्कूलों व कालेजों में अध्यापकों के पदों की कमी से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

10. जिला जैसमेलेर की सैकण्डरी स्कूलों जीन्जमीयाली-सांगड़-सम देवीकोट में अध्यापकों की लगातार कमी पर चर्चा के लिये।

11. बाड़मेर जिले की सैकण्डरी स्कूल हरतानी-गागरिया-रामसार-सवाई पदमसिंह में हैडमास्टरों सहित 50% से अधिक पद रिक्त होने पर चर्चा के लिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर)

12. राजकीय सादुंल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर को स्पोर्ट्स स्कूल में विकसित कर पाने में विभाग की विफलताओं तथा रा. साईल पब्लिक स्कूल बीकानेर को अलग से

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

विकसित करने में ढिलाई बरतने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

13. राज्य में सांस्कृतिक नीति बनाने में सरकार की विफलताओं के संदर्भ में चर्चा के लिये।

14. राजस्थानी भाषा, साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, बीकानेर को राज्य सरकार द्वारा जान बूझकर पर्याप्त अनुदान न देने के औचित्य पर अकादमी के जायज कार्यों में राजनैतिक हस्तक्षेप करने तथा अकादमी के कर्मचारियों को समय पर वेतन न मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

15. साइकिल वेलोड्राम, बीकानेर के चारों ओर पेवेलियन न बनाये जाने से साइकिल ट्रेक के खराब होने एवं टूटने से उत्पन्न स्थितियों पर भी खेल परिषद् को दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

16. प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा (एलीमेण्ट्री एजूकेशन) का अलग निदेशालय भवन बीकानेह में बनाने में विभाग द्वारा बरती गई शिथिलता पर चर्चा के लिये।

17. राष्ट्रीय राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल द्वारा प्रकाशित पुस्तकों के माह अक्टूबर, 19०0 में प्रकाशित होने तथा कालाबाजारी में पुस्तकें निर्धारित मूल्य से ऊंची कीमतों पर बेचे जाने से राज्य के विद्यार्थियों एवं नागरिकों को होने वाली कठिनाइयों पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

18. राज्य में निजी शिक्षण संस्थाओं, महिला महाविद्यालयों, सीनियर उच्च मा. विद्यालयों को राजकीय अनुदान सहायता समिति द्वारा अभिशंसा करने के बावजूद निजी शिक्षण संस्थाओं के अध्यापकों को राज्य सरकार के अध्यापकों के अनुरूप सुविधाएं न देने के उपरान्त भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

19. राज्य के पांच विश्वविद्यालयों में स्थायी कुलपतियों के पद रिक्त होने, छः मास तक विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में स्कूलों में पढ़ाई न होने तथा विश्वविद्यालयों में विद्यमान प्रशासनिक अव्यवस्थाओं पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी)

20. राज्य में मौजूदा सरकार द्वारा 6,000 (छ हजार) प्राथमिक पाठशालाएं बन्द कर दिये जाने के कारण ग्रामीण जनता में उत्पन्न भारी रोष पर चर्चा के लिये।

श्री कुबेर सिंह (फलासिया)

21. निर्वाचन क्षेत्र फलासिया की सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूलों में टेक्निकल विषय नहीं खोलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

22. निर्वाचन क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) में नव क्रमोन्नत उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों को पदस्थापित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

23. निर्वाचन क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) में विद्यालयों को क्रमोन्नत नहीं किये

(श्री कुबेर सिंह)

जाने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

24. निर्वाचन क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) में शिक्षा के लिये विभाग द्वारा पर्याप्त धन राशि प्रदान नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

25. निर्वाचन क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) में अध्यापकों के अनुपस्थित रहने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम)

26. शिक्षा विभाग द्वारा राजस्थान की मिडल स्कूलों तथा सैकण्डरी स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति न करने के कारण विद्यार्थियों का भविष्य अन्धकारमय हो जाने पर चर्चा के लिये ।

श्री कुबेर सिंह (फलासिया)

27. माणक लाल वर्मा टैक्सटाइल इन्स्टीट्यूट, भीलवाड़ा में प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्ति में अनियमितताएं होने पर दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

28. माणक लाल वर्मा टैक्सटाइल इन्स्टीट्यूट में विभिन्न पदों पर नियुक्तियां निर्धारित प्रक्रिया अपना कर न करने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

29. माणक लाल वर्मा टैक्सटाइल इन्स्टीट्यूट, भीलवाड़ा में महत्वपूर्ण प्रस्तावों को निदेशक मण्डल की बैठक में प्रस्तुत कर निर्णय नहीं करवाने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

30. प्रधानाचार्य, माणक लाल वर्मा टैक्सटाइल इन्स्टीट्यूट भीलवाड़ा द्वारा खरीद में किये जा रहे घोटालों पर भी दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

31. प्रधानाचार्य, माणक लाल वर्मा टैक्सटाइल इन्स्टीट्यूट भीलवाड़ा द्वारा की जा रही अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त होने पर भी उनके विरुद्ध कार्यवाही न करने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली)

32. शहरों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक शिक्षण संस्थाए खोल कर लाभान्वित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

33. ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षण संस्थाओं में योग्य शिक्षक भेजने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती मदन कौर (गुडामालानी)

34. ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा स्तर सुधारने की ओर प्रशासन की उदासीनता पर चर्चा के लिये ।

35. सभी शिक्षण संस्थाओं में शारीरिक शिक्षा अनिवार्य करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान (नागौर)

36. नागौर व मूण्डवा पंचायत समितियों के उन ग्रामों में जहां शिक्षा केन्द्र

(श्री गुलाम मुस्तुफा खान)

बन्द किये गये हैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय चालू किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

37. औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र नागौर में सिलाई प्रशिक्षण के लिये 15 सीटें बढ़ाई जाने तथा 15 सीटें सि. उ. मा. विद्यालय नागौर में छात्राओं के लिये अलग से व्यवस्था की जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली)

38. ग्रामीण क्षेत्रों में अध्यापन कार्य के लिये पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध न कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती रमा पायलट (हिन्डोली)

39. ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में अध्यापकों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती मदन कौर (गुडामालानी)

40. ग्राम रावतसर, धोरीमन्ना, बायतू (जिला बाड़मेर) में कन्या पाठशालाओं को क्रमोन्नत करने हेतु चर्चा के लिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी)

41. सम्पूर्ण साक्षरता के तहत झुन्झुनू जिले को लिये जाने पर चर्चा के लिये।

42. उच्च प्राथमिक शालाओं को पंचायती राज से मुक्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

43. राजस्थान की सम्पूर्ण 6 यूनिवर्सिटीज में कुलपतियों के स्थान रिक्त पड़े रहने से छात्रों के हो रहे नुकसान पर भी दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

44. कला एवं संस्कृति को प्रोत्साहन देने हेतु कारगर कदम उठाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

45. झुन्झुनू जिले में एक भी राजकीय कालेज नहीं होने पर चर्चा के लिये।

46. झुन्झुनू जिले की चिड़ावा तहसील की मिडिल स्कूल को माध्यमिक शाला में क्रमोन्नत किये जाने हेतु चर्चा के लिये।

47. इस वर्ष राज्य सरकार के द्वारा अपर्याप्त स्कूलें खोले जाने से उत्पन्न जन असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल सिंह (आहोर)

48. राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलवाने हेतु विभाग द्वारा कोई प्रयास नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री मनीराम (लूणकरणसर)

49. लूणकरणसर सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल में विषयवार व्याख्याता समय पर नहीं लगाने से विद्यार्थियों एवं अभिभावकों में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

50. मिडल स्कूल शेरपुरा शोभीलाई, लखासर आदि में अध्यापक अनुपस्थित रहने से बच्चों एवं अभिभावकों में फैले असन्तोष पर चर्चा के लिये।

51. लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र

(श्री मनीराम)

में कस्बों व शहरों स्थित विद्यालयों में स्वीकृत पदों के विरुद्ध लूणकरणसर कुम्हारान मोहल्ले की मिडिल स्कूल में आठ के बदले चौबीस अध्यापक लगाकर फैलाई गई अव्यवस्था पर चर्चा के लिये।

52. विधान सभा क्षेत्र की समस्त मिडिल एवं हायर सैकण्डरी, सैकण्डरी तथा सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूलों में रिक्त पदों को भरने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

53. लूणकरणसर सीनियर हायर सैकेण्डरी स्कूल में कृषि संकाय के छात्रों को सम्बन्धित विषय ज्ञान हेतु कृषि भूमि उपलब्ध करवाने में विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये।

54. ग्राम बेरियावाली (खाजूवाला) बोर्डर एरिया में आई.टी.आई. केन्द्र खोलने की स्वीकृति के बावजूद भवन बनाने एवं प्रशिक्षण चालू करने में सरकार द्वारा उदासीनता बरतने से जनता में व्याप्त भयंकर असन्तोष पर चर्चा के लिये।

55. बीकानेर जिले के चक 10 जल, राजेरा की प्राथमिक स्कूलों को मिडल स्कूलों में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

56. लूणकरणसर तहसील को मिडिल स्कूल शेरपुरा, अर्जुनसर, अमरपुरा (ढा. पाण्डुसर) को सैकण्डरी स्कूलों में क्रमोन्नत करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

57. लूणकरणसर में कालेज खोलने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवा)

58. ग्राम गुलखेड़ी तहसील बून्दी में प्राथमिक पाठशाला खोलने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

59. ग्राम पंचायत मोड़सा के गांव देवपुरा में नवीन प्राथमिक पाठशाला खोलने पर चर्चा के लिये।

60. नेहरू युवक केन्द्र खासपुरिया तहसील नैनवां के कार्यक्रमों को सुचारू रूप से चलाने के लिये भू-आवंटन हेतु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये।

61. ग्राम बारवास तहसील बून्दी के विद्यार्थियों के लिये प्राथमिक पाठशाला खोलने पर चर्चा के लिये।

62. तहसील नैनवा के देवरिया गांव के स्कूल छात्रों के बैठने के लिये पाठशाला भवन की कमी दूर करने हेतु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये।

63. प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों को शीघ्र नियुक्तियां दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

64. न्यू मिडल स्कूल नैनवा में उर्दू अध्यापक की नियुक्ति नहीं होने से उर्दू के विद्यार्थियों को हो रहे नुकसान पर चर्चा के लिये।

65. पंचायत समिति नैनवा क्षेत्र के

(श्री रामनारायण वर्मा)

प्राथमिक विद्यालय बोरदा हेतु आपरेशन ब्लैक बोर्ड के अन्तर्गत विद्यालय भवन की स्वीकृति दिलाने में विभाग की शिथिलता पर चर्चा के लिये।

66. नैनवा विधान सभा क्षेत्र में पाठशालावार अध्यापकों की कमी के कारण विद्यार्थियों को शिक्षा का पूरा लाभ नहीं मिलने पर चर्चा के लिये।

67. नैनवा तहसील से प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम स्थानान्तरित कर दिया जाने से पिछड़े ग्रामीणों को वांछित लाभ न मिलने बाबत चर्चा के लिये।

68. प्राथमिक पाठशाला बटावदी जिला बून्दी को उच्च प्राथमिक पाठशाला में क्रमोन्नत करने में सरकारीविफलता पर चर्चा के लिये।

69. ग्राम मोतीपुरा, पंचायत समिति तालेड़ा में प्राथमिक विद्यालय नहीं खोले जाने से विद्यार्थियों को हो रही कठिनाई पर चर्चा के लिये।

70. बून्दी जिले के ग्राम भाटों का खेड़ा में प्राथमिक पाठशाला खोले जाने हेतु पर चर्चा के लिये।

71. तहसील नैनवा के ग्राम फूटतालाब में प्राथमिक पाठशाला खोली जाने पर चर्चा के लिये।

72. प्राथमिक विद्यालय जावरा की झोपड़ियां पंचायत खटकड़ को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने हेतु चर्चा के लिये।

73. उच्च प्राथमिक विद्यालय रायथल जिला बून्दी को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने पर चर्चा के लिये।

74. प्राथमिक विद्यालय माणी तहसील नैनवा को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने हेतु चर्चा के लिये।

75. उच्च प्राथमिक विद्यालय गम्भीरा को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने में सरकारी विफलता पर चर्चा के लिये।

76. तहसील नैनवा में औपचारिक शिक्षा का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार नहीं करने से ग्राम जनता को लाभ नहीं मिलने पर चर्चा के लिये।

श्री बहादुर सिंह (दानपुर)

77. राज्य सरकार द्वारा गांव खेड़ा बडलिपाड़ा में उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं खोलने पर चर्चा के लिये।

78. जिला बांसवाड़ा के गांव छोटी सरवन में सैकण्डरी स्कूल नहीं खोलने के कारण उत्पन्न जन आक्रोश पर चर्चा के लिये।

79. जिला बांसवाड़ा के गांव नवागाम में सैकण्डरी स्कूल खोलने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा)

80. भीलवाड़ा नगर के शास्त्री नगर स्थित मिडल स्कूल को क्रमोन्नत करने हेतु चर्चा के लिये।

81. भीलवाड़ा तहसील में हैरासग्राम के प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक

(श्री बंशीलाल पटवा)

विद्यालय में क्रमोन्नत करने हेतु चर्चा के लिये।

82. भीलवाड़ा तहसील में सिंधू नगर प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने हेतु चर्चा के लिये।

83. संस्कृति की दृष्टि से नैतिक शिक्षा का अधिक विस्तार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

84. भीलवाड़ा जिले में शिक्षा के विस्तार करने की दृष्टि से पिछले वर्ष विद्यालय खोले जाने तथा क्रमोन्नत करने में किये गये पक्षपात पर चर्चा के लिये।

85. भीलवाड़ा नगर में कन्या मिडल गुलमण्डी स्कूल से सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत करने तथा राधाकृष्ण प्राथमिक विद्यालय को मिडल में स्कूल क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

86. भीलवाड़ा तहसील के पुर ग्राम, व हमीरगढ़ में सीनियर हायर सैकण्डरी तथा आरजिया ग्राम, खेराबाद आठूण में मिडिल स्कूल क्रमोन्नत करने पर चर्चा के लिये।

श्री मदनलाल सैनी (गुढ़ा)

87. उदयपुर वाटी तहसील क्षेत्र में नये बजट के अन्तर्गत एक राजकीय कालेज खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

88. उदयपुरवाटी तहसील में अध्यापकों की कमी को पूरा करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी)

89. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बस्सी में पुस्तकालयाध्यक्ष पद स्वीकृत होते हुए भी पदस्थापित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

90. तहसील बस्सी के ग्राम नांगल बोहरा से दूर 2।। कि.मी ढाणी बगरवाला में प्राथमिक शाला खोली जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

91. तहसील बस्सी की रा. प्रा. शाला खेतपुरा को उच्च प्राथमिक शाला में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

92. राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय बस्सी को उच्च माध्यमिक, विद्यालय में क्रमोन्नत करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा)

93. राज्य के प्रत्येक गांव में प्राथमिक विद्यालय खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

94. खैरवाड़ा में उच्च शिक्षा के लिये महाविद्यालय खुलवाने हेतु चर्चा के लिये।

95. उच्च प्राथमिक विद्यालय सागवाड़ा को मा. वि. में क्रमोन्नत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी)

96. थानागाजी क्षेत्र में प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शालाओं की आवश्यकता के अनुपात में बहुत कमी होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री रमाकान्त शर्मा)

97. प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को समयबद्ध सीमा के आधार पर चयनित क्षेत्रों में शत-प्रतिशत साक्षरता हेतु अपनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

98 ग्रामीण क्षेत्र में खेल के कार्यक्रम को ज्यादा महत्व दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

99. ग्रामीण क्षेत्र में अधिक से अधिक कला विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

100. थानागाजी क्षेत्र के पुरातत्व महत्व के भवन एवं नगरों के संरक्षण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही)

101. आबूरोड में जन जाति के बालकों के लिये प्रशिक्षण संस्थान खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

102. शिवगंज नगर में महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

103. ग्राम पं. ओड़ा में तथा छीबा गांव में मिडल स्कूल खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

104. ग्राम जावाल के गर्ल्स सैकण्डरी स्कूल को क्रमोन्नत करने पर चर्चा के लिये।

105. ग्राम बरलूट के माध्यमिक विद्यालय को सीनियर हायर सैकण्डरी में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

106. शिवगंज तहसील के गांव मणादर, अरठवाड़ा के उच्च प्रा. विद्यालयों को सैकण्डरी में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

107. सिरोही तहसील के ग्राम गोयली, पाडीव, ऊड तथा बराड़ा के उच्च प्रा विद्यालयों को सैकण्डरी में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रेमसिंह दहिया (भीनमाल)

108. भीनमाल कालेज में कृषि विषय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

109. भीनमाल में कला एवं संस्कृति संवर्धन के उद्देश्य से दानदाता द्वारा बनाए गए भवन में प्रशासन द्वारा अवैध हस्तक्षेप करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

110. राजस्थान में शिक्षकों की नियुक्ति में की जा रही अनियमितता एवं चयन प्रक्रिया में मनमानी करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

111. विधान सभा क्षेत्र भीनमाल में नये प्राथमिक विद्यालय खोलने एवं वर्तमान प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

112. भीनमाल की उच्चतर माध्यमिक कन्या पाठशाला एवं उच्चतर माध्यमिक शाला में अध्यापकों व कर्मचारियों के रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

113. भीनमाल विधान सभा क्षेत्र की उच्च प्राथमिक शालाओं को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री परसादीलाल (लालसोट)

114. सरकार द्वारा बन्द किये गये पांच हजार प्राथमिक विद्यालयों को पुनः चालू करवाने के सम्बन्ध में, चर्चा के लिये।

115. सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

116. 250 लोगों की आबादी के सभी गांवों में प्राथमिक विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

117. राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय लालसोट में इतिहास तथा अन्य क्षेत्रीय विद्यालयों के विषय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

118. तहसील लालसोट के माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों, अध्यापकों तथा व्याख्याताओं के रिक्त पद नहीं भरने पर चर्चा के लिये।

119. लालसोट क्षेत्र के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय संस्कृत को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

120. उच्च प्राथमिक विद्यालय निजामपुरा, देवली तथा श्रीरामपुरा को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

121. राजकीय माध्यमिक विद्यालय मण्डावरी को सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

122. राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय लालसोट में छात्रों की संख्या अधिक होने के कारण अतिरिक्त अध्यापकों को लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

123. लालसोट में छात्रों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए कालेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर)

124. आश्वासन के बावजूद जिला पाली के उच्च प्राथमिक विद्यालय कानूजा/कलालिया, नानणा/चाड़ा, कालबकलां, करमावास पट्टा तथा/रेलड़ा को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत नहीं करने पर चर्चा के लिये।

125. पाली जिले के माध्यमिक विद्यालय चण्डावल नगर, सैंदड़ा, गिरी तथा छोट/किराणा को सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में इस वर्ष क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

126. मैट्रिक शिक्षा को तत्काल पाठ्यक्रम में सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

127. अनुदानित मरुधर बालिका विद्यापीठ रानी जिला पाली को स्वीकृत पदों के अनुसार वित्तीय स्वीकृति प्रदान न करने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

128. पाली जिले के माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय रायपुर, गिरी, सैंदड़ा, कोट किराणा, बाबरा रास, अरवड़ा

(श्री हीरासिंह चौहान)

बीजागुड़ा में एन. सी. सी. प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रकाशचन्द बैरवा (फागी)

129. मिडिल, सैकेण्ड्री तथा हायर सैकेण्ड्री स्कूलों में अध्यापकों की कमी की पूर्ति पर चर्चा के लिये।

130. चाकसू कन्या सैकेण्ड्री स्कूल को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

131. सैकेण्ड्री स्कूलों में भवन निर्माण हेतु स्वीकृति प्राप्त करने में विभाग की विफलता पर चर्चा के लिये।

श्री दिलसुख राय (फतेहपुर)

132. राजस्थान के राजकीय महाविद्यालय में कार्यरत अस्थाई व्याख्याताओं की सेवाओं को नियमित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री चम्पालाल बांठिया (पचपदरा)

133. उच्च प्राथमिक विद्यालयों को जिला परिषदों से पुनः वापिस लेकर शिक्षा विभाग द्वारा संचालित करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

134. बालोतरा के विद्यार्थियों एवं युवकों के लिए स्टेडियम अथवा खेल के मैदान उपलब्ध नहीं कराने पर भी खेल परिषद को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

135. राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अस्थायी व्याख्याताओं की सेवाओं को नियमित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

136. 1975 में नियुक्त तृतीय श्रेणी अध्यापकों को वेतन शृंखला (355-570) में 405 से 445 के जम्प का लाभ देने एवं वसूली राशि पुनः लौटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

137. कोरणा, नडली थोब, टापरा, पारलू, के उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

138. बालोतरा में प्रस्तावित राजकीय महाविद्यालय हेतु हाऊसिंग बोर्ड बालोतरा की सुरक्षित भूमि में से भूमि दिलाने हेतु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये।

139. निर्वाचन क्षेत्र के राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक कन्या विद्यालय में कोमर्स के विषय प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

140. बालोतरा स्थित, जन सहयोग से बनाये गये स्कूल भवनों को सार्वजनिक निर्माण विभाग को सुपुर्द कर उनकी देखभाल एवं मरम्मत की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

141. बाड़मेर जिले की मूर्तियों शिक्षा लेखों एवं अन्य पुरातत्व महत्व की वस्तुओं का बालोतरा में संग्रहालय प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

142. बालोतरा में वस्त्र रंगाई-छपाई जट की बुनाई इत्यादि की तकनीकी शिक्षा प्रारम्भ करने पर चर्चा के लिये।

(श्री चम्पालाल बांठिया)

143. परेऊ (प. स. बायुत) में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशोराय पाटन)

144. प्रशिक्षित अध्यापकों को शीघ्र नियुक्तियां देकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करने पर चर्चा के लिये।

145. कोटा महिला कालेज में स्नातकोत्तर विषय खोला जाकर छात्राओं की समस्या का समाधान करवाया जाने पर चर्चा के लिये।

146. ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों को भवन सुविधा प्राथमिकता से उपलब्ध करवायी जाने हेतु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही न करने पर चर्चा के लिये।

147. विभाग में अनुसूचित जाति जन-जाति का आरक्षित कोटा पूरा नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

148. प्रदेश की हर तहसील एवं विधान सभा क्षेत्र में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जाने पर चर्चा के लिये।

149. बून्दी जिले में लाखेरी सीनियर हायर सैकेण्डरी स्कूल को कालेज में क्रमोन्नत करने सम्बन्धी सभी मापदण्डों के पूरा करने पर भी क्रमोन्नत नहीं करने पर चर्चा के लिये।

150. केशवराय पाटन क्षेत्र में लबान देईखेड़ा, भीया, अडीला एवं गेन्डोली में सैकेण्ड्री स्कूल खोले जाने पर चर्चा के लिये।

151. कापरेन सीनियर हायर सैकण्ड्री स्कूल में बायलोजी विषय एवं एन. सी. सी. खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

152. कापरेन सीनियर हायर सैकण्ड्री स्कूल में भवन हेतु जमा राशि का निर्माण हेतु उपयोग किया जाने की अनुमति प्रदान कर समस्या का समाधान करवाया जाने पर चर्चा के लिये।

153. सभी उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में खेल के मैदान की व्यवस्था नहीं करने पर भी खेल परिषद को दी जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

154. प्रदेश के हर तहसील में या विधान सभा क्षेत्र में एक कालेज आवश्यक रूप से न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

155. झालीजी का बराना सैकेण्ड्री स्कूल में छात्रों की बढ़ती संख्या को मध्य नजर रखते हुए शीघ्र क्रमोन्नत किये जाने पर चर्चा के लिये।

156. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान लाखेरी को भवन उपलब्ध करवाये जाने हेतु विभाग द्वारा कोई पहल नहीं करने पर चर्चा के लिये।

157. ग्रामीण क्षेत्रों के सभी विद्यालयों में कृषि विषय खोला जाकर नई तकनीकी शिक्षा कृषक वर्ग के लड़कों को देने पर चर्चा के लिये।

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

158. विद्यालयों में छात्राओं को गृह कार्यों से सम्बन्धित शिक्षा देने पर चर्चा के लिये।

159. बून्दी में महिला कालेज खोला जाकर छात्राओं एवं अभिभावकों को सहयोग प्रदान करने पर चर्चा के लिये।

160. केशवराय पाटन स्थित कंवर गोपालजी के बाग में विशाल भवन उपलब्ध होने पर कृषि कालेज या नवोदय विद्यालय नहीं खोले जाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

161. बून्दी जिले के ग्राम पंचायत मुख्यालयों की अवशिष्ट विद्यालयों को इसी वर्ष उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

162. महिला शिक्षा को प्राथमिकता के आधार पर बढ़ावा देने हेतु विशेष प्रयास किये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दकिशोर शर्मा (छबड़ा)

163. भवन एवं जमीन उपलब्ध होते हुए भी छबड़ा क्षेत्र में महाविद्यालय नहीं खोले जाने पर चर्चा के लिये।

164 छबड़ा विधानसभा क्षेत्र की प्राथमिक शालायें अध्यापकों के अभाव में बन्द पड़ी रहने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

165. छबड़ा क्षेत्र की उच्च प्राथमिक शालाओं में रिक्त अध्यापकों के पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

166. छबड़ा व छीपाबडोद की माध्यमिक शालाओं में अध्यापकों के रिक्त पदों पर अध्यापक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

167. छबड़ा क्षेत्र में झाझनी तहसील छीपाबडोद में हाई स्कूल खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

168. ग्राम झरखेडी पं. स. छबड़ा में भवन उपलब्ध होने पर भी मिडिल स्कूल नहीं खोलने पर चर्चा के लिये।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया)

169. बोलावाली नूरपुरा ढाणी ममड गंगानगर जिला इत्यादि की उच्च प्राथमिक स्कूलों को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

170. संगरिया क्षेत्र के गांव मनीवाली के हैडमास्टर का दो वर्ष से रिक्त स्थान को नहीं भरने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

171. गांव हीरसिंह नालचक, लालपुरा व कीकरवाली विधान सभा क्षेत्र संगरिया के स्कूलों को क्रमोन्नत करने हेतु चर्चा के लिये।

172. स्कूल के आस पास आर. एस. एस. की शाखाओं के लगने से वातावरण में पैदा हुए तनाव को रोकने पर विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

173. शहरी क्षेत्र व ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में स्टाफ लगाने में भेदभाव बरते जाने पर चर्चा के लिये।

174. राजस्थानी एकेडमी को ऐड बन्द करने व उसके अध्यक्ष को हटा दिये

(100)

(श्री हेतराम बेनीवाल)

जाने पर भी दी जा रही अनुदान राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर)

175. सन् 1990-91 में सरकार द्वारा बन्द किए गये शिक्षा केन्द्रों को पुनः खुलवाने के विषय में चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं)

176. गोकपुरा एवं रामपुरिया में नये प्राथमिक विद्यालय खुलवाने हेतु चर्चा के लिये।

177. स्कूलों में अध्यापकों के समय पर नहीं पहुंचने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

178. रामपुरिया प्राथमिक विद्यालय को क्रमोन्नत करने बाबत चर्चा के लिये।

179. ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार पर दूरी एवं आबादी को आधार मानकर नये प्राथमिक विद्यालय खोलने पर चर्चा के लिये।

श्री नत्थीसिंह (कुम्हेर)

180. राजस्थान के विद्यालयों में अध्यापकों की कमी निरन्तर रहने पर चर्चा के लिये।

181. राजस्थान के विश्वविद्यालयों में उप कुलपतियों की नियुक्ति नहीं किये जाने पर भी दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

182. ब्रजभाषा, ब्रज संस्कृति एवं कला के विकास की ओर समुचित ध्यान नहीं देने पर चर्चा के लिये।

183. भरतपुर में ब्रज महोत्सव को सरकारी सहायता इस वर्ष में नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये।

184. शिक्षा नीति में आमूल चूल परिवर्तन न किये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री रामेश्वरदयाल यादव (चौमूं)

185. चौमू क्षेत्र के ग्राम नांगल भाडा नांगल गोविन्द एवं अपातपुरा में माध्यमिक विद्यालय के अभाव में उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

186. सहरिया महाविद्यालय कालाडेरा (चौमूं) को क्रमोन्नत कर पी. जी. कालेज खोलने पर चर्चा के लिये।

187. चौमू क्षेत्र के बागडों का बास एवं नांगल कला में उच्च प्राथमिक विद्यालय के अभाव में उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

188 चौमू में भवन उपलब्ध कराने के बावजूद औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान न खोलने के फलस्वरूप ग्राम जनता में उत्पन्न असन्तोष पर चर्चा के लिये।

189. चौमू क्षेत्र की सामोद एवं उदयपुरिया ईटावा मोमजी माध्यमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत नहीं करने से ग्राम जनता में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

190. चौमू क्षेत्र में सीखो कमाओ योजना में हुए घोटाले से ग्राम जनता में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

श्री हेमराज (किशनगंज)

191. भंवरगढ़ में बालिका सैकेण्डरी स्कूल को क्रमोन्नत करने हेतु चर्चा के लिये।

192. ग्राम हुकमपुरा (सेवनी) में प्राथमिक विद्यालय को राज. माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

193. केलवड़ा में सीनियर हायर सैकेण्डरी स्कूल को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

194. किशनगंज व शाहबाद में रा उ. मा. विद्यालयों एवं सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूलों में द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अध्यापकों के रिक्त स्थान भरने बाबत चर्चा के लिये।

195. किशनगंज व शाहबाद में बालिका रा. मा. विद्यालयों में द्वितीय व तृतीय श्रेणी की अध्यापिकाओं की रिक्त जगह भरने बाबत चर्चा के लिये।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर)

196. अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को भविष्य निधि से वंचित रखने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

197. निजी शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को बढ़ा हुआ मंहगाई भत्ता बोनस आदि का भुगतान नहीं दिये जाने पर भी दी जा रही अनुदान राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

198. निजी शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को राज्य सरकार के कर्मचारियों के अनुरूप वेतन, अन्य भत्ते, वेतनमान, छुट्टी का आर्थिक लाभ,, पेंशन, ग्रेच्युटी, हाऊस रेन्ट, मेडिकल एलाउन्स आदि नहीं दिये जाने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

199. शिक्षा निदेशालय की अनुदान शाखा का विकेन्द्रीकरण कर दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

200. विभागीय कर्मचारियों द्वारा अनुदान की राशि रोक देने पर चर्चा के लिये।

201. अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं को पांच वर्ष बाद भी अनुदान से वंचित रखने पर चर्चा के लिये।

202. शिक्षा विभाग में पदों के आवंटन की कोई नीति नहीं होने से पनपते भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

203. सरकारी विद्यालयों तथा निजी शिक्षण संस्थाओं के स्टाफ का पेटर्न एक होने पर भी निजी शिक्षण संस्थाओं में माध्यमिक स्तर तक प्रयोगशाला सहायक सेवक के पद आवंटित नहीं करने पर चर्चा के लिये।

204. अनुदान राशि बढ़ाने हेतु हर तीन वर्ष बाद शिक्षा संस्थाओं के कार्यों की समीक्षा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

205. राज्य में शिक्षा संस्थाओं को दिये जाने वाली अनुदान राशि में वृद्धि करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

206. शिक्षा विभाग में सामान

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

खरीदने के घोटालों पर हुई कार्यवाही पर चर्चा के लिये।

207. ब्लेक बोर्ड ग्रापरेशन के ग्रन्तर्गत खरीदे गये सामान के घोटाले में लिप्त लेखा शाखा के ग्रधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होने पर चर्चा के लिये।

208. सीखो-कमाग्रो विभाग जयपुर के केन्द्र पर ग्रनेकों बार भ्रष्टाचार के ग्रारोप लगते रहने पर भी ग्रब तक कोई कार्यवाही नहीं होने पर चर्चा के लिये।

209. शिक्षा विभाग द्वारा क्रय किये गये सामान में ग्रनियमितताएँ करने वाले ग्रधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं होने पर चर्चा के लिये।

210. शिक्षा विभाग गंगोत्री शुद्धिकरण ग्रभियान समिति, बीकानेर द्वारा किये गये भयंकर भ्रष्टाचार पर निदेशालय द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये।

211. प्रयोगशाला सहायकों के वेतनमानों विसंगति के निवारण नहीं करने से व्याप्त ग्रसन्तोष पर चर्चा के लिये।

212. विश्वविद्यालय ग्रनुदान ग्रायोग द्वारा स्वीकृत केरियर एडवान्स मेन्ट स्कीम राजस्थान को राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में लागू नहीं करने पर भी दिऐ जा रहे ग्रनुदान के ग्रौचित्य पर चर्चा के लिये।

213. यू. जी. सी. ने शिक्षकों की सेवा निवृत्ति 60 वर्ष रखी है उसके ग्रनुरूप कर्मचारियों में सेवा निवृत्ति की ग्रायु 60 वर्ष करने पर भी दिये जा रहे ग्रनुदान के ग्रौचित्य पर चर्चा के लिये।

214. राजस्थान के विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में करीब दस-दस वर्ष से ग्रस्थायी रूप से कार्यरत शिक्षकों को स्थायी नहीं किये जाने पर भी दिये जा रहे ग्रनुदान के ग्रौचित्य पर चर्चा के लिये।

215. कालेज के लाईब्रेरियन तथा व्यायाम शिक्षकों को दिनांक 1.4.80 से यू. जी. सी. वेतनमान देने हेतु उच्च न्यायालय की ग्राज्ञा होने पर भी इस निर्णय को लागू नहीं किया जाने पर चर्चा के लिये।

श्री नवनीतलाल नीनामा (घाटोल)

216. सीनियर हायर सैकेण्डरी स्कूल घाटोल जिला बांसवाड़ा में कृषि विषय खोले जाने हेतु चर्चा के लिये।

217. सीनियर हायर सैकेन्डरी स्कूल घाटोल जिला बांसवाड़ा को कृषि कालेज में क्रमोन्नत करने हेतु चर्चा के लिये।

218. प्राथमिक विद्यालय काचरियां ग्राम पंचायत समिति घाटोल जिला बांसवाड़ा को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की चर्चा के लिये।

219. विधान सभा क्षेत्र घाटोल जिला बांसवाड़ा के दूर दराज गांवों में महिला ग्रध्यापिकाएँ लगाये जाने से शालाग्रों में पढ़ाई नहीं होने पर चर्चा के लिये।

220. गांव कनाव पंचायत समिति घाटोल जिला बांसवाड़ा में ग्राबादी के ग्रनुपात से प्राथमिक विद्यालय नहीं खोले जाने पर चर्चा के लिये।

(श्री नवनीत लाल नीनामा)

221. ग्राम पंचायत बड़ी चडाल पंचायत समिति घाटोल जिला बांसवाड़ा में टाण्डा पाड़ा में प्राथमिक विद्यालय नहीं खोले जाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

222. पंचायत समिति घाटोल व पंचायत समिति पीपलखुंट जिला बांसवाड़ा में प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की कमी को पूरी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

223. विधान सभा क्षेत्र घाटोल जिला बांसवाड़ा के हर गांव व मोहल्लों में प्राथमिक विद्यालय खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

224. डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिला की सरहद पर सोम व माही नदी के डेल्टा पर वेणेश्वर मेलों में भारतीय संस्कृति पर सरकार का विशेष ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मीलाल (आसीन्द)

225. शिक्षा नीति में मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

226. अधूरे शाला भवनों के निर्माण को पूर्ण करवाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

227. शिक्षा का स्तर सुधारने बाबत चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह (महुआ)

228. जिला परिषदों में अध्यापकों की चयन प्रक्रिया पर लम्बे समय से लगी रोक को हटाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

229. शिक्षा सत्र 1990-91 में राज्य सरकार द्वारा लम्बे समय तक विद्यालयों को बन्द रखे जाने से विद्यार्थियों के अध्ययन पर पड़े कुप्रभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

230. ग्रामीण विद्यालयों में निर्धारित संख्या से कम अध्यापक होने के कारण विद्यार्थियों के अध्ययन पर पड़ रहे कुप्रभाव पर चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद (टोंक)

231. टोंक पंचायत समिति क्षेत्र एवं शहरी स्कूलों में भवनों की कमी को दूर करने में विभाग की विफलता पर चर्चा के लिये।

232. टोंक पंचायत समिति क्षेत्र में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न विद्यालयों में अध्यापकों की कमी (रिक्त पदों) से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री फूलचन्द (नीमकाथाना)

233. राजकीय सीनियर हायर सैकेण्डरी विद्यालय नीमकाथाना में कार्यरत शिक्षकों का पदस्थापन लम्बे समय से एक ही स्थान पर होने से हो रही अनियमित- पर चर्चा के लिये।

234. शिक्षा विभाग की माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

235. रा. मा. विद्यालय, डाबला एवं

(श्री फूलचन्द)

टोडा विद्यालयों में दस जमा दो प्रणाली चालू न करने पर चर्चा के लिये।

236. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, पिपलपुर (सीकर) को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

237. विभाग द्वारा शिक्षकों को नियमित न करने व अन्य लम्बित मामलों को शीघ्र नहीं निपटाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

238. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर में हो रही अनियमितताओं से बोर्ड की साख कम होने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

239. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, सांवलपुर तवरान (सीकर) में माध्यमिक विद्यालय खुलवाने हेतु चर्चा के लिये।

240. राजकीय सैकेण्डरी विद्यालय पाटन (जि. सीकर) को सीनियर हायर सैकेण्डरी विद्यालय क्रमोन्नत करके दस जमा दो प्रणाली चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

241. पांच हजार की आबादी वाला ग्राम मोठूका (सीकर) की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मोठूका को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

242. नीमकाथाना विधान सभा की बहुत से माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापक व प्रधानाचार्यों के पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

243. राजस्थान पाठ्य पुस्तक मण्डल में हो रही अनियमितताओं का निवारण नहीं होने पर भी दी जा रही सहायता पर चर्चा के लिये।

244 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा शिक्षार्थियों को पूरक परीक्षा में बैठने का मौका दो बार नहीं दिये जाने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री रामकिशोर सैनी (बांदीकुई)

245. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में जनसंख्या को देखते हुए आई. टी. आई. खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

246. ग्राम पंचायत भाडेण्डा में प्राईमरी स्कूल खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

247. ग्राम पंचायत प्रतापपुरा की कक्षमपुरी में प्राथमिक स्कूल खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

248. ग्राम पंचायत ऊन बड़ा गांव में प्राईमरी स्कूल खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

249. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में स्थित प्राईमरी, मिडिल व हाई स्कूलों के लिए भवन निर्माण हेतु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये।

250. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई की स्कूलों में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

251. राजकीय सीनियर हायर

(श्री रामकिशोर सैनी)

सैकण्डरी स्कूल में कृषि विषय खोलने के बारे में चर्चा के लिये।

252. राजकीय बालिका सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल बांदीकुई होम साइन्स विषय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

253. बांदीकुई विधान सभा क्षेत्र में गर्ल्स कालेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

254. राजकीय माध्यमिक विद्यालय लोटवाड़ा में कृषि विषय खोलने के बारे में चर्चा के लिये।

255. राजकीय सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल बांदीकुई में कृषि विषय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

256. राजकीय महाविद्यालय बांदीकुई को नव निर्मित भवन में स्थानान्तरण करने के बारे में चर्चा के लिये।

श्री मदन दिलावर (अटरू)

257. ब्यावर व कवाई के सैकण्डरी स्कूलों को क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

258. अटरू क्षेत्र के सकतपुर व अन्ता के मिडल स्कूलों को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या-24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर विचार

श्री अध्यक्ष : श्री हरिसिंह

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की सामाजिक सेवाओं में सबसे महत्वपूर्ण....

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, आज आपकी बड़ी टेढ़ी नजर है।

श्री अध्यक्ष : आप यह चाहते हैं कि मैं इस सरकार की पोल खोलूं यहां, जिस तरह का दृष्य आज हो रहा है, जिस तरह से सदस्य गायब हो रहे हैं, आपने इस सदन को मजाक बना दिया। सही पूछा जाय तो। सरकार भी सीरियस नहीं ले रही है और विपक्ष के सदस्य भी सीरियस नहीं ले रहे हैं। आपको सदन नहीं चलाना है तो तो आप कार्यवाही कम कर दीजिये। मगर इस तरह से सदन चलाने का तरीका नहीं है यह।

श्री हरिकुमार औदिच्य : अध्यक्ष महोदय, सरकार तो बैठी है।

श्री अध्यक्ष : सरकार के सब मंत्री गायब हैं, कहां बैठी है सरकार ? बोलिये आप। आप इतना लाइटली ले रहे हैं सदन को यह बड़े खेद की बात है।

श्री हरिसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज सदन में सामाजिक सेवाओं में जो सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा, कला और संस्कृति विषय हैं, उसकी मांगों पर चर्चा की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, आजादी के बाद से ही निरन्तर शिक्षा की जो नीति चल रही है उसमें परिवर्तन करने के लिये, संशोधन करने के लिये, शिक्षा को रोजगार से जोड़ने के लिये अनेक शिक्षाविदों के कमीशन बैठे, उनकी सिफारिश हुई लेकिन स्थिति जहां की तहां है। शिक्षा को रोजगार से आज

(श्री हरिसिंह)

तक जोड़ा नहीं गया है । नतीजा यह निकला कि हम बड़ी संख्या में कालेज और यूनिवर्सिटीज में डिग्री वितरण करते रहे और बेकारों की एक बड़ी जमात खड़ी करते रहे ।

अध्यक्ष महोदय, आज जिस कदर बेकारी न केवल राजस्थान प्रान्त में है बल्कि समस्त भारत वर्ष में है उसके लिये हमारी शिक्षा नीति ही दोषी है । शिक्षा को रोजगार से जोड़ने के लिये जब जब भी यहां पर कमीशन बैठाये गये, उनकी सिफारिशें आयीं, सरकार सिफारिशें लागू करती है लेकिन वह कागजों तक सीमित रहती है और हम आज 42 साल बाद में भी ट्रायल एण्ड एरर की पोजीशन से होकर निकल रहे हैं । भूल करो और सुधारो, फिर भूल करो और सुधारो । लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं निकल रहा है, वही ढाक के तीन पात । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब आजादी के तुरन्त बाद यह महसूस किया गया, जब संविधान की संरचना हुई और संविधान में मौलिक अधिकारों का समावेश किया गया, उस समय निश्चित रूप से एक मत यह आया था कि देश में विशिष्ट शिक्षा जिसको कि, अध्यक्षजी, पब्लिक एजूकेशन कहते हैं, पब्लिक स्कूल की शिक्षा, जिसको मांटेसरी पद्धति पर लागू किया जा रहा था उसको समाप्त कर दिया जाय और भारत के हर नागरिक के लिये समान शिक्षा के अवसर प्रदान किये जायं ।

अध्यक्ष महोदय, वह हम नहीं कर पाये बल्कि हमारा लगाव और रुझान दिन पर दिन उनके प्रति बढ़ता जा रहा है, जितने भी मांटेसरी और पब्लिक स्कूल हैं । आज के अभिभावकों की यह स्थिति हो रही है कि हर अभिभावक यह चाह रहा है कि मैं अपने बच्चे को अंग्रेजी मीडियम से शिक्षा दिलवाऊं, अंग्रेजी में वह बोले, अंग्रेजी में बोलना सीखे और दूसरी तरफ गांव में रहने वाले जो बच्चे हैं, जिनको गांव के प्राइमरी स्कूल में शिक्षा दी जाती हैं, अध्यक्ष महोदय, आज उस शिक्षा की दुर्गति हो रही है । एक प्राइमरी स्कूल में एक अध्यापक बैठा रखा है वह अध्यापक 100-125 और 150 लड़कों को घेर के बैठा रहता है । वैसे शिक्षा विभाग के नार्म्स हैं कि एक अध्यापक और 49 बच्चे, लेकिन उन नार्म्स की कहीं पूर्ति नहीं होती है । और जो अध्यापक वहां पर बैठा रहता है उसका काम मात्र इतना होता है कि बार-बार बच्चे खड़े होते हैं वह कभी पानी पीने की इजाजत चाहते हैं, कभी पेशाब करने की इजाजत चाहते हैं और दिन भर विद्यालय में बैठा हुआ अध्यापक अपना सिर हिलाता रहता है । पढ़ाई के नाम पर वहां पर कुछ नहीं है । एक वह विद्यालय हैं और उन विद्यालयों से निकले हुये बच्चे, अध्यक्ष महोदय, हम कैसे यह विश्वास करें कि मांटेसरी पद्धति से जो विद्यार्थी पढ़कर आ रहे हैं, पब्लिक स्कूल में से जो पढ़कर विद्यार्थी आ रहे हैं उन विद्यार्थियों से ग्रामीण देहात की प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे किस प्रकार से अपने जीवन में उनसे स्पर्द्धा करेंगे, किस प्रकार से बड़े-बड़े आई.ए.एस., आई. पी.एस. और दूसरे काम्पीटेटिव एक्जामिनेशंस में किस प्रकार से उनका मुकाबला करेंगे ?

(12.48 म. प.)

(श्री यदुनाथसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

(श्री हरिसिंह)

उपाध्यक्ष महोदय, मौलिक अधिकारों में अगर सबसे बड़ी अवहेलना की गई है तो वह शिक्षा जगत में की गई है। अगर हम को समान रूप से सबको अवसर प्रदान करने हैं तो हमारी जो वर्तमान में मांटेसरी पद्धति है, पब्लिक स्कूल्स की पद्धति है जहां पर अधिकारियों के, सेठों साहूकारों के, उद्योगपतियों, राजा महाराजाओं और जागीरदारों के बच्चे पढ़ते हैं और गरीब किसान के बच्चे जो गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ते है उन दोनों में समानता लानी होगी। शिक्षा पद्धति में सुधार करने के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है। अगर यह समानता नहीं लाई जाती है तो 42 वर्ष बाद में भी आज भी शिक्षा में जो मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। वह बहुत ही दुर्गति करने वाला है।

गरीब आदमी पिछड़ा हुआ है उसका मात्र एक कारण यह है कि गरीबों को सही स्कूलों में सही शिक्षा पद्धति के मुताबिक शिक्षा नहीं दी जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं पुरजोर शब्दों में शिक्षा मंत्रीजी से यह मांग करता हूं कि राजस्थान के सब बच्चों को समान शिक्षा देने के लिये आप आवश्यक रूप से जो यह पब्लिक स्कूल्स हैं, यह जो मांटेसरी पद्धति है इसको एकदम समाप्त कर दीजिये। अगर यह नहीं होगा तो सभी बच्चों को समान शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान नहीं होंगे और समान शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान नहीं होंगे तो उनके जीवन में समानता आने का प्रश्न ही पैदा नहीं होना है।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी तरफ उच्च प्राथमिक विद्यालयों का जहां तक सवाल है, वह जिला परिषदों को दे दिये गए और एक तरफ सरकार ने जिला परिषदों को विद्यालय देने के बाद में, पता नहीं किस मानसिकता से सरकार ग्रसित है कि जिला परिषदों को आज तक सरकार ने नये अध्यापकों की भर्ती के अधिकार नहीं दिए और जहां-जहां नये अध्यापकों की भर्ती की जिला परिषदों ने कोशिश की, सरकार ने तुरन्त उन पर रोक लगा दी। कभी तो कहते हैं कि इन्टरव्यू मत लीजिए आप, मेरिट से करिए। मेरिट से लिए जाते हैं तो फिर रोक लगाई जाती है। नतीजा यह निकला कि जो प्राइमरी विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किये गए थे वहां पर पंचायत समिति का एक अध्यापक और मेहरबानी करके जिला परिषद ने एक हैड मास्टर और भेंट किया है। सात-सात क्लासेज चल रही हैं दो दो अध्यापकों के पीछे। कैसे आप सोचते हैं कि वहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों का भला हो जाएगा, कैसे वहां बैठने वाले विद्यार्थियों का शैक्षिक दृष्टि से मानसिक स्तर सुधारा जायेगा ? कैसे शिक्षा का स्तर सुधारा जायेगा ? उनकी क्या मानसिकता आप बनाना चाहते हैं, किस प्रकार का नागरिक उनको आप बनाना चाहते हैं। शिक्षा मन्त्री जी, यह सोचने का विषय है। पूरे स्कूलों में अध्यापक आप दें नहीं। जो पांच हजार स्कूल, राजस्थान में खोले गये थे उन स्कूलों को आपने बन्द कर दिया। पहले ही बेरोजगारों की भीड़ है। पांच हजार जिन युवकों को रोजगार दिया हुआ था, उस भीड़ में वह पांच हजार युवक और बढ़ गये। आप इस बजट में, सिर्फ लेकर आए हैं एक हजार प्राथमिक विद्यालय खोलने का विचार। कम से कम इतना तो

(श्री हरिसिंह)

होता कि जो पांच हजार विद्यालय इन्होंने बन्द किए थे वह पांच हजार विद्यालय पुन: चालू करते। उन स्थानों पर नहीं करते, अपने इच्छित स्थानों पर करते। अगर कांग्रेस वालों ने वह विद्यालय कहीं अपनी जगह पर अपनी इच्छानुसार खोल दिए हैं तो उसके लिए तो निर्धारित नार्म्स हैं। एक नार्म्स कांग्रेस ने भी तय किया था कि 250 की आबादी वाले जितने भी गांव हैं राजस्थान में, उन सब में विद्यालय खोल दिए जाय और 250 की आबादी वाले पांच हजार गांव राजस्थान में थे। पांच हजार गांवों में बिना किसी प्रकार के राजनीतिक भेदभाव के समस्त गांवों में विद्यालय खोल दिए गये थे। राजनीतिक भेदभाव वर्तमान सरकार कर रही है। उन पांच हजार विद्यालयों को आपने बन्द करके पांच हजार युवकों को बेरोजगार बना दिया। बेरोजगारी की सूची और लम्बी कर दी आपने।

आप रोजगार दे नहीं सकते, आप नई भर्तियां कर नहीं सकते। स्कूल बिना अध्यापकों के पड़े हुए हैं, आप वहां अध्यापक भेज नहीं सकते। यह स्थिति जब शिक्षा की है तो कैसे सोचें कि शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन किया जा रहा है, कुछ सुधार किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी बातें की थी नई शिक्षा पद्धति की। सन् 1986 में नई शिक्षा पद्धति आई और मैं समझता हूं कि हमारे वर्तमान शिक्षा मन्त्री जी का मानस भी कठोरता से उस शिक्षा पद्धति को लागू करने का है लेकिन मुझे दु:ख इस बात का है कि उनकी इस दृढ़ इच्छा शक्ति का उनके अधिकारी लोग अनुपालन नहीं कर रहे हैं। वह ही ढाक के तीन पात। सन् 1986 में स्टार्ट की हुई शिक्षा पद्धति में आज तक कोई विकास नहीं हुआ। आपने 10+2 की योजना लागू कर दी और दसवीं कक्षा तक सभी जितने भी विषय हैं वह आपने आवश्यक बना दिए और +2 में आपने आप्शनल सब्जेक्ट रखे हैं, 10+2 के जितने भी सीनियर हायर सैकण्डरी विद्यालय हैं उनमें आपने जो आप्शनल विषय बनाये हैं, उनमें से अधिकांश विद्यालय आज भी ऐसे हैं कि आप्शनल सब्जेक्ट के क्लास टीचर वहां पर नहीं हैं और विषय वहां पर हैं। मेहरबानी करके वहां क्लास टीचर भेजिये। आपने कामर्स विषय खोल दिया है, कामर्स का अध्यापक नहीं है। विद्यार्थियों की क्या दुर्गति हो रही है? आप अपने अधिकारियों से बैठकर कभी उनसे पूरी स्थिति का जायजा लीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय, क्लास टीचर जायं कैसे। हर अध्यापक का एक मानस बना हुआ है कि वह शहर में जाना चाहता है और शहर में भी विशेषकर राजस्थान की राजधानी जयपुर में। क्योंकि यहां ट्यूशन का बहुत बड़ा स्कोप है। तनख्वाह से कोई पेट नहीं भरता। एक-एक अध्यापक 6-6, 7-7, 8-8 हजार रुपये महीने की ट्यूशन करता है, क्लास में बिल्कुल नहीं पढ़ाता है। यही कारण है कि जयपुर में भीड़ इकट्ठी हो रही है। आप जयपुर के किसी भी विद्यालय को उठाकर देख लो वहां पर जितने भी अध्यापक हैं जितने भी आपको अधिकृत अध्यापक चाहिए उससे सवाया, डेढ़ी संख्या में वहां आपने अध्यापक बैठा रखे हैं।

आज रेशनलाइजेशन की बात करते

(श्री हरिसिंह)

थे। आपके अधिकारियों ने उसमें भी अड़ंगा लगा दिया। शिक्षा मन्त्री जी, आप कितना रेशनलाइजेशन कर पाये हैं? कितने अध्यापकों को, जो शहर में एक्स्ट्रा बैठे हैं उनको आप देहात में भेज पाए हैं? आप यहां भी असफल रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा मंत्री महोदय से आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि देहात और शहर के विद्यालयों में कृपया फर्क न करें। देहात के विद्यालयों की स्थिति, चाहे वह प्राइमरी विद्यालय हो, चाहे उच्च प्राथमिक विद्यालय हो, चाहे सैकण्डरी हो, चाहे सीनियर हायर सैकण्डरी विद्यालय हो, उनकी स्थिति बिल्कुल ऐसी बनी हुई है जैसे गांवों के चरागाह की होती है। गांव के चरागाह में घास नहीं होता। अगर गांव के चरागाह में उस मवेशी का पेट भरे तो गांव के विद्यालय में वहां के पढ़ने वाले बच्चों का मानसिक पोषण हो सके। इसलिए हर मां-बाप का, आज देहात में भी लोगों का यह मानस बना हुआ है कि अपने बच्चों को बेहतरीन शिक्षा के लिए किसी शहर में भेज दें। शहरों की आबादी भी इसीलिए बढ़ रही है। उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा मन्त्री जी से पुरजोर शब्दों में अनुरोध करूंगा कि जो गांव के विद्यालयों की दुर्गति हो रही है कृपया उसकी तरफ ध्यान देवें। वहां पर अध्यापकों की पूर्ति करें, शिक्षा का स्तर सुधारें, शहरों में जो अधिकांश अध्यापक बैठे हुए हैं, ड्योढे, सवाये, दुगुने तक की स्ट्रेन्थ के लोग बैठे हुए हैं उनको कृपया आप देखें। एक-एक विद्यालय में बीस-बीस साल से एक-एक टीचर बैठा हुआ है, वह वहां जाने का नाम नहीं ले रहा और जब कोई अधिकारी उनकी तरफ उंगली भी उठा देता है तो राजनीति हावी हो जाती है। फिर आपने डिजायर सिस्टम इजाद कर रखा है। वह लोग पहुंच जाते हैं किसी विधायक के पास। विधायक महोदय, डिजायर कर दीजिए, आपके विधान सभा क्षेत्र का मामला है और शिक्षा मन्त्री जी के पास डिजायर होती है, वह डिजायर एग्जीक्यूट हो जाती है और वह अध्यापक वहीं का वहीं फिर स्थिर हो जाता है।

आप यूनिवर्सिटीज की स्थिति देख लीजिए। मुझे सख्त अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज विश्वविद्यालय एजूकेशन का जितना स्तर गिरा है शायद ही इससे पहले कभी नहीं गिरा। आज फर्जी मार्कशीट्स बन जाती हैं, फर्जी डिग्रियां मिल जाती हैं और पिछली बार विधान सभा में यह प्रकरण उठाये गए थे, फर्जी मार्कशीट्स के मामले आए थे उनकी जांच हुई। मैं पूछता हूं कि क्या उसके बाद में यह सिस्टम रुक पाया। आज विश्वविद्यालय में जो एक्जामिनर्स हैं वह भाई-भतीजावाद कर रहे हैं। विश्वविद्यालय नियम यह है कि जिस किसी भी व्यक्ति का बच्चा अगर किसी क्लास में पढ़ रहा है तो वहां पर उसको पेपर सेटिंग का काम नहीं दिया जाएगा, उसके अभिभावक को। इन नियमों को तोड़ा जा रहा है। एक नहीं, अनेक उदाहरण हैं। मेरा एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी इसी विषय पर लगा हुआ है, समय आने पर मैं उस पर चर्चा करूंगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं टेक्निकल एजूकेशन के सम्बन्ध में कुछ कह रहा हूं। गांवों में टेक्निकल

(श्री हरिसिंह)

एजूकेशन के नाम पर, आई.टी.आई. के नाम पर बहुत सारी व्यापारिक दुकानें खोल दी है। जहां पर पढ़े-लिखे युवकों का शोषण हो रहा है उनमें भिन्न-भिन्न ट्रेड आपने स्टार्ट कर दिए। हकीकत यह है कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर में आई टी आई. विद्यालय खोले हैं उनमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों से मात्र फीस ली जाती है, विद्यार्थी वहां पढ़ने के लिए नहीं जाते और उनको परीक्षा के लिए अलाउ कर दिया जाता है। यह विद्या का जो आज व्यवसायीकरण करने जा रहे हैं, मेहरबानी करके या तो इन पर आपकी स्ट्रांग पकड़ होनी चाहिए, उनकी चैकिंग होनी चाहिए। वहां पर विद्यार्थियों को कैसी शिक्षा दी जा रही है, इसकी आप को जांच करनी चाहिए और अगर यह आप नहीं कर पाते तो ऐसे विद्यालयों को बन्द कर दें। मैं इसके साथ ही शिक्षा मन्त्री जी से एक और अनुरोध करूंगा कि जयपुर में और दूसरे शहरों में, जहां पर मान्यता प्राप्त प्राइवेट विद्यालय हैं, सरकार से मान्यता प्राप्त हैं, सरकार ने जो वेतनमान तय कर रखे हैं वह उनको नहीं मिलता। उनके बदले इतना शोषण उन विद्यालयों में हो रहा है कि एक एस. टी. सी. और बी. एड ट्रेन्ड लड़के और लड़की को 250–300 रुपये से ज्यादा नहीं देते। यह शिक्षा का व्यवसायीकरण विशेष कर शहरों में हो रहा है। शिक्षा मन्त्री जी, मेहरबानी करके आप उन लोगों के साथ न्याय कीजिए जिनका शोषण यह मान्यता प्राप्त विद्यालय कर रहे हैं। जो सरकार की तरफ से मान्यता प्राप्त विद्यालयों में आपने नीति निर्धारित कर रखी है और जो निर्धारित वेतनमान हैं कृपया उन लोगों को वह वेतनमान दिलाने की कोशिश करें। आप निश्चित रूप से उनकी चैकिंग करवाएं। अगर आप उनकी चैकिंग करवायेंगे तो निश्चित रूप से इस प्रकार के जितने भी मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं उन सब को बंद करने के लिए आपको मजबूरन डिसीजन लेना पड़ेगा। मैं इतना ही निवेदन करता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद

श्री उपाध्यक्ष : श्री सांवर लाल जाट।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : पाइन्ट आफ इन्फार्मेशन। उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा के बाहर राजस्थान विश्वविद्यालय और उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों के लेक्चरर्स और रीडर अपनी मांगों को लेकर राज्य सरकार को एक ज्ञापन देने आये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : यह इन्फार्मेशन क्या है, विधान सभा का सत्र चलता है तो कोई न कोई तो आता ही है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, कोई साधारण आदमी नहीं आए। जो शिक्षक देश के कर्णधार हैं, हमारे राष्ट्र के भावी निर्माता हैं वह लोग अपनी समस्याओं को लेकर आए हैं। शिक्षा के सम्बन्ध में आज चर्चा कर रहे हैं और शिक्षा के सम्बन्ध में ही उनका ज्ञापन है।

आज यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट कालेजेज के लेक्चरर्स हैं उनमें और प्राइवेट कॉलेज के लेक्चरर्स के वेतनमानों में उनको जो सुविधायें है उसमें अन्तर है। इसलिए मैं आपके माध्यम से....

श्री उपाध्यक्ष : आप अपनी पार्टी की तरफ से नाम दिलवायें और....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : नाम तो आपको दिया जा रहा है। मैं आपको सूचना दे रहा हूं। देश के महत्वपूर्ण भावी कर्णधारों को बनाने वाले शिक्षक विधान सभा के बाहर धूप के अन्दर अपनी मांगों को लेकर आये हैं। इसकी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवकिशोर सनाढ्य। (अनुपस्थित)

(1.00 म.प.)

डा. चन्द्रभान।

डा. चन्द्रभान (मण्डावा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज हम शिक्षा की मांगों पर चर्चा कर रहे हैं और मुझे कहते हुए अफसोस है कि जैसे कि हमारे माननीय सदस्य माहिरआजाद ने सवाल उठाया कि जब शिक्षा की मांगों पर बहस कर रहे हैं उसी समय विधान सभा के सामने प्रदेश के शिक्षक अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जो यूनिवर्सिटी के लेक्चरर्स है, प्रोफेसर्स है और राजस्थान प्रदेश के कालेजेज के व्याख्याता लोग है। इसी के साथ में यह भी अफसोस है कि माध्यमिक शिक्षा से सम्बन्धित जो मन्त्री है प्रभारी वह तो यहां अनुपस्थित, प्राथमिक शिक्षा से सम्बन्ध रखने वाले मन्त्री जी अनुपस्थित, उच्च शिक्षा के प्रभारी मन्त्री माननीय मुख्य मन्त्री जी अनुपस्थित, उच्च शिक्षा के राज्य मन्त्री जी भी अनुपस्थित है। मेरे पुराने विभाग के तकनीकी शिक्षा के राज्य मन्त्री जी तो उपस्थित है लेकिन प्रभारी मन्त्री जो मुख्य मन्त्री जी हैं वह अनुपस्थित हैं। खैर फिर भी मैं इस सम्बन्ध में मेरी राय और विचार रखना चाहूंगा। जहां तक शिक्षा का सवाल है किसी भी समाज के विकास को यदि नापना हो तो इसके लिए शिक्षा सबसे बड़ा पैमाना है और राजस्थान प्रदेश एक पिछड़ा हुआ प्रदेश है। यह इसी से साबित होता है कि यहां पर लिट्रेसी रेट व अन्य राज्यों के मुकाबले कितनी है। जो औसत दर जो देश की है उसके मुकाबले कितनी है। गत वर्ष में और पिछले वर्षों में इसमें कितनी वृद्धि हुई और आने वाले वर्षों में इसके लिए क्या प्रावधान रखे गये हैं। मुझे यह कहते हुए, एक तरफ इस बजट की सत्ता पक्ष के लोगों ने भारी प्रशंसा की मैंने मेरे बजट भाषण में भी कहा था और आज फिर उसको दोहरा देता हूं कि सामुदायिक शिक्षाओं के लिए सरकार ने जितने बजट का प्रावधान किया जाना चाहिए था उसमें कमी की है। चाहे वह शिक्षा का सवाल हो, चाहे अन्य समाज कल्याण के कार्यक्रम हो, जहां तक शिक्षा की स्थिति है मैंने अपना ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी दस दिन पहले दिया था लेकिन उस पर अभी चर्चा नहीं हो पायी। राजस्थान प्रदेश ही नहीं बल्कि समूचे देश में शिक्षा का व्यापारीकरण होता जा रहा है। शिक्षा कई लोगों के लिए व्यापार बन गयी है और सरकार की जो शिक्षण संस्थायें हैं उनकी क्रेडिटेबिलिटी खतम होती जा रही है। बहुत सारे ऐसे स्कूलों में, कालेजों में प्रिन्सीपल, हैडमास्टर है और उनके लड़के प्राइवेट पब्लिक स्कूलों में पढ़ने जाते हैं। इसको कर्तव्यहीनता, अनुशासनहीनता और कहना चाहिए कि सरकार की ओर से उन पर कोई अंकुश नहीं है और कहना चाहिए कि शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह की गिरावट आयी है इससे पूरा शिक्षा का ढांचा चरमरा गया है। शिक्षा मन्त्री जी, इसके लिए

(112)

(डा. चन्द्रभान)

मैं कहना चाहूंगा आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए विशेष रूप से कोई कार्यक्रम की घोषणा इस सदन में करनी चाहिए। प्रदेश में जो गांवों के स्कूल की शिक्षा है, माननीय सदस्य ने अभी चर्चा की असल में तो उपाध्यक्ष महोदय, इसकी जड़ यह है कि इस मुल्क में जो दो तरह की शिक्षा की व्यवस्था है इसको समाप्त किया जाना चाहिए। दोहरी शिक्षा व्यवस्था, एक बड़े बाप का बेटा जो शहर की बड़ी पब्लिक स्कूल में पढ़ने जाता है और एक गांव के गरीब का लड़का जो गांव की उस स्कूल में पढ़ने जाता है जहां टाट पट्टी का इन्तजाम नहीं, जहां पीने के पानी का इन्तजाम नहीं, जहां छप्पर का इन्तजाम नहीं, अध्यापक का इन्तजाम नहीं। उसका भविष्य नहीं बन सकता और जब वह दोनों 10वीं पास करके या बी. ए., बी. एस सी. पास करके किसी सरकार की नौकरी की प्रतियोगिता में जाते हैं और वहां जब आरक्षण की चर्चा की जाती है और कहना चाहता हूं कि ज्यादातर गरीब लोग, जातिगत रूप की बात यहां मैं नहीं करूंगा लेकिन जो लोग सामाजिक रूप से गरीब है वह आर्थिक रूप से भी गरीब होते हैं। वह लोग सरकार की उच्च सेवाओं में इसीलिए नहीं जा पाते हैं, शुरू से ही उनको इस तरह की शिक्षा दी जाती है चपरासी बनने वाली। इस दोहरी नीति को सरकार को खतम करने के लिए किसी न किसी निर्णय की घोषणा करनी चाहिए। इसके साथ में स्कूली शिक्षा में और तकनीकी शिक्षा में अलग तरह का आरक्षण है वह है केपीटेशन फीस। यह बीमारी अन्य राज्यों के मुकाबले राजस्थान में थोड़ी कम हैं लेकिन मुझे यह कहते हुए चिन्ता हैं, हम लोगों ने जब मैं सरकार में था तकनीकी शिक्षा का प्रभारी मन्त्री था, मैंने प्रयास किया राजस्थान में जो ऐसे प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन थे और जो कहना चाहिए पीछे के दरवाजे से दाखिला देते थे उनको चैक करने के लिए, जो केपीटेशन फीस लेते थे हमने रोक लगायी और मुख्य मन्त्री जी के नोटिस में लाया। मुख्य मन्त्री जी ने कहा केपीटेशन फीस बन्द होनी चाहिए। इसके लिए उन लोगों से हमने डेबिट पर हस्ताक्षर करवाये लेकिन उसके बावजूद झुन्झुनू जिले के पिलानी कस्बे में मुंगप्पा पोलीटेकनिक कालेज का जो मालिक है जो हरियाणा का रहने वाला है, भिवानी का उसको 26 अक्टूबर तक इसलिए परमीशन नहीं दी कि उसने एफीडेबिट पर साइन नहीं किए बाकी सब लोगों ने कर दिए। यह तय हुआ कि हमारे पोलीटेकनिक कालेज का जो डायरेक्टोरेट है उसका एक सदस्य जाएगा और सरकार का प्रतिनिधि जाएगा लेकिन मुंगप्पा कालेज का जो मालिक है, मैनेजर है, प्रिन्सिपल है उसने एफीडेविट पर साइन नहीं किए तो हमने इजाजत नहीं दी। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उसको 4 अक्टूबर को परमिशन मिल गयी। उसके बारे में सरकार को जांच करनी चाहिए और आज 15–20 हजार रुपये लेकर 45 प्रतिशत, 46 प्रतिशत, 50 प्रतिशत वाले लड़कों को पोलीटेकनिक डिप्लोमा में एडमिशन देता है जिससे राजस्थान में तकनीकी शिक्षा के स्तर में गिरावट आयेगी।

जब मैं गांव की स्कूल की चर्चा करता हूं तो एक बात मैं कहना चाहता हूं औचित्य साहब, सरकारी स्कूलों के प्रति

(डा. चन्द्रभान)

विश्वास रखना है इसको आप समझ रहे हैं लेकिन....

एक माननीय सदस्य : नाम नहीं ले सकते ।....(व्यवधान)

श्री हरिकुमार औदिच्य : मेरे उनके ऐसे सम्बन्ध नहीं है कि मेरा नाम नहीं ले सकते ।....(व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : हम दोनों के सम्बन्ध किसी की ओर से भी नहीं....

श्री महावीर प्रसाद जैन : दोनों एक सवारी है दोनों के सम्बन्ध हो जाये तो किसी को एतराज नहीं है ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : दोनों के सम्बन्ध हो ही नहीं सकते ।

डा. चन्द्रभान : आपके सम्बन्ध की केदारजी से चर्चा चली थी इसलिए कह रहे हैं क्या आप ।

हमारे तो सम्बन्ध हैं इससे क्या होगा ।

मैं गांव की बात कर रहा था । गांव की शिक्षा की और शहर की शिक्षा की । अब तो शहर में भी पब्लिक स्कूल नहीं गांवों में गली-गली में प्राइवेट स्कूल खुलते जा रहे हैं और वहां पर चूंकि एक आकर्षण इस तरह का बना दिया गया अंग्रेजी के प्रति बड़ा आकर्षण हैं । जब भाषा का सवाल आएगा मैं कह रहा हूं प्रदेश की एक स्पष्ट भाषा नीति होनी चाहिए । अंग्रेजी के महत्व को बढ़ाये रखना है या कम करना है । प्री-मेडिकल में अंग्रेजी नहीं केबिनेट में यह डिसकर्स हो गया था कि प्री-इंजीनियरिंग की अंग्रेजी अनिवार्यता समाप्त की जायेगी । अंग्रेजी का पर्चा जो है वह नहीं होगा । लेकिन अभी तक सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई निश्चित घोषणा नहीं की है, कोई आदेश जारी नहीं किए हैं । फिर जून और जुलाई का महीना आने वाला है । इस अंग्रेजी के महत्व को समाप्त करना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय, अंग्रेजी का महत्व समाप्त हो जाय तो फिर ये अंग्रेजी स्कूल जिनके नाम पर गरीब जनता की लूट हो रही इनको भी बन्द किया जा सकता है । आज टीचर्स की सबसे बड़ी मांग यह है कि निजी शिक्षण संस्थाओं के विधेयक को लागू किया जाएं । ये जितने प्राइवेट पब्लिक स्कूल हैं इनमें जो काम करने वाले अध्यापक हैं जो 5वीं कक्षा या 8वीं कक्षा तक ही हैं, उनके पास निर्धारित प्रशिक्षण भी नहीं है, बी. एड नहीं हैं और कई तो बी. ए. पास भी नहीं हैं, निर्धारित डिग्री भी उनके पास नहीं है फिर भी वहां पर काम करते हैं और दूसरे कई ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं जिनमें अच्छे टीचर्स हैं लेकिन उनका उनके मालिक लोग शोषण करते हैं । अतः सरकार को इस सम्बन्ध में एक विधेयक लाना चाहिए और उसको सब लोगों के द्वारा पारित कराना चाहिए ताकि प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों का शोषण समाप्त हो सके और जिन लोगों के पास निर्धारित डिग्री नहीं है, प्रशिक्षण नहीं है उनको इस प्रकार की शिक्षण संस्थाओं में अध्यापन कराने के कार्य की जिम्मेदारी से मुक्त करना चाहिए ।

114

(डा. चन्द्रभान)

उपाध्यक्ष महोदय, अभी सरकार ने 1000 स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में केवल 25 स्कूल तथा 5 कालेज खोलने की बात की है। मैं तो उस जिले से आता हूं, जिस जिले में राजस्थान की सरकार ने आज तक एक भी कालेज नहीं खोला है। मेरे क्षेत्र के नजदीक फतेहपुर, रामगढ़ शेखावाटी, रतनगढ़, चूरू, लक्ष्मणगढ़ हैं। सब जगह डिग्री कालेज हैं लेकिन मेरे क्षेत्र में एक भी कालेज नहीं है। मेरे पूरे जिले में एक भी राजकीय कालेज नहीं है, प्राइवेट कालेज है लेकिन मण्डावा विधान सभा क्षेत्र में एक भी कालेज नहीं है। मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि जब ये पांच कालेज खोले जाएं तो इस क्षेत्र का भी ध्यान रखा जाए जहां पर आज तक कोई कालेज नहीं खुला है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

डा. चन्द्रभान : और जब उच्च शिक्षा की बात आई है तो एक बार और कहना चाहूंगा। जब तकनीकी शिक्षा और उच्च शिक्षा का सवाल है तो सरकार को ध्यान देना चाहिए कि तकनीकी शिक्षा के बजट में अब की बार बढ़ोतरी की गई है लेकिन फिर मुझे यह कहते हुए अफसोस हो रहा है कि पिछली बार जब हमने यह नीतिगत फैसला लिया था और केन्द्र सरकार की भी स्वीकृति आ गई थी कि हमको शिक्षा को रोजगार से जोड़ना है। ये बड़े-बड़े इंजीनियरिंग कालेज जो कि बेरोजगार व्यक्ति पैदा करते हैं। आज इंजीनियरों की हमारे राजस्थान में कोई कमी नहीं है। जो मैन पावर है उसमें 1000 से ज्यादा डिग्री होल्डर प्रशिक्षित इंजीनियर बेरोजगार हैं। मैं कहना चाहूंगा थोड़े से जो काम करने वाले कारपेन्टर हैं, मैकेनिक हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, दर्जी हैं, बढ़ई हैं इनको आई. टी. आई. के माध्यम से ट्रेण्ड करना चाहिए। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार ने महिला पोलीटेक्निक कालेज जोधपुर में तो खोलने की घोषणा की लेकिन एक भी आई. टी. आई. समूचे राजस्थान में खोलने की घोषणा नहीं की है और आई. टी. आई. स्कूल के लिए, उनको साउण्ड करने के लिए उनमें अध्यापक नहीं है। उनके स्तर को ऊपर उठाने के लिए सरकार ने अलग से कोई विशेष प्रावधान नहीं रखा है। झुन्झुनू जिले में कोई आई. टी. आई. नहीं खोला जाता और जोधपुर में पोलीटेक्निक कालेज आलरेडी है, वहां पर इंजीनियरिंग कालेज हैं, पोलीटेक्निक का डायरेक्टोरेट है और महिला पोलीटेक्निक कालेज भी वहीं खोल दिया है। पहले सरकार इसे झुन्झुनू में खोलना चाहती थी। झुन्झुनू में सब जगह तो महिला शिक्षा है....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, एक बात उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा कि कालेज टीचर्स भी बाहर खड़े हैं। राजस्थान के विश्वविद्यालयों में पिछले 8 महीने और एक साल से वाइस चांसलर के पद रिक्त पड़े हैं और मुझे यह कहते हुए बड़ा ही दुःख हो रहा है कि राजस्थान का नाम शर्म से झुकने वाला काम राजस्थान सरकार ने चाहे वह जाने-अनजाने हो गया हो। जो भी सलेक्शन कमेटी के मैम्बर्स होते हैं मेरे पास उन लोगों के नाम भी हैं, जिसमें रजनी कोठारी जैसे लोग हैं, उपेन्द्र बख्शी जैसे लोग हैं। जे. एन. यू. के वाइस चांसलर प्रो.

(डा. चन्द्रभान)

अडवानी जैसे लोग हैं। अजमेर, कोटा के संबंध में जो कमेटी बनी थी और सरकार के मन माफिक उन्होंने जब कार्य नहीं किया तो कमेटी को भी बर्खास्त कर दिया गया। ऐसा काम पहले कभी नहीं हुआ। कमेटी को फिर रैफर किया जा सकता है, दुबारा नये नाम मंगवाये जा सकते हैं लेकिन कमेटी को ही भंग कर दिया।

राजस्थान यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा। माननीय ललितकिशोर जी चतुर्वेदी जो खुद चिकित्सा विभाग के मन्त्री है वे वहां पर सलेक्शन कमेटी के मेम्बर बनाये गये। सरकार की ओर से जवाब दिया जायेगा कि कांग्रेस के जमाने में भी ऐसा होता था। कांग्रेस के जमाने में भी परसराम जी मदेरणा सलेक्शन कमेटी के मेम्बर रहे हैं लेकिन उनका विभाग यूनिवर्सिटी से सम्बन्धित नहीं था। जबकि मेडिकल कालेजेज यूनिवर्सिटी से सम्बन्धित है।

श्री उपाध्यक्ष : अब समाप्त करें, माननीय सदस्य।

डा. चन्द्रभान : तो उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे समय में सही वाइस चांसलर की नियुक्ति होनी चाहिए और मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि उपकुलपतियों की नियुक्ति कब तक हो जायेगी। इससे राजस्थान की शिक्षा में हमारे जो नौजवान लगे हुए हैं वे इससे डायरेक्ट अफेक्ट हैं। इसी के साथ शिक्षा में जो अनुशासन आना चाहिए वह नहीं बन रहा है। अतः कुलपतियों की तत्काल सरकार को नियुक्ति करनी चाहिए। मैं कहना चाहूंगा कि शिक्षा का बजट 10 प्रतिशत नहीं तो कम से कम बजट का 6 प्रतिशत हिस्सा तो शिक्षा के ऊपर खर्च किया जाना चाहिए। शिक्षा और चिकित्सा को सरकार को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसी के साथ मैं मेरी बात को समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सांवरलाल।

श्री सांवरलाल (मिनाय) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज शिक्षा की जो मांग है उस पर अपने विचार रखने का प्रयास कर रहा हूं। आजादी के बाद हमारी लोक कल्याणकारी सरकार का उद्देश्य यह बना कि जो भी इस हिन्दुस्तान में व्यक्ति हैं उन सभी को शिक्षित किया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किस प्रकार की शिक्षा हम देना चाहते हैं और यदि उस शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं उनका क्या सम्मान करना चाहिए इन ही सब बातों के ऊपर हमारी शिक्षा की जो नीति है, पद्धति है वह आधारित होनी चाहिए। परन्तु बड़े अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है कि जिस हिन्दुस्तान में गुरुकुलों के जमाने में शिक्षा दी जाती थी, आश्रम व्यवस्था थी वह शिक्षा ज्यादा कारगर और सही दी जाती थी। आजादी के बाद में इस शिक्षा के क्षेत्र में निरन्तर गिरावट और दोहरापन देखने को मिला है। दोहरी शिक्षा प्रणाली आज 42-43 वर्षों के बाद भी इस हिन्दुस्तान में विद्यमान है। हमें निश्चित रूप से दो वर्ग दिखाई देंगे। एक जो पब्लिक स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और दूसरा वही हालत है जो गांव के स्कूलों की है। आप महसूस कर सकते हैं जब हम महाविद्यालयों में जाते हैं वहां पर स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है।

(श्री सांवरलाल)

गांवों के अन्दर हम इस साल 1000 स्कूल खोल रहे हैं। पहले जो सरकार थी वह जाते-जाते कई स्कूलें खोल गई। परन्तु मुझे बड़े दुःख के साथ यहां आपसे निवेदन करना पड़ रहा है कि शिक्षकों की व्यवस्था भी वहां पर एक फार्मूले से होती है। 40 विद्यार्थियों के ऊपर एक शिक्षक होगा। चाहे वो पहली क्लास के हों, दूसरी क्लास के हों, तीसरी क्लास के हों, 5वीं क्लास के हों और यह अनुपात भी वहां पर शिक्षक लगाकर पूरा नहीं करते। तो मेरा जो निवेदन है वह यह है कि हम अगर शिक्षा को मजबूत बनाना चाहते तो इस देश में जो मानव श्रम हैं उसका सही उपयोग करना चाहिए। तो निश्चित रूप से हमको एक सोच, एक विचार कायम करना पड़ेगा और यह जो दोहरी शिक्षा पद्धति है उसे समाप्त करना होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कई पब्लिक स्कूल ऐसे हैं जिनमें ज्यादातर जो शिक्षक लगे हुए हैं वे आर. पी. एस. सी. से रिजेक्टेड होते हैं सरकारी स्कूलों में नौकरी पाने के योग्य नहीं होते हैं। उन स्कूलों की वेश-भूषा, वहां के रहन-सहन की वजह से वे शिक्षक वहां पर रहते हैं, लड़कों को अट्रेक्ट करते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो रिजेक्टेड टीचर्स हैं उनके बलबूते पर ये निजी संस्थाएं पब्लिक स्कूल लाखों रुपये कमाती हैं। फीस का इतना बड़ा अन्तर है कि साधारण आदमी वहां पर नहीं पढ़ा सकते हैं। जो वातावरण वे हमारे बच्चों को देते हैं वह हमारे गांव की स्कूलों में नहीं है। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि यदि हम यह चाहते हैं कि गांवों का भला हो, गरीब का बच्चा भी शिक्षा ले और वह भी जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं अच्छी जो नौकरियां हैं उनमें आये तो निश्चित रूप से हमें दोहरी शिक्षा के ऊपर रोक लगानी होगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो तकनीकी शिक्षा है। हालांकि हमारे राजस्थान में ऐसी संस्थायें नहीं हैं पर हिन्दुस्तान में ऐसी कई संस्थायें हैं जो 36 प्रतिशत अंक से पास युवकों से बड़ी-बड़ी रकम ले करके प्रवेश देती हैं और ऐसी स्थिति में हम यह कह सकते हैं कि हमारे गांव का जो गरीब विद्यार्थी है वह किस प्रकार चाहे वह इंजीनीयरिंग हो, चाहे मेडिकल हो या और कोई आयुर्वेद की सेवाएं हों उन सेवाओं में वह किस प्रकार प्रवेश ले सकता है। तो मेरा यह निवेदन है कि सरकार को इस सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से सोचना होगा, कार्यवाही करनी पड़ेगी कि किस प्रकार से चन्दा लेने की पद्धतियां हैं इन पर रोक लगाई जायं।

हायर एजूकेशन का जहां तक सवाल है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हायर एजूकेशन में डिग्री स्तर की शिक्षा है। डिग्री स्तर की शिक्षा में 10+2+3 पद्धति लागू है। अब जो लागू हो चुकी है उसके बारे में मैं अपनी राय कायम नहीं करना चाहता हूं पर जो महाविद्यालयों की हालत है वहां शिक्षक पढ़ाने में रूचि नहीं लेते हैं उसके साथ ही विद्यार्थी भी पढ़ने में रूचि नहीं लेते हैं। हमारी परीक्षाएं कभी भी समय पर नहीं होती। हम उप कुलपतियों की नियुक्ति समय पर नहीं कर पाते। तो

(श्री सांवरलाल)

मेरा निवेदन यह है कि डिग्री स्तर पर हमें यह प्रयास करना चाहिए कि सैशन पूर्व निर्धारित हो कलण्डर है उसके अनुसार चले। शिक्षक सही समय पर क्लासेज लें और विद्यार्थी जो नियमित प्रवेश लेते हैं वे क्यों नहीं क्लासेज अटेण्ड करना चाहते हैं, पढ़ना क्यों नहीं चाहते हैं? जब वे पढ़ना ही नहीं चाहते हैं तो उनका नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश लेकर परीक्षा देने का कोई औचित्य नहीं रहता।

इसलिए इसके बारे में भी गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है। पी. जी. और रिसर्च के सम्बन्ध में मैं अपने विचार आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि विश्वविद्यालयों में शोध होता है, हिन्दुस्तान में शोध के सम्बन्ध में कोई विशेष प्रगति, मैं कह सकता हूं, नहीं है और सोशियल साइंस वगैरह में जो भी रिसर्च होता है उस रिसर्च की क्या उपयोगिता है? हजारों रुपए खर्च होते हैं, सरकार की तरफ से और विश्व विद्यालय अनुदान आयोग की तरफ से भी उन्हें सहायता दी जाती है, उस सहायता का क्या मकसद है? जब किसी पर्टिकूलर सब्जेक्ट के ऊपर कोई शोध करता है और उस शोध की कोई यथार्थता नहीं है कोई उपयोगिता नहीं है तो मेरा यहां पर एक सुझाव है कि सम्बन्धित जो विभाग है, जिसके सम्बन्ध में कोई भी शोध या लेख जो प्रकाशित होता है उसको लागू करने के लिए उस विभाग को यह निर्देश होने चाहिए कि कोई भी विद्यार्थी, शिक्षक या कोई भी शोध से जुड़ा हुआ छात्र अगर शोध करता है किसी पर्टिकूलर सब्जेक्ट के ऊपर, तो उस विभाग का पूर्ण सहयोग मिलना चाहिए और उसके साथ ही उस विभाग को भी अगर कोई सुझाव ढंग के हैं, लाभदायक हैं, हमें फायदा मिल सकता है तो निश्चित रूप से उस शोध को वहां पर इम्प्लीमेंट करने के लिए भी किसी प्रकार के कानूनी प्रावधानों की आवश्यकता है। क्योंकि जो शोध होता है उस पर लाखों रुपये की राशि खर्च होती है, मैं समझता हूं, कोई उपयोगिता नहीं है। इसी प्रकार मेरा एक और निवेदन है कि हिन्दुस्तान में जितने भी बड़े-बड़े लोग हुए हैं, आर्थिक दर्शन से सम्बन्धित जो भी पुस्तकें हैं-चाहे वह लोहिया की हो या चौधरी चरणसिंह हों, मैं यहां पर निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की परिस्थितियों को जितनी बारीकी से स्वर्गीय चौधरी चरणसिंह ने देखा है, महसूस किया है और उसके ऊपर लिखा है, आज तक किसी ने नहीं लिखा है। मै आपके माध्यम से सरकार से एक निवेदन करना चाहता हूं कि चौधरी साहब की जो अर्थ-व्यवस्था के सम्बन्ध में जो पुस्तकें हैं, जो भारत की भयावह आर्थिक स्थिति, इकानामिक नाइट मेयर ऑफ इण्डिया, इसके अलावा भी कई पुस्तकें हैं उन्हें विश्व विद्यालय स्तर के पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने के लिए सरकार को निर्देश जारी करने चाहिए जिससे हमारे इस हिन्दुस्तान और राजस्थान के बच्चों को यह तो पता चले कि हमारी आर्थिक स्थिति क्या है, हमारा आर्थिक दर्शन क्या होना चाहिए जिससे हम इस देश को कामयाब बना सकें। तो मेरा यहां पर यह भी एक निवेदन है।

इसके साथ ही मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी को आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी प्लस टेन तक

(श्री सांवरलाल)

की जो योजनायें हैं, उस प्लस टेन में वाणिज्य के प्रश्न पत्रों का सर्वथा अभाव है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह युग वाणिज्य और विज्ञान का युग है। वाणिज्य के बिना ज्ञान अधूरा रह जाता है इसलिए शिक्षा बोर्ड के सेलेबस के अन्दर वाणिज्य का, बुक-कीपिंग का, साधारण ज्ञान लेखांकन का नहीं होगा तो कोई भी विद्यार्थी अगर अपना व्यवसाय करना चाहेगा तो वह नहीं कर सकता, लिखा-पढ़ी में दिक्कत आती है। इसलिए मेरा आपसे यह अनुरोध है कि आप निश्चित रूप से इस पर गौर फरमायें और इसके साथ ही वाणिज्य विषय को भी दस स्तर के दर्जे में पूर्णतः अहमियत मिले, इस बारे में आप प्रयास करेंगे। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जो स्पष्ट निवेदन है वह यही है कि जो आज शिक्षा की हालत है, हमें शिक्षकों को भी विश्वास में लेकर सम्मान देना पड़ेगा। आज शिक्षकों का हमारे समाज में कोई सम्मान नहीं है, पुराने जमाने में चाहे आश्रम की व्यवस्था रही हो, चाहे गुरुकुल की व्यवस्था रही हो, शिक्षक का बड़ा सम्मान होता था। आज के जमाने में फलाना मास्टर साहब रहता है, फलां आदमी ने फलां का ट्रांसफर करवा दिया, आज इसको यहां से वहां भिजवा दो, इससे हमारा शिक्षक अपनी जिम्मेदारी केवल बच्चों को कक्षा में पढ़ाने तक सीमित रखता है। इसलिए मेरा निवेदन है सरकार से, कि शिक्षकों को पूर्ण सम्मान मिले। निजी शिक्षण संस्थाओं में जहां हमारे शिक्षकों का शोषण होता है वहां पर अधिनियम की, कहते-कहते काफी समय हो गया है, एक व्यवस्था होनी चाहिए कि किसी निजी शिक्षण संस्थाओं में कार्य करने वाले शिक्षकों का कहीं भी शोषण नहीं होने देंगे। मेरा यही निवेदन है कि शिक्षा के क्षेत्र में हम तभी आगे बढ़ सकते हैं, चूंकि भारत सरकार ने भी ह्यूमन रिसोर्सेज मिनिस्टरी कायम की है और मानव सबसे बड़ा है, जिस प्रकार जिस ढांचे में हम हमारे विद्यार्थी को ढालेंगे तो भारत का भविष्य भी वही होगा। तो जिस प्रकार की हम शिक्षा देना चाहते हैं, हम किसी भी प्रकार से कम से कम बालकों के अन्दर यह भावना तो पैदा करें कि सब को समान शिक्षा मिलेगी। जो विद्यार्थी जिसमें रूचि रखता है वह सीखने के लिए स्वतन्त्र है, किसी भी प्रकार का भेदभाव उसमें नहीं होगा, तभी मैं सोचता हूं कि यह कामयाबी होगी। जनसंख्या के बारे में हम कम नहीं हैं किसी भी राष्ट्र से, तो निश्चित रूप से हमारा बालक होनहार होगा, यह हमारी नीतियों के ऊपर निर्भर होगा, तो मैं माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी से भी आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जो विभिन्न विश्वविद्यालयों में उप-कुलपतियों के पद रिक्त हैं उनको भी अविलम्ब भराने का श्रम करावें। चूंकि काफी लम्बा समय, मैं यह सोचता हूं कि यह पहला पीरियड गया है जिसमें बहुत लम्बे समय से यह पद रिक्त हैं जिसकी वजह से हमारे विश्वविद्यालयों की जो स्थिति है, चाहे शिक्षकों की ले लो या और किसी भी रूप में वह आज की तारीख में काफी चिन्तनीय है। मैं यही निवेदन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन दिलावर।

श्री मदन दिलावर (अटरू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा की मांग पर बोलना चाह रहा हूं। काफी वर्षों से शिक्षा नीति में परिवर्तन करने की बात हम लोग कर रहे हैं, करनी भी चाहिए क्योंकि यह शिक्षा मैकाले द्वारा दी हुई शिक्षा का प्रारूप है और जो उसने शिक्षा नीति बनाई हुई थी, जो पाठ्यक्रम तय किया था वह स्वतंत्र भारत में भी आज तक चल रहा है। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाह रहा हूं आज भी पाठ्यक्रम में अकबर महान पढ़ाया जाता है। स्वतन्त्र भारत में यह एक विडम्बना है। यदि अकबर महान था तो फिर महाराणा प्रताप क्या थे, यह सोचना पड़ेगा। एक तरफ हम महाराणा प्रताप पढ़ाते हैं, दूसरी तरफ अकबर महान पढ़ाते हैं। महाराणा प्रताप ने इस देश के लिए, मेवाड़ की आन-बान के लिए घास तक खाई और आज हम उनको साधारण योद्धा बताकर उनका अपमान कर रहे हैं और अकबर को महान बताकर हम हमारी पीढ़ियों को भ्रमित करते जा रहे हैं, नवयुवकों को भ्रमित कर रहे हैं। इस प्रकार की शिक्षा किस काम की, इसमें परिवर्तन होना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पढ़ाया जा रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज को पृथ्वीराज चौहान से पराजित होता बताया है परन्तु पृथ्वीराज चौहान ने, मैं क्षमा चाहता हूं और इसको अंकित नहीं करवायें तो ठीक रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : वह आप करेक्शन करके भेजना।

श्री मदन दिलावर : यह पृथ्वीराज चौहान और शिवाजी वाले को। शिवाजी महाराज को एक साधारण योद्धा बताया है और उनको कई जगह पर पहाड़ी योद्धा भी कहा गया है जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान है और जहां-जहां, बच्चों को इस प्रकार से पढ़ाया जाता है या उच्च शिक्षा में पढ़ाया जाता है उसको निकालना चाहिए।

श्री केदारनाथ शर्मा : यह किस हिस्टोरियन का नाम होगा ?

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी से पराजित होना कई जगह बताया गया है परन्तु पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से कभी भी पराजित नहीं हुआ। जब युद्ध हो रहा था अचानक आंधी और ओले आये और उनकी सेनाएं आपस में छिन्न-भिन्न हो गयी, यह सही तथ्य है और यह इतिहासकारों ने कई जगह पर लिखा है परन्तु उसको पाठ्यक्रम में भी शामिल नहीं किया गया है। मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने 16 बार हराया है परन्तु फिर भी एक बार ऐसा होने पर मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान को पराजित होना बताना इस देश का अपमान है। इसी प्रकार से शाहजहां की पत्नी की कब्र को उसकी यादगार में ताजमहल होना बताया गया है परन्तु इतिहास और पुरातत्वों की खोज के आधार पर यह पाया गया है कि शिव मंदिर है। इसी प्रकार से सब तथ्य तोड़-मरोड़ कर बताना अपमान है। इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करूंगा और शिक्षा मंत्रीजी से भी निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के जो तथ्य तोड़-मरोड़कर इतिहास में पेश किये गये हैं और जिनसे

(श्री मदन दिलावर)

स्वतन्त्र भारत में हमारे नागरिकों का अपमान होता है इसलिए हमें अपमानित होने से बचायें और इसमें कुछ परिवर्तन करवायें।

एक बात और है कि हमारे राजस्थान में कई सैनिक बन्धु हैं और उनको बाहर नौकरी करने के लिए जाना पड़ता है। उन सैनिकों की सेवायें पूरे देश में ली जाती हैं। उनके बच्चे कहीं बाहर पढ़ते हैं, दस-दस और पांच, पांच साल से बाहर पढ़ते हैं फिर सेवानिवृत्त होने के बाद वापिस घर आते हैं सैनिक बन्धु, तो उनके बच्चों को नौकरी की जब आवश्यकता होती है तो राजस्थान सरकार और यहां के अधिकारी उनको इस आधार पर मूल निवासी नहीं मानते कि केवल उन्होंने बाहर से अपनी परीक्षा पास की है और उन्होंने बाहर पढ़ाई की है। उन्होंने दसवीं की परीक्षा राजस्थान से पास नहीं की। इसी प्रकार से अनेक उदाहरण हैं जिससे सैनिकों के बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। यदि उनको इसका लाभ दिया जाये और बाहर से पढ़े हुए बच्चे के पिता यदि राजस्थान में पैदा हुए हैं तो उसको यहां का मूल निवासी माना जायेगा तो मैं यह समझता हूं कि भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों का काफी भला हो सकता है और उनको ज्यादा नहीं तो यह मानकर ही ले लिया जाये कि जिन सैनिकों का राजस्थान में जन्म हुआ है और उनके बच्चों को यहां का मूल निवासी माना ही जायेगा। परन्तु अभी तक ऐसा नहीं हुआ है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसी प्रकार से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कई प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को भ्रमित करते हैं और इस प्रकार का मस्तिष्क मोड़ने का या उनकी सोच को मोड़ने का प्रयत्न करते हैं-जैसे किसी मोटर या बस जिसको हम मोटरी कहते हैं तो बच्चों से उसको धक्का लगवाते हैं और ब्रेक पर ड्राइवर पैर रख लेता है और बोलता है बोलो 'श्री रामकृष्ण की जय' बस नहीं चलती है। बोलो अमुक भगवान की जय बस नहीं चलती है, और इस प्रकार से सारे देवी देवताओं के नाम बुलाये जाते हैं लेकिन जो ड्राइवर चाहता है 'श्री राम कृष्ण पर बस चली तो ब्रेक पर से पैर उठा लेता है और बस चल देती है। वह कहते हैं कि आपके श्रीराम, भगवान कृष्ण में ताकत नहीं इसलिए बस नहीं चल रही है। छोटे-छोटे बच्चों में इस प्रकार से भ्रम पैदा किया जाता है कि आपके भगवान में किसी प्रकार की शक्ति नहीं। अब वह शक्ति तो ब्रेक में होती है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

इसी प्रकार से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्कूलों में कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं हैं। प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अलग-अलग प्रकार की पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं। प्राइवेट स्कूलों में और इन स्कूलों में यदि एक ही पाठ्यक्रम हो तो उसमें बच्चे एक सी पुस्तकें पढ़ेंगे। इसलिए मेरी ऐसी प्रार्थना है कि चाहे वह प्राइमरी स्कूल हो या मिडल स्कूल हो जिस प्रकार से बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं और उसमें एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है उसी प्रकार से कक्षा 1 से 8वीं तक पूरे राजस्थान में एक ही पाठ्यक्रम बच्चों को पढ़ाया जाये तो बच्चे भ्रमित नहीं होंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवकिशोर सनाढ्य ।

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य ।

श्री मदन दिलावर : एक मिनट और । इसी प्रकार से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो मैंने बातें बताई हैं उनमें मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं कि बालकों के जीवन में जहर घोलने वाली शिक्षा नहीं देनी चाहिए और मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि अब की बार उन्होंने नैतिक शिक्षा के नाम से पुस्तकें प्रारम्भ करने की बात की है । यदि नैतिक शिक्षा के नाम से निश्चित पाठ्यक्रम होगा और हमारे राष्ट्रीय महापुरुषों का ठीक प्रकार से ज्ञान कराया गया तो छोटे-छोटे बालक जो पाठ्यक्रम होता है उससे कुछ प्रेरणा लेंगे और वह भी छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, भगतसिंह और आजाद बनने की प्रेरणा लेकर वैसा ही बनने का प्रयास करेंगे । यही कह कर बात समाप्त करूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवकिशोर सनाढ्य ।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा की मांगों के सन्दर्भ में मैं राज्य सरकार का ध्यान कुछ बिन्दुओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । राजस्थान विश्वविद्यालय और कालेज अध्यापक संघ आज राजस्थान की विधान सभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं उन मांगों को लेकर जो वर्षों तक लम्बित चली आ रही हैं । मैं इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं इसी सदन के अन्दर एक प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया है कि हमने केन्द्र सरकार से पी. टी. आई. और लाइब्रेरियन के लिए पैसा ले लिया है लेकिन यहां के जो पी.टी आई. और लाइब्रेरियन हैं कालेज के, यूनिवर्सिटी वालों को दे दिया गया है लेकिन जो यहां के कालेज के पी.टी. आई. और लाइब्रेरियन हैं उन लोगों को वह पैसा नहीं दिया गया है । यह छलावा है या धोखा है और वह लालफीताशाही है कि यह किस तरीके से शिक्षकों की डिमाण्ड्स को यह सारे शिक्षा अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं जो बहुत बड़ी-बड़ी तनख्वाहें पाते हैं और वह किस तरीके से घुमाते हैं । उसमें यू.डी.सी. से बाद में आया कि 1986 में इसे दिया जाये लेकिन उन लोगों को दिया जाये जो कि पहले से प्राप्त कर रहे थे । उन्होंने 1980 में प्राप्त कर लिया । 1984 में देना चाहिए था । सारे देश के विश्वविद्यालयों में, कालेजेज में यह लागू हो गया, राजस्थान विश्वविद्यालय में मिल रहा है लेकिन उन कालेज के शिक्षकों को नहीं मिल रहा है । मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मन्त्री जी को यह कहना चाहता हूं कि वह इस विषय पर तुरन्त ध्यान दें और जिस तरह की प्रवंचना शिक्षा विभाग में चल रही है, मैं यह कहना चाहता हूं कि एक षड्यंत्र है शिक्षा मंत्री जी आपको विफल करने का आज यह सारे अधिकारी कर रहे हैं । अगर आप सावचेत नहीं रहे तो निश्चित रूप से इस शिक्षा के क्षेत्र में आप बदनाम होकर रह जायेंगे । इन लोगों ने किस तरीके से और शिक्षा विभागके अधिकारियों ने, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जानकर आपको

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

आश्चर्य होगा कि यह जो कालेज के टीचर्स हैं यह हाईकोर्ट में गए और केवल इसलिए गये निजी शिक्षण संस्थाओं के लोग कि निजी शिक्षण संस्थाओं के लिए अनुदान के जो नियम बने हुए हैं उनमें लिखा हुआ है कि वेतनमान, भत्ते वगैरह सारे के सारे समान काम के लिए समान हैं। आखिर भारतवर्ष में जनतंत्र है। हम लोगों ने एक संविधान स्वीकार किया है और उसमें समान काम के लिए समान वेतनमान दिया जाये, सुविधाएं दी जायें और हाईकोर्ट ने जजमेन्ट दे दिया और हाईकोर्ट ने जजमेन्ट दिया कि इनका यह अधिकार मिलना चाहिए लेकिन इसी सरकार को गुमराह किया है और अपील में चली गयी सरकार उन गरीब शिक्षकों के लिए जो कि केवल अपनी सुविधाएं मांग रहे थे और कानून के अनुसार मांग रहे थे। जिसका हाईकोर्ट ने निर्णय किया। मैंने पिछली बार भी सदन में अपील की थी कि ऐसे मामलों के अन्दर उच्च हाईकोर्ट में नहीं जाना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाना चाहिए था लेकिन यह लोग सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे। मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कितने मुकदमे राज्य सरकार हारती है। 95 परसेन्ट हारती है और ऐसे केसेज में तो यह हार जाते हैं लेकिन जिसमें किसी गरीब को कुछ मिलता हो तो यह अपनी पूरी ताकत लगा कर उनको रोकने की कोशिश करते हैं। मेरी अपील है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी इस सुप्रीम कोर्ट से इस अपील को वापस ले लीजिएगा और शिक्षकों को न्याय दिलवाइयेगा।

निजी महाविद्यालयों में मकान किराया नहीं दिया जाता है। उनको चिकित्सा भत्ता भी नहीं दिया जाता है। उनको जो निजी शिक्षण संस्थाओं में काम कर रहे हैं उन लोगों को प्रिविलेज लीव नहीं दी जाती है, पुनर्भरण नहीं किया जाता है और यह जो निजी शिक्षण संस्थायें हैं यह शोषण के अड्डे हो गये हैं माननीय उपाध्यक्ष जी और इसलिए शोषण के अड्डे हो गये हैं कि यह जो अनुदान इन लोगों को प्राप्त होता है, यह बोनस हो, भत्ता हो, या किसी भी तरह का हो पहले निजी शिक्षण संस्थायें चुकायेंगी और इनके बाद में वह राज्य सरकार से मांगेंगी और यह जो निदेशालय है बीकानेर के अन्दर और इसमें जो अनुदान का सेक्शन है इसमें जब तक रिश्वत नहीं दी जाये जब बेईमानी नहीं की जाये तब तक वह पैसे को रिलीज नहीं करते। मुझे शर्म महसूस हो रही है यह कहते हुए कि मैंने 1977 से इस बात को उठाया है लेकिन आज भी वही अधिकारी घूम फिर कर उस निदेशालय में उसी सैक्शन में बैठे रहते हैं और आज तक उन पर कोई कन्ट्रोल नहीं किया गया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कितने शर्म की बात है कि डाइरेक्टर, बीकानेर ने एक एफ आई. आर. दर्ज कराई भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में ब्लैक बोर्ड आपरेशन में जो सामान खरीदा गया उसके संदर्भ में। उसमें क्लर्क को पकड़ लिया, मास्टर को पकड़ लिया गया लेकिन जो अकाउण्ट्स के लोग शामिल थे और जिन का एफ आई. आर. में नाम दर्ज है उनके ऊपर क्या एक्शन लिया गया ? बड़े लोगों के लिए प्रोटेक्शन हैं, बड़े लोगों को बचाने के लिए यह सारी चीजें की जाती हैं लेकिन जो गरीब हैं उन लोगों के ऊपर ही यह कानून कैसे लागू होते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं इसमें

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

गहराई से जाइयेगा। ब्लैक बोर्ड आपरेशन के अन्दर जो सामान खरीदा गया है, बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने हमारे एक आई. ए. एस. पर तो लांछन लगाया भ्रष्टाचार का, लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी नहीं हैं, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं जो राजनैतिक लोग जिम्मेदार हैं, जो मंत्री बैठे हुए हैं उस मंत्री से लेकर नीचे तक के लोग जो लिप्त रहते हैं भ्रष्टाचार में, जब तक किसी के सामने उनको खड़ा नहीं किया जायगा, जब तक किसी को सजा नहीं मिलेगी तब तक यह संभव नहीं होगा। माननीय शिक्षा मंत्रीजी, डाइट में जो सामान खरीदा गया है, उस डाइट के सामान के खरीदने के संदर्भ में जो नमूने भेजने चाहिये, उनको क्या मालूम होता है कि क्या चीज है, इतनी रद्दी चीज और इतना गंदा सामान खरीदा गया और उसमें करोड़ों रुपयों का घोटाला किया गया है। माननीय शिक्षा मंत्रीजी, अगर यह मान कर कि सीखो कमाओ योजना के अन्तर्गत और ब्लैक बोर्ड आपरेशन के अन्तर्गत हमने तीन और चार आदमियों को अरेस्ट कर लिया है, जब तक आप उन अकाउन्ट्स के लोगों को अरेस्ट नहीं करेंगे, जब तक उनके साथ सख्ती नहीं बरती जायगी, जब तक अनुदान शाखा में काम करने वाले लोग किस तरीके से गुमराह करते हैं, किस तरीके से असत्य जवाब देते हैं, किस तरीके से लोगों को परेशान करते हैं, इसकी आप कोई उच्च स्तरीय जांच नहीं करायेंगे और इन लोगों को उसकी सजा नहीं मिलेगी तब तक राजस्थान के इस शिक्षा विभाग से कभी भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हो सकता। मैं बहुत अनुरोध के साथ आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इस भ्रष्टाचार को यदि समाप्त करना है तो आप लोगों को इस पर पूरी ताकत के साथ लगना होगा। यह जो राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कालेज शिक्षा के डायरेक्टर जो रिटायर हो गये हैं, 89 में रिटायर हुए, आप यह देखियेगा, किस तरह का शासन चलता रहा है। जो विरोध में बैठ कर बात करने वाले लोग हैं वह कहते हैं लेकिन किस तरीके से शासन चला है, पिछले चार साल से शिक्षा नियमों में परिवर्तन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है। नहीं होने से एक भी शिक्षक स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आचार्य पद पर नहीं जा सकता। आज भी डिग्री कालेज के जितने भी प्रिंसीपल है वह कोई भी कन्फर्म नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएट के प्रिंसीपल नहीं है। डायरेक्टर की सीट तीन साल से खाली पड़ी हुई है लेकिन उसे भरने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया है। जो भी चार्ज लेता है उसे 6 महीने तक विशेष भत्ता मिल जाता है। वह उसे छोड़ देता है और फिर दूसरे को दे देते हैं। फिर विशेष भत्ता मिल जाता है। फिर तीसरा छोड़ देता है। एक एडीशनल डायरेक्टर को उसका चार्ज दे रखा है जो सक्षम नहीं है काम करने के अन्दर, जिसने काम नहीं किया। इस तरीके से कालेज में डायरेक्टर की सीट रिक्त रहने के कारण से यह प्रक्रिया चल रही है।

यह विश्वविद्यालयों के कुलपति आज नहीं हैं लेकिन सरकार कुलपतियों को लगाने के लिये 11 महीने में कोई प्रयत्न नहीं कर सकी। कृषि विश्वविद्यालय में जिनको चार्ज दिया हुआ था, जो विश्वविद्यालय का काम कर रहे थे, वाइस चांसलर साहब, उनको

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

यह कह कर हटा दिया गया कि यह बीमार हैं। जो आदमी एक महीने बाद रिटायर हो रहा था उसे एक महीने तक का इंतजार नहीं किया गया। जिसमें इंट्रेस्ट होता है इन शिक्षा अधिकारियों का वह तो रह सकता है चाहे बेईमान हो, भ्रष्टाचारी हो, कितना ही निकम्मा हो। लेकिन इनका अगर वह नहीं हो तो उसको यह कह कर हटाया जा सकता था। क्योंकि वह एक शिक्षक था। वह जिन्दगी के 60 साल पूरे करने जा रहा था इस मार्च के अन्दर। लेकिन उसे अपमानित करके, कृषि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को यह कह कर हटा दिया गया, अब आप बीमार हैं। आज यह विश्वविद्यालय में कुलपति लगाने के लिये तो पांच और छः लोग ही ढूंढ़ने हैं।

उदयपुर विश्वविद्यालय के मेरे पास एक प्रश्न के उत्तर में आया है कि 120 दिन तक तो मीटिंग करते रहे, वह उदयपुर के बाहर रहे, 30 दिन की प्रिविलेज लीव ली, 30 दिन उन्होंने हाफ पे लीव ली और दिन उन्होंने केजुअल लीव ली। आप अनुमान लगाइये कि विश्वविद्यालय का कुलपति अगर इतने दिन बाहर रहेगा तो उस विश्वविद्यालय की क्या स्थिति होगी। मैं आपका इस तरफ भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, हमारे यहां कितना भ्रष्टाचार और बेईमानियां हो रही हैं। एक महिला जिसको अपाइंटमेन्ट मिला, अपाइंटमेन्ट मिल कर उसने कालेज में जोइन किया, उसको डेपुटेशन पर यहां बुला लिया गया। उसके बाद में डेपुटेशन की जगह यू.जी.सी. में डाक्टरेट करने के लिये उसको लगा दिया। जिसकी चार साल की सर्विस और उसमें से 6 महीने काम नहीं किया और यू.जी.सी. ने उसको छुट्टी दे दी। यू.जी.सी. की पी.एच.डी. भी उसने पूरी नहीं की।

श्री सम्पत सिंह : कौनसे कुलपति महोदय के लिये आप फरमा रहे हैं ?

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : कृषि विश्वविद्यालय के।

श्री सम्पत सिंह : कौनसे ?

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : यह जो मिस्टर सक्सेना थे।

श्री सम्पत सिंह : उनसे पहले थे ?

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : नहीं नहीं, जो नाग साहब थे उनके बारे में नहीं, जिन को कार्यवाहक कुलपति बनाया था आपने, वह 31 मार्च को रिटायर हो रहे थे और आपने उनको उससे पहले हटा दिया।

श्री सम्पत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यही बात है कि नाग साहब जब हटे तो उनको कार्यवाहक कुलपति बनाया गया। दिल का दौरा पड़ा उनको बहुत सख्त। डाक्टर्स की यह हिदायत थी कि यह बिस्तर से मूव नहीं करें। उस वक्त सिर्फ कमिश्नर को टेम्प्रेरी चार्ज दिया गया है और स्थायी नियुक्ति के लिये पैनल तैयार हो गया है। गवर्नर साहब उसकी नियुक्ति करेंगे। उसमें राज्य सरकार का कोई ऐसा इरादा नहीं है कि उनको जलील किया जाय, उनको असम्मान दिया जाय, ऐसा कुछ भी नहीं है। माननीय सदस्य यह देखें वह वैकल्पिक व्यवस्था थी उसमें सरकार की कोई नीयत खराब नहीं थी।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी की बात मान लेता हूं लेकिन मैं मंत्रीजी से यह जरूर कहना चाहता हूं कि यह अपमान किया गया है उस आदमी का। और इसलिये अपमान किया गया है कि जो आदमी 31 मार्च को रिटायर होता, आपने उसे कार्यवाहक बनाया था....

श्री सम्पत सिंह : जी हां।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : और वह हार्ट अटैक के पेशेन्ट थे ?

श्री सम्पत सिंह : जी हां।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : यह आपके पास रिपोर्ट है ?

श्री सम्पत सिंह : जी हां।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मैं आपसे कह रहा हूं, उसके बावजूद भी उस आदमी ने 18-18 घंटे तक आपकी यूनिवर्सिटी में काम किया है और ऐसी स्थिति कभी नहीं पैदा होने दी कि उस आदमी की वजह से आपका कोई बिगड़ा हो।

श्री सम्पत सिंह : माननीय सदस्य, मैं यही निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से, उन कुलपति महोदय का आज भी पूरा सम्मान है लेकिन जब डाक्टर्स यह राय दे रहे हैं, वह स्वयं हार्ट अटैक से भर्ती हुए थे, बाल-बाल बचे वह, ऐसे वक्त वक्त में अगर वह अपना पूरा भार कार्यालय में देते रहते, क्या इसके पीछे यह नहीं होता कि एक आदमी के लिये और जो इतने बड़े शिक्षाविद् हैं उनको हम दिक्कत में डाल रहे होते।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह केवल घुमाने की बात कर रहे हैं। हमारे यहां मंत्रियों को भी हार्ट अटैक होता है और वह जा करके आ जाते हैं इलाज करा करके और उसके बाद भी काम करते रहते हैं।

श्री सम्पत सिंह : मेरी समझ से यह बाहर है।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : ऐसा कोई मंत्री है जिसे भैरोंसिंहजी ने हटा दिया हो। मैं आपको ऐसे दस आदमी बता सकता हूं जो हार्ट अटैक के पेशेन्ट हैं। इसलिये यह कोई बात नहीं है। यह केवल, छिपाने के लिये इस बात को कहा जा रहा है। मैं, माननीय, जो मेरी बात कह रहा था कि एक नया प्रोफेसर, एक नया अपाइंटमेन्ट दिया गया है जिसकी तीन साढ़े तीन साल की सर्विस है। उसने तीन महीने काम किया और उसके बाद में उसने पी. एच. डी. भी पूरी नहीं की। तीन महीने की छुट्टी के बाद वह जब लौट कर आती है लड़की, अगर एक्सपेरीएन्स्ड आदमी को असिस्टेंट डायरेक्टर बनाया जाय इस डायरेक्टोरेट में तो समझ में आता है लेकिन एक बिना एक्सपेरीएन्स्ड महिला को यहां असिस्टेंट डायरेक्टर बना दिया गया। इतने लम्बे चौड़े समय से जो डायरेक्टोरेट चल रहा है, जिसमें सैंकड़ों लोग काम कर रहे हैं, क्या उसमें कोई योग्य आदमी नहीं था जो इस लिये उस फ्रेश लड़की को लगा दिया गया ? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरीके के जो तरीके हैं उनसे शिक्षा विभाग बदनाम होता है, सरकार बदनाम होती है और इसे रोकना चाहिये। 1988 से जो सीट डायरेक्टर की खाली पड़ी हुई है, यदि

(126)

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

नियम बनाने हैं, तीन-चार साल तक यह नियम नहीं बना पाये, शिक्षा विभाग में कौनसा ऐसा नियम है जो नहीं बना सकते हैं।

मैं इसके साथ-साथ यह भी कहना चाहता हूं, हाईकोर्ट का जजमेन्ट आने के बाद में लाइब्रेरियन और पी.टी.आई. को आपने जो पैसा नहीं दिया है इसके लिये सरकार को सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाना चाहिए। यू.जी.सी. का आपने केन्द्र से पैसा ले लिया। आपने उनके साथ छलावा किया और उसके बाद आप हाईकोर्ट में जायं यह उचित नहीं होगा। मेरे पास में यह सारी चिट्ठियां हैं, माननीय सम्पतसिंह जी, मेरे पास लिखी हुई यह सब चिट्ठियां हैं जो मैं आपको अभी भेंट कर दूंगा और आप इन को देख लीजियेगा तो आपको ज्ञान हो जायगा इस बात का।

श्री सम्पत सिंह : माननीय सदस्य, जहां तक राज्य सरकार का प्रश्न है, कुलपति महोदय के किसी के बारे में भी पूरे सम्मान के साथ, उनके साथ जो भी.... (व्यवधान)

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मैं आपको बता रहा हूं, यह चिट्ठियां सब आप लोगों को ही लिखी गई हैं और उन्हीं के द्वारा लिखी गई हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपस में बहस नहीं करें।

श्री सम्पत सिंह : आप मुझे दे दीजिये।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मैं आपको बता रहा हूं, यह सब उन्हीं के द्वारा लिखी गई चिट्ठियां हैं।

श्री सम्पत सिंह : उनके सम्मान के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करें तो ही अच्छा है। कुलपति का सम्मान बहुत ऊंचा होता है....

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : बहुत ऊंचा होता है, आप लोगों ने बहुत ऊंचा रखा है। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन में मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी कि उदयपुर कृषि विश्वविद्यालय जो बीकानेर चला गया है उसका दक्षिणी परिसर उदयपुर में ही रखेंगे और यहां के कर्मचारी, विद्यार्थियों को जितना भी पैसा आई.सी.ए.आर. से मिला है उससे भवन, लेबोरेट्री बने हैं, इतना बड़ा कैम्पस एग्रीकल्चर क्लासेज का है इसलिए दक्षिणी परिसर करके उदयपुर को ही रखा जाएगा। मैं इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आज उस कृषि विश्वविद्यालय के कर्मचारी सारे के सारे आन्दोलनरत हैं, हड़ताल चल रही है, काम बन्द है और जो घोषणा मुख्यमंत्री जी ने असेम्बली में की हो, उसकी सरकार पूर्ति नहीं करे तो यह दुर्भाग्य की बात है। मैं उदयपुर के नाते से निवेदन करता हूं कि इस दक्षिणी परिसर को घोषित करके वहां प्रो-वाइस चांसलर लगा दिया जाय, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि कृषि विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर रह कर वहां उसी तरीके से काम होने वाला है लेकिन काम की सुविधा की दृष्टि से यह एक्ट में प्रोविज़न किया गया है, मेहरबानी करके इस एक्ट की पालना कीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : संस्कृत के सन्दर्भ में एक शब्द कह कर बैठ रहा हूं। संस्कृत विभाग और शिक्षा विभाग में किसी तरह का तालमेल नहीं है हमारे व्याख्याताओं का वेतनमान अलग और इसमें काम करने वालों का अलग है। यह विसंगति संस्कृत विभाग की तुरन्त दूर की जानी चाहिए ताकि संस्कृत में जो काम करने वाले शिक्षक हैं, इस देश में संस्कृत की तो आवश्यकता है। यह हमारी भारतीय पद्धति है, इसकी आवश्यकता है और उन लोगों के साथ अन्याय किया जाय यह उचित नहीं होगा।

मैं, शिक्षा मंत्री जी, आपको बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस बार आप लोगों ने जितना भवन बनाने के लिए पैसा दिया, जितने स्कूल भवन बने, उनकी मरम्मत हो रही है उसकी वजह से उनकी दशा सुधरेगी लेकिन इसके साथ सरकार से यह भी कहना चाहता हूं कि प्राइमरी, मिडिल स्कूल जो शहरों में चल रही है, गांवों में तो काम देने के बदले में लोगों ने बिल्डिंग बनादी लेकिन जहां बड़े बड़े नगर बस रहे हैं वहां किराये के भवनों में स्कूल चलते हैं उनकी वहां दुर्दशा है। आप यू. आई. टी., म्यूनिसिपैलिटी में पैसा स्पेयर कीजिएगा क्योंकि शहरों में कोई पैसा लगाने वाला नहीं है।

श्री रतनाराम चौधरी : पैसा तो शहरों में बहुत है।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : लेकिन कहीं पर बिल्डिंग नहीं बनी हुई है इसलिए इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है।

पंचायती राज से शिक्षा वापस लेने का आप लोगों ने आश्वासन दिया है। इस सदन के माननीय सदस्यों में से अनेक ने सरकार से अपील की है। मैं भी आज अपील करना चाहता हूं कि शिक्षा के अन्दर असंतोष पैदा हो रहा है। गांव-गांव में शिक्षक भटक रहे हैं। जिस तरह से उनकी स्थिति हो गई है, अगर शिक्षा को वास्तव में सुधारना चाहते हैं, हमने विश्वविद्यालय और कालेजेज के लिए तो बहुत पैसा खर्च किया है। आप आंकड़े देख लें। लेकिन प्राइमरी एजूकेशन के लिए जो पैसा खर्च होना चाहिए था वह नहीं किया गया है। प्राइमरी एजूकेशन आज भी दरिद्रता के साथ जी रही है। इस ओर और इसके शिक्षकों को राहत दिलाने के लिए पंचायती राज से इस शिक्षा को निकाल दीजिएगा नहीं तो इस प्रकार के लोग पैदा होते रहेंगे जो अनुशासनहीन और इस देश के काबिल नहीं होंगे।

एक आपने ट्रांसफर की नीति तो बना दी लेकिन उस नीति में डायरेक्टर जो पहले वाले थे वह तो वाहवाही लूट कर चले गये उन्होंने तो सारे राजस्थान के शिक्षकों का मन मोह लिया और आज भी लोग कहते हैं कि वह सुनने वाला डायरेक्टर था जो हमारे बीच में आया था लेकिन इस शिक्षा नीति की वजह से जिन लोगों को तकलीफ हुई है, दुःख हुआ है, वह कहां अपील करने के लिए जायेंगे। मैं केवल एक उदाहरण देना चाहता हूं कि एक कैंसर पीड़ित अजमेर की महिला, जिसके ट्रांसफर के लिए मैंने आपसे अपील की, उसका ट्रांसफर डायरेक्टर जो पूर्व के थे, उन्होंने कर दिया क्योंकि वह कैंसर से पीड़ित थी लेकिन आप के शिक्षा विभाग के अधिकारी जो सचिवालय में बैठे हैं उन्होंने आदेश कर दिया कि

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

इसे कैंसिल कर दिया जाय। कैंसर के लोग तो भगवान के नाम पर जीते हैं। उसकी कितने दिन की जिन्दगी है। उसकी लड़की ने मुझसे रोते हुए कहा कि मेरे पिता तो पहले ही जा चुके हैं, मेरी मां को बचा लीजिएगा इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया था। मुख्यमंत्रीजी ने भी चिट्ठी लिख दी कि इसका ट्रांसफर कैंसिल कर दिया जाय इसको वापिस जयपुर में लगा दिया जाय। आपने भी लिख दिया लेकिन यह शिक्षा विभाग के लोग जो सचिवालय में बैठे हुए हैं उन लोगों ने उसकी पालना नहीं की। इस तरह की अपील करने वाले जो लोग पीड़ित हैं राजस्थान में शिक्षक महिलाएं पीड़ित हैं, मेहरबानी करके शिक्षा नीति के माध्यम से जो अपील आपके पास आती है उन अपीलों को तो सुनिएगा और उन अपीलों पर निर्णय कीजिएगा। मैं नहीं चाहता कि बहुत से ट्रांसफर राजस्थान में हों। हम नहीं चाहते जी. ओ. जिस तरीके से पहले की सरकार करती रहीं और हजारों लोगों को उन्होंने इधर से उधर उजाड़ दिया वह काम तो मत कीजिएगा लेकिन कम से कम जो जिनाइन केसेज हैं उन पर तो ध्यान दीजिएगा। यह उस जिले में काम करने वाले डी. ओ. की जिला शिक्षा अधिकारी की, डिप्टी डायरेक्टर और जाइंट डायरेक्टर की जिम्मेदारी है कि वह शिक्षकों पर ध्यान दे और कौन कहां पर लगना चाहिए यह काम सरकार का नहीं है, सचिवालय का नहीं है। उन अधिकारियों को आप बाध्य कीजिएगा कि वह शिक्षकों के ट्रांसफर्स करें और नीति के अन्तर्गत करें और इस तरीके से कोई भी वंचित नहीं रहना चाहिए।

सुदूर के जो वनवासी क्षेत्र हैं जो जैसलमेर, बाड़मेर के रेगिस्तान क्षेत्र हैं, बांसवाड़ा के क्षेत्र है वहां पर जो अध्यापक काम करते हैं उनको जो स्थिति है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर लोग नहीं जाते, महिलाएं नहीं जाती आप भी जानते हैं उन हार्ड प्लेसेज में आप अपने नियमों में परिवर्तन करें। उनको दो तीन-इन्क्रीमेंट, इंसेंटिव्ज दें। जो वनवासी क्षेत्रों में, जैसलमेर, बाड़मेर के रेगिस्तानी क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हैं उनका प्रमोशन कीजिएगा ताकि वहां यह लोग जावें।

मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा का जब तक सुधार नहीं होगा तब तक देश का सुधार नहीं हो सकता और हमारी सरकार को तो कम से कम शिक्षा और चिकित्सा जैसे विषय पर बहुत महत्व देना चाहिए। लोक महत्व के प्रश्न हैं, हमारी वेलफेयर स्टेट है और इस तरीके से मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आज भी जो विसंगतियां हैं, जिनको दूर करने के लिए एक समिति बना रखी है वह 88 से आज तक काम कर रही है उसने अभी भी कोई निर्णय नहीं दिया है और कर्मचारियों में कन्फ्रन्टेशन पैदा होता जा रहा है वह नहीं रहना चाहिए। जो काम करने वाले लोग हैं जिनसे काम कराना चाहते हैं उन लोगों को अगर सुविधा दी जाती है वह भी नियमानुसार दिल्ली के बराबर वेतनमान तय कर लिए तो प्रयोगशाला सहायकों, लाइब्रेरियन्स और पी.टी. आइज को क्यों नहीं। इन विसंगतियों को दूर कीजिएगा। यही अनुरोध करता हुआ मेरी बात को समाप्त करता हूं। बहुत

(श्री शिव किशोर सनाढ्य)

बहुत आप सभी लोगों को धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जुबेरखां।

श्री जुबेरखान (रामगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा की मांग पर कुछ बातें सदन के सम्मुख निवेदन करना चाहता हूं। पहली बात तो जबसे यह स्कूलें जिला परिषद् के अन्तर्गत आयी हैं तबसे ही क्योंकि क्षेत्रों में जाते हैं तो हमारा व्यक्तिगत अनुभव है कि सबसे ज्यादा अव्यवस्था इन स्कूलों में हुई है आज स्थिति यह है कि अलवर के बारे में जो मैं जानता हूं कि आज तक वेतन नहीं दिया है पिछले महीने के लोगों को एरियर्स नहीं मिल रहे हैं, मेडिकल बिल, टी ए., डी. ए., नहीं मिलता इसका कारण यह है कि जिला परिषदों के पास या तो पैसा नहीं होता और होता है तो कहीं पर खर्च कर दिया जाता है। मेरा निवेदन है कि यह जो स्कूलें जिला परिषदों को दे रखी है शिक्षा जगत के हित के लिए और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं किया जाय। उनको तुरन्त शिक्षा विभाग में दिया जाना चाहिए। जिस प्रकार की गन्दी राजनीति स्कूलों के माध्यम से वहां के स्थानीय प्रतिनिधि करते हैं चाहे पंचायत समिति में हो चाहे जिला परिषद् में चाहे पंचायतों में बहुत ही दयनीय स्थिति स्कूलों की होती जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है, जैसे बाहर भी प्रदर्शन हो रहे हैं पिछले 6-7 साल से विभिन्न महाविद्यालयों और विश्व विद्यालयों में अस्थाई लेक्चरार लगे हुए हैं। दूसरी जगह अगर एक साल भी लगातार काम कर लेते हैं तो कोर्ट से उनको स्थाई कर लिया जाता है लेकिन इन लोगों को सरकार बार बार आश्वासन देती रही है चाहे पिछली सरकार हो चाहे यह सरकार हो यह लोग मिलते रहे हैं, प्रदर्शन करते रहे हैं लेकिन अभी तक इनके बारे में सरकार ने कोई उचित कदम नहीं उठाया है। जबकि उत्तरप्रदेश में और मध्य प्रदेश में इस तरह के टीचर्स को स्थाई करने के लिए सरकार द्वारा आर्डीनेंस और विधेयक तक लाये गये हैं और जिनके माध्यम से वहां के अध्यापकों को परमानेंट किया गया गया है। जो 7 साल से लोग काम कर रहे हैं, उनको स्थाई नहीं किया गया है जबकि पद हैं। अगर पद नहीं हो तो यह बात समझ में आती है कि हमारे पास स्थाई पद नहीं है। स्थाई पद खाली पड़े हुए हैं सलेक्शन कमेटियां नहीं हो रही है इसलिए लोगों को सेशन के अन्त में हटा दिया जाता है और फिर लगा लिया जाता है। वे आज भी अपने आप में इनसिक्योर महसूस करते हैं कि हमारे भविष्य के साथ क्या होगा। उपाध्यक्ष महोदय, एक मेरा निवेदन यह है कि कम से कम आज राज्य सरकार विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के लिए पैसा दे दें, उसके लिए उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाये। अलवर में जैन बी. एड. कालेज है जिसको माडा योजना के अन्तर्गत 90,91 में प्रशिक्षण नियोजन कार्यक्रम को पूरा करने हेतु प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति 3.50 लाख रुपये की दी गई। और जब कि आज तक उस जैन बी. एड. महा विद्यालय अलवर को यह राशि उपलब्ध नहीं कराई गई है जबकि डायरेक्टोरेट से भी उनको निर्देष दे दिये गये हैं कि यह

(श्री जुबेर खान)

पैसा आपको दिया गया है, इसको इस योजना के अन्तर्गत खर्च किया जाय। तो मेरा शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन है कि यह पाइंट नोट किया जाय और दिखाया जाय कि बी. एड. कालेज अलवर को जो माडा योजना के अन्तर्गत 3.50 लाख रुपये आवंटित किये गये थे, आज तक वह पैसा उस महाविद्यालय को क्यों नहीं भेजा गया ?

श्री हरिकुमार औदिच्य (शिक्षा मन्त्री) : महाविद्यालय में कक्षाएं शुरू कर दी गई क्या, पढ़ाई शुरू कर दी गई क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : जब जवाब दें, तब दे दीजियेगा।

श्री हरिकुमार औदिच्य : एडमिशन हो गये क्या ?

श्री जुबेर खान : उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो चिट्ठियां भेजी हैं विभाग की तरफ से, अगर वहां पर शिक्षा नहीं होती है तो उसको पैसा क्यों अलाट किया गया ?

श्री हरिकुमार औदिच्य : यह जवाब आने दीजिये कि वहां पर पढ़ाई शुरू हो गई है, एडमिशन शुरू हो गये हैं। यह 3.50 लाख रुपया माडा योजना में आया है।

श्री जुबेर खान : हां माडा से आया है। सूची डायरेक्टोरेट में, शिक्षा मंत्रीजी को भेज दी गई है। जो सूची मांगी गई थी कि आपके यहां कितने प्रवेश दिये गये, उन प्रवेश में कितने एस. टी. के लड़के हैं, उनकी सूची भेज दी गई है। पिछला 90-91 का सेशन था उसमें एडमिशन तो क्या, परीक्षाएं होने जा रही है। ऐसा नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है कि उसको दिखवाइये कि किस तरह से पैसा उनको आवंटित किया गया था और क्यों नहीं दिया गया। एक मेरा यह निवेदन है कि उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह का भेदभाव राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी के साथ बरता जा रहा है, 6 महीने से सचिव का पद खाली पड़ा है, क्योंकि वहां सचिव नहीं लगाया जा रहा है जो चौथे अनुदान राशि की चौथी किस्त है, आज तक उसको रिलीज नहीं किया गया है। वहां पर कर्मचारियों को पैसा देने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि सरकार द्वारा जो राशि दी जा रही है, उस पर रोक लगा दी गई है, टेलीफोन के बिल हो चाहे कर्मचारियों की तनख्वाह हो चाहे स्टेशनरी का खर्चा हो। आज स्थिति यह आ गई है कि जहां हम एक तरफ तो बात करते हैं कि हम अपनी संस्कृति और भाषा को जिन्दा रखना चाहते हैं, दूसरी तरफ ये ऐसी संस्थाएं जो राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति को जिन्दा रखना चाहती है, लोगों के बीच में पहुंचाना चाहती है। ऐसी संस्थाओं के प्रति राजनैतिक या अन्य किसी द्वेष से इस तरह का व्यवहार किया जाता है तो उनकी स्थिति यह हो जाती है कि राजस्थान सरकार द्वारा कोशिश की जाती है कि किसी तरह दबाव में आकर ये बन्द कर दी जाय। जब राज्य सरकार द्वारा सचिव महोदय की नियुक्ति करनी है तो राज्य सरकार द्वारा पिछले 6 महीनों से इनकी नियुक्ति क्यों नहीं कर रही है ? मेरी आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से मांग है कि राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी है, इसके बारे में जो भी अनियमितताएं हैं, चाहे जो लोग

(श्री जुबेर खान)

उसमें बैठे हों उनके माध्यम से हो चाहे विभाग के जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनके माध्यम से हो, उसके ऊपर उचित कार्यवाही की जाय और उसका पैसा रिलीज करवाया जाय ताकि वहां के लोगों को तनख्वाह मिल सके, उसका जो डाक पोस्ट का खर्चा है, टेलीफोन का खर्चा है और दूसरे खर्चे हैं, उनका समय पर भुगतान किया जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन और है कि जिस तरह से बजट में घोषणा की गई है कि 5 नये महा विद्यालय खोले जायेंगे। राज्य सरकार ने जो नियुक्ति की है अच्छे अफसरों की, जिन्होंने पता लगाया कि कहां कहां पर राज्य सरकार के मापदण्ड के अनुसार कौनसी जगह ऐसी हैं जहां पर अब तक कालेज खुल जाना चाहिये था, लेकिन अब तक खुला नहीं है तो मेरी राज्य सरकार से आपके माध्यम से मांग है कि जो पहले प्रस्ताव पड़े हैं, जो रिकमण्डेशन्स पड़ी हैं विभिन्न कमेटियों की या उनकी जो पर्यवेक्षक भेजे गये हैं सर्वे करने के लिए कि 30 किमी. के एरिया में पहले से कोई राजकीय महाविद्यालय है या नहीं है, उस एरिया में 4 दस जमा दो स्कूल जो फीडिंग करेगी स्टूडेन्ट्स को, 4 कम से कम सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल वहां है या नहीं है, उस संस्थान की वित्तीय स्थिति क्या है, जहां पर वह खोलना चाहिये और आवास की या होस्टल फेसेलिटी है या नहीं, बिल्डिंग अप्रोप्रियेट है या नहीं और भौगोलिक आधार पर वहां पर कालेज उचित रहेगा या नहीं। मेरी राज्य सरकार से आपके माध्यम से मांग है कि यह सरकार पता लगायें कि आज तक कौनसी जगह ऐसी है जो विभिन्न कमेटी या डायरेक्टर्स ने रिकमण्डेशन्स कर रखी है कि यहां पर कालेज खोला जाय। वहां पर कालेज पहले खोला जाय, वरना राजनैतिक तौर पर, दबाव के तौर पर जैसा अब तक होता रहा है, वह अब भी होगा कि जहां कालेज 15 कि॰मी. की दूरी पर है, वहां कालेज खोल दिया जायेगा और जहां 50-50 कि. मी. की दूरी पर कालेज नहीं है, वहां राजकीय कालेज नहीं खोला जायेगा। मेरा शिक्षा मंत्री जी से निवेदन है कि जहां के लिए पहले से आपके पास सिफारिश है और जो राज्य सरकार का मापदंण्ड है, उसकी पूर्ति जहां होती है, पहले वहां पर महाविद्यालय खोला जाय। मेरा आपसे यह निवेदन है कि उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक ट्रांसफर नीति का सवाल है, अगर देखें तो शिक्षा विभाग में तो फिर भी काफी नियमितताएं बरती गई हैं लेकिन जिस तरह से ट्रांसफर पालिसी का मजाक उड़ाया गया है, पंचायत राज विभाग के स्कूलों में, वह बड़े शर्म की बात है। एक-एक अध्यापक को दो महीने में 3-3 बार तक जी. ओ. निकल जाता है। अगर मैं प्रभावशाली हूं तो मेरा एम. एल. ए मेरा जी. ओ. कराकर स्थानान्तरण करा दिया। दूसरा व्यक्ति आया तो दूसरे व्यक्ति ने दूसरा जी. ओ. करा दिया। तीसरा व्यक्ति ने तीसरा जी. ओ. करा दिया, इस तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है। मैं तो शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जिला परिषदों के तमाम स्कूलों को खोला जाय और ट्रांसफर पालिसी जो आपने शिक्षा विभाग में लागू की है, उसको तो और कड़ाई से लागू किया और जिला परिषदों के स्कूलों में भी यह शिक्षा नीति को कड़ाई से लागू किया जाय।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : जिला परिषद में आपके ही जिला प्रमुख हैं।

श्री किशनाराम : जिला प्रमुख सभी कांग्रेसी हैं। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : माननीय सदस्य, आज हम यहां इस मांग पर बोल रहे हैं.... (व्यवधान)

सवाल यह नहीं है कि किसने किया ? सवाल यह है कि जहां कमियां हैं, चाहे आपके काल में रही हो, चाहे पिछले काल में रही हो, मैं अपना कर्तव्य समझता हूं कि यहां खड़ा होकर वो बात कहूं जिसको मैं अनुभव करता हूं। जहां शिक्षा की बात है, अगर शिक्षा का शोषण होता है कोई भी जिला परिषद हो, चाहे जिला प्रमुख हो, चाहे प्रधान हो, उनको कोई हक नहीं है कि आने वाले भविष्य के साथ इस तरह का खिलवाड़ करें और यह कोई जवाब नहीं होता कि आपके समय में ऐसा हुआ है। समय किसी का नहीं है, समय तो बदलता रहता है, हमारा भी था, आपका भी है, कल आपका नहीं रहेगा, हमारा आने वाला है, यह नोट कर लीजिये। लेकिन आज क्योंकि आप राज में बैठे हैं, जहां पर आप समझते हैं कि अनियमितताएं हैं, जहां गड़बड़ी है, आपको आगे आकर के करना चाहिये. इससे काम नहीं चलेगा, कि आपके जमाने में ऐसा हुआ है इसलिए नहीं करेंगे यह कोई जवाब नहीं होता, यह तो आप लोगों की भावना होनी चाहिये जहां पर शिक्षा का मजाक उड़ाया जा रहा है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। एक निवेदन है उपाध्यक्ष महोदय, जहां बजट में 5000 स्कूलें बंद करने के बाद राज्य सरकार ने 1000 नये स्कूल खोलने की बात कही है। 1000 स्कूल कहां-कहां खोलेंगे, मेरा तो यह निवेदन है कि जो भी पहले से रेवेन्यू गांव बच रहे हैं, जहां पर प्राथमिक शालाएं नहीं है, राज्य सरकार को सबसे पहले स्कूल वहां खोलने चाहिये जहां कि रेवेन्यू विलेज हैं और 250 से ज्यादा की जनसंख्या है, वहां पर स्कूल नहीं है, तुरन्त वहां स्कूल खोले जाने चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री जुबेर खान : और दूसरी जगह बाद में खोली जानी चाहिये। यह मैं आपसे कहना चाह रहा था। जय हिन्द। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : डाक्टर जितेन्द्र सिंह।

डा. जितेन्द्र सिंह (जैसलमेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में हम शिक्षा, कला संस्कृति की मांग पर चर्चा कर रहे हैं और इसी सन्दर्भ में मैं आपके और सदन के सम्मुख अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहूंगा। यह तो सर्व विदित है कि मानव संसाधन के विकास में शिक्षा की अहम भूमिका रहती है और राष्ट्र के विकास के लिए शिक्षा और शिक्षार्थी को उचित प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। विद्यार्थी ही किसी भी राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करते हैं और उसको उज्ज्वल बनाते हैं। मुझे इस बात की हार्दिक प्रसन्नता है कि राजस्थान में पिछले वर्ष में शिक्षा का प्रचार, प्रसार, विस्तार और विकास हुआ है। परन्तु दुर्भाग्यवश हम शिक्षा के स्तर को आशातीत स्तर पर निभाने में सर्वथा विफल रहे हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। परन्तु सर्वप्रथम हमको

(डा. जितेन्द्र सिंह)

यह देखना है कि इस देश और प्रदेश में शिक्षकों और विद्यार्थियों की मात्रा बढ़ गई है परन्तु शिक्षक और विद्यार्थियों का अनुपात 14 का जो निष्पादित किया गया है इसको रखने में हम सर्वथा विफल रहे हैं और मेरे विचार में यही सबसे एक महत्वपूर्ण कारण है कि शिक्षा के स्तर को हम आशातीत स्तर पर निभाने में विफल रहे हैं।

इसके उपरान्त आज प्रदेश में यह हाल है कि शिक्षकों के कई पद रिक्त पड़े हुए हैं विशेष कर मेरे चुनाव क्षेत्र जैसलमेर में और जैसलमेर जिले में जिसमें शहरी और ग्रामीण इलाके दोनों आते हैं, शिक्षकों के पद रिक्त पड़े हुए हैं और मैं सरकार का ध्यान इस ओर कई बार आकर्षित कर चुका हूं परन्तु दुर्भाग्य है मुझे इसमें अभी तक सम्पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं हुई है। जैसलमेर का जो सीनियर सैकण्डरी स्कूल है वहां विज्ञान के अध्यापकों का अभाव है और परीक्षा का समय आ गया है और विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसी प्रकार पोकरण जो जैसलमेर जिले का उप खण्ड है वहां पर सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल में पद रिक्त पड़े हुए हैं और अभी तक उनको भरा नहीं गया है। नाचणा में हैड मास्टर और डिप्टी हैड मास्टर दोनों के पद रिक्त पिछले पांच वर्ष से पड़े हुए हैं। मेरा सरकार से विनम्र निवेदन है कि इन पदों को शीघ्रातिशीघ्र भर दिया जाए ताकि विद्यार्थियों को समुचित व्यवस्था का लाभ प्राप्त हो सके और वे परीक्षा के लिए पढ़ाई कर सकें नहीं तो परीक्षा तो बिल्कुल सिर पर आ चुकी है। जो पोकरण का स्कूल है उसमें हाल का निर्माण हो चुका है पर उसकी छत पिछले कई वर्षों से नहीं डाली गई है और मेरा यह निवेदन है कि स्कूल की बाउण्डरी वाल का निर्माण कर दिया जाए और छत का भी निर्माण कर दिया जाय।

इसके उपरान्त मेरा शिक्षा मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि जैसलमेर जिले में जो राज्य सरकार ने इस वर्ष नए प्राथमिक विद्यालय खोलने की अनुमति दी है उसमें जैसलमेर जिले को उचित शेयर प्रदान किया जाए और मुझे यह कहते हुए खेद है कि बोर्डर एरिया डवलपमेण्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत जो सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम है उसके अन्तर्गत राजस्थान को जहां तक मेरी जानकारी है 200 स्कूल प्राथमिक विद्यालय खोलने का अनुदान प्राप्त हुआ है पर सरकार ने जैसलमेर जिले में उसमें से एक भी विद्यालय नहीं देने का विचार किया है। मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करता हूं कि इस पर गौर फरमा कर पुनः विचार करें और बोर्डर एरिया डवलपमेण्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत जैसलमेर जिले में समुचित विद्यालय खोल दिए जाएं।

जो प्रस्ताव मैं शिक्षा विभाग के समक्ष प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने के लिए दे चुका हूं उन पर भी सरकार विचार करें और इस सीमान्त जिले को इससे लाभान्वित करें। जो सरकार ने आज के इस नये बजट घोषणा में नैतिक शिक्षा के कार्यक्रम को प्रारम्भ करने का प्रस्ताव रखा है उसका मैं निश्चित रूप से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि इससे विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान

(डा. जितेन्द्र सिंह)

दान मिलेगा। मेरा यह भी विचार है जो इस सदन में अन्य सदस्यों ने भी व्यक्त किया है कि जो स्कूलें जिला परिषद् के अन्तर्गत चल रही हैं उनमें उचित व्यवस्था का अभाव है और सरकार अगर वापस इन विद्यालयों को शिक्षा विभाग के अन्तर्गत ले लें तो उसमें लाभ होगा और विद्यार्थियों को भी इससे लाभ होगा।

इसके उपरान्त मैं एक और प्रस्ताव शिक्षा मंत्री जी और पंचायत राज मंत्री जी के समक्ष रखूंगा कि जो ग्रामीण जिला शिक्षा अधिकारी का नव सृजित पद गठित किया गया है और जिसको जिला परिषद् में रखा गया है। ग्रामीण जिला शिक्षा अधिकारी का क्षेत्राधिकार निश्चित रूप से घोषित नहीं किया गया है और इससे जिला परिषदों में जो सी. ई. ओ. और जिला ग्रामीण शिक्षा अधिकारी हैं उनमें कई बार मतभेद उत्पन्न हो जाता है। इसलिए कम से कम उसका क्षेत्राधिकार तो निर्धारित किया जाय।

इसके उपरान्त उच्च शिक्षा के सन्दर्भ में मैं कुछ सुझाव रखना चाहूंगा। जैसलमेर में जो कालेज है वह जिला मुख्यालय कालेज है परन्तु उसमें स्नातकोत्तर कक्षायें नहीं हैं। मैं राज्य सरकार से कई बार यह निवेदन कर चुका हूं कि स्नातकोत्तर कक्षायें आरम्भ करना आवश्यक है क्योंकि निकटतम स्नातकोत्तर कालेज है वह जोधपुर से 310 किलोमीटर दूर है जो कि बहुत दूरी पड़ती है। इस सन्दर्भ में जो पूर्व में शिक्षा विभाग के विशिष्ट शासन सचिव तारा प्रकाश जी जोशी थे वह स्वयं जैसलमेर आये और उन्होंने सर्वेक्षण किया और उन्होंने राज्य सरकार को इसका सुझाव भी दिया कि जैसलमेर के कालेज में विभिन्न विषयों में स्नातकोत्तर कक्षायें आरम्भ कर दी जायें। मैं सरकार से आशा करता हूं कि वह इसमें गौर से विचार करके अगले शिक्षा सत्र से निश्चित रूप से स्नातकोत्तर कक्षायें आरम्भ कर दें।

इसके उपरांत माननीय उच्च शिक्षा मंत्री ने कल प्रश्नकाल में एक प्रश्न के सन्दर्भ में कालेज खोलने के चार मापदण्ड इस सदन में पेश किए थे। मैं उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि पोकरण जो जैसलमेर जिले का उप खण्ड है, जैसलमेर से 115 किलोमीटर दूर है वहां कालेज नहीं है और दूसरा कालेज कम से कम 180 किलोमीटर दूर जोधपुर में पड़ता है। इसलिए पोकरण में कालेज खोलना नितान्त आवश्यक है। आपने जो मापदण्ड रखे हैं, वह काइट एरिया भी फुलफिल होते हैं। और चारों मापदण्ड भी पूर्णतया फुलफिल होते हैं। इसलिए मैं उच्च शिक्षा मन्त्री जी से कहूंगा कि इस पर गम्भीरता से विचार करके शीघ्रातिशीघ्र पोकरण में कालेज खोल दिया जाये।

जैसलमेर कालेज में सोशियोलाजी कक्षायें खोलने की मांग की है। मैं सरकार को एक पत्र द्वारा इस बारे में पहले ही सूचित कर चुका हूं और माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस पर विचार करें।

जैसलमेर के कालेज में विभिन्न विषयों में लेक्चरर के पद रिक्त पड़े हुए हैं। मैं निवेदन करूंगा कि इनको भी शीघ्रातिशीघ्र भर दिये जायं।

(डा. जितेन्द्र सिंह)

जैसलमेर में डाइट जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान खोलने का मैं स्वागत करता हूं और सरकार का आभारी हूं कि राजस्थान में जैसलमेर में जल्दी ही जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान खोल कर इस जिले को प्रोत्साहन दिया है उसके लिए मैं शिक्षा मन्त्री जी का आभारी हूं।

मेरी यह भी मांग है कि जैसलमेर एक सीमान्त जिला है जहां एक पोलीटेक्नीकल खोल दिया जाय, आई. टी. आई. तो खोल दिया है परन्तु पोलीटेक्नीकल की आवश्यकता है। इसको भी शीघ्रातिशीघ्र खोल कर इस सीमान्त जिले के विद्यार्थियों के भविष्य को उज्ज्वल करने में योगदान प्रदान किया जाये।

इससे पहले मैं स्थान ग्रहण करूं क्योंकि मैं यह और कहना चाहूंगा कि राजस्थान विश्व विद्यालय और राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालय में कुलपतियों के पद रिक्त पड़े हुए हैं और बड़े लम्बे समय से पड़े हुए हैं सरकार को इस ओर समुचित ध्यान देकर कुलपतियों के पद शीघ्रातिशीघ्र भर दिया जाना चाहिये। मेरा एक और सरकार से सुझाव है कि अजमेर के विश्वविद्यालय को महर्षि दयानन्द का सम्मान करते हुए दयानन्द विश्वविद्यालय नाम रख दिया जाना चाहिये। महर्षि दयानन्द का अजमेर ही स्वर्गवास हुआ था, उनकी जो दयानन्द शिक्षण संस्थान है वहां पर अजमेर में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। राजस्थान विश्वविद्यालय में टेम्प्रेरी लेक्चरर के करीब 175 पद हैं उनको भी सरकार नियमित करके उनके साथ समुचित न्याय करें क्योंकि आज शिक्षा के साथ कला और संस्कृति की मांगें सम्मिलित हैं। इसलिए मैं माननीय कला एवं संस्कृति मंत्री महोदय का भी ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि जिस प्रकार केन्द्र और राज्य सरकार ने चित्तौड़ के दुर्ग को सम्मानित किया है, इसी प्रकार जैसलमेर के दुर्ग को भी महत्व दिया जाय और उसके रख रखाव की समुचित योजना बनायी जाय। यह चित्तौड़ का सौभाग्य था कि माननीय प्रधान मन्त्री वहां पर पधारे और त्वरित गति से वहां योजना क्रियान्वित हो गई। माननीय मुख्य मन्त्री महोदय और केन्द्रीय सरकार के तत्कालीन पर्यटन मन्त्री श्री अरुण नेहरू जैसलमेर 10 जून, 1990 को पधारे थे और तब उन्होंने घोषणा की थी कि जैसलमेर दुर्ग के रख रखाव के लिये, 2 करोड़ की व्यवस्था की जायगी और इसका कार्यक्रम वगैराह शीघ्र बनाकर उसका विकास किया जायगा। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस ओर ध्यान देकर जैसलमेर दुर्ग पर्यटन स्थल है और उससे देश प्रदेश को काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित होती है। इस ओर ध्यान दें और जैसलमेर दुर्ग का विकास करें, और कला संस्कृति की धरोहर के रख रखाव की समुचित व्यवस्था करें।

मैं इससे पहले की अपना स्थान ग्रहण करूं एक और निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से अजमेर को सम्पूर्ण साक्षर बनाया जाय। इसमें सरकार को कोई कठिनाई नहीं होगी। जनसंख्या के आधार पर राजस्थान के 27 जिलों में से जैसलमेर की जनसंख्या सबसे कम है और सम्पूर्ण जिले में एक ही विधायक है। मैं इसी के साथ

(डा. जितेन्द्र सिंह)

आपको धन्यवाद देता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती सुचित्रा आर्य।

श्रीमती सुचित्रा आर्य (नोहर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा 44 साल की आजादी के बाद में भी शिक्षा के स्तर के अन्दर गिरावट आयी है वह आज तक कभी नहीं आयी। गांवों की तरफ एक नजर डालकर देखेंगे तो गांवों की हालत यह है कि जहां प्राइवेट मिडल स्कूल, सैकण्डरी स्कूल हैं वहां एक भी टीचर नहीं है। आज स्कूल तो वहां चल रहे हैं पर गवर्नमेण्ट के स्कूलों में टीचर नहीं है। बच्चों की जिन्दगी के साथ कैसा खिलवाड़ हो रहा है महात्मा गांधी के सपनों को तब ही साकार कर सकते हैं जबकि गांवों के बच्चों को शिक्षा मिलेगी और गांव का शिक्षा के जरिये उत्थान हो। तब ही हिन्दुस्तान अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। लेकिन 44 वर्षों की आजादी के बाद अगर गांव की शिक्षा की तरफ आप नजर डालें तो आज भी उसमें कोई सुधार नहीं हुआ। चाहे कोई भी गवर्नमेन्ट आयी हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे आज भाजपा की हो। गंगानगर जिले की तरफ आप देखेंगे। गंगानगर जिला राजस्थान के अन्दर सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाय तो विकास के नाम से आज तक कुछ भी नहीं हुआ है। आज जो मुख्य मन्त्री ने बजट के अन्दर घोषणा की उसमें एक मेडिकल कालेज कोटा के अन्दर खोल दिया गया है और तकनीकी शिक्षा के हिसाब से जो स्कूल कालेज खोले हैं वह जोधपुर और कोटा के अन्दर खोल दिये गये हैं लेकिन गंगानगर जिले के अन्दर 44 साल बाद भी एक भी कालेज यूनिवर्सिटी और तकनीकी स्कूल खोलने का आज तक किसी ने कष्ट नहीं किया। मुझे ऐसा महसूस होने लगा है कि एक ही पार्टी से प्रभावित होकर सब चीजें कोटा के अन्दर खोलने की बात रखी है। यह उचित बात नहीं है। गंगानगर जिला आर्थिक दृष्टि से तो मजबूत है लेकिन विकास की दृष्टि से देखें तो आज तक उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगी कि शिक्षा मन्त्री जी गंगानगर जिले की तरफ भी कुछ सोचें कि वहां पर मेडिकल कालेज या यूनिवर्सिटी खोलने का कष्ट करें।

दूसरी बात मैं आपके माध्यम से शिक्षा मन्त्री जी से यह भी निवेदन करूंगी कि यह जो प्रौढ़ शिक्षा है, इसके अन्दर जो मिडिल स्कूल के अन्दर और प्राइमरी स्कूलों में जो टीचर्स लगाये जाते हैं उन्हीं को शाम के टाईम जो क्लासें लगती हैं उसमें लगाया जाये, उन्हीं का उपयोग लिया जाए और बिना मतलब का जो पैसा खर्च किया जाता है वह बेरोजगार नवयुवक हैं उनके ऊपर लगायें तो उनकी हालत सुधर सकती है। लेकिन मुख्य मन्त्री जी ने इसके अन्दर भी कोई ऐसा प्रावधान नहीं रखा। प्रौढ़ शिक्षा के लिए मैं समझती हूं कि बिना मतलब पैसा खर्च किया जा रहा है। यह पैसा गांवों के उत्थान के लिये लगाया जाना चाहिये जिससे वहां पर सार्वजनिक काम जैसे नहरों का है, पानी की व्यवस्था है, इस तरह के

(श्रीमती सुचित्रा आर्य)

इन्तजाम हो सके। मैं यह भी कहना चाहूंगी की तकनीकी शिक्षा के अन्दर जो 14.55 करोड़ का प्रावधान बजट में प्रस्तावित किया है उसमें मुद्रण टेक्नोलाजी....

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : पढ़ा हुआ मान लो।

श्री नत्थी सिंह : बोलने दीजिये। आपको सुनायेंगी।

श्रीमती सुचित्रा आर्य : पढ़ा हुआ कैसे मान लो भाई, अनपढ़ थोड़े ही हैं।

श्री उपाध्यक्ष : सुना नहीं आपने। अब सुन लीजिये आप जवाब।

श्रीमती सुचित्रा आर्य : मैं यह कहना चाहती हूं कि पोलीटेक्नीक कालेज, अजमेर व राजकीय महाविद्यालय, कोटा में दो नये डिप्लोमा कोर्स आरम्भ करने का प्रावधान है। आई टी. आई. पास शुदा राज्य कर्मचारियों के लिये राजकीय पोलीटेक्नीक, जोधपुर के अन्दर स्थापित किया जायेगा। इसका मतलब यह है कि जोधपुर और कोटा की बात जो मैं कहना चाह रही थी वह भी इसके माध्यम से बता रही हूं।

तीसरा सुझाव यह है कि जिन गांवों, के अन्दर मास्टर नहीं हैं, अब तो पूरा साल निकल गया अब तो कम से कम वहां पर अध्यापक अध्यापिका लगा दें। क्योंकि हम बड़ी मुश्किल से स्कूलों में सब्जेक्ट लेकर आते हैं। जैसे सायंस सब्जेक्ट खुलवायें लेकिन टीचरों के अभाव के कारण आज सब्जेक्ट टूट जायेगा। क्योंकि वहां पर टीचर्स नहीं है, टीचर्स नहीं होंगे तो बच्चों को पढ़ायेगा कौन, बच्चे भी नहीं आयेंगे, बच्चे अपनी जिन्दगी के साथ क्यों खिलवाड़ करेंगे, वह सोचेंगे हमारी जिन्दगी बरबाद हो रही है तो दूसरे स्कूल में चले जायेंगे और वहां से साइन्स सब्जेक्ट टूट जायेगा। इसलिये माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से कहना चाहूंगी मेरे नोहर क्षेत्र के अन्दर साइन्स सब्जेक्ट है लेकिन वहां आज भी टीचर नहीं है। सब गांवों की यह स्थिति है एक-एक मास्टर के जरिये पढ़ाई हो रही है तो बच्चे क्या शिक्षा ग्रहण करेंगे उनकी तो जिन्दगी वैसे ही बरबाद हो जायेगी क्योंकि गांवों की तरफ तो वैसे ही ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहती हूं शिक्षा मन्त्री जी से, मेरा सुझाव है कि अजमेर विश्वविद्यालय का नाम दयानन्द विश्वविद्यालय रखने का जरूर औचित्य....

श्री हरिकुमार औदिच्य : वह भी औदिच्य थे मैं भी औदिच्य हूं।

श्रीमती सुचित्रा आर्य : सोरी। दयानन्द के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी स्वामी दयानन्द जी का राजस्थान से कितना अटैचमेण्ट रहा है। उसके बारे में बताना चाहती हूं। राजस्थान से उनका विशेष संबंध रहा है। सन् 1883 में उनका निर्वाण अजमेर में हुआ। जहां पर डी. ए. वी. महाविद्यालय तथा अन्य अनेक शिक्षण संस्थायें कार्यरत हैं। उदयपुर के महाराणा और जोधपुर के कर्नल प्रतापसिंह, शाहपुरा के राजाधिराज श्री नाहर सिंह उनके प्रमुख शिष्यों में थे और राजस्थान के प्राय: सभी

(श्रीमती सुचित्रा आर्य)

तत्कालीन राज्यों की जनता में उन्होंने धार्मिक और सामाजिक सुधार की समय-समय पर प्रेरणा दी और श्री. केसरीसिंह बारहठ जैसे स्वतन्त्रता, संग्राम के अनेक प्रमुख व्यक्ति उनके अनुयायी या प्रशंसक रहे हैं। ऐसी स्थिति में राजस्थान के इस विश्वविद्यालय का नाम उनके नाम पर किये जाने का विशेष तौर पर औचित्य है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कन्हैयालाल मीणा अनुपस्थित, श्री हेमराज मीणा।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा की मांगों पर मेरे क्षेत्र की जो शिक्षा की परेशानियां हैं उसकी ओर माननीय शिक्षा मन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। किशनगंज शाहबाद एक आदिवासी और पिछड़ा इलाका है। उस क्षेत्र के अन्दर शिक्षा का अभाव बहुत महत्वपूर्ण है जिसके कारण उनका पिछड़ापन लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले सालों में किशनगंज शाहबाद का विपक्ष क्षेत्र होने के नाते उपेक्षित रहा अगर उस क्षेत्र का विकास विपक्षी सदस्य होने के कारण अवरुद्ध हो गया तो उसका कारण शिक्षा का अभाव भी रहा है। शिक्षा की दृष्टि से हम विचार करें तो उस क्षेत्र के अन्दर जितनी स्कूलें हैं वह खाली पड़ी हुई हैं। आज जितने सैकण्डरी स्कूल हैं, उन स्कूलों में जितने अध्यापक नियुक्त किये हुए हैं, वह केवल कागजों में नियुक्त कर रखें हैं, वास्तव में वह अध्यापक का काम नहीं करते हैं। उनका डेपुटेशन बारां या कोटा में है। सैकण्डरी स्कूलों की भी यही हालत हैं। कुछ बालिका माध्यमिक विद्यालय हैं, उन विद्यालयों में जो अध्यापिकाएं लगा रखी हैं, अधिकतर उनका डेपुटेशन कोटा या बारां में कर रखा है और तनख्वाहें सारी उस क्षेत्र से उठाते हैं। इसी प्रकार से सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूलों की भी यही हालत है।

श्री हरिकुमार औदिच्य : कब की रिपोर्ट बोल रहे हो, आप डेपुटेशन की।

श्री हेमराज मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसी साल की रिपोर्ट बोल रहा हूं और आपके अतारांकित प्रश्न का जवाब मेरे पास आया है, उसमें आपने केवल मात्र दो जगह खाली बताई है। लेकिन मैं आपको ध्यान दिलाऊं कि वहां पर डेपुटेशन भी हर स्कूल का कई हो रहा है। तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि उस पिछड़े क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए वहां पर जो प्रतिनियुक्तियां कर रखी है, उनको वापस नियुक्त करें और जितनी भी जगह खाली हैं, उन जगहों को भरा जाये। शिक्षा की दृष्टि से उस क्षेत्र के अन्दर हायर सैकण्डरी स्कूल, सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल, सैकण्डरी स्कूल भी कम हैं और राजस्थान में आनुपातिक दृष्टि से शिक्षा का प्रसार हो, उस क्षेत्र का पिछड़ापन दूर हो, इसके लिये सैकण्डरी, हायर सैकण्डरी और सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूलों को क्रमोन्नत किया जाये, यदि ऐसा हुआ तो मैं समझता हूं कि उस क्षेत्र का पिछड़ापन दूर हो सकता है। उस क्षेत्र की हमेशा से उपेक्षा हुई है और उपेक्षा के कारण ही वह क्षेत्र हमेशा से पिछड़ रहा है। इसी प्रकार से उस क्षेत्र के अन्दर कोई

(श्री हेमराज मीणा)

तकनीकी विद्यालय नहीं है जिसके कारण से वहां पर जो पिछड़े आदिवासी सहरिया बन्धु हैं, उनको कोई शिक्षा प्राप्त हो सके, कोई रोजगार के साधन उपलब्ध हो सकें, इसलिये कोई तकनीकी महाविद्यालय भी वहां पर खोला जाये। माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि शिक्षा की जो डिमाण्ड है, इस पर हमारे क्षेत्र की कई बातें जो मैंने रखी हैं, मैं चाहूंगा कि माननीय शिक्षा मंत्रीजी इन सब को भी सम्मिलित करेंगे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दयाराम परमार। (अनुपस्थित) श्री गुलाबसिंह।

श्री गुलाब सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा की मांग पर चर्चा से पहले एक श्लोक प्रारम्भ करता हूं।

येषां न विद्या, न तपो न दानम्
ज्ञानम् न शीलम् न गुणो न धर्मः
ते मृत्युलोके भूमि भारत भूता
मनुष्य रूपेण न मृगा चरिति

जिनमें न विद्या है, न ज्ञान है न शील है, न गुण है, न धर्म है, वह सिर्फ इस पृथ्वी पर भार हैं इसके सिवाय कुछ भी नहीं हैं। इसी बात को दृष्टिगत रखते हुये प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनियों ने भारत के निवासियों के लिये, भारत के लोगों के लिये जो विद्या पद्धति, शिक्षा पद्धति लागू की थी, उपाध्यक्ष महोदय, आज हम इस इतिहास को भूल गये। उन शिक्षा पद्धतियों को हमने अपने जेहन से निकाल दिया। उस समय नालन्दा और तक्षशिला विश्वविद्यालय पूरी दुनिया में अपना अग्रणीय स्थान रखते थे। लेकिन धीरे-धीरे गुलामी की बेड़ियों ने और आक्रमणों ने हमारी सारी परम्पराओं, ख्याति, संस्कृति, शिक्षा और सभ्यता को नष्ट-भ्रष्ट करने का कार्य किया और आजाद होते-होते भी अंग्रेजों ने हमारे ऊपर एक ऐसी शिक्षा पद्धति थोप दी, लार्ड मैकाले जाते-जाते हमें अंग्रेजी शिक्षा पद्धति दे गये और उसकी परिणिति यह हो गई कि आज हम वास्तविक विद्या से भटक गये और खाली कागजों के पुलिन्दों को लेकर बस्ते का भार उठाये विद्यार्थी स्कूल में जाते हैं और 5 बजे लौटकर वापस घर आते हैं। किसी प्रकार की कोई उपलब्धि, कोई वैभव, कोई संस्कृति, कोई सभ्यता इस तरह की शिक्षा से न तो मिलती है और न उसका लाभ हमारे इस राष्ट्र को मिल पाता है। उपाध्यक्ष महोदय, आज हम अंग्रेजी हटाने की बात कहते हैं, लेकिन हमारे उत्तर और दक्षिण के राज्यों में इस पर विवाद चलते हैं। दक्षिण प्रान्त अंग्रेजी के और हम हिन्दी के हिमायती बनते हैं। अब इसका सर्वेक्षण होकर कैसी दुर्गति हो गई है। मैं कहना चाहूंगा कि हमारे हिन्दी पर एक प्रकार से आघात हो रहा है, हिन्दी के साथ अन्याय हो रहा है। अब हम हिन्दी में बात करते हैं तो मान लीजिये कहीं टीचर का मामला आया, तो हिन्दी अध्यापक होता है, लेकिन वह कहता है कि आज मैंने टीचरों की मीटिंग बुलाई है। उपाध्यक्ष महोदय, टीचर तो समझ में आता है लेकिन टीचरों क्या होता है। यह तो टीचर होता है। आज डायरेक्टरों की मीटिंग बुलाई, डायरेक्टर्स होता है और डायरेक्टर्स तो समझ में आता है लेकिन डायरेक्टरों क्या होता है। यह

(श्री गुलाब सिंह)

मास्टरों, कण्डक्टरों क्या होता है। इस तरह से हिन्दी के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है और हम सारा यह हिन्दी का पुलन्दा लेकर....

श्री हरिकुमार औदिच्य : इसलिए कह रहे हैं कि डायरेक्टर का डायरेक्टरों नहीं हो जाय।

श्री गुलाब सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रगति रिपोर्ट है। इसको पढ़ने से पता चल जाता है कि हम शिक्षा के मामले में कहां पर खड़े हैं? क्या उपलब्धि हासिल हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, आज स्कूलों की दुर्गति देखें, अनुशासन है नहीं, नैतिक शिक्षा का बिल्कुल अभाव है। मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस बजट में यह प्रावधान रखा है कि नैतिक, व्यवसायोन्मुखी, रोजगारोन्मुखी शिक्षा की व्यवस्था करके वास्तविक शिक्षा का जो लाभ मिलना चाहिये, वह हम देंगे। आज शिक्षा की तरफ देखिये, न तो शिक्षा विद्यालय के भवन हैं, न बच्चों में अनुशासन है, न कोई अध्यापकों का नैतिक दायित्व रह गया कि हम किस प्रकार की शिक्षा दें, क्या उनको पढ़ायें, किस तरह से हम उनमें विकास की भावना उत्पन्न करें, वह भी सरकारी नौकरी की तरह सिर्फ 10 बजे आते हैं और 5 बजे चले जाते हैं और मां बाप समझते हैं कि बच्चा 5 घण्टे घर में ऊधम मचायेगा इसलिये उसको स्कूल भेज दो, शिक्षा का यह अर्थ नहीं होना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, अब न तो वह खेल की परम्परा रही है, पहले जो खेल कूद की गतिविधियां थीं, रचनात्मक कार्यक्रम और वाद-विवाद होते थे, स्कूलों में, अब वह सब समाप्त हो गये। पहले स्कूलों में राष्ट्रीय पर्व आयोजित होते थे। मुझे याद है कि जब मैंने सन् 72 में मैट्रिक किया था उस समय स्कूलों में 15 अगस्त और 26 जनवरी के राष्ट्रीय पर्व मनाये जाते थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 2 अक्टूबर को जयन्ती मनाते थे, 30 जनवरी को पुण्य तिथि मनाते थे, लोगों की भावना होती थी; सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जाते थे, लेकिन आज यह दुर्भाग्य है कि साधारण अध्यापक शामिल होते हैं, 15 अगस्त का झण्डा फहरा कर और राष्ट्रगान करके इतिश्री कर देते हैं, प्रधानाध्यापक, प्रिंसीपल प्रधानाचार्य अपना कोई दायित्व नहीं समझता है कि यह हमारा राष्ट्रीय पर्व है। हमको इसी दिन गुलामी से आजादी मिली थी, इस दिन छात्रों को कोई संदेश व संस्कार मिलने चाहिये, ऐसी कोई बातें शिक्षा विद्यालयों में नहीं होती। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इस बारे में निवेदन है कि सारे स्कूल खोल दो, जाल बिछा दो, कुछ होने वाला नहीं है, जब तक बच्चों का नैतिक उत्थान नहीं होगा, जब तक संस्कृति वैभव, सभ्यता उनको नहीं सिखाई जायेगी, तब तक भारत में तो कम से कम शिक्षा से कोई लाभ होने वाला नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, जैसा अभी मदन दिलावर जी ने बताया था कि हम हमारे ऐतिहासिक पूर्वजों को भूलते जा रहे हैं। हम गुलामी के चिन्हों को तो याद करते हैं, उनकी वाह-वाही करते हैं, उनके गुणगान करते हैं और जिन्होंने घास की रोटियां खाकर, दर-दर भटक कर, हमारे देश के लिए, राष्ट्र के लिए और इस राजस्थान के लिए अपना खून-पसीना बहाया जिन्होंने लोहा लिया,

(श्री गुलाब सिंह)

उन लोगों को हम भूल गये। अपनी आजादी के संकल्प को लेकर जिन्होंने हंसते-हंसते अपने गले में फांसी का फंदा लटका लिया, उनको हम भूल गये, आज उनको याद करने की फुरसत नहीं है और हम अंग्रेजी शिक्षा पद्धति और टींवकल-टींवकल लिटिल स्टार और मदर एण्ड फादर की शिक्षा ग्रहण करवाते हैं।

क्या हो जायेगा उससे ? उपाध्यक्ष महोदय, इस दृष्टि से मेरा इसमें निवेदन है कि आज शिक्षा का जो ह्रास हो रहा है, इसमें आमूल चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इस तरह खाली आई. ए. एस., और आर. ए. एस. अधिकारी बैठाने से, जो कागजी कीड़ा होकर कहीं से परीक्षा पास करके बैठ जाते हैं, शिक्षा का ह्रास रुकने वाला नहीं है। सच बात यह है कि शिक्षाविद्, विद्वान लोगों, साहित्यकारों, अच्छे-अच्छे कवियों की एक समिति गठित हो जो शिक्षा के बारे में अपनी राय दे कि किस तरह की शिक्षा हमारे राजस्थान में होनी चाहिए, बच्चों में किस तरह की शिक्षा का प्रादुर्भाव किया जाना चाहिए। यदि ऐसी शिक्षा होगी तो निःसन्देह हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल रहेगा। कहते हैं "तमसो मां ज्योतिर्गमय", अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल, लेकिन यहां तो स्थिति है कि प्रकाश से अंधकार की ओर जा रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना यही चाहूंगा कि कमल का फूल कीचड़ में होते हुए भी जिस प्रकार पवित्र है, उसी तरह शिक्षा, विद्या कहीं से भी मिले, हमें ग्रहण करनी चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

जिस विषय की हमको आवश्यकता है या किसी अन्य प्रान्त में अगर अच्छे सब्जेक्ट हैं तो उन सब्जेक्ट्स के शिक्षाविदों को यहां आमन्त्रित करना चाहिए। अलग-अलग क्षेत्र के विद्वानों को आमन्त्रित कर, उनकी राय लेकर उनके अनुभवों का लाभ उठाते हुए हमें शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अब मेरे क्षेत्र की समस्या की ओर थोड़ा सा ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर आय की दृष्टि से राजस्थान में अपना स्थान रखता है। वहां कृषि उपज मण्डी, नगर पालिका क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, कपड़ा व्यवसाय, अनाज व्यवसाय बहुत ही उन्नत हैं। इसके बावजूद भी पूरे क्षेत्र में एक भी कालेज नहीं है। एक भी कालेज नहीं होने से बच्चे या तो दसवीं पास करके बम्बई नौकरियों में चले जाते हैं या दर दर भटकते रहते हैं, आवारागर्दी करते रहते हैं। इसलिए मेरा उच्च शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन है, मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि वहां पर एक कालेज खोला जाय। महा विद्यालय खोला जाने से वहां के छात्रों के लिए आगे पढ़ना सम्भव हो सकेगा, आर्थिक दृष्टि से कमजोर छात्रों को इसका लाभ मिल सकेगा।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री गुलाब सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक बात है, दूसरे बोलते हैं तब आप आधा आधा घण्टे तक घण्टी नहीं बजाते। या तो मेरी बात सही नहीं है, या मैं गलत बोल

(श्री गुलाब सिंह)

रहा हूं, या मेरी बात समझ में नहीं आ रही हैं, या मैं रिपीट कर रहा हूं। यह बता दीजिए आप।

श्री उपाध्यक्ष : समय सीमा है। आप कितनी देर बोलना चाहते हैं ?

श्री गुलाब सिंह : समझ गया, ठीक है, साहब।

मेरे सुमेरपुर विधान सभा क्षेत्र में महिला, बाल विकास एवं पोषाहार की कोई व्यवस्था नहीं है और न आंगनबाड़ी केन्द्रों में प्रौढ़ शिक्षा का कोई माध्यम है। यह विभाग भी उच्च शिक्षा मंत्रीजी के पास है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि सुमेरपुर विधान सभा क्षेत्र का चयन कर वहां पर महिला, बाल विकास पोषाहार एवं आंगनबाड़ी में प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था की जाय। उपाध्यक्ष महोदय, अध्यापकों के पद आज साल भर से रिक्त पड़े हैं। स्कूलों में अध्यापक नहीं हैं और भवनों की भी समुचित व्यवस्था नहीं है। भवनों के लिए तो मैं धन्यवाद देता हूं कि इस बजट में प्रपोजल रखा गया है इससे निस्सन्देह छात्रों को लाभ मिलेगा, गांवों को लाभ मिलेगा। लेकिन जहां पर अध्यापकों की कमी है, शिक्षा मंत्रीजी ने पिछली विधान सभा में घोषणा की थी कि हम जुलाई तक भर देंगे। जुलाई बीत गया है और यह मार्च भी चला जायेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस मार्च के अन्त तक सारे अध्यापकों को अगर स्कूलों में भर्ती कर दिया जाय तो परीक्षाएं नजदीक आ रही हैं उन बच्चों का जो नुकसान हो रहा है वह नुकसान नहीं हो पायेगा।

सबसे अहम् सवाल मैं उठाता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि ट्यूशन प्रवृत्ति आज अध्यापकों में ऐसी पैदा हो गयी है कि बच्चे अगर ट्यूशन नहीं जायेंगे तो उनको थ्रेटनिंग दी जाती है कि ट्यूशन नहीं आयेगा तो फेल कर दूंगा। इस पर अनिवार्यतः रोक लगा दी जाय कि कोई भी अध्यापक स्कूल के अलावा कहीं भी ट्यूशन नहीं करे। इस तरह का कानून बनाया जाय तो भी अच्छा रहेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, काफी सारे विधायकों ने बात कही कि उच्च प्राथमिक शिक्षा जो जिला परिषदों को सौंपी है, उनको वापस शिक्षा विभाग को दिया जाय। पिछले वर्ष राज्य सरकार ने निर्देश दिये थे कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जहां-जहां अध्यापक नहीं हैं उनमें जिला परिषदों के माध्यम से अध्यापक लगाये जायं, उनकी नियुक्ति मैरिट के आधार पर की जाय। अब क्या कारण रहा, मैं आरोप तो नहीं लगाता, शायद इसमें कोई रिश्वत लेने का मामला नहीं क्योंकि मैरिट के आधार पर नियुक्ति में रिश्वत की कोई बात नहीं हो सकती इसलिए किसी भी जिला प्रमुख ने, जिला परिषद् ने इसमें रुचि नहीं दिखायी और नये अध्यापकों का अपाइण्टमेण्ट नहीं हुआ। इसलिए इन उच्च प्राथमिक विद्यालयों को जिला परिषदों से लेकर तुरन्त शिक्षा विभाग को दिया जाय। यही मेरा निवेदन है। आपने जो समय दिया धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हेतराम। (अनुपस्थित) श्री रामकरण सिंह। (अनुपस्थित) श्री बालचन्द आर्यवीर।

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : माननीय

(श्री बालचन्द आर्यवीर)

उपाध्यक्ष महोदय, आज शिक्षा के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वह भारतीय संस्कृति के ऊपर एक लांछन है। आज प्राइमरी स्कूलों में ग से गाय की जगह ग से गधा पढ़ाया जाता है जब कि पहले प्राइमरी स्कूलों में ग से गाय या ग से गणेश पढ़ाया जाता था। उसको साम्प्रदायिक मानकर, उसमें परिवर्तन करके आज ग से गाय की जगह, ग से गणेश की जगह ग से गधा पढ़ाया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सुझाव देना चाहता हूं कि शिक्षा नीति में हम जो परिवर्तन करने जा रहे हैं वह परिवर्तन करें और प्राइमरी स्कूलों की पहली कक्षा में ग से गणेश, ग से गाय गाय पढ़ाया जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने जिले की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। झालावाड़ जिला शिक्षा के हिसाब से बहुत पिछड़ा हुआ है। हमारे यहां झालावाड़ जिला केन्द्र पर कालेज है, लेकिन अन्य किसी स्थान पर नहीं है। माननीय मुख्यमंत्रीजी अभी पिछले दिनों झालावाड़ गये थे और वहां बिड़ला कालेज के अधिग्रहण करने की घोषणा करके आये हैं। माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी यहां विराजमान हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने भाषण में यह कहें कि भवानीमण्डी का जो बिड़ला कालेज है उसको अधिग्रहण किया जायेगा, जिससे कि हमारे क्षेत्र के गरीब छात्र-छात्राओं को इसका सहयोग मिल सके। उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट में अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं के लिए कोई बजट नहीं रखा गया है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि उनको जो छात्रवृत्ति दी जाती है उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए।

मैं अपने डग विधान सभा क्षेत्र की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि मैंने अभी एक तारांकित प्रश्न किया था। उसमें सरकार की ओर से उत्तर आया है कि वहां पर गंगधार, आहोर में कहीं भी अध्यापकों का अभाव नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि, डग में प्रधानाध्यापक का पद कई वर्षों से रिक्त पड़ा आ रहा है, गणित के अध्यापक का पद रिक्त चला आ रहा है। इस वजह से छात्र-छात्राओं का भविष्य अन्धकार में है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शीघ्र उन पदों को भरा जाय ताकि छात्र-छात्राओं का भविष्य सुधर सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गर्ल्स सैकण्डरी स्कूलों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने का जहां तक सवाल है, पता नहीं सरकार का किस ओर ध्यान है।

(2.50 म. प.)

(श्री रमाकान्त शर्मा सभापति, पदासीन)

भवानी मण्डी, झालावाड़ जिले में सबसे सीनियर स्कूल है, उसमें 780 की संख्या है छात्र-छात्राओं की, फिर भी उसकी उपेक्षा हो रही है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि अभी जब आप अपना जवाब दें तो घोषणा करें कि भवानी मण्डी गर्ल्स सैकण्डरी स्कूल को सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल में तुरन्त प्रभाव से क्रमोन्नत करेंगे।

(श्री बालचन्द आर्यवीर)

माननीय सभापति महोदय, आज शिक्षा नीति में परिवर्तन करने जा रहे हैं। हम अकबर और बाबर की शिक्षा देते हैं, क्या हम अपने बच्चों को सिखायेंगे ? क्या हम छात्र-छात्राओं को सिखायेंगे ? हमें शिक्षा देनी चाहिए महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, भगतसिंह, चन्द्रशेखर आजाद की जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान किया, जो देश के लिए शहीद हुए। लेकिन आज उनका नाम नहीं लेकर उनके चित्र अधिकारी कक्ष में नहीं लगाते और केवल मात्र औपचारिकता निभायी जाती है। मेरा सुझाव है कि इतिहास में जो प्रश्न आते हैं, बच्चों की परीक्षाओं में अधिक से अधिक प्रश्न आने चाहिये जिससे कि उनके जीवन में कुछ क्रान्ति आवे, जीवन में कुछ प्रेरणा मिल सके। माननीय सभापति महोदय, मैं अपने क्षेत्र के भवानी मण्डी बिरला कालेज को सरकार में अधिग्रहण करने की आपके माध्यम से मांग करता हूं और साथ ही शिक्षा मन्त्रीजी का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि भवानी मण्डी गर्ल्स स्कूल को क्रमोन्नत करें। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री प्रेमसिह दहिया।

श्री प्रेमसिह दहिया (भीनमाल) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा, कला और सस्कृति की मांग पर अपने विचार माननीय शिक्षा मंत्री जी एवं सदन को अवगत कराना चाहता हूं। पहले तो मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमारे यहां बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय को बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया। परन्तु शिक्षा मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि उन्होंने थाली तो हमारे सामने रख दी, पकवान भी बना दिये लेकिन परोस नहीं रहे हैं, इन्होंने बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय को क्रमोन्नत तो कर दिया, परन्तु एक भी अध्यापक नहीं लगाया, न कोई स्टाफ लगाया। हमने बच्चियों को एडमिशन करवा दिया, सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी स्कूल से लाकर उनका एडमिशन करा दिया, परन्तु यहां से अध्यापकों की नियुक्ति नहीं होने के कारण हमें इस बार वैकल्पिक व्यवस्था से ही सतोष करना पड़ा, पढ़ाई की तरफ उनका उचित ध्यान नहीं गया। इसलिये निवेदन करना चाहूंगा कि भविष्य में आप जब भी कोई ट्रांसफर वगैरह करें तो हमारे यहां जो खाली जगह हैं उनको भरने की कृपा करें।

सभापति महोदय, हमारा कृषि प्रधान देश है। यहां की 80-90 पर्सेन्ट आबादी कृषि के ऊपर अपना भरण-पोषण करती है इसलिये शिक्षा नीति के अन्दर कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिये यह मेरी मान्यता और माग है। जहां तक शिक्षा नीति का सवाल है, जो प्राइमरी, मिडिल और सैकण्डरी स्कूल्स गाव में खुले हुए हैं उनमें जिन बच्चों को हम आज शिक्षा देते हैं वह शिक्षा जब तक वह आगे पढ़ाई नहीं करते उनके वह कोई काम नहीं आती है। वह बेरोजगार होकर घूमते हैं, न कोई उनको रोजगार मिलता है और न वह खेती, व्यवसाय और मजदूरी के काम की तरफ लौट पाते हैं, न कोई सेवा मिल पाती है।

अत: मेरा मंत्रीजी से निवेदन है कि शिक्षा नीति में आमूल-चूल परिवर्तन करके ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये कि प्राइमरी,

(श्री प्रेमसिंह दहिया)

प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और सैकण्डरी स्कूल्स में कृषि से सम्बन्धित सभी विषय पढ़ाये जायं। जैसे खाद के बारे में जानकारी है या खेती का कार्य है। बेरोजगार श्रमिक को अगर खाद की जानकारी दी जाय, जो खेत में काम करेगा, किसान हैं, किसान के बच्चे हैं उनको जानकारी दी जाय तो वह वापस अपने खेत के अन्दर उसका उपयोग करेंगे कि खाद क्या होती है, कितनी डालनी चाहिये, मात्रा क्या होनी चाहिये वह सब जानकारी उनको दी जाय। इसी तरह से उन्नत बीज क्या है, किसानों को जो बीज बाजार में मिलते हैं वह बीज लाकर आप देवें। उसकी जानकारी जो प्राथमिक शिक्षा है उसमें थोड़ा सा जरूर ध्यान दिया जाना चाहिये। उनकी पढ़ाई के अन्दर जो ग्रामीण क्षेत्र हैं जो वापस जाकर खेती के अन्दर काम करना चाहते हैं तो उनको यह जानकारी भी होनी चाहिये कि बीज कौनसा होता है, कौनसा बीज, किस एरिया के लिये उपयोगी है, उस बीज से कितनी फसल हो सकती है, हम उनका बीज किस तरह से इस्तेमाल करें। इसी तरह से पेस्टिसाइटस है, उसके बारे में भी उनको जानकारी हो। इसलिये यह जो शिक्षा नीति है इसमें मैं चाहूंगा कि इस तरह के विषय पढ़ाये जाने चाहियें। उनको यह जानकारी हो कि पशुओं की बीमारियों में कौनसी दवाइयां काम में ले सकते हैं, दवाइयों की जानकारी उनको हो तो वह दवाइयां खुद ला सकते हैं और डाक्टर से सलाह के बाद उन दवाइयों को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से जो फसल बोई जाती है और जो फसल वापस आती है उसका किसान किस तरह से संवरण करे, विपणन करे, उसको सुरक्षित कैसे रखे, जो भी खाने की फसलें हैं, अनाज है, अनाज के साथ कई तरह की सब्जियां हैं, कितने ही फल वगैरह हैं उनको सुरक्षित कैसे रखा जाय। इस बारे में प्राथमिक शिक्षा दी जानी चाहिये जिससे गांव में वेस्टेज होने वाला है, जो कई तरह के इन्सेक्ट्स, चूहे आदि फसल को काफी नुकसान पहुंचाते हैं उनकी जानकारी उनको होनी चाहिये ताकि फसल को होने वाली क्षति को किसी तरह से बचाया जा सके।

माननीय शिक्षा मंत्रीजी को मैं उद्योग की नीति के बारे में भी बताना चाहूंगा। यह जो कृषि पर आधारित उद्योग है उनके बारे में भी उनको जानकारी दी जानी चाहिये। कालेज स्तर पर भी जहां-जहां कृषि विषय नहीं है वह कृषि विषय सभी जगह खोले जाने चाहिये। कई जगह ऐसी मजबूरियां हैं, कालेजों के पास कृषि विद्यालय खोलने के लिये जो नार्म्स चाहिये, हम को फार्म चाहिये, डिमांस्ट्रेशन के लिये बच्चों को और कुछ पढ़ाने के लिये तो कालेज के पास जमीन की कमी है तो दूर ले जाया जाकर भी इस प्रकार की शिक्षा दी जा सकती है। हर कालेज के अन्दर कम से कम कृषि का विषय जरूर खोला जाना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, यह शिक्षा नीति और शिक्षा की योजनायें बनाई जा रही हैं, बनाई जाती हैं उनको आने वाले 25 साल के मद्दे नजर रखते हुए बनायी जानी चाहिये। जो आज आबादी है, जितने हम कालेज एजूकेशन का विस्तार करना चाहते हैं, स्कूलों का प्रसार करना चाहते हैं। अगर हम आज से ही आवश्यकतानुसार भूमि आरक्षित कर लें कि आने वाले 20

(श्री प्रेमसिंह दहिया)

सालों में हमको इतने मिडल स्कूल क्रमोन्नत करने के लिये जगह चाहिये, या खेलने के लिये फील्ड चाहियेगा उनको मुद्दे नजर रखते हुए हमको अभी से ही भूमि आरक्षित करनी चाहिये। नहीं तो बाद में गांव में आबादी बढ़ जाती है, फिर एजूकेशन के लिये बाहर जाना पड़ता है और उससे जो सुविधा हमें मिलनी चाहिये वह नहीं मिल पाती है।

माननीय सभापति महोदय, मेरे कुछ सुझाव हैं। हर विधान सभा क्षेत्र के अन्दर एक पोलीटेक्निक कालेज जरूर होना चाहिये, आई.टी.आई. संस्था जरूर होनी चाहिये, वैटनरी की ट्रेनिंग की हर विधान सभा क्षेत्र के अन्दर कोई भी एक बड़ा कब्स देखकर व्यवस्था की जानी चाहिये। मेरे भीनमाल क्षेत्र के अन्दर इन सभी सुविधाओं का अभाव है। अतः मेरी शिक्षा मन्त्रीजी से मांग है कि वह भीनमाल के अन्दर कालेज के अन्दर कृषि विषय खोलें। माननीय शिक्षा मन्त्री जी कृपया जरा नोट कर लें मेरे विधान सभा क्षेत्र में कृषि विषय जरूर खोलने की व्यवस्था करवायें। इसी तरह से पोलीटेक्निक और आई टी.आई. संस्था भी भीनमाल के अन्दर खोले जाने की मैं मांग करता हूं, वह भी हमारे यहां खोले जाने चाहिये।

एक विसंगति देखने में आई है, पिछले सालों से चल रही है और अभी भी यह गलती हो तो इस ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये कि कहीं पर तो ढाणियों के अन्दर प्राथमिक स्कूल 2 हजार की आबादी पर है, कहीं 5 हजार की आबादी पर सिर्फ प्राथमिक स्कूल, प्राथमिक स्कूल के नार्म्स क्या होने चाहिये, मेरी राय के अनुसार जो ढाणियां जहां पर प्राथमिक स्कूल दूर हैं तो 400 की आबादी के अन्दर एक प्राथमिक स्कूल हो जाना चाहिये, 2 हजार की आबादी के अन्दर एक मिडल स्कूल होना चाहिये, 5 हजार की आबादी तक सैकण्डरी स्कूल हो जाना चाहिये और जहां 5 हजार की आबादी है, जिन गांवों की आबादी 5000 से अधिक है वहां पर उच्च सैकण्डरी स्कूल जरूर होना चाहिए।

इसी तरह महिला शिक्षा की ओर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। जहां दो हजार की आबादी है वहां महिलाओं का प्राथमिक स्कूल होना चाहिए। इसी तरह से पांच हजार की आबादी में बालिकाओं के लिए मिडल स्कूल होना चाहिए और पांच हजार से अधिक आबादी के लिए महिलाओं का सैकण्डरी स्कूल जरूर होना चाहिए। मेरी पंचायत समिति सायला के अन्दर, जहां एक गांव की आबादी 8 हजार है वहां प्राथमिक स्कूल है इसी तरह से दो तीन गांव हैं। गांव सुराणा के अन्दर मैं मांग करता हूं कि प्राथमिक स्कूल को मिडल स्कूल और सैकण्डरी स्कूल में परिणित किया जाना चाहिए। इतना बड़ा 8-9 हजार की आबादी का गांव है, वहां बालिकाओं का स्कूल नहीं है तो बालिकाओं के लिए प्राथमिक स्कूल खोला जाना चाहिए।

इसी तरह से जो स्थानान्तरण की नीति है इसकी ओर मैं मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि स्थानान्तरण के अन्दर राजनीति कतई नहीं आनी चाहिए। हमारे भीनमाल में सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल के अन्दर विज्ञान विषय के अन्दर सिर्फ एक अध्यापक था जो फिजिक्स पढ़ाता था,

(श्री प्रेमसिंह दहिया)

केमिस्ट्री पढ़ाता था और वो ही गणित पढ़ाता था। मन्त्री जी ने अभी दो तीन महीने पहले, मन्त्री स्तर पर तो वो नहीं हुआ, अधिकारियों ने अपने स्तर पर तीन महीने पहले स्थानान्तरण कर दिया। हमारे भीनमाल के इस सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल की सुविधा को देखते हुए सांचोर से 20-25 विद्यार्थियों ने भीनमाल के अन्दर एडमिशन्स लिए। सैशन के मध्य में स्थानान्तरण कर देने से उनके भविष्य और उनकी पढ़ाई पर बुरा प्रभाव पड़ा है। इसलिए मेरा स्थानान्तरण के बारे में निवेदन है कि यह राजनीति से प्रेरित नहीं होना चाहिए। सैशन के मध्य में किसी भी सूरत में स्थानान्तरण नहीं होना चाहिए।

इसी तरह हमारे मुख्य मन्त्रीजी ने एक नारा दिया "अपना काम अपना गांव" उस नारे के तहत भवन बनाने की बात कही गई है। जहां तक नारे का सवाल है, यह नीतिगत मामला है यह सही है। यहां सदन के अन्दर भी सदस्यों ने इसकी तारीफ की है परन्तु मेरा इसके प्रति एक सुझाव और है। अपना काम अपना गांव के तहत दानदाता जो दान करता है और उससे कह रहे हैं कि 30 प्रतिशत दान करे, वह 100 प्रतिशत दान करता है, भवन बनाता है उसके बाद वह भवन स्थानान्तरित नहीं होते हैं, कई सालों तक। दानदाता भवन बनाकर स्थानान्तरण करने के लिए पी. डब्ल्यू. डी. डिपार्टमेन्ट के पीछे घूमता है, यह दानदाता की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, यह जिम्मेदारी तो फिर शिक्षा विभाग की होनी चाहिए कि वह भवन किस तरह से पी. डब्ल्यू. डी. को हैण्डेओवर किया जाय जिससे उसकी मरम्मत और उसके दूसरे कार्य हो सकें।

सभापति जी, आपने समय दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री महीपाल यादव।

(3.00 म.प.)

श्री महीपाल यादव (बहरोड़) : सभापति जी, मैं शिक्षा की मांगों पर कुछ अपने विचार और सुझाव रखना चाहूंगा। हमारा देश गांवों का देश है और बहुमत जनता गांवों में रहती है। गांवों की शिक्षा व्यवस्था इतनी अंधकारमय हो गई है कि आज प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शालाओं की दशा देखी जाए तो वहां 100 बच्चों पर एक अध्यापक है, कहीं 200 बच्चों पर एक अध्यापक है तो वह अध्यापक उनकी हाजिरी में ही लगा रहता है। अगर किसी भवन की नींव ही कमजोर हो तो वह भवन कितने दिन तक चलेगा। इसलिए माननीय शिक्षा मन्त्री जी का ध्यान हमारी जो जड़ है, नींव है उसकी ओर मुख्य रूप से दिलाना चाहता हूं। आज कितने ही स्कूलों में अगर दीवार है तो छत नहीं है और दीवार है, छत है तो ब्लेक बोर्ड नहीं है, पट्टी नहीं है, अध्यापक एक है या कहीं पेड़ के नीचे अध्यापक बच्चों को पढ़ाते हैं। इतने सालों में हमारी शिक्षा व्यवस्था जो है, सरकार को चाहिए कि बजट का पच्चीस फीसदी भाग शिक्षा पर खर्च होना चाहिए।

शिक्षा और चिकित्सा, इन दोनों मामलों में गांवों की दुर्दशा हो रही है। आज प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शालाओं में जितने भी स्कूल क्रमोन्नत किए गए हैं, मैं मेरे

(श्री महीपाल यादव)

विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ की स्थिति आप को बताना चाहता हूं। वहां आज भी किसी स्कूल में या तो एक हैड मास्टर पहुंचा है मुश्किल से या एक अध्यापक पहुंचा है या किसी में दो अध्यापक गए हैं। कुछ स्कूल ऐसे हैं जिनमें आज तक हैड मास्टर भी नहीं पहुंचे हैं। प्राइमरी स्कूल का जो स्टाफ था वही आज लगा हुआ है। आठवीं क्लास तक वहां पर पढ़ाया जाता है, 4 या 5 अध्यापक हैं तो कितने दिन तक गांवों का शोषण होता रहेगा। आज पूरे राजस्थान में जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय हैं उनके विद्यार्थी अन्धकार में हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि अभी पिछले दिनों एक-डेढ़ साल पहले मेरे ही क्षेत्र का एक बनड स्कूल है। बनड गांव के स्कूल की जमीन गांव के किसान ने दान दी। तहसील में उसकी रजिस्ट्री करवाई। रजिस्ट्री करवाने के बाद डोनेट पत्र लिखने के बाद विद्यालय खोला गया और उस विद्यालय में 120 छात्र अध्ययनरत थे। उसके बाद उस विद्यालय को उस बनड गांव से करीब डेढ़ किलोमीटर दूर एक किसी गांव के व्यक्ति ने दूर-दराज के व्यक्ति ने ढाणी के लोगों ने कमरा बना दिया और उस स्कूल को उस गांव से हटाकर जिसने अपनी जमीन दान दी सरकार को, जिसने भवन बनाकर तैयार किया तीन कमरों का, उसके सामने चारदीवारी खींची और उसमें हैण्ड पम्प भी लगवाया। उसके बाद उस स्कूल को माननीय मुख्य मन्त्रीजी के द्वारा, डेढ़ किलोमीटर दूर प्राइमरी स्कूल को दो कमरों के भवन में ट्रांसफर कर दिया गया। यह भेद-भाव, आज भी उस गांव के बच्चे उसी शाला में अपने प्राइवेट अध्यापक गांव वाले अपने पैसों से उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। गांव वाले स्वयं अपना खर्चा इकट्ठा कर के, चन्दा करके उन अध्यापकों को दे रहे हैं। यह स्कूल जो स्थानान्तरित किया गया है, गैरकानूनी है। हमारे माननीय ग्रामीण विकास मन्त्री जी ने वह आदेश नहीं किए। माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने यह गलत आदेश किए और आज वहां सिर्फ 7 बच्चे उस विद्यालय में पढ़ रहे हैं और 110 विद्यार्थी आज भी उस गांव में जो विद्यालय है जिस को सरकार ने खोला था वहां पढ़ रहे हैं तो यह गांव के साथ खिलवाड़ है। आज उन 110 बच्चों का भविष्य अन्धकारमय है। गांव के लोग अदालत का दरवाजा खट-खटाने गये। उन्होंने एक-एक पैसा अपनी मजदूरी में से, किसान के पास क्या बचता है आपने स्वीकारा, इस देश में अनाज पैदा करने वाला आदमी-हमारे मुख्य मन्त्रीजी के गलत निर्णय की वजह से आज अदालत के दरवाजे पर वार कर रहा है। गांव की जो दुर्दशा हो रही है, आज प्राइमरी स्कूल के और दूसरी क्लास के बच्चों को तीन-तीन साल तक नहीं देखा जाता है। कौनसा भविष्य निर्माण हम देश का करना चाहते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मन्त्री का ध्यान गांवों की तरफ ले जाना चाहता हूं। शहरों में तो बहुत से अच्छे विद्यालय खुले हुए हैं। पहले हमारे देश की शिक्षा जंगलों में थी, अच्छे-अच्छे गुरुकुल और विद्यालय जंगल में होते थे। जहां पर ब्रह्मचर्य का पाठ पढ़ाया जाता था। जहां सभ्यता और संस्कृति का पाठ पढ़ाया जाता था। जहां जंगलों में रह कर उनको अच्छी शिक्षा दी जाती थी।

(श्री महीपाल यादव)

आज हमारी शिक्षा बड़े-बड़े शहरों में आ गयी, गांव उजाड़ दिये गये। पांचवीं क्लास तक किसी को फेल नहीं किया जायेगा यह एक धारणा बनायी गयी है। तो वह पांचवीं तक तो फेल नहीं होगा, मिडल वह पास नहीं कर पायेगा क्योंकि अध्यापक नहीं है, मैट्रिक तो वह कर नहीं सकता 10साल तो, फिर भारत का भविष्य कैसा बनेगा। यह बड़े दुःख की बात है कि 40-42 साल की आजादी के बाद भी आज गांव और देहात शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पिछड़े हुए हैं। गांव के लोगों ने, जितने भी आज तक विद्यालय बने हैं उनमें 90-95 प्रतिशत गांव के लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई से विद्यालय बनाये। सरकार का उसमें मुश्किल से 10-15 प्रतिशत का योगदान होगा। आज भी ज्यादातर स्कूलों में जो कमरे बनते हैं या उनमें कोई भी निर्माण कार्य होता है, गांव के लोग अपने श्रम दान से, अपनी मेहनत की कमाई से उस विद्यालय के निर्माण में हिस्सेदारी करते हैं। तो जब तक देश में समान शिक्षा नहीं होगी, आज दोहरी शिक्षा है। पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को कम्पीटीशन में मुकाबला गांव, देहात के बच्चों से कराया जाता है। तो वह कहां उसमें कामयाबी हासिल करेगा। यह जान-बूझकर साजिश की जा रही है। फिर देश में गांवों के साथ, गांवों से जो प्रतिभाएं आती थीं वह सब आने से वह जायेगी। गांव का बच्चा जब मैट्रिक ही पास नहीं करेगा तो वह कहीं भी हिस्सेदारी नहीं करेगा। चपरासी से लेकर कलक्टर तक जितनी भी सर्विसेज निकलती है उसमें गांव के बच्चे का प्रतिशत नगण्य रहता है। उस का कारण यही है कि गांवों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से शिक्षा मन्त्री जी का ध्यान मैं इस ओर दिलाना चाहता हूं कि हमारी शिक्षा समान हो, उसका पाठ्यक्रम समान हो, रोजगार-परक शिक्षा हो। कितने ही हमारे डाक्टर, इंजीनियर विदेशों में सेवायें दे रहे हैं यह सब हमारी नीतियों की वजह से है। रोज-गार के लिए विदेशों में जा रहे हैं। आज कितने प्रशिक्षित अध्यापक मेरिट के सवाल पर सन् 85 से आज तक घर बैठे हैं। क्यों नहीं उनको वरीयता के आधार पर स्थान दिया जाय। कितने ही पोलीटेक्निक छात्र डिप्लोमा करके घर बैठे हैं। कितने ही डाक्टर, इंजीनियर्स घर बैठे हैं, तो शिक्षा का हमारा क्या स्तर रह जाता है। आज देश की शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल परि-वर्तन की आवश्यकता है। जहां तक काफी हमारे माननीय सदस्यों ने कहा, सुझाव भी आये हैं कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा को तो कम से कम इस विकास विभाग से निकाला जाये और पंचायत राज से वापस लेकर शिक्षा का स्वतन्त्र अस्तित्व कायम किया जाय, अलग निदेशालय बना कर। बजट की व्यवस्था का जिम्मा प्राथ-मिक विद्यालय के निदेशक को दिया जाय जिसका सीधा सम्बन्ध शिक्षा सचिव से हो क्योंकि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने अपने चुनाव भाषणों में भी बराबर यह कहा, शिष्ट मण्डल में भी यह कहा लेकिन जैसा कहते हैं, करते नहीं हैं। आश्वासन दे देते हैं इसलिए इसको जितना जल्दी हो सके विकास विभाग से मुक्त किया जाय। मान-नीय सदस्यों की राय है कि प्राथमिक शिक्षा

(150)

(श्री महीपाल यादव)

का अलग निदेशालय हो जिस तरह सैकण्डरी शिक्षा का अलग निदेशालय; कालेज शिक्षा का अलग निदेशालय है। जब तक आप इस नींव को मजबूत नहीं करेंगे तब तक अपने भारत का भविष्य नहीं बनेगा और एक जो सवाल था हमारे माननीय सदस्य ने कहा अजमेर विश्वविद्यालय का नाम महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय रखा जाए, मैं भी इस बात का समर्थन करता हूं। क्योंकि महर्षि दयानन्द सरस्वती जगतगुरू शंकराचार्य के बाद एक बहुत बड़े विद्वान थे और हम उनको स्वाधीनता के प्रथम प्रेरक कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हमारे आजादी के स्वाधीनता के सबसे पहले प्रेरक थे। जिनके विचारों से उन्होंने पुस्तक लिखी थी "लाइट आफ ट्रूथ" जिसको पढ़कर लोग अपने राज धर्म के लिये, आजादी के लिये, अपने जवानी के भोग बिलास को ठोकर मार कर फांसी के फन्दे को चूमा कि देश आजाद हो। हमारा देश हजारों साल से गुलाम रहा है। गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने का काम महर्षि ने राज धर्म, जो समुल्लास लिखा उसके एक पाठ सत्यार्थ प्रकाश में लिखा और महर्षि दयानन्द सरस्वती ने पांच साल अज्ञातवास रूप में रहकर हिन्दुस्तान में हजारों नौजवानों को तैयार किया जो आजादी के लिये अपने प्राणों की बली दे सके। इन महर्षी दयानन्द सरस्वती के नाम पर हम अजमेर में विश्वविद्यालय का नाम भी नहीं रख सके। उन्होंने धर्म की शिक्षा दी थी हमको कि हमारा धर्म क्या है? वैसे तो सत्य बोलना ही धर्म है लेकिन धर्म के जो 10 लक्षण उन्होंने बताये और मानव का धर्म क्या है, मानवता है, और आज जो लोग धर्म के नाम पर पाखण्ड फैला रहे हैं देश में, जो लोग धर्म के नाम पर देश में पाखण्ड का प्रचार कर रहे हैं; उन्होंने पाखण्ड के खिलाफ जब पताका गाड़ी, राजस्थान में उस पाखण्ड को उन्होंने देखा तो, आज कुछ लोग अशोक सिंघल जैसे लोग धर्म के नाम पर, हिन्दू के नाम पर, गौरव से कहे कि हम हिन्दू है। हमारे वेद से ले कर, वेद जिसको सृष्टि जब से बनी, सृष्टि की उत्पति हुई हम वेद को अथेन्टिक पुस्तक मानते हैं और वेद से लेकर रामायण से लेकर, महाभारत से लेकर, कुरान से लेकर और यहां तक कि सत्यनारायण की कथा में भी हिन्दू शब्द का जिक्र नहीं है। हमको या तो आर्य शब्द मिलता है। इसलिये जो लोग इस साम्प्रदायिक शब्द का यूज करते हैं, हिन्दू शब्द तो एक फारसी भाषा का है और उसका अर्थ होता है गुलाम, उसका अर्थ होता है + + + यह साम्प्रदायिक....

श्री मदन दिलावर : सभापति महोदय, यह सदन को गुमराह कर रहे हैं। यह सदन का अपमान कर रहे हैं, हिन्दुओं का अपमान कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया व्यवधान नहीं डालें।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : सभापति महोदय, इस + + + शब्द को एक्सपंज कराया जाय।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें। (व्यवधान) शिक्षा पर भाषण है, धर्म पर

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री सभापति)

भाषण नहीं है। (व्यवधान) कृपया बिराजिये।

श्रीमती तारा भण्डारी : सभापति महोदय, + + + शब्द को एक्सपंज कराया जाय ... (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया व्यवधान न डालें। कृपया बिराजिये (व्यवधान) आप एक साथ बोल रहे हैं। बिराजिये।

श्री मदन दिलावर (अटरू) : जो प्रोसिडिंग्स में अंकित हुआ है, उसको निकलवा दो।

श्री सभापति : कृपया व्यवधान न डालें। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय सभापति महोदय, + + + शब्द निकाला जाय।

श्री सभापति : + + + शब्द निकाल दीजिये।

श्री महीपाल यादव (बहरोड़) : माननीय सभापति महोदय, मैं महर्षि दयानन्द सरस्वती जिन्होंने "लाईट आफ ट्रुथ" पुस्तक लिखी है और जिन्होंने धर्म की शिक्षा पर हमको पाठ पढ़ाया है। मैं अपना इस्तीफा इस सदन में पेश कर दूंगा अगर कोई भी सदस्य यह साबित कर दें कि किसी भी प्राचीन्टिक पुस्तक में यह हिन्दू शब्द है। यदि है तो मैं आज ही इस्तीफा इस सदन में दे सकता हूं।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें। (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अपनी अज्ञानता पर कोस रहे हो क्या?

श्री महीपाल यादव : हम उन लोगों में नहीं हैं जो गर्व से कहो हिन्दू है। हम गर्व से कहो गुलाम नहीं हैं, गर्व से कहो हम + + + नहीं हैं। क्योंकि इस शब्द का अर्थ यही है और जब मुगलों ने राज किया तो उन्होंने हमको + + + कहकर....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें। (व्यवधान) + + + शब्द निकाल दिया जाये। आर्डर प्लीज।

श्री मदन दिलावर : माननीय सभापति महोदय, ये हिन्दुओं को + + + और गुलाम कह रहे हैं।

श्री सभापति : आप बिराजिये। कृपया बिराजिये। सनाढ्य जी बिराजिये। आप बिराजिये। (व्यवधान) कृपया समाप्त करें। बहुत समय ले लिया है। कृपया समाप्त करें बैठिये। अब आप बोलिये। (व्यवधान) माननीय सदस्य व्यवधान न डालें। माननीय सदस्य, बैठिये।

एक माननीय सदस्य : ये धर्म की बात करते हैं। इन्होंने मानवता को सोच लिया। मानव का धर्म है मानवता। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य व्यवधान न डालें। अब आप समाप्त कर रहे हैं या मैं कहूं अंकित न करें। अब आप

+ + + शब्द माननीय सभापति के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री सभापति)

समाप्त कर रहे हैं कि नहीं। (व्यवधान) महीपाल जी, समाप्त करें।

श्री शिव किशोर सनाढ्य (उदयपुर) : यह पूरी जाति का अपमान है। यह पूरे देश का अपमान है। यह सारी जाति का अपमान है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : माननीय सभापति महोदय, इनको बैठा दीजिये। ये असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ये बार-बार हिन्दुओं का अपमान कर रहे हैं।

श्री सभापति : कृपया बिराजिये। कृपया समाप्त करें।

श्री महीपाल यादव : इनको कोई ध्यान तो है नहीं कि कहा से यह शब्द आया है। माननीय सभापति महोदय, आज जितने भी स्कूल हैं ...(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया व्यवधान न डालें। शब्द निकाल दिया गया है। आप क्यों व्यवधान डाल रहे हैं? (व्यवधान) आर्डर प्लीज। आप बिराजिये। आप समाप्त करें।

श्री मदन दिलावर . ये+++भाषण कर रहे हैं।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) : सभापति महोदय, जनगणना में इन्होंने अपने आपको क्या लिखाया है ? (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें। आर्डर प्लीज। बिराजिये। (व्यवधान) आपने बहुत समय ले लिया है। कृपया समाप्त करें। बैठिये आप। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप बिराजिये। ये समाप्त कर रहे हैं। (व्यवधान) माननीय सदस्य, बैठिये। आर्डर प्लीज। तशरीफ रखिए।

श्री महीपाल यादव : माननीय सभापति महोदय, सत्य कड़वा होता है। खैर कोई बात नहीं। (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह कौशल : आपके पिताजी ने आपका कौनसा धर्म लिखाया है ? (व्यवधान)

श्री महीपाल यादव : आप किसी भी पुस्तक में.... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप अपनी बात समाप्त करें। क्या मुझे यह कहना पड़ेगा कि अंकित न हो। आप समाप्त करें।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (सरकारी मुख्य सचेतक) : माननीय सभापतिजी, माननीय सदस्य स्वयं ही अपना परिचय दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। आप बिराजिये। महीपाल जी, आप समाप्त करें। आप समाप्त करें।

श्री टीकमचन्द कांत (रेवदर) : सभापति महोदय, ये क्षमा मांग लें। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : माननीय सभापति महोदय, हिन्दुओं का अपमान नहीं चलेगा।

+++अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री सभापति : महीपालजी, आप समाप्त करें। आप विराजिए। आर्डर प्लीज।

श्री टीकमचन्द कांत : स्वीकार्य नहीं हो सकता।

श्री मदन दिलावर : इन्होंने हिन्दुओं को गाली दी है।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय महीपाल जी, कृपया समाप्त करें। आप समाप्त करें। (व्यवधान)

श्री महीपाल यादव : माननीय सभापति महोदय, ये व्यवधान कर रहे हैं।

श्री सभापति : आप समाप्त करें।

श्री मोहनलाल चौहान (परबतसर) : सभापति महोदय, आप इनको ही क्यों दबा रहे हैं। आप उनको क्यों नहीं कहते कि वे व्यवधान न करें। (व्यवधान)

श्री सभापति : अंकित नहीं हो। (व्यवधान) बिराजिए। कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है। आप बिराजिए।

श्री टीकमचन्द कांत : ×××

श्रीमती उजला अरोड़ा : ×××

श्री गुलाबसिंह (सुमेरपुर) : ×××

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री टीकमचन्द कांत : ×××

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। कृपया बिराजिए। कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है। कुछ अंकित नहीं हो रहा है।

(3.30 म.प.)

(श्री यदुनाथ सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री रघुवीर सिंह कौशल : ×××

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : ×××

श्री महीपाल यादव। ×××

श्री मदन दिलावर : ×××

श्रीमती उजला अरोड़ा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : श्री नन्दकिशोर शर्मा। बैठिए, माननीय सदस्य। श्री नन्दकिशोर शर्मा। माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हुआ। बैठिए आप।

श्री नन्दकिशोर शर्मा।

श्री महीपाल यादव : ×××

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त हुआ, माननीय सदस्य। बहुत समय हो गया आपका। बहुत ज्यादा समय हो गया, माननीय सदस्य, समाप्त हुआ। आधे घंटे से ज्यादा समय हो गया। नहीं।

श्री महीपाल यादव : ×××

श्री उपाध्यक्ष : वह हमारी जिम्मेदारी नहीं है। श्री नन्दकिशोर शर्मा। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री महीपाल यादव : ×××

××× माननीय सभापति के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(153)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिए अब आप।

श्री महीपाल यादव : ××××

श्री उपाध्यक्ष : मैं एक सैकण्ड भी नहीं दूंगा। श्री नन्दकिशोर शर्मा।

श्री महीपाल यादव : ×××

श्री नन्दकिशोर शर्मा (छबड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा के विषय में एक ही बात कहना चाहता हूं कि आज हमें बड़ी गम्भीरता से विचार करना चाहिए कि आज जिन स्कूलों में हम जिस शिक्षा को पढ़ा रहे हैं....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए अब आप।

श्री महीपाल यादव : ×××

श्री उपाध्यक्ष : श्री नन्दकिशोर जी, एक सैकण्ड रुकिये।

श्री महीपाल यादव : मैं अपनी बात को यहीं एक मिनट में खत्म कर रहा हूं कि हमारे जितने भी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं उनको तत्काल प्रभाव से माननीय शिक्षा मन्त्रीजी विकास विभाग से स्वतंत्र करायें और गांव की जो जनता है, गांव के जो विद्यार्थी हैं उनका भविष्य सुखमय हो और जो प्रशिक्षित अध्यापक हैं, 85 से लेकर 91 का साल आ गया, आज तक वह घर बैठे हैं उनको वरिष्ठता सूची के आधार पर लिया जाय। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त हुआ, श्री नन्दकिशोर शर्मा।

श्री रतनाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया था।

श्री उपाध्यक्ष : आपको मिल जायेगा अभी, निश्चित रहें।

श्री नन्दकिशोर शर्मा : शिक्षा के विषय में आज सदन में कई तरह की बातें आयीं कि इसमें यह सुधार होना चाहिये। हमारी सरकार ने नैतिक शिक्षा पढ़ाने का, चरित्रवान लोग पैदा हों, ऐसी शिक्षा के लिए सोचा है उसके लिए उसे बहुत धन्यवाद है। पर यह एक बड़ी सोचने की बात है कि 44 वर्ष बाद भी जो हमारा सबसे बड़ा विभाग है, इसमें सबसे ज्यादा कर्मचारी हैं और इसी शिक्षा से हमारे वैज्ञानिक, डाक्टर, आई.ए.एस., आर ए. एस., नेता निकलते हैं और इसके विषय में हमने यदि नहीं सोचा और वही मैकाले पद्धति के यहां से निकले, बाबू इसका एक उदाहरण है कि आज बिना पढ़ा-लिखा आदमी 22 या 25 रुपये की मजदूरी पर श्रम का काम करने जा सकता है लेकिन जिसने दसवीं पास कर ली वह आदमी तीन सौ, चार सौ रुपये महीने में स्कूल में यानि दस-बारह रुपये रोज में जा सकता है लेकिन वह 25 रुपये का काम नहीं कर सकता। तो वह शिक्षा, जो हमें पढ़ने के बाद कोई रोजगार नहीं दे सके, बी.ए., एम.ए. पास होने के बाद चपरासी की नौकरी के लिये लोग लालायित रहते हैं तो हमें विवश होकर सोचना चाहिये कि वह शिक्षा अपनानी होगी जो रोजगार दे, हमको चरित्रवान बनाये। जो गांवों के सुदूर स्कूल हैं उनमें अध्यापकों की कमी रहती है उसको तुरन्त पूरा करना चाहिए।

××× माननीय सभापति के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री नन्दकिशोर शर्मा)

जिले में ही जिलाधिकारी तुरन्त स्कूलों को भर दें। हमारी सरकार ने जो शिक्षा नीति बनाई कि ट्रांसफर बार-बार न हों, वह बहुत अच्छी बात है, उससे थोड़ा बुरा लगेगा। अध्यापकों की जरूर कमी रही है उससे कई स्कूल बंद रहे लेकिन फिर भी इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगा है। इसमें एक नियम बनाना चाहिये कि हमें मई, जून या जुलाई के बाद ट्रांसफर नहीं करना पड़े। मेरा निवेदन है कि हम शिक्षा पर बहुत ऊंचे रूप से सोचें ताकि हमारे नवयुवक पढ़-लिख कर खेती में और धन्धों में लगे। जितने तकनीकी शिक्षा के स्कूल हैं उनमें चरित्र से, श्रम से, सब प्रकार से, ऐसे लोग निकलें कि जैसे फौज सी निकली जिसको कोई रोजगार नहीं मिलता, वह और भी उपद्रव करती है, वह नहीं निकल पाये; यही हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य हो। आज सबसे बड़ी बात यह है कि अच्छे विद्यार्थियों में से तो कोई आई.ए.एस. बन जायेगा, कोई आर.ए.एस. बन जायेगा, कोई डाक्टर बन जायेगा, कोई इंजीनियर बन जायेगा और जो सबसे नीचे होगा जिसको कहीं नहीं लेंगे वह अध्यापक बनेगा तो इस पर भी हमें विचार करना चाहिए।

श्री हरिकुमार औदिच्य : वह नेता बनेगा।

श्री नन्दकिशोर शर्मा : नेता तो तब बने जब उसको कहीं मास्टर ही नहीं बनावे। यह वास्तव में गम्भीरता की बात है और विचारणीय बात है कि आज तीन सौ और चार सौ रुपये महीने में प्राइवेट स्कूल में अध्यापक अच्छी पढ़ाई पढ़ा सकता है और जब उसको पन्द्रह सौ रुपये की सरकारी नौकरी लग जायेगी तो वह अच्छी पढ़ाई नहीं पढ़ा सकता। अनट्रेन्ड आदमी उस प्राइवेट-पब्लिक स्कूल में तीन सौ रुपये में पढ़ाता है, उस स्कूल में हम बच्चे को भेजने में ज्यादा रुचि रखते हैं कि यहां तो पढ़ेंगे, सरकारी स्कूल में जहां उनको अच्छे रुपये, पन्द्रह सौ, सोलह सौ रुपये मिलते हैं वहां पर वह नहीं पढ़ा सकता। यह हमारे प्रशासन के देखने का अन्तर है, इस पर जरूर गम्भीरता से सोचना चाहिए। इतना पैसा देने के बाद भी वह अपनी नैतिक जिम्मेदारी नहीं मानता कि मैं उस तीन सौ रुपये वाले से भी कम पढ़ाऊं। प्राइवेट स्कूलों में तो तीन सौ, चार सौ रुपये में पढ़ाता है, वहां इनका शोषण होता है, इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि उनको भी अच्छा वेतन मिले। इधर यह ध्यान देना चाहिए कि सरकारी स्कूल, जिसमें ज्यादा अध्यापक हैं, ज्यादा तनख्वाह मिलती है, उसमें पढ़ाई कम है, यह बात नहीं होनी चाहिए। मैं अपने क्षेत्र की बात बता रहा हूं कि मेरे यहां जेफला स्कूल में दस अध्यापक हैं उनमें से इस समय तीन ही हैं, अभी परीक्षाएं होंगी तो मेरा माननीय मन्त्रीजी से निवेदन है कि अभी परीक्षा के समय इनकी व्यवस्था करें और मेरे दो हाई स्कूल झुंझनी प्रथम और बटाबटा पाल ढोलम बताये हैं उनको तुरन्त आगे जो खोल रहे हैं उसमें खोलें।

एक सुझाव मेरा और है कि जहां हाई स्कूल खोलते हैं वह पंचायत मुख्यालय तो होता ही है, लेकिन जो शहरों में बढ़ोतरी होती है, वहां अध्यापक भी रहते हैं इसके दो-तीन कारण और होते हैं कि हम उस जगह पर एक विशेष ध्यान दें कि वहां

(श्री नन्दकिशोर शर्मा)

सड़क भी जाये, बिजली भी हो, पानी भी हो, चिकित्सा की व्यवस्था भी हो। इससे एक तो स्टाफ ज्यादा हो जायेगा, अध्यापक वहां रहने लगेंगे। जब गांव में अध्यापक रहेंगे तो उस गांव का विभाग भी ज्यादा होगा, आपस में बातचीत होगी। इस ओर भी हमें ध्यान देना चाहिए।

पोषाहार और आंगनबाड़ी जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनमें मेरा सुझाव है कि वह इतने अच्छे कार्यक्रम हैं कि उसमें बच्चे और गर्भवती महिला की जांच होती है, उसको दवाइयां दी जाती है, उसके टीके लगाये जाते हैं, साथ ही उनको पोषाहार दिया जाता है। लेकिन उसमें जो वेतन दिया जाता है वह दो सौ और सवा दो सौ रुपये दिया जाता है, वह इसीलिए फेल होती है कि थोड़ी देर उसने प्रसाद सा बांटा और वह बंद हो जाती है। यदि वेतन बढ़ाया गया तो वह शिक्षा अच्छी हो जायेगी। अनौपचारिक शिक्षा नाम की शिक्षा है इसको भी चाहे कम करके जहां स्कूल नहीं है, उस जगह पर कर दिया जाये तो ज्यादा अच्छा होगा। बात तो वैसे यही आ गई, जिस प्रकार बिना पढ़े-लिखे लोगों की एम.बी. होती है- महापुस्तिका कि उसमें वह जे. ई. एन. मेजरमेन्ट करेगा, तभी होगा और प्राइवेट पब्लिक स्कूल में भी, कि इतना पढ़ा देगा तो हम यह करेंगे हमारी स्कूलों में हजारों रुपये तनख्वाह देने के बाद भी पढ़ाई कम होती है तो यहां भी क्यों नहीं महापुस्तिका हो कि इतना काम करोगे तो उस का यह हो जायेगा, नहीं तो उसकी पदोन्नति या और कोई काम, ऐसा कोई प्रशासन हो ताकि काम भी अच्छा हो, पढ़ाई भी अच्छी हो और सब तरह से अच्छा हो। इस बात पर सबको विचार करना चाहिए, यह बहुत बड़ी बात है, शिक्षा होगी, हमारा भविष्य भी अच्छा होगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल धाकड़।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं): उपाध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूं। आजकल जो भी शिक्षा का स्तर है, जो अध्यापक उसमें हैं, खास तौर से गांवों की ओर देखा जाय तो कई ऐसे क्षेत्र अभी भी वंचित हैं जहां आदिवासी लोग रहते हैं लेकिन शिक्षा उनसे काफी दूर है। उनके गांव से चार-पांच किलोमीटर तक कोई स्कूल नहीं है। ऐसे स्कूल भी हैं उनमें बच्चे जा नहीं सकते और आज भी इस स्वतन्त्र भारत में वह पिछड़ते जा रहे हैं। मेरे क्षेत्र में इन्डावा क्षेत्र है वहां गोकुलपुरा एक गांव है वहां पर पूरी आबादी आदिवासियों की है लेकिन वहां कोई स्कूल नहीं है। उसी तरह से उरई बांध से विस्थापित एक गांव रामपुरिया है वहां भी पूरी आबादी एस.सी. की है लेकिन उस गांव में कोई पढ़ने की सुविधा नहीं है। वहां से चार किलोमीटर स्कूल दूर पड़ता है और छोटे-छोटे बच्चे इतनी दूर जा नहीं सकते। आज के स्वतन्त्र भारत में भी उन गांवों के आदिवासियों के साथ इस तरह की प्रतिबंध है। अभी तक तो ऐसा होता आया है लेकिन अब आगे भी हो यह हम उम्मीद नहीं करते। माननीय शिक्षा मन्त्रीजी से निवेदन करता हूं कि इन गांवों में जल्दी स्कूल खोल कर पढ़ने का अवसर दिया जाय।

कई स्कूलों में अध्यापक बंधु गांव में नहीं रहकर बसों से पहुंचते हैं और बस का

(श्री चुन्नीलाल धाकड़)

टाइम स्कूल के साथ टाइम मेल नहीं खाता है तो कई घण्टे लेट पहुंचते हैं और वापिस भी घर जाने की जल्दी में घण्टे, दो घण्टे, तीन घण्टे स्कूल में रहकर स्कूल को छोड़कर चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होता है। मेरा सुझाव है कि या तो वह अध्यापक गांव में ही रहें जिससे गांव वालों का वातावरण भी सुधरने का मौका मिले और उनसे घुले मिलें और अगर कोई नहीं रहना चाहता है उसको पाबन्द किया जाये कि वह कम से कम स्कूल आवर्स में वहां पहुंचे ही। इसी तरह से एक गांव बेगू पंचायत समिति में रामपुरिया गांव है उसको क्रमोन्नत करने के लिए काफी टाइम से कोशिश करता आ रहा हूं कि जो वहां प्राइमरी विद्यालय है जिसमें छात्रों की संख्या 260 से ऊपर है, वहां 3 अध्यापक हैं और अपना गांव अपनी काम योजना में 1।। लाख का काम कमरे बनाने का भी लिया है– माननीय मंत्रीजी से मैं निवेदन करता हूं कि उसको उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाये।

कुछ क्षेत्रों में जैसा कि मैंने पहले कहा कि स्कूल नये खोले जायें उसके लिए कोई आधार भी तो होना चाहिए। या तो हम यह तय कर लें कि गांव के पास कम से कम इतनी दूर तक स्कूल नहीं हो तो वहां खोलना ही है या फिर इतनी आबादी है तो वहां खोलना ही खोलना है। इस तरह से क्या मापदण्ड है कृपया शिक्षा मंत्री महोदय बताने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : प्रोफेसर केदारजी।

श्री केदारनाथ शर्मा : मान्यवर, आज डिबेट ऐसी है कि पता नहीं शिक्षा में कोई इन्टरेस्ट नहीं है या विश्वास नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : जान लाइये।

श्री केदारनाथ शर्मा : मैं क्या जान लाऊं, ऐसा लगता है कि विश्वास है ही नहीं। मान्यवर 86 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी। पहले ड्राफ्ट पेश किया, कुछ एप्रोच पेपर्स पेश किये और काफी देश के आधार पर इस पर बहस हुई, असेम्बली में पार्लियामेंट में बाहर और वह शिक्षा नीति बनाई गई। 86 में लागू कर दी गयी 10 जमा 2 जमा 3–यह नवोदय स्कूल का, वोकेशनेलाइजेशन हो इसका, आटोनोमिक्स कालेज की बातें कही गयीं। यह ब्लैक बोर्ड आपरेशन स्कीम और कुछ ऐसी ऐसी स्कीमें पास करके शिक्षा नीति लागू कर दी और हमारी स्टेट ने उसको एडाप्ट कर लिया। इसके बाद जब हमारी सरकार आयी आज से कुछ माह पहले दिल्ली में तो कुछ उसके फैल्योर्स के बारे में जब रिपोर्ट आई प्रेक्टीकली इम्पलीमेन्टेशन के वक्त में तो हमारी सरकार के पूर्व प्रधान मंत्रीजी ने एक राममूर्ति के नाम से कमेटी कायम की थी और दिसम्बर में उसकी रिपोर्ट भी आ गयी। रिपोर्ट आने के बाद स्टेट की भी राय ली गयी कि आप इसकी रिकमन्डेशन्स में कौन-कौन सी बात मानते हैं, कौन-कौन सी नहीं मानते हैं आपके स्टेट के हालात के बारे में वह जवाब दो। जब स्टेट की उसके बारे में क्या पालिसी है यह तो माननीय शिक्षा मंत्रीजी बतायेंगे। दो रोज पहले मान्यवर राज्यपाल भवन में कुछ बाहर से राज्यपाल भी आये, कुछ शिक्षा शास्त्री भी आये और दो दिन उन्होंने अंडवीयर डिस्कशन किया शिक्षा की पालिसी पर कि हमारे मौजूदा

(श्री केदारनाथ शर्मा)

सिस्टम में क्या कमियां हैं। सब की एक राय थी। माननीय मुख्य मंत्री जी भी हाजिर थे। हम चाहते थे कि मौजूदा शिक्षा विकास में कुछ सहयोग बन पाये, एड टू डवलपमेन्ट लेकिन बिलकुल फेल हो गयी शिक्षा आज के सिस्टम में दूसरा जो उनका मोटिव था कि सोशियो कल्चरल जो रिवोल्यूशन आना चाहिए देश में उसमें बिलकुल ही मौजूदा शिक्षा सिस्टम फेल हो गया। तीसरे यह कहा कि मौजूदा सिस्टम से सारी बेकारी आ गयी और जो प्राइमरी एजूकेशन है जिसके लिए हम चाहते थे कि फण्डामेन्टल राइट हो उसके बारे में यह कान्सश था कि यह प्राइवेट सेक्टर में दे दी जाये। जितने भी प्राइवेट लोग उसको लेना चाहें, चलाना चाहें, विस्तार और प्रसार करना चाहें उनको दे दी जायें और गवर्नमेन्ट उनको एड दे, पूरा सब्सिडाइज्ड करे। मान्यवर, यहाँ पर उन्होंने यह भी कहा कि आइन्दा नैतिक शिक्षा के नाम से कहीं हिन्दु, मुसलमान, सिख का नाम मत ले लेना आप। करो तो केवल जो नाम है हमारी संस्कृति का यह मैंने भी पहले कहा था कि यह मिली जुली संस्कृति है। आज कितनी ही सभ्यता और भाषा के लोग बाहर से आये इस देश की जो बुनियादी सभ्यता है, एनशेन्ट सभ्यता जो है उसमें कोई एन्क्रोचमेन्ट क्रियेट नहीं कर पाये। हमने गड़बड़ कर दिया सारी सभ्यता और संस्कृति का और हमने अपनी जो भाषा है संस्कृति है उसको कायम रखना है। उसका नाम न हिन्दु है, न मुसलमान। मैंने पहले भी निवेदन किया था कि उसको हिन्दुस्तानी संस्कृति के नाम से कहा जाता है। मान्यवर, जब यहां पर यह बातें कही गयीं तो नैतिक शिक्षा के नाम से आप आज जितने स्कूल और कालेजेज हैं डिफरेन्ट रिलीजन्स के नाम से क्या हम उनको बन्द कर पाये ? क्या बन्द करने की आगे कोशिश की जायेगी और बन्द कर देंगे ? मान्यवर, बन्द नहीं कर सकते। यह स्टेज हुई 47 के बाद की। आपको आजादी मिली आप फण्डामेण्टल चेन्जेज कर सकते थे। सारे जो स्कूल और कालेज थे उनको बन्द कर सकते थे।

मान्यवर यहां पर यह भी कहा गया कि हमारे आपस में राष्ट्रीय भावना पैदा नहीं कर पाई यह शिक्षा नीति। एक तो बच्चा सेंट जेवियर में पढ़ता है और एक आपके गांव में गांवड़े में पढ़ता है ढाणी में। वह बच्चा और यह बच्चा क्या एक ही केलीवर के होंगे ? उनका एनवायरमेंट, उनकी टीचिंग, उनकी कोचिंग, उनका रहन सहन. उनके पैरेन्ट्स का रहन सहन और जिस वातावरण में पलते हैं वह बिलकुल डिफरेन्ट है। एक बच्चा चपरासी भी नहीं बन पाता और एक बच्चा आई. ए. एस. कलक्टर और एस. पी. बन जाता है। इस देश में भावनात्मक एकता की बात करते हैं आप। मैं सुबह जब घूमने जाता हूं तो सेंट जेवियर के पास कारें आती हैं। एक चपरासी का बच्चा पास से निकल रहा था। पैर नंगे थे उसके और हाथ में बहुत लम्बा चौड़ा बस्ता था। जब हो गया, मैं पास से निकला तो देखता हूं कि कारों में कौन आ रहे हैं। कारों में आते हैं, नौकर निकलता है, फाटक खोलता है और बच्चे जाते हैं। मैंने पूछा कि यह कौन है। यह बड़ा बाबू है। बच्चे जब पढ़ने जाते हैं प्राइमरी स्कूल में और जब सेंट जेवियर के पास से

(श्री केदारनाथ शर्मा)

निकलता है तो उसके मन में नफरत होगी या देश में भावनात्मक एकता की बात पैदा होगी। न आप स्कूल मस्जिदों में बंद कर सको, न मंदिर में बन्द कर सको, न गुरुद्वारे में बन्द कर सको, न उनके नाम बदल सको आप। शिक्षा का बिलकुल एक यूनीफार्म सिस्टम बना दीजिए आप। एक ही पोषाक हो, एक ही भाषा हो, एक ही कोर्स हो। क्या हालत है देश की? न वह कर पाओ तो काहे का भाषण दे रहे हो।

मान्यवर, मैं अपनी बात को शार्ट करते हुए क्योंकि इन्ट्रेस्ट है नहीं किसी का, यहां गवर्नमेन्ट कालेज, प्राइवेट कालेज और यूनिवर्सिटी के टीचर्स का आज प्रदर्शन हुआ। किस बात के लिए प्रदर्शन हुआ कि एजूकेशन बिल जो हमने साल, सवा साल पहले पास किया वह बिल राष्ट्रपतिजी के पास नौ दस महीने रहा। राष्ट्रपति जी से कुछ कह भी नहीं सकते और न उसके बारे में कोई डिबेट या चर्चा कर सकते हैं और राष्ट्रपति जी ने वापिस भेज दिया बिल। हम जब यहां अपोजीशन में बैठे थे तब हमने बिना किसी एतराज के, किसी बहस के इस बिल को पास कर दिया। वह बिल आपने वापिस कर दिया। अब उसमें कुछ पाइन्ट्स क्लेरीफिकेशन के लिए आये हैं उनका जवाब दे दीजिए और जल्दी बिल पास कर दो 27 तारीख से पहले आप उसको ले आओ और 15 मिनट में यह बिल पास हो जायेगा और सबका कमिटमेंट है। इस ओर उस ओर बैठने वाले सब लोगों का कमिटमेंट है यह बिल पास होना चाहिये एजुकेशन का। 15-20 साल से जो कोशिश करते रहे हैं, वह पूरी हो।

मान्यवर, दूसरी उनकी मांग क्या है? जितने भी फिजिकल इंस्ट्रेक्टर, लाइब्रेरियन थे उनको यू.जी.सी. के पे स्केल मिलने चाहिये। केवल डेढ़ सौ आदमी रह गये। टोटल चले गये, यह एडेड स्कूल का सवाल है। यूनिवर्सिटी में लागू हो गया, गवर्नमेंट कालेज में लागू हो गया सिवाय एडेड स्कूल के। कुल डेढ़ सौ रह गये। हाई कोर्ट में गये, अपने हक में फैसला करवा लाये। अब झगड़ा किस बात का? 80 पर्सेन्ट तो वह देंगे यू. जी. सी. वाले 20 पर्सेन्ट हम देंगे। वह कहते हैं, एरियर भी छोड़ दिया हमने, 20 पर्सेन्ट हम भी अपनी ओर से दे देंगे। फिर झगड़ा किस बात का है? आप उसको लागू कर दीजिये। तीसरी बात कोई उनकी पेन्शन की है। मैन बात उनकी यह है कि जितने भी टेम्प्ररी टीचर हैं, 10 साल से, 8 साल से, 7 साल से, उनको रेगूलराइज करने का सवाल है। माननीय मुख्य मंत्रीजी बैठे हैं, हमने कितनी बार कहा, आपने माना भी था, यह प्रेक्टिस हमेशा के लिये बंद हो जानी चाहिये। आप हर साल अपने अपाइंटमेंट कीजिये, सलेक्शन कीजिये, कौन रोकता है आपको। अब 8-10 साल से आपने किये। कुछ तो ओवर ऐज होने वाले हैं। अब बताइये आज वह नये लड़के के साथ कम्पीटिशन में बैठ पायेगा। कभी बैठ नहीं सकता। उनका अनसरटेनली, यह सस्पेंस है। वह अपने स्कूल का, कालेज का काम, पढ़ाने में इंट्रेस्ट नहीं ले सकते। इसलिये मेहरबानी करके उनको रेगूलराइज कर दीजिये आप। बहुत बड़ी मांग है एक। काफी टीचर बैठे हैं धरने पर कि पंचायतों से यह स्कूल की शिक्षा, जो प्राइमेरी शिक्षा है, मिडल स्कूल की शिक्षा है, लेनी चाहिये। मैं केबिनेट की बात तो नहीं कह

(श्री केदार नाथ शर्मा)

सकता क्योंकि सीक्रेट्स हुआ करते हैं पर सबकी मंशा थी। देख लिया पांच दस साल की, तीन साल की प्रेक्टिस में हमने। प्राइवेट स्कूल बहुत सालों से दे रखे हैं फिर देखिये टीचर्स की सिक्योरिटी नहीं है। बच्चों को अच्छी शिक्षा भी वहां नहीं मिलती। न वह शिक्षा के लायक वातावरण बना पाये पंचायती राज में शिक्षा देने के बाद। मेरिट्स पर डिसाइड क्यों होता है। यह नहीं कि पंचायतों को अधिकार नहीं दिये गये। अधिकार दिये हैं आपने, कुछ और देने चाहिये। हम तो आपकी इस बात को मानते हैं कि पंचायतों और जिला परिषदों को अधिकार दीजिये आप। जितने भी प्रोजेक्ट आपके पास हैं, जो सेन्ट्रल स्पोन्सर्स स्कीम आपकी हों, वहां से उसका फाउण्डेशन होना चाहिये, यह हम मानते हैं। वहां का पैसा उनके पास है जैसे महाराष्ट्र की पद्धति है। जहां तक वह आग्यूमेंट है हमारा कि पंचायतों के अधिकार छीने जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं छीन रहे हैं हम। मगर एजूकेशन बहुत बड़ी है, हैण्ड स्माल है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : केदार जी, सदन की ऐसी राय है क्या ?

श्री केदारनाथ शर्मा : अब सदन में है नहीं, है राय ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : गोविन्दसिंहजी की ऐसी राय है क्या ?

श्री केदारनाथ शर्मा : माननीय गुर्जर साहब ने मुझसे कह दिया, राय है।

श्री नत्थीसिंह : पंचायत राज के साथ ही तय होगा उसको आप कैसे सुदृढ़ करना चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं वह नहीं है, मैं तो यह जो प्रोफेसर साहब बोल रहे हैं उसमें गोविन्दसिंहजी का समर्थन है क्या ?

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : मैं तो जो आप बोल रहे हैं उसमें समर्थन है मेरा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह मैं करूंगा लेकिन मैं आपकी राय से करना चाहता हूं।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : हमारी राय आपकी राय के साथ है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी राय के साथ है ना ? बस ठीक है तो, सबकी राय है, सदन की राय मान कर चलूं मैं।

श्री केदारनाथ शर्मा : अब इसमें क्या बोलने की जरूरत है, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने मान ही लिया इस बात को।

श्री मदनलाल सैनी : आपकी मंत्री, मुख्य मंत्री सब मानते हैं।

श्री केदारनाथ शर्मा : आपको क्या नाराजगी है इस बात की, हमारी बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं।

तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, राजस्थानी एकेडेमी के बारे में। माननीय मुख्य मंत्रीजी, वेदव्यास को आप भी जानते हो। उसने अपने व्यवहार से, अपनी कार्य कुशलता से, दिलचस्पी से हमारे राजस्थान की सभ्यता, संस्कृति, भाषा का काफी प्रचार प्रसार किया। उसका कंट्रीब्यूशन है

(श्री केदार नाथ शर्मा)

इस बात में। ठीक है डिफरेन्सेज होते हैं। उनको हटा दिया गया अनचेरीटेबली। वह हाई.कोर्ट से स्टे ले आये। अब, साहब, जितने भी पहले स्टेटस को था वह, जो भी पहले वेल्यूवेस वहां मिलती थी वह तो कायम रहनी चाहिये। बिलकुल नेचूरल मांग है। हाई कोर्ट के स्टे के बाद वह बिलकुल वैसे का वैसे स्टेट्स को मैनटेन करना चाहिये। सैट दे दीजिये आप, उनको तनख्वाह दीजिये, बांध दीजिये। मेरा ख्याल है टर्म पूरी कर लें, डेढ़ साल और रह गये, टर्म पूरी होने के बाद आप नया अपना चैयरमैन बना लेना। एक एकेडेमी जिसमें अच्छा काम हो, उसके बारे में ऐसी उपेक्षा करना जरूरी नहीं है।

श्री मदनलाल सैनी : पर साहब, उसको राजस्थानी बोलना ही नहीं आता। राजस्थानी बोल ही नहीं सकता, कैसे बना दिया पता नहीं।

श्री केदारनाथ शर्मा : मैं जानता हूं, इतना सोबर और सीरियस है वह आदमी और इस सारे लिटरेचर में इतना इन्ट्रेस्ट रखता है, उसने कई सेमीनार, कई स्टडी सर्कल अलग-अलग डिविजन में जाकर उसका प्रचार करना, मेरा ख्याल है जहां तक मैं जानता हूं, पांच दस आदमी हैं।

श्री हरिकुमार औदिच्य : मैं इस सारे प्रकरण को भी बता दूंगा, आपने मुद्दा रख दिया, मैं बता दूंगा।

श्री केदारनाथ शर्मा : मान्यवर, मैं जो आपसे निवेदन कर रहा था खेलों के बारे में। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे यहां काफी अच्छे खिलाड़ी पैदा हुए हैं। मगर अब आप रोज कहते हैं, खेलों का विस्तार कैसे हो, कैसे दिलचस्पी हो। यह गांव के खेल हमने शुरू तो किये मगर एक हाफ हार्टेड वे में किये। जब तक गांवों में मेले शुरू नहीं होंगे, ऐसे गेम्स नहीं होंगे, ओलम्पिक्स नहीं होंगे तो मेरा ख्याल है कि कोई इन्ट्रेस्ट नहीं लेगा। हमारा पोटेंशल बहुत है मगर इन्ट्रेस्ट किसी में नहीं है। हमने 77 में कुछ ऐसा किया था, जो अच्छे खिलाड़ी होंगे, बेस्ट एथेलीट होंगे राजस्थान के, उसको डायरेक्ट एस. एच. ओ. भर्ती कर देंगे और पांच पर्सेन्ट दूसरे डिपार्टमेंट में उनके लिये रिजर्वेशन कर देंगे। खिलाड़ी बच्चा जो इतनी मेहनत करता है खेल के मैदान में, राजस्थान का नाम पैदा करें, नेशनल ओलम्पिक्स में, एशियन गेम्स में वह कम्पीट नहीं कर सकता। स्टडीज रूम में। कम्पीट नहीं कर पायेगा। इसलिये उसको कोई ग्रेस मिल कर, कुछ इन्सेन्टिव मिल जाये। आपके अपने प्रोस्पेक्ट उसे बेटर हों, खिलाड़ी और निकलेंगे, यह इन्सपायरेशन पैदा होगा। मेरा ख्याल है, एडमिशन के वक्त में, नौकरी के वक्त में, अच्छी सर्विस में खिलाड़ी को नुमाइन्दगी का कोई न कोई पर्सेन्टेज तय करनी चाहिये। यहां पर मान्यवर, यह भी मैं कहता हूं, कि स्पोर्ट्स कौंसिल ठीक है। मैं यह नहीं कहना चाहता हूं, क्या है क्या नहीं है। जो अच्छे खिलाड़ी राजस्थान के हैं, इसकी जो कमेटी है, उनका इस कमेटी में नाम आना चाहिये ताकि वह कोई सलाह दे दें, बैठ कर बात करलें और कभी-कभी साल में, छः महीने में आप सेमीनार कीजिये हमारे खेलों में कमियां क्या हैं। गांवों में न तो वहां कोई ग्राउण्ड हैं, टूर्नामेंट से पहले ही दो-चार दिन बच्चे खेलते हैं, टूर्नामेंट शार्ट होते हैं फिर

(श्री केदारनाथ शर्मा)

समाप्त हो जाते हैं। यही कालेज का हो गया, यही यूनिवर्सिटी का हो गया। तो खेल तो प्राय: समाप्त हैं। कुछ क्लबों में सीमित हैं या स्पोर्ट्स कौंसिल में स्टेडियम में सीमित हैं। इसलिये इसका कैसे विस्तार किया जाये, कैसे इन्ट्रेस्ट पैदा हो इस बारे में मेरा ख्याल है हमारे मुख्य मंत्रीजी जो हमारे साथ जेल में कभी-कभी बैडमिंटन तो खेला करते थे, तो इसलिये कुछ इन्ट्रेस्ट दिखायेंगे, कुछ इसके लिये ज्यादा पैसा देंगे।

अब, मान्यवर, एज्यूकेशन में केवल 2.9 हमारा बजट है टोटल। ग्रांस प्रोड्यूस किया था स्टेट का उसका 2.9 पर्सेन्ट ही है। जब कोठारी कमीशन था उसने कहा था कम से कम 6 पर्सेन्ट होना चाहिये। अब भी जितने भी सेमीनार होते हैं उनमें यह आता है 6 पर्सेन्ट हो। पहले चार पर्सेन्ट दिया, फिर 3 पर्सेन्ट हुआ अब 2.9 पर्सेन्ट कर दिया आपने। यह जो आपकी प्रगति है, मुझे तो इस सबकी भी चिन्ता है। मान्यवर, यहां पर मैं यह भी आपसे निवेदन कर दूं कि इस देश में मैंने जैसे पहले कहा था, हम लोग कभी यह सोचकर नहीं चलें, यह देश एक धर्म का, एक कौम का है। नैतिक शिक्षा के नाम से डिग्निटी आफ लेबर होना चाहिये। नैतिक शिक्षा के नाम से वोकेशनलाइजेशन होना चाहिये। नैतिक शिक्षा के नाम से अच्छे टीचर्स हों, अच्छा टीचिंग का वातावरण हो। अच्छा तो यह होगा आप बच्चों को खुराक दीजिये, बच्चों को पूरी शिक्षा फ्री दीजिये आप। बच्चों को ड्रेस दीजिये ताकि एक-सी ड्रेस अगर राजस्थान में प्राइमरी स्कूल के बच्चों की होगी तो, मान्यवर, नैतिकता ज्यादा मजबूती से उनके अन्दर आयेगी। इनकार्पोरेशन चाहते हो आप नैतिकता का ताकि इंबाइब करे इस चीज को। हमारा देश है, कुछ हमारी मर्यादाएं हैं, कुछ हमारी सभ्यता संस्कृति है। हमारा कुछ फर्ज है समाज के प्रति, देश के प्रति। यह भावना पैदा करने के लिये आप जब यह बात नहीं करोगे, नहीं हो सकता। इसलिये आपको बड़े व्यापक हृदय से देश की सभ्यता, संस्कृति की व्याख्या करते हुए, यहां, मान्यवर, एक माननीय सदस्य ने हिस्ट्री के बारे में कहा। हम शुरू से ही कह रहे हैं कि हिस्ट्री में डिस्टोर्शन होवे। पुरानी जो हमारी सारी हिस्ट्री है लड़ाई की, संग्राम की, उसके बाद देश के डवलपमेंट की, जितना भी रिकंस्ट्रक्शन हुआ है, हिस्ट्री सही फैक्ट्स हमारे सामने प्रजेन्ट नहीं करती। दुबारा लिखी जाय। अब मैं, मान्यवर आपसे निवेदन करता हूं, मैं आम तौर पर बच्चों की पुस्तकें देखता हूं। उनमें जिन लोगों ने राजस्थान की आजादी में हिस्सा लिया, एक का भी नाम नहीं है। राजस्थान के जिन्होंने रजवाड़े समाप्त किये, राजाओं की हुकूमत समाप्त की और इस सारे राजस्थान को आजाद किया उनके चंगुल से, किसी का नाम किसी पाठ्यक्रम की पुस्तक में है ही नहीं। न कोई सड़क के नाम से, न कोई पत्थरों के नाम से, न कोई उनकी तस्वीर, फिर आप चाहते हो इस देश में नैतिकता आ जायगी आप में। बिल्कुल नैतिकता नहीं आयेगी। आप पास्ट को भूल जाते हैं। पास्ट को बिल्कुल भूल जाओ, फ्रीडम फाइटर क्या हैं? यहां इतने काण्ड हुए हैं। हजारों लोग जेलों में गये हैं। कइयों को फांसी दी गई, कइयों को राजस्थान से

(श्री केदारनाथ शर्मा)

बाहर निकाला गया है आज उनका हमारी स्कूलों के प्राइमरी कोर्सेज में नाम नहीं है। मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए राम मूर्ति की रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है; शिक्षा बिल को कब वापिस भेज रहे हो और मेरा निवेदन है कि यह सारे नवोदय विद्यालय तो ठीक रहे मगर ओटोनामस इंस्टीट्यूशन्स जो बनी हैं पांच, उनकी वर्किंग कुछ फेयर नहीं है। और दूसरी बात यह कहते हुये हमारे दोनों विभागों के मन्त्री तो ठीक हैं परन्तु जिस ढंग से वातावरण चल रहा है, सारे स्टाफ का सारे सचिवालय का इसमें काफी गियर अप करना पड़ेगा। काफी री-ओरिएन्टेशन करना पड़ेगा कुछ उनमें मोटिवेटर हैं अच्छे अच्छे, इससे मैं इन्कार नहीं करता लेकिन मोटिवेशन जिला लेवल पर, तहसील लेवल पर जब तक यह नहीं होगा तो न तो तबादले ठीक ढंग से कर पाओगे न प्रशिक्षण कर पाओगे न आपस में आप उनका समीकरण कर पाओगे। नये स्कूल कालेज खोलने हैं वह कर पाओगे। यही बात कहते हुये आपकी मार्फत यह निवेदन करता हूं शिक्षा मन्त्री जी से कि थोड़ी-सी मजबूती से, थोड़ी-सी हिम्मत से इनीशिए लेकर काम करो तो शिक्षा विभाग जो बिल्कुल व्यर्थ है उसमें कुछ जान पैदा कर दो, नई दिशा दे दो। यही बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती तारा भण्डारी।

(4.00 म. प.)

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रजातन्त्र में शिक्षा का बड़ा भारी महत्व है। जिस देश के नागरिक शिक्षित होंगे वह राष्ट्र निश्चित रूप से उन्नति करेगा। शिक्षा मनुष्य की सही मायने में आंखें हैं। जो व्यक्ति अनपढ़ है वह आज आंख रहते हुये भी अन्धा है। अतः यह आवश्यक है कि राष्ट्र की बहबूदी, उन्नति के लिये, आर्थिक विकास के लिये शिक्षा का स्तर अच्छा हो और शिक्षा का प्रतिशत अधिक से अधिक बढ़ाये जाने के प्रयत्न किये जायं।

आज हम शिक्षा की मांग के बारे में विचार कर रहे हैं, मैं यह मानती हूं कि जब हम शिक्षा के बारे में विचार कर रहे हैं तो हमें शिक्षा जगत में व्याप्त कमियों के बारे में भी दृष्टिपात करना चाहिये तथा आवश्यक सुधार के उपाय करने चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा विभाग में 18 डिप्टी डायरेक्टर, चार जोइन्ट डायरेक्टर और दो एडिशनल डायरेक्टर उचित वेतन श्रृंखला में पिछले दो वर्ष से काम कर रहे हैं लेकिन मैं समझती हूं कि यह शिक्षा विभाग का दुर्भाग्य है कि पिछले दो वर्ष से शिक्षा विभाग की डीपीसी नहीं हुई। मेरा यह सुझाव है कि जिस प्रकार अन्य विभागों के लिए सलाहकार समितियां बनी हुई हैं वैसे ही शिक्षा विभाग के लिये भी अनुभवी लोगों की सलाहकार समिति बनाई जाय साथ में निश्चित रूप से उसमें एक अनुभवी शिक्षा विभाग या शिक्षकों का प्रतिनिधि भी रखा जाय जिससे आज जो शिक्षा बड़े भारी संकट में हैं या अनिश्चितता की स्थिति में है या बालकों का भविष्य अधरझूल में हैं इन कठिनाइयों को हल करने में हम सक्षम होंगे।

हमारे मुख्य मन्त्रीजी ने बजट में नैतिक

(164)

(श्रीमती तारा भण्डारी)

शिक्षा का पाठ्यक्रम रखने की घोषणा की है। मैं मुख्य मन्त्री जी के इस कदम का हृदय से स्वागत करती हूं। आज देश में असहिष्णुता, आतंकवाद तथा भ्रष्टाचार का जो माहौल चल रहा है उसका कारण ही यह है कि हमारे देश के नागरिकों में नैतिक शिक्षा का अभाव है। वास्तव में यह विचार बहुत पहले कर लिया जाना चाहिए था। इस विषय पर अब तक सोचा नहीं गया और यही कारण है कि आज हमारे देश में राष्ट्रीय भावना का निरन्तर ह्रास होता चला जा रहा है और अभी सदन में भी देखा होगा कि हमारे माननीय सदस्य हिन्दू को+++कहने लगे। मेरा यह मानना हैं कि उनमें भी नैतिक शिक्षा का अभाव रहा है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : वह तो बिल्कुल अनैतिकता है।

श्रीमती तारा भण्डारी : तभी तो मैंने यह बात कही है कि जो हिन्दू के लिये +++शब्द का इस्तेमाल करें उसमें नैतिकता की शिक्षा की कमी का तो स्पष्ट ही सदन को आभास हो गया है। अत: इसके लिए आवश्यक है कि पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा आवश्यक रूप से जोड़ी जाय, बच्चों को बचपन से ही अच्छे संस्कार दिये जायं तो निश्चित रूप से आगे जाकर वह सुनागरिक बनेंगे। उनमें राष्ट्र की तथा जनहित की भावना पनपाई जाय तो देश में एकता तथा अखण्डता सुदृढ़ होगी तथा आज हम जिस माहौल का सामना कर रहे हैं, जिस वातावरण को भोग रहे हैं जिन परिस्थितियों में हमारा देश चल रहा है उन विडम्बनाओं में भी कमी आयेगी अत: मैं मुख्य मन्त्री जी का धन्यवाद करती हूं और इस प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन करती हूं कि शीघ्र ही उचित पाठ्यक्रम तय करके स्कूलों में नैतिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए।

आज शिक्षा के नाम पर अरबों रुपया खर्च किया जा चुका है परन्तु आजादी के 40 वर्ष बाद भी शिक्षा के स्तर में कोई खास अन्तर नहीं आया है। हमारे राजस्थान में शिक्षा का प्रतिशत बहुत ही कम है उसमें भी स्त्री शिक्षा और ग्रामीण शिक्षा का स्तर तो और भी कम है। इसके कई कारण है, हमारे देश की 80% आबादी गांवों में रहती है। गांवों में कई स्थानों पर सड़क सम्पर्क नहीं है जिसके अभाव में आवागमन की कोई सुविधा न होने से कई अध्यापक अपनी निश्चित शिक्षण संस्थाओं में नहीं जा पाते या जाने में रूचि नहीं लेते। गांवों में शिक्षण संस्थायें तो खुली है लेकिन आज विडम्बना यह है कि शिक्षकों के अधिकांश पद खाली पड़े हैं इसके और भी कई कारण है। अत: गांवों की जितनी भी शिक्षण संस्थाएं हैं उनका माननीय शिक्षा मन्त्री जी को सुझाव देना चाहूंगी, सदन में भी यह बात बार बार आ चुकी है इस पर विशेष ध्यान देकर जो भी अध्यापक के खाली पद हैं उनको भरने की कार्यवाही की जाय। यदि अध्यापक नहीं होंगे तो पठन पाठन का कार्य किस प्रकार से सुचारू रूप से सम्भव होगा यह सोचना अति आवश्यक है।

मेरा सुझाव है शिक्षा मन्त्री जी से कि गांवों में पड़े रिक्त पदों के लिये जिस प्रकार से माननीय चिकित्सा मन्त्री जी ने कुछ कड़े

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्रीमती तारा भंडारी)

कदम उठाये हैं उसी प्रकार माननीय शिक्षा मंत्री जी भी कड़े कदम उठावें कुछ इस बारे में विचार करें और खाली स्थानों को भरने की व्यवस्था करें तथा जिन गांवों में शिक्षण संस्थाएं तो हैं लेकिन भवन नहीं हैं या कक्षों की कमी है या सब्जेक्ट हैं तो अध्यापक नहीं है अथवा किसी न किसी सब्जेक्ट की आवश्यकता है इन सारी बातों पर पुनः विचार किया जाय तभी शिक्षा के स्तर में सुधार आयेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, जब से राज्य में टेन प्लस टू लागू हुआ है, कई सारे महाविद्यालयों में एक कक्षा टूट गयी है और इनमें छात्रों की संख्या कम होने से प्राध्यापकों की संख्या ज्यादा हो गयी है शिक्षक सरप्लस हो गये हैं। दूसरी ओर जहां सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल खोले गये हैं, वहां एक कक्षा बढ़ गई है, कक्षा बढ़ तो गई है लेकिन कक्षा के अभाव में अध्यापकों के अभाव में छात्र पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। दोनों ही तरफ विडम्बना है। एक तरफ महा विद्यालय में शिक्षक सरप्लस चल रहे हैं तो दूसरी ओर शिक्षकों के अभाव में छात्रों का जीवन खराब हो रहा है। मेरा माननीय शिक्षा मंत्रीजी को यह सुझाव है कि इस प्रकार के जो सरप्लस अध्यापक है, जिन पर राज्य सरकार का एक महीने का लाखों रुपया वेतन का खर्च हो जाता है और राज्य में फिजूलखर्ची हो रही है तथा दूसरी ओर शिक्षा के अभाव में छात्र दुखी हो रहे हैं। आज जो अध्यापक सरप्लस हो गये हैं, उन्हें उचित योग्यता के अनुसार सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल में नियुक्त किया जावे तो शिक्षा, शिक्षक और छात्र तीनों की स्थिति सुदृढ़ होगी। मेरा इस सम्बन्ध में यह सुझाव है कि इस पर शीघ्रातिशीघ्र विचार करके सैकण्डरी स्कूलों में और हायर सैकण्डरी स्कूलों में जो लम्बे समय से पद रिक्त चले आ रहे हैं, कई जगह वाइस प्रिंसीपल और प्रिंसीपल के पद भी रिक्त हैं, इस मामले में इस प्रकार की व्यवस्था की जावे कि डी. पी. सी. भी हो जावे। कुछ नियमों में संशोधन करना है तो संशोधन करें, रिलेक्सेशन करें लेकिन डी.पी.सी. की व्यवस्था करें तो जो सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी स्कूलों में प्राचार्यों की जगह खाली है वे भी भरें तथा जो सरप्लस अध्यापक हैं, उनकी भी व्यवस्था हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार एवं विश्वविद्यालय की दोषपूर्ण नीति से पिछले कई वर्षों से महाविद्यालय में जो शिक्षक कार्यरत हैं, उन्हें अभी तक स्थाई नहीं किया गया है, वे अस्थायी रूप से कार्य कर रहे हैं तथा अनिश्चितता की स्थिति में जी रहे हैं। राजस्थान के निकटवर्ती हरियाणा उत्तर-प्रदेश और मध्य प्रदेश में अध्यादेशों के जरिये ऐसे अस्थायी शिक्षकों को स्थायी करने की प्रक्रिया की गयी है मैं माननीय शिक्षा मंत्री को यह सुझाव देना चाहती हूं कि वे भी अपने मंत्रिमण्डल में विचार करके कुछ इस प्रकार के कदम उठाये कि हमारे जो शिक्षक अनिश्चितता की घड़ी में लम्बे समय से संघर्षरत हैं और मैं गलत नहीं कहती हूं आज भी वे विधान सभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे तो उनकी मांग भी अगर सुनी जाय, समझी जाय और उनका हल निकाला जाय तो यह अति उत्तम होगा।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्या।

श्रीमती तारा भण्डारी : उपाध्यक्ष महोदय, बस थोड़ा सा।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपने क्षेत्र की बात नहीं करेंगी ?

श्रीमती तारा भण्डारी : क्षेत्र की भी बात करूंगी, आपकी मेहरबानी है। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में पंचायत समितियों द्वारा अनेकों शिक्षक जो अप्रशिक्षित थे उनको हटा दिया गया है। आज वे बेरोजगारी की दशा में मारे-मारे घूम रहे हैं। जिन शिक्षकों ने गांवों में जाकर के अध्यापक का कार्य किया, स्कूलों को जमाया, बालकों को पढ़ाया, दुःख सुख में भी वे गांवों में रहे, आज उनके सर पर बेरोजगारी की समस्या उनके सामने हैं। माननीय पंचायती राज मंत्री जी यहां नहीं है, मैं शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से यह कहना चाहती हूं कि राजस्थान में अप्रशिक्षित शिक्षक हैं, वे तीन-चार वर्ष के पढ़ाने के अनुभव से अनुभवी हो गये हैं, उन्हें योग्य मान लिया जाकर या तो नियुक्ती दे दी जाये या और या अप्रशिक्षित माना जाता है तो उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावे।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां एक ज्वलंत समस्या है, हमारे लिये बहुत सोचने वाली है जो भी शिक्षकों ने गांवों में अध्यापन कार्य किया और आज वे हमारी सरकार की तरफ मुंह देख रहे हैं कि भैरोंसिहजी की सरकार, आज अभी है, वे किसानों के हितैषी, गरीबों के हितैषी, गांवों की हितैषी सरकार है, इस मामले में मेरा इतना ही सुझाव है कि अप्रशिक्षित शिक्षकों की समस्या को हल किया जावे। साथ ही सदन के शब्दों में मैं भी पुरजोर समर्थन करती हूं कि जिला परिषदों से प्राथमिक शिक्षा को मुक्त कराया जावे। उपाध्यक्ष महोदय, स्कूलों में तो व्यावसायिक शिक्षा प्रारम्भ कर दी गयी है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

लेकिन व्यावसायिक शिक्षा के लिए न तो पूरे अध्यापक नियुक्त किये और न ही पाठ्यक्रम उचित है। कहीं अस्थायी तौर पर एक घण्टे के लिए रखा हुआ है, कहीं दो घण्टे के पीरियड के लिए रखा हुआ है। ऐसी स्थिति में व्यावसायिक शिक्षा का न उपयोग है और न औचित्य है। मेरा माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन है कि जहां भी व्यावसायिक शिक्षा खोली हुई है, वहां पर उचित और योग्य अध्यापकों की नियुक्ति की जावे।

उपाध्यक्ष महोदय, यह वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय बालिका वर्ष है। राजस्थान में महिलाओं में शिक्षा का प्रतिशत बहुत ही कम है। मैं इस सम्बन्ध में अधिक नहीं कहकर केवल इतना ही कहूंगी कि इस वर्ष बालिकाओं को प्रशिक्षण देने के लिए अधिक से अधिक शिक्षण संस्थाएं खोली जायं। शास्त्रों में भी कहा है कि अगर एक बालिका को हम शिक्षित करते हैं, अगर एक महिला को शिक्षित करते हैं तो इसका अर्थ है कि हम एक परिवार को शिक्षित करते हैं। तो मेरा यह निवेदन है कि बालिका वर्ष के अन्तर्गत अधिकाधिक शिक्षण संस्थाएं खोली जावें महिलाओं के लिए एस.टी.सी. स्कूलें खोली जायं और जब विचार करें तो मेरे सिरोही को भी प्राथमिकता दी जावे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रतनाराम चौधरी।

श्रीमती तारा भंडारी : उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में, आपने आपने कहा था कि सिरोही की बात नहीं बोलोगी, इसलिए मैं आपका ध्यान, आपके माध्यम से सदन का ध्यान सिरोही जिले की ओर ले जाती हूं। सिरोही जिला एक पिछड़ा हुआ जिला है और शिक्षा की दृष्टि से और अधिक पिछड़ा हुआ है और वहां ग्रामीण स्त्री शिक्षा प्रतिशत तो एक प्रतिशत से भी कम है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारा एक बहुत बड़ा कस्बा हैं शिवगंज। औद्योगिक और व्यापारिक दृष्टि से बहुत उन्नत है। जिले में अग्रणी है। इसलिए दिनों दिन उनकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, आस पास में भी अनेक गांव है। पास में ईसी तरह का सुमेरपुर कस्बा है जो उद्योग और व्यापार में अग्रणी है लेकिन पिछले लम्बे समय से सिरोही और शिवगंज के लोग शिवगंज में कालेज की मांग करते आ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से जैसा कि आपने आदेश दिया, सिरोही जिले के लिए आपकी आवाज मिला करके माननीय शिक्षा मंत्री जी से यह कहना चाहूंगी कि शिवगंज में एक कालेज खोला जाय जैसा कि बजट में आपने घोषणा की है कि 5 नये महाविद्यालय खोल रहे हैं। मैं इसका हार्दिक स्वागत करती हूं और निवेदन करती हूं कि सिरोही जिले के शिवगंज नगर में कालेज खोला जाय।

अंत में सदन का अधिक समय न लेकर इतना ही निवेदन करती हूं कि मेरे गांव में मेरे सिरोही जिले में शिक्षा विभाग में कई सारी योजनाएं प्रस्तावित हैं और उन प्रस्तावों पर गौर करके उन्हें क्रमोन्नत करने का विचार किया जाय। गांव बरनूट में सीनियर हायर सेकण्डरी स्कूल खोली जाय जाय तथा उसमें विज्ञान वर्ग भी रखा जाय। पाड़ीव, मनादन, बराड़ा, केराल तथा भरतवाड़ा में सेकण्डरी स्कूल खोली जाय तथा झाड़ोली, मोरली, चूली, छीबा गांव, बाण, जैतपुरा, धुबाड़ा, शिवगंज इत्यादि सिरोही में जो भी प्राथमिक विद्यालय हैं, उन्हें उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाय।

अन्त में केवल एक मिनट लेकर के अपनी बात समाप्त करूंगी। सिरोही जिला में निचलाघर के आदिवासी क्षेत्र में जो छात्रावास चल रहा है, उसे सरकार ने बंद करने का निर्णय किया है। उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो हमारे मुख्य मंत्री जी ने बजट में यह घोषणा की है कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में 50 प्रतिशत लोगों को नौकरियों में स्थान देंगे। यहां उप योजना क्षेत्र के गांव है, यह आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है इसलिए मुश्किल से आज छात्रों को वहां के अध्यापक भर्ती कर लेते हैं और जहां पर संख्या अगर कम हैं, इन्हीं बात से, अगर इन छात्रावासों को तोड़ दिया गया तो यह कैसे सम्भव होगा कि उस क्षेत्र के लोग 50 प्रतिशत नौकरियों में आवें। एक प्रस्ताव और है। पिछले कई वर्षों से सिरोही जिले में नवोदय विद्यालय की बात की जा रही है। जांच भी हुई, प्रस्ताव भी बने जमीन भी देखी गई लेकिन पिछले दो साल से पता नहीं वह योजना किस ठंडे बस्ते में चली गई। मैं शिक्षा मंत्रीजी से अनुरोध करती हूं कि वे केन्द्र सरकार को सिरोही जिले में नवोदय विद्यालय खोलने के प्रस्ताव भेजें।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और। आज टी. वी. पर तरह-तरह के प्रशिक्षण दिये जाते हैं। खेती सम्बन्धी, व्यवसाय

(श्रीमती तारा भंडारी)

सम्बन्धी, जमीन सम्बन्धी, बीज सम्बन्धी। मेरा सदन से निवेदन से निवेदन है कि इस बात पर विचार करें कि आज जयपुर में व्यावसायिक शिक्षण या अन्य ज्ञान टी. वी. पर दिया जा रहा है, वहां सारा का सारा टी. वी. पर जो भी कार्य पद्धति है, वह राजस्थान भर में दिखाई जावे। आपने मुझे समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रतनाराम चौधरी।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा की मांग पर विचार हो रहा है उसमें मैं मेरे क्षेत्र की समस्या और मेरे कुछ सुझाव देना चाहता हूं। जैसे राज्य सरकार ने एक नीति बनायी थी उसमें यह कहा गया था कि प्रत्येक पंचायत हैड क्वार्टर पर उच्च प्राथमिक विद्यालय अवश्य होंगे। परन्तु बड़े खेद के साथ में कहना पड़ता है कि ऐसी कई पंचायतें हैं, जो पंचायत मुख्यालय हैं वहां पर आज दिन तक उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं है वहां पर प्राइमरी स्कूल ही है। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी यहां विराजमान हैं उनको मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जहां कहीं भी पंचायत हैड क्वार्टर है वहां पर प्राथमिक स्कूल नहीं है मिडल स्कूल नहीं है वहां पर कृपया इस बजट की रिप्लाई देते वक्त उसमें आज यह व्यवस्था करोकि प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर एक मिडल स्कूल होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि गांवों में पांचवी तक बच्चा पढ़ कर आगे पढ़ाई की व्यवस्था नहीं होने के कारण प्राथमिक स्कूल को छोड़ कर वापस अपने धन्धे में पशुपालन और अन्य कार्य में लग जाता है। इस तरह होने से गांव का शिक्षा का स्तर दिनों दिन गिरता जा रहा है। इसलिए गांवों में पंचायत मुख्यालय पर उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने की कृपा करें।

प्रौढ़ शिक्षा का बहुत भारी प्रचार हो रहा है। पहले भी सरकार ने प्रौढ़ शिक्षा पर खर्च किया और यह भी करने जा रहे होंगे। परन्तु इनकी जो प्रोग्रेस है वह जितनी हम उम्मीद करते हैं वह निराशाजनक ही है। क्योंकि सारा बजट फालतू है, नाम मात्र कागजों की पूर्ति होती है क्योंकि गांवों में इस समय में कोई प्रौढ़ शिक्षा चलती नहीं, उनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है। जिसके जिम्मे काम दिया हुआ है वह और उनके अधिकारी मिल करके बजट को रफा दफा कर देते हैं। इसलिए उन पर बड़ी भारी निगरानी रखी जाय ताकि सरकार का पैसा वेस्ट नहीं जावे और जो सरकार का उद्देश्य है वह पूरा हो जावे और गांवों में साक्षरता का स्तर ऊंचा हो जावे।

एक बात एक पूर्व वक्ता ने व कई माननीय सदस्यों ने कही। वैसे यह निर्णय पहले हुआ था परन्तु मैं भी इस बात से सहमत हूं कि पंचायत समितियों के अन्दर शिक्षा, स्कूलें देने के बाद में जिला परिषद् को देने के बाद मैं पढ़ाई का स्तर घटा है। क्योंकि सिफारशी लोग अपनी-अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं और बच्चों को पूरी तरह से पढ़ाते नहीं हैं। इसलिए जिला परिषदों से उनको मुक्ति दिलायी जाय और शिक्षा को विभाग में वापस सम्भालाई जाय।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में जैसे पंचायत

(श्री रतनाराम चौधरी)

मुख्यालय फागतरा, सागोदर, सिवाड़ा ऐसे अनेक पंचायत मुख्यालम हैं वहां पर प्राथमिक स्कूल है। शिक्षा मंत्रीजी से मैंने पहले रिक्वेस्ट भी किया है, लिखित में भी दिया है उस पर आप गौर करके....

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री रतनाराम चौधरी : स्कूलों को क्रमोन्नत करके स्कूलें खोली जाय। वैसे गुजरात के हम बिल्कुल पड़ोसी हैं। जब गुजरात का और राजस्थान का लेखा जोखा हम करते है और जाते हैं तो चाहे शिक्षा हो, चाहे एग्रीकल्चर कृषि मण्डी हो, चाहे दूध डेयरी हो जो भी है, हमारी कृषि मण्डी में एक लाख की इनकम होती है उनका कामकाज बिल्कुल जीरो है और उसके बाद में धनरा में कृषि मण्डी खोली, उसकी प्रोग्रेस, कामकाज और लेखा-जोखा बहुत ही सराहनीय है। उस मण्डी से सरकार को करोड़ों रुपयोंकी इनकम होती है। उन करोड़ों रुपयों से सड़कें बनायी जाती हैं और यह कृषि मण्डी तो विश्वविख्यात है, पूरे राजस्थान में ही नहीं अन्य प्रान्तों में सारा माल जीरा, रायड़ा....

श्री उपाध्यक्ष : मण्डी से इस डिमाण्ड का क्या सम्बन्ध है।

श्री रतनाराम चौधरी : नहीं है। परन्तु क्योंकि यह किसान से सम्बन्धित हैं और आप किसान के परिवार से हैं इसलिए मैंने देखा कि यहां पर कृषि मंत्रीजी भी बैठे हैं और कृषि क्षेत्र से आने वाले कई मंत्री बिराजमान हैं शायद उनके दिमाग में थोड़ा सा असर कर दें। तो उसमें कुछ सुधार लावे। हम यह चाहते हैं कि....

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री रतनाराम चौधरी : आज शिक्षा की मांग पर बहस हो रही है क्योंकि कल मुझे थोड़ा सा मेरे क्षेत्र में जाना है इसलिए ...

श्री उपाध्यक्ष : कल की मांग पर आज ही बोलेंगे क्या ?

श्री रतनाराम चौधरी : आपका आदेश शिरोधार्य है। शिक्षा पर बहस हो रही है। आज आप स्कूलों में चले जाइये, हमारे पंचायत समिति रानीवाड़ा में सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल है पर साल भर से 5 लेक्चरार के पद खाली हैं और हमारे गांव में हाई स्कूल है वहां पर साल भर से हैड मास्टर नहीं है। इसलिए गांवों का स्तर घटने का कारण एक तो मास्टरों की कमी और कोई प्रधानाध्यापक जाना नहीं चाहता है। शहरी लोग होते हैं और शहरों में सिफारिश करवा कर ट्रान्सफर करवा कर शहरों में पहुंच जाते हैं और गांवों में पद खाली रहते हैं। इसलिए कृपया उनको बाध्य करें कि जहां गांव में कम से कम 5 से 10 साल तक उनको स्कूलों में रहना पड़ेगा उसके बाद कहीं पर भी उनको लगा दो। ऐसा करना पड़ेगा यदि गांवों के बच्चों की पढ़ाई का स्तर बढ़ाना है तो और योग्य मास्टरों को और जो पद खाली हैं उनको भरना पड़ेगा। अब क्योंकि आप बार बार घंटी बजा रहे हैं, मैं तो अनुशासित सदस्य हूं इसलिए मैं मेरी बात को समाप्त करता हूं। जयहिन्द।

(170)

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकरण सिंह ।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे देश में....

श्री उपाध्यक्ष : आप तो राजस्थान पर ही आ जाओ, जल्दी समाप्त करना है इसलिए सीधे ही राजस्थान पर आ जाओ ।

श्री रामकरण सिंह : देखिये, मुझे जितना टाइम आप देना चाहते हैं उसमें मैं चाहे राजस्थान में रहूं या बाहर घूमूं । आप तो मुझे जो टाइम देंगे मैं उसका पालन करूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : पांच मिनट ।

श्री रामकरण सिंह : पांच के तो 25 हो जायेंगे । हमारा देश ऋषियों का देश रहा है और यहां गुरुकुल पनपे हैं । गुरुकुल और ऋषियों के होते हुए जहां गुरुकुल पनपे हैं वहां बड़ी-बड़ी हस्तियां पैदा हुई हैं । एक विवेकानन्द जी का नाम जब लेते हैं तो आपके और हमारे जो शिक्षाविद् हैं उनके सामने शायद हो सकता अंधेरा छा जाता होगा । मैं चाहता हूं कि उस समय के गुरुकुल और सन्तों का जो देश है उसी तरह से उनकी नकल करने लगे हैं यहां के नौजवान और ऋषियों की तरह दाढ़ी बढ़ाना तो शुरू कर दिया । उस समय उनका खान-पान, रहन-सहन और पहनावा ऐसा था कि वे बिल्कुल सन्त लगते थे लेकिन आज उल्टी बात हैं । मुझे माफ करें....

श्री उपाध्यक्ष : आज कैसे लगते हैं ?

श्री रामकरण सिंह : जिन सज्जनों ने दाढ़ी रखनी शुरू कर दी है वे आतंकवादी से लगने लगे हैं लेकिन हमारे शिक्षा मन्त्री जी तो बिल्कुल सन्त प्रकृति के हैं और सन्त जैसे ही लगते हैं । मैं यह चाहता हूं कि इनको भी गुरुकुल जैसी शिक्षा गांवों में पहुंचानी चाहिए । आज गांवों को छोड़कर शहरों में शिक्षा पर जायेंगे तो देश खराब करोगे, उतना देश बिगड़ेगा, उतना प्रदेश बिगड़ेगा, उतने शहर बिगड़ेंगे, उतनी हमारी सन्तानें बिगड़ेंगी । इसलिए इसके बारे में कोई न कोई निर्णय लेकर ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि वह शिक्षा बिगाड़ के बजाय सुधार में परिवर्तित हो ।

इसके अलावा कहना चाहता हूं आज आप शिक्षा में बाबू पैदा करते हैं । बाबू तैयार करते हैं, क्यों नहीं आप मिस्त्री तैयार करते हैं, क्यों नहीं आप किसी प्रकार के ऐसे व्यक्ति तैयार करो, टेक्निकल ट्रेनिंग देकर कि उनका किसी प्रकार का नौकरी का बरडन नहीं आये । अपना धन्धा चालू करे । शुरू से ही आप ऐसी स्कीम क्यों नहीं बनाते हैं । मैं कम से कम चालीस साल से इस विधान सभा में यह सुनता आ रहा हूं कि हम ऐसी नीति बनायेंगे कि बाबू की जगह मिस्त्री पैदा करेंगे । कोई न कोई टेक्निकल शिक्षा देंगे । मगर न जाने यह किस की शिक्षा चलाते हैं । चाहे इधर की गवर्नमेंट आये चाहे उधर की गवर्नमेंट आये दोनों ही गवर्नमेंट के लोग जब गवर्नमेंट में नहीं होते हैं तो उस समय मांग करते हैं....

श्री लालचन्द डूडी : अब निर्दलीयों की गवर्नमेन्ट आ रही है ।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप गवर्नमेन्ट बनाने की कोशिश करो ।

श्री रामकरण सिंह : हां अगर निर्दलीय

(श्री रामकरण सिंह)

मेरे साथ हो जायेंगे तो मैं बना लूंगा और आपको कहूंगा कि आप हमारे मुख्य मन्त्री बनो। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में यदि आप राजस्थान को, देश को, बढ़ाना चाहते हैं, शिक्षा के रूप को बदलना चाहते हैं तो आपको एग्रीकल्चर की शिक्षा पर बहुत अधिक ध्यान देना पड़ेगा। आप चाहे हाई स्कूल खोलें, कालेज खोलें मगर आपको जिले में कम से कम सब डिवीजन वाइज एग्रीकल्चर स्कूल खोलने चाहिए। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और उसमें एग्रीकल्चर के कितने कालेज हैं, कितने हाई स्कूल हैं वह टिप्स पर गिने जा सकते हैं। वास्तव में चाहते हैं तो आपको सब डिवीजन वाइज, मैं शिक्षा मन्त्री से कहना चाहूंगा, मैं चाहूंगा सरकार की नीति रहे कि सब डिवीजन वाइज कृषि कालेज होना चाहिए। अगर इस तरह से कृषि कालेज खोल देंगे तो मैं कह सकता हूं कि आज आपकी बेकारी दूर होगी। इसके अलावा हमें दूसरे ट्रेनिंग सेण्टर भी सब डिवीजन वाइज खोलने चाहिए। जिसमें इस तरह की शिक्षा दी जाये कि आपके ऊपर बरडन न बढ़े और आपका बोझ हलका हो।

दूसरा खेलों के बारे में बड़ी चर्चा होती है। खेलों में राजनीति घुस गयी है। वह गांव में रहने वाला व्यक्ति जो बहुत बड़ी दुनिया में ख्याति प्राप्त कर सकता है उसके बारे में एक बात नहीं आप उसको ले नहीं सकते हैं। इसलिए आप खेलों में यदि वास्तव में हमारे राजस्थान का या देश का बहुत बड़ा ऊंचा रिकार्ड रखना चाहते हैं तो गांवों से, गरीबों से, ढाणियों से लोगों का सलेक्शन कीजिए। इससे राजनीति को बाहर निकालिये।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिए।

श्री रामकरण सिंह : मैं इन सब बातों को संक्षेप में कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री रामकरण सिंह : इसके अलावा आप धार्मिक शिक्षा की बात कर रहे हैं। हम स्कूलों को धार्मिक मन्दिर कहते हैं लेकिन इसके अन्दर जो पुजारी हैं, या तो पुजारियों की पूर्ति नहीं है। एक पुजारी 10 जगह चक्कर काट कर घण्टी बजाता है, विद्या मंदिर में जाता है, स्कूल में जाकर हाजरी कर आये और अपने हिसाब से एडजस्ट करता है तो इस विद्या मंदिर में पुजारी तो पूरे कर दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : पूजा समाप्त हुई। श्री बंशीलाल पटवा।

श्री रामकरण सिंह : मैं मेरे कोटपूतली की चर्चा पांच मिनट में और करूंगा।

समिति का प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का सातवां प्रतिवेदन

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (सरकारी मुख्य सचेतक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के सातवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

समिति का प्रतिवेदन निम्न प्रकार है—

कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 20 मार्च, 1990 को म.प. 3.00 बजे माननीय अध्यक्ष के कक्ष में हुई। समिति ने अपने छठे प्रतिवेदन में आंशिक परिवर्तन करते हुए सिफारिश की है कि दिनांक 21 मार्च से 27 मार्च, 1991 तक सदन में लिये जाने वाले कार्यों का बंटवारा निम्न प्रकार किया जावे।

(श्री ओमप्रकाश गुप्ता)

गुरुवार, दिनांक 21 मार्च, 1991

1- आय-व्ययक 1991-92 की अनुदानों की मांगों पर विचार एवं उसका पारण।

2- राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1991 एवं

3- राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 1991।

- विचार एवं उनका पारण।

शुक्रवार, दिनांक 22 मार्च, 1991

1- आय-व्ययक 1991-92 की अनुदानों की मांगों पर विचार एवं उनका पारण।

मध्याह्न पश्चात् 1.00 बजे से 3.30 तक गैर सरकारी कार्य।

शनिवार, दिनांक 23 मार्च, 1991

रविवार, दिनांक 24 मार्च, 1991

बैठक नहीं होगी।

सोमवार, दिनांक 25 मार्च, 1991

1- आय-व्ययक वर्ष 1991-92 की अनुदानों की मांगों पर विचार एवं उनका पारण।

2- अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 1990-91 एवं तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक पर विचार एवं पारण।

3- राजस्थान नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 1991 पर विचार एवं पारण।

मंगलवार, दिनांक 26 मार्च, 1991

1- राजस्थान भूमि एवं भवन कर (संशोधन) विधेयक, 1991

2- राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1991

3- राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1991

4- राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 1991

5- राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1991

6- राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1991

- पर विचार एवं उनका पारण।

बुधवार, दिनांक 27 मार्च, 1991

राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 1991 पर विचार एवं पारण।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के सातवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि कार्य सलाहकार समिति का सातवां प्रतिवेदन स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

प्रतिवेदन स्वीकार किया गया।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (सरकारी मुख्य सचेतक) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 24 पर विचार एवं मंत्रियों के उत्तर और उस पर निर्णय होने तक सदन का समय बढ़ाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि सदन का समय मांगें पारित होने तक बढ़ाया जाय ?

(स्वीकृत)

सदन का समय मांगें पारित होने तक बढ़ाया गया।

श्री बंशीलाल पटवा।

मांग संख्या 24 पर विचार

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बार माननीय मुख्य मंत्रीजी ने शिक्षा के सुदृढ़ीकरण पर और शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने की दृष्टि से बात कही और नैतिक शिक्षा पर भी जोर दिया गया है। जहां तक नैतिक शिक्षा का सवाल है यह एक अच्छी शुरूआत हुई। लेकिन ग्रामीण इलाकों में प्राइमरी एजूकेशन सेंटर्स जितने भी है उनके बारे में हम को फिर से विचार करना चाहिए और उनको किस तरीके से सुदृढ किया जा सकता है और इसके साथ-साथ पिछली बार जो शिक्षा के क्षेत्र में जितने स्कूल क्रमोन्नत किये हैं, जैसे सेकण्डरी स्कूल हैं मिडिल स्कूल हैं उनके बारे में भी समीक्षा करनी चाहिए और इसके साथ साथ ग्रामीण इलाकों में जितने प्राथमिक विद्यालय हैं उनके भवन बनाने के बारे में भी विचार करना चाहिए। यदि हम स्कूल खोल देते हैं और विद्यालय भवन नहीं हो तो वह स्कूल कारगर ढंग से नहीं चल सकता है. उसका कारगर ढंग से चलना असम्भव है। पिछली बार 9वें वित्त आयोग के तहत कई जगह पर राजनैतिक भवन बनाये गये। और कई जगह अच्छे काम भी हुए। भवन बने हैं लेकिन उनका राजनैतिक दृष्टि के आधार पर निर्माण हुआ। कई जगह विद्यालय भवन थे फिर भी भवन बनाने की इजाजत दे दी गयी और वह भवन बन गये। मेरा इसमें यह निवेदन है कि पिछले 10 वर्षों में अलग-अलग एजेंसियों की मार्फत जितने विद्यालय भवन बने हैं सूची एक बार शिक्षा विभाग के पास आये और शिक्षा मंत्रीजी उसकी समीक्षा करें। क्योंकि कई जगह पर एक भवन बनने, के बाद दूसरा भवन और इस प्रकार बाढ़ के रूप में खड़े कर लिये गये और कई जगह ऐसी हैं जहां पर स्कूल हैं, विद्यालय हैं, लेकिन भवन रहित हैं और पिछली बार जब जवाहर रोजगार, ब्लैक बोर्ड और दूसरी दृष्टि से भवन बनाने की स्वीकृतियां, दीं इसमें कई जगह अच्छे काम जरूर हुए हैं लेकिन कई जगह जहां पर भवन रहित विद्यालय हैं वहां पर स्वीकृतियां जारी नहीं हुई। नीचे से पंचायत समितियों के मार्फत और दूसरे शिक्षा विभाग के मार्फत ऐसा मैन्नुपुलेशन हुआ कि जहां पर भवन रहित विद्यालय हैं वहां अभी भी भवन नहीं बन सके। हमने संस्कृत विद्यालय खोल दिये लेकिन भवन नहीं है। पिछली बार हम ने

(श्री बंशीलाल पटवा)

सैकण्डरी स्कूल खोले हैं वहां राजनैतिक दृष्टिकोण के आधार पर खोले हैं ऐसे कई स्थान हैं जहां पर सैकण्डरी स्कूल हैं और जहां पर चार छात्र पढ़ते हैं। ऐसी जगह पर भी सैकण्डरी स्कूल खोल रखा है। मेरा इसके बारे में निवेदन है कि आखिर शिक्षा के क्षेत्र में हम नैतिक शिक्षा जारी करना चाहते हैं परिवर्तन लाना चाहते हैं, शिक्षा के स्तर को सुदृढ़ करना चाहते हैं तो हमको बारीकी से इस दिशा में देखना पड़ेगा। क्योंकि जहां इस तरह के स्कूल खोले हैं उनकी समीक्षा होनी चाहिए। इस तरह की समीक्षा कर लीजिए कि मान लो वहां विद्यालय हैं और उसका फीडिंग स्कूल नहीं हैं तो उन विद्यालयों को उसी विधान सभा क्षेत्र में बदल दिया जाय। आखिर में आपत्ति क्या है? पिछली सरकार ने गलती की है। मैं यह नहीं कहता कि शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने अच्छे काम नहीं किये होंगे। लेकिन ऐसी गलतियां की हैं जिनको दोहराया नहीं जाना चाहिए, उनकी समीक्षा की जानी चाहिए। जहां पर सैकण्डरी स्कूल आवश्यक नहीं है यदि मान लो 250 की आबादी है। फीडिंग स्कूल नहीं है तो आखिर किन कारणों से उसको सैकण्डरी से हायर सैकण्डरी में रैंज किया गया है।

मैं भीलवाड़ा क्षेत्र का उदाहरण देना चाहूंगा। पूर्व में सैकण्डरी के स्थान पर सीनियर हायर सैकण्डरी होना चाहिये, हमीरगढ़ में सीनियर हायर सैकण्डरी होना चाहिये, कुछ गांव ऐसे हैं जहां मिडल स्कूल की जगह सैकण्डरी स्कूल होने चाहिये। वहां पर इस तरह का भेदभाव बरता गया। इसलिये मेरा निवेदन है कि कुछ इस तरह के मापदण्ड तय किये जायं, और सख्ती के साथ तय किये जायं, ताकि भविष्य में उनको माडीफाइ करना हो तो अच्छाई के रूप में करें और विकृति के रूप में करने की स्थिति न बनायें।

(4.48 म. प.)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

तो मेरा यह निवेदन है कि प्राइमरी शिक्षा को यदि हम मजबूत बनाना चाहते हैं तो गांवों में हम प्राइमरी शिक्षा को सुदृढ़ किस तरह से कर सकते हैं, यह देखना होगा। मिडिल स्कूल की शिक्षा पंचायतों के पास है। आज हो सकता है कि गुजरात में इस तरह की शिक्षा पंचायतों के पास होगी, जिला परिषदों के पास होगी, उनको सैकण्डरी तक के भी अधिकार दिये जा रहे होंगे, लेकिन राजस्थान में, चाहे मिडल स्कूल हो, चाहे प्राइमरी शिक्षा सेण्टर हो, पंचायत से क्षेत्र में उनका अनुभव अच्छा नहीं रहा है। इसकी समीक्षा की जानी चाहिये वह पंचायत राज के मार्फत न हो सका है। कई बार हम लोग कहते हैं कि मिडल स्कूल पंचायतों से ले लेनी चाहिये; लेकिन समीक्षा की जानी चाहिये। यदि प्राइमरी शिक्षा के क्षेत्र में भी पंचायत राज में सफलता प्राप्त नहीं हुई है तो प्राइमरी शिक्षा से लेकर मिडल एजूकेशन तक शिक्षा है, वह वापस शिक्षा विभाग में ले लेनी चाहिये, क्यों कि वह एक तरह से अखाड़ा बन चुके हैं। वहां पर और कुछ नहीं हुआ केवल राजनैतिक आधार पर किस तरह से स्थानान्तरण किया जा सकता है, यह होता है। अध्यापक हैं, बस रूट पर लगाया जायेगा, महिलायें हैं, यदि मान लें लड़की अध्यापिका है तो उनको इन्टीरियर में

(श्री बंशीलाल पटवा)

लगाया जायेगा। इस प्रकार का शोषण पंचायत राज में शिक्षा के क्षेत्र में होता रहा है। इसकी समीक्षा की जाय। यदि नतीजा अच्छा हो, और सुदृढ़ीकरण उन्होंने किया है, तो रहने दीजिये। लेकिन समीक्षा करने की मेहरबानी करें। यदि उस समीक्षा में आपको यह लगे कि शिक्षा का क्षेत्र उनके हाथों में सुरक्षित नहीं है, तो लोगों का भविष्य खराब होगा। प्राइमरी शिक्षा हमारा आधार है, बेस है। यदि वह बेस मजबूत नहीं होगा, तो चाहे उच्च शिक्षा हो, कुछ भी हो, हम वहां पर कुछ भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

प्राइमरी एजूकेशन के लिये भवन बनने चाहिये। स्कूल अच्छे चले, लेकिन कई स्थान ऐसे हैं जहां पर आज भी छतें नहीं हैं, कई स्कूल भवन रहित हैं, लेकिन वहां पर विद्यार्थी हैं, अस्सी अस्सी छात्र पढ़ते हैं और एक अध्यापक है। मैं अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूं, पर राजस्थान में कई ऐसे क्षेत्र हैं। यह आलोचना का विषय नहीं है, यथार्थ का विषय है, इस दृष्टि से विचार किया जाना चाहिये।

उच्च शिक्षा की दृष्टि से पांच कालेज खोलने की बात कही गई। कोटा आज तक उपेक्षित था, वहां पर भी मेडिकल कालेज खोलने की बात कही गई, यह एक अच्छी शुरुआत है। जोधपुर में तकनीकी कालेज, महिलाओं की दृष्टि से शुरू करने की बात कही गई, यह अच्छी बात है। लेकिन शिक्षा की दृष्टि से हमको आमूलचूल परिवर्तन किस तरह किया जा सकता है और किस तरह से सुदृढ़ किया जा सकता है, इस पर विचार करें।

साथ-साथ मेरा निवेदन है कि नैतिक शिक्षा का अर्थ किसी मजहब से नहीं है। आज यहां सदन में हिन्दू को गाली दे दी गई। हिन्दू शब्द कहां से आया इसकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं थी। यह विभिन्न भाषा भाषी देश है, कई प्रकार के लोग यहां रहते हैं, कई प्रकार की भाषाएं हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि मुसलमानों के खिलाफ हैं। लेकिन इस देश की धरती के प्रति प्यार उनमें भी पैदा होना चाहिये, हर एक जाति में पैदा होना चाहिये। धर्म का अर्थ न्याय से है। हिन्दू तो एक विचार दर्शन है, लेकिन आज शिक्षा पर बहस हो रही थी, हमने अनायास ही पता नहीं क्या क्या बातें कह डालीं। मान्यवर सदस्य, माइन्ड न करें, लेकिन शिक्षा की दृष्टि से हम किस तरह से शिक्षा को मजबूत कर सकते हैं, इस दृष्टि से विचार करना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मान्यवर अध्यक्षजी, मैं दो मिनट में...

श्री अध्यक्ष : दो मिनट।

श्री बंशीलाल पटवा : मेरा एक निवेदन और है। शिक्षा के क्षेत्र में, वेतनमानों की दृष्टि से कई प्रकार की विसंगतियां हैं। पिछली सरकार ने कई गलतियां की। शिक्षा के क्षेत्र में जूनियर लेक्चरर हैं और सैकण्डरी स्कूल के प्रधानाध्यापक हैं। जब केन्द्र के वेतनमान हमने लागू किये हैं, उनमें जूनियर लेक्चरर और सैकण्डरी स्कूल के प्रधानाध्यापक के वेतनमान में कोई अन्तर नहीं है। सैकण्डरी स्कूल के प्रधान अध्यापक अधिकारी वर्ग में आता है, उनको पढ़ाना भी पड़ता है और शिक्षा की दृष्टि से व्यवस्थाएं

(श्री बंशीलाल पटवा)

भी देखनी पड़ती हैं, इसलिए उनकी एक वेतन वृद्धि होनी चाहिये। इन दोनों पदों के वेतनमानों में अन्तर बना रहना चाहिये। प्रधानाध्यापक की श्रेणी ऊंची है। तो यह विसंगति है। हमने जब केन्द्र के वेतनमान माने, तो जो अधिकारियों में आते हैं और जो लेक्चरर हैं, उनमें फर्क है, लेकिन हमने एक कर दिया। आज स्थिति यह है, मेरे ख्याल में, कि जो अच्छा करे वह भी वही वेतन उठायेगा और जो कम करे, वह भी वही वेतन उठायेगा। तो यह डिस्क्रिमिनेशन है। इसलिये यह विसंगति दूर होनी चाहिये, क्योंकि आखिर में जो लोग शिक्षा को सुदृढ़ करना चाहते हैं उन लोगों को हक मिलना चाहिये। अगर हक नहीं मिलेगा तो वह निरुत्साहित होंगे, डिसकरेज होंगे।

बजट में आज स्कूलें कम खोलने की बात कही गई। 1000 प्राथमिक विद्यालय और सीनियर हायर सैकण्डरी 25 की बात कही गई। इसलिये मेरा माननीय मुख्य मन्त्री जी से अनुरोध है कि यह कम है, क्योंकि राजस्थान में पिछली सरकार ने इस प्रकार का भेदभाव बरता है कि जहां पर आवश्यकता थी, वहां हायर सैकण्डरी स्कूल नहीं खोली। तो कुछ इसको बढ़ायें।

इससे साथ साथ शहरी क्षेत्र में उच्च प्राइमरी स्कूल खोलने की दृष्टि से भी आप सोचें, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में आबादी बढ़ गई है, जनसंख्या बढ़ गई है। ग्रामीण क्षेत्र में जब हम प्राइमरी एजूकेशन सेन्टर को सुदृढ़ करेंगे, तो ग्रामीण इलाके में एक बेस तैयार होगा, तो उसके साथ साथ शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण इलाके में इस तरह से समन्वय हम बैठायेंगे तो शिक्षा को मजबूत करने की दिशा में हम कुछ कर सकेंगे।

नैतिक शिक्षा का जहां तक सवाल है, वह बहुत आवश्यक है और हमने शुरुआत की है। किसी धर्म ग्रंथ के बारे में जानकारी देना बुरी बात नहीं है और किसी धर्म के बारे में जानकारी लेना बुरा नहीं है। हम शिक्षा को अच्छाई और सच्चाई के साथ जोड़े और इस दिशा में हम थोड़ा-सा प्रयत्न करें। अगर हमने सही ढंग से प्रयत्न किये, तो राजस्थान में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकेंगे, अन्यथा शिक्षा पर अगर हम शिक्षा की दृष्टि से ध्यान नहीं देंगे, तो राजस्थान पिछड़ा रह जायेगा। क्योंकि शिक्षित होना साक्षर होना बहुत जरूरी है। अनौपचारिक शिक्षा के बारे में आपसे कहना चाहूंगा कि यह मुझे अनौपचारिक शिक्षा के रूप में अभिशाप लगा, यह बिल्कुल बन्द कर दिया जाये तो अच्छा है। पंचायत समितियों में अनौपचारिक शिक्षा के नाम पर प्रधान के लड़के, लड़की रिश्तेदार हैं, जो घर बैठे तनख्वाहें लेते हैं। तो मेरा शिक्षा के क्षेत्र में निवेदन है कि सारे ढांचे की हम एक बार समीक्षा करें और शिक्षा की दृष्टि से हम किस तरह की सुविधाएं दें ...

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। श्री लक्ष्मीनारायण दवे।

श्री बंशीलाल पटवा : एक ओर पंचायत राज से, प्राइमरी एजूकेशन से लेकर....

श्री अध्यक्ष : अब रिपीटिशन हो रहा है। पुनरावृत्ति हो रही है। हां, बोलिये।

श्री भैरोंसिंह पटवा : शिक्षा को सुदृढ़ करें।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत) : अध्यक्ष महोदय, भारतवर्ष पुरातन काल से शिक्षा के क्षेत्र में विश्व के अन्दर अग्रणी रहा है। पुरातन समय से विश्वामित्र, वाल्मिकी, मनु और दधीचि जैसे आध्यात्मिक ज्ञाता और विद्वान हुए हैं। भारतवर्ष ने नालन्दा, तक्षशिला और काशी विश्वविद्यालय के नाम पर विश्व के अन्दर ख्याति प्राप्त की है। इन विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थी विदेशों से आते थे और यहां से शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् विदेशों में जाते थे, तो वह गर्व और स्वाभिमान महसूस करते थे कि हम काशी विश्वविद्यालय से विद्या अध्ययन करके आये हैं, हम नालन्दा और तक्षशिला विश्वविद्यालय से विद्या अध्ययन करके आये हैं। आज के समय में नैतिक शिक्षा की परम आवश्यकता है। उस समय नैतिक शिक्षा के अन्दर धार्मिक शिक्षा का बोलबाला था और चारित्रिक शिक्षा दी जाती थी। आज के समय में विद्यार्थियों के अन्दर असन्तोष है, अराजकता है, इसके बारे में हमें देखना है, सोचना है। मैं माननीय शिक्षा मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आज राजस्थान के अन्दर 5 लाख विद्यार्थी, अलग-अलग तकनीकी क्षेत्रों के अन्दर जो बी. एड. किये हुए हैं, एस. टी. सी. की ट्रेनिंग किये हुये हैं, डाक्टर्स हैं, टेक्नीशियन्स हैं, बेरोजगार हैं। उन बेरोजगारों के लिये किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं होने के कारण आज हिन्दुस्तान और राजस्थान में नाना प्रकार की अशांतिया, भ्रांतियां और विद्यार्थियों में रोष व्याप्त है। इसलिए वर्तमान शिक्षा पद्धति के अन्दर जो मैकाले की शिक्षा पद्धति थी, उस वक्त की शिक्षा प्रणाली के अन्दर हमें आमूल-चूल परिवर्तन करना है, हमें चरित्र पर ध्यान देना है, हमें सामाजिक शिक्षा पर ध्यान देना है, हमें एक दूसरे के धर्म के प्रति शिक्षा के अन्दर धार्मिक भावना का ज्ञान दिलाना है, ताकि एक धर्म के प्रति दूसरे धर्म के प्रति लोगों में आस्था हो, उनमें आपस में एक-दूसरे के धर्म का ज्ञान प्राप्त कर सहिष्णुता का वातावरण पैदा हो, प्रेम भाव बढ़े और एक दूसरे के धर्म के प्रति आस्था पैदा करनी है। इसलिए वर्तमान समय में राजस्थान के अन्दर बजट में जो नैतिक शिक्षा का प्रावधान रखा है, इसके लिये मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी का स्वागत करता हूं कि इस प्रकार की शिक्षा से चरित्र का निर्माण होगा, धार्मिक भावनाओं के बारे में जानकारी होगी।

आज राजस्थान में प्राइमरी एजूकेशन के अन्दर नाना प्रकार के प्राइमरी स्कूल हैं, उन प्राइमरी स्कूलों को जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में हैं, उनके बारे में भी हमें चिन्तन करना है। एक तरफ कान्वेंट स्कूल का विद्यार्थी, जहां पर रेफ्रीजरेटर है, उनके पढ़ने के लिए नाना प्रकार की सुविधाएं हैं, भवन हैं, बैठने के लिए कुर्सियां हैं, बैठने के लिए नाना प्रकार की व्यवस्थाएं हैं और दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्र का विद्यार्थी, तो पेड़ के नीचे बैठता है, बिना भवन के पढ़ता है, स्कूल के अन्दर शिक्षित और एक्सपीरियन्स वाले अध्यापक नहीं रहते है, इस प्रकार एक दोहरी शिक्षा पद्धति हमारे हिन्दुस्तान और राजस्थान में लागू की गई है, यह एक भेदभाव वाली पद्धति है। एक तरफ कान्वेंट

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

स्कूल में पढ़ने वाला विद्यार्थी और एक तरफ ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ने वाला विद्यार्थी, जिस को किसी प्रकार की सुविधा नहीं है, तो हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सुविधाएं प्राप्त करनी हैं कि गांव का रहने वाला गरीब व्यक्ति, गांव का रहने वाला अनुसूचित जाति का बालक, उसके लिए अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, अधिक से अधिक सुविधाएं प्राप्त हो, भवन की सुविधा हो, बैठने की सुविधा हो और शिक्षकों की हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो कमी है, उस कमी को दूर किया जाये, यह मैं शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं। राजस्थान के अन्दर ब्लैक बोर्ड स्कीम के तहत प्राथमिक स्कूलों के अन्दर उन 50 विद्यार्थियों के ऊपर दो अध्यापक लगाने की जो राज्य सरकार की घोषणा है और पद्धति लागू की है। हमारे राजस्थान के अन्दर आज प्राइमरी स्कूलों की संख्या बहुत अधिक है। जहां पर ब्लैक बोर्ड स्कीम के तहत अध्यापकों की कमी है, एक-एक अध्यापक तीन-तीन सौ विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, तो हम देखते हैं कि इस प्रकार एक अध्यापक तीन सौ विद्यार्थियों को किस प्रकार से शिक्षा दे सकता है, इसके बारे में हमें चिन्ता करनी है।

मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार प्रकट करना चाहूंगा और धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज अजमेर जिले के अन्दर हमने अभियान चलाया, अजमेर जिले को पूर्ण साक्षर रूप में लिया है इसी प्रकार से अन्य जिलों को लेंगे। आज अजमेर के अन्दर काफी अच्छी प्रगति हुई है। प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और ऐसे जो भी कार्यक्रम हैं, इस स्कीम के अन्दर हमें पूर्ण जोर देना है। जब तक हमारे शिक्षा जगत के अन्दर गांव का व्यक्ति, गांव का बालक, गांव का बुड्ढा और राजस्थान के अन्दर जब तक शिक्षित व्यक्ति नहीं होंगे, तब तक हमारे राजस्थान की आर्थिक, सामाजिक और न ही अन्य किसी कार्यक्रम की दृष्टि से उन्नति हो सकेगी। सीखो कमाओ योजना के तहत मैं शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि सीखो कमाओ योजना में जिस प्रकार की कमियां हैं, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार है, वहां पर इस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए आप किसी प्रकार की व्यवस्था करें।

आज विश्वविद्यालयों में और राजस्थान विश्वविद्यालय में कुलपतियों की कमी है, कुलपतियों के रिक्त पद पड़े हुए हैं और उन रिक्त पदों की काफी समय से पूर्ति नहीं की जा रही है, इसलिए शिक्षा मंत्रीजी और उच्च शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जो विश्वविद्यालय हैं, जो महाविद्यालय हैं, उनमें कुलपतियों के जो रिक्त स्थान हैं, उन को भरा जाये। अन्त में मैं अपने विधान सभा क्षेत्र के बारे में माननीय शिक्षा मंत्री जी और उच्च शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सोजत विधान सभा क्षेत्र, पाली जिले में 40 हजार की आबादी का सबसे बड़ा कस्बा है। पाली के पश्चात् सोजत ही सबसे बड़ा कस्बा है। इस कस्बे के अन्दर 5 सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल हैं, 10 मिडल स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल हैं और आस-पास में रायपुर, मारवाड़ जंक्शन और सोजत में जो सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल हैं, यहां के विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष एक हजार विद्यार्थियों को या तो पाली जाना पड़ता है, या ब्यावर

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

जाना पड़ता है, या जोधपुर विद्या अर्जन करने के लिए जाना पड़ता है और प्रतिवर्ष बालिकाओं को, करीबन 100 बालिकाओं को सीनियर हायर सैकण्डरी पढ़ने के पश्चात्, वहां पर विश्वविद्यालय नहीं होने के कारण बिना शिक्षा के रहना पड़ता है। सोजत के 40 किलोमीटर दूर पाली आया हुआ है और 1978 के अन्दर, जनता सरकार के राज के अन्दर, जनता सरकार में यह घोषणा की गई थी कि सोजत के अन्दर स्नातक महाविद्यालय खोला जायेगा। मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से और मुख्यमंत्रीजी से मांग करूंगा कि सोजत पाली जिले के अन्दर दूसरा स्थान रखता है। मेंहदी के क्षेत्र में भी हमारे यहां से विदेशों को मेंहदी भेजी जाती है। लाइम के क्षेत्र में और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों के अन्दर और एस.डी.एम. कोर्ट होने के कारण, ए.सी.जे.एम. कोर्ट होने के कारण अधिकारियों के, जो भी बालक हैं, उनको भी विद्या अध्ययन करने के लिए पाली, जोधपुर या ब्यावर जाना पड़ता है। मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस वक्त राजस्थान में जो 91-92 के बजट के अन्दर 5 महाविद्यालय खोलने का जो आपने प्रावधान रखा है, मैं आशा और अपेक्षा करता हूं कि सोजत के अन्दर एक महाविद्यालय खोलने का श्रम करेंगे।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं कि मुझे विचार व्यक्त करने के लिए आपने मौका दिया है। मैं सर्वप्रथम तो....

श्री अध्यक्ष : 10 मिनट से ज्यादा समय नहीं है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं निवेदन करना चाहूंगी कि हिन्दी हमारी राजभाषा है और भाषा के लिए राज्य संकल्पबद्ध भी है, लेकिन हम यह देखते हैं कि विभागों में हिन्दी के बजाय अंग्रेजी में काम किया जाता है। अंग्रेजी भाषा अपनी जगह अपना स्थान रखती होगी, लेकिन जिस भाषा ने देश को गुलाम बनाया, आम तौर से उसके आदर में वृद्धि नहीं हो सकती। मैं निवेदन करना चाहूंगी राजकाज के सारे कार्य हिन्दी भाषा में होने चाहिये, सरकार इसको देखेगी। मैं निवेदन करूंगी कि हमारे यहां पिछले दिनों सुखाड़ियाजी के नाम से उदयपुर विश्वविद्यालय का नाम बदला गया, ऐसे ही अन्य जगहों पर भी मैं आग्रह करूंगी कि अजमेर में जो विश्वविद्यालय है, एक आदर्श पुरुष के नाम से उसको जोड़ा जाना चाहिये।

महर्षि दयानन्द ने कुरीतियों पर जो आघात किया था, वे हमें सदैव सचेत करते रहेंगे। अजमेर विश्वविद्यालय का नाम महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय होना चाहिए। इस सम्बन्ध में और भी आगे कार्यवाही होगी पर, मैं मेरी बात का मोह नहीं छोड़ पा रही हूं। शिक्षा मंत्रीजी जरा ध्यान दे लें तो बड़ी कृपा होगी। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि शिक्षा अधिनियम के बारे में हम लोग कुछ लेट हो गये, पर अब वह आना चाहिए। उसकी देरी बर्दाश्त करने काबिल चीज नहीं है। शिक्षकों में असन्तोष हो, यह

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

बात उचित नहीं लगती। जिन से हम पढ़े, सीखे, हमने बोलना सीखा, उन्हीं को कोई असन्तोष रहे, यह उचित नहीं होगा। आप तो खुद पढ़कर पैदा हुए हो पर मैं तो औरों से पढ़ी हूं, आज तक पढ़ रही हूं। मैं निवेदन कर रही हूं कि पदनाम रीडर देने की जहां तक बात है उसमें सरकार का कुछ खर्चा नहीं होता है, लेकिन एक सम्मानसूचक बात है कि जो कार्य वे करते हैं वह पदनाम तो उनको दे दिया जाय। एक जरूरी आग्रह मेरा और है कि हमारे यहां समय पर परीक्षा नहीं होती। कभी तो हड़ताल, कभी राजकीय दिक्कत। गत वर्ष भी ऐसी व्यवस्था रही। परीक्षाएं समय पर कराने के लिए अगर आवश्यक हो तो विधान सभा के माध्यम से समय तय कर दिया जाय कि अमुक तारीख तक अमुक स्तर की परीक्षाएं करा ली जायेंगी। मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितम्बर तक परीक्षाएं होती रहती हैं, यहां तक कि विधि कक्षाओं का तो एक वर्ष ही शून्य हो गया, शून्य काल में चला गया। परीक्षाएं बढ़ते-बढ़ते एक वर्ष ही नदारद हो गया। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि हमने मार्क्स की विवरणिका को कम्प्यूटराइज करने का तय किया। गत वर्ष के मेरे पास कुछ पत्रक हैं जिनमें जो छात्र बैठे उनको एब्सैण्ट घोषित कर दिया गया। उन्हें दुबारा अनुमति देने की बात कही गयी तो मार्क्स शीट ही गायब हो गयीं। जब जांच करायी गयी तो किसी में कितने नम्बर बढ़े किसी में कितने नम्बर बढ़े। वहां पर जो मार्क्स दिये जाते हैं, केवल मशीन के ऊपर छोड़कर शिक्षकगण, अधिकारीगण यह सोच लेते हैं कि बस, काम हो गया, छुट्टी हो गयी। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगी कि रोल लिस्ट में जिन प्रश्न पत्रों के क्रमांक में छात्र पास है उसमें फेल दिखाया गया है और जिसमें फेल है उसमें पास दिखाया गया है। इसी तरह महारानी कालेज, अन्य कालेज या विश्वविद्यालय में जहां परीक्षा ली गयी, रोल लिस्ट की गड़बड़ी से बहुत दिक्कत पैदा हुई है। यह स्थिति ठीक नहीं है। अगर आप कम्प्यूटर से मार्क्स शीट तैयार करते हैं तो उनका मूल्यांकन फिर से करना चाहिए, छात्रों को किसी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए। छात्रों को असुविधा जो आज तक हुई है उसके लिए सारे विश्वविद्यालयों को सहृदयता से सोचना चाहिए कि ये दिक्कतें न आयें। अगर आप देखना चाहेंगे तो मेरे पास वह मार्क्स शीट है, मैं आपको दिखा दूंगी। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे यहां वाचनालय खोलने की पद्धति थी, लेकिन अब तो जितने वाचनालय, पुस्तकालय पहले से थे वे भी बराबर कम किये जा रहे हैं। यह स्थिति अच्छी नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि जो लेख हमने किसी जमाने में पढ़े थे उनके आगे के लेख कहीं मालूम नहीं पड़ते। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में कोई लेख देखने को नहीं मिलता, उनको हम लौह पुरुष मानते हैं। भगत सिंह के बारे में हम जानते हैं कि उन्होंने अपनी जान दी थी फांसी के फन्दे पर झूल कर। उनका अनुकरण कर देश की सेवा करनी चाहिए। वीर दुर्गादास, महाराणा प्रताप के लेख हमको देखने को नहीं मिलते। इस प्रकार के लोग जिन्होंने अपने त्याग, तपस्या, बलिदान से हमें एक दिशा दी है, मार्गदर्शन दिया है, इस तरह के ऐतिहासिक पुरुषों, राजनीतिक पुरुषों,

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

बलिदानी पुरुषों के नामों के लेख, कि क्या उनका कृतित्व था, क्या उनका व्यक्तित्व था, जिससे हम प्रभावित होकर आगे की पीढ़ी को ढाल सकें, पाठ्यपुस्तकों में ऐसे लेख जुड़ने चाहिए।

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि आपने रोजगार मूलक शिक्षा की बात कही, लेकिन वहां प्रभावशाली कार्य नहीं हो रहा। आई. टी. आई. की शिक्षा जो दी जा रही है, केवल पचास रुपये का मैटीरियल छात्रों को दिया जाता हैं। इससे अच्छा तो यह है कि आप खुला कर दें कि वे अपना सामान लायें, बनायें, बेचें और सीखें। यह ज्यादा अच्छी स्थिति होगी। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि महिला शिक्षा के बारे में ग्रामीण क्षेत्र में जितने बालिका विद्यालय खुलने चाहिये थे, नहीं खुल पाए हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि पचायतवार मिडल स्कूल होने चाहिए। कहा यह जाता है कि एक पुरुष पढ़ता है तो वह शिक्षित होता है, लेकिन एक महिला पढ़ती है तो पूरा परिवार, खानदान संस्कारित हो जाता है। प्राइमरी शिक्षा के बारे में निवेदन करना चाहूंगी कि यह शिक्षा केवल महिलाओं के हाथ में सौंप दी जानी चाहिये। वे ही वह शिक्षा दे पायेंगी जो उस समय संस्कार दिए जाने चाहिए। बच्चे संस्कारित होंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

10 मिनट नहीं हुए, पांच हुए हैं।

राजस्थानी भाषा को आठवीं अनुसूची में जोड़ने के लिए आप लोगों ने क्या किया? हमें समय पूछेगा कि हमने अपने वक्त में क्या किया? मैं निवेदन करूंगी कि इस बारे में प्रक्रिया रूप में, व्यावहारिक रूप में गति देकर इसको बढ़ाए जाने के बारे में कार्य करना चाहिए। जितनी हमारी अकादमी हैं, बढ़ती हुई महंगाई को लेकर उनके कार्यकलापों को गति देने के लिए हमें उन्हें और पैसा देना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहूंगी हिन्दी ग्रंथ अकादमी के बारे में कि स्थानीय लेखकों को वे कोई प्रोत्साहन नहीं देते कि उनकी काव्यमय पुस्तकें, लेखों की पुस्तकें प्रकाशित हो सकें। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि चांद बिहारी लाल सबा, जिनके नाम की तूती बोलती थी राजस्थान में, बल्कि जो विदेशों में भी जाने जाते थे, उनके बारे में कोई पुस्तक, कोई प्रकाशन वे लोग नहीं कर पाये। जिस समय उनका देहान्त हुआ, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने उनके बारे में एक लेखमाला निकालने की बात कही थी, उनका स्मारक बनाने की बात कही थी। उर्दू अकादमी, हिन्दी साहित्य अकादमी उनके नाम पर साल में दो बार, उनकी जन्म तिथि पर और उनके मृत्यु दिवस पर कुछ कार्य करेंगी, यह बात कही थी, लेकिन किया नहीं गया। मैंने बार बार सम्पर्क किया है इस कार्य को करने के लिए, लेकिन दुःख है कि इस बारे में गति नहीं आई।

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि पंचायतों को हमने शिक्षा सौंपी, लेकिन देखा जाय तो वे शिक्षक वहां के जो सरपंच हैं उनके चपरासी होकर रह गये। शिक्षकों के इस असम्मान की स्थिति में तात्कालिक रूप से शिक्षा वापस ले ली जाय और शिक्षा विभाग को दी जाए। उनकी जो सर्विस बुक होती

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

है उसमें भी परेशान करने की स्थिति रखते हैं, ऐसी स्थिति कर दी है। पिछले दिनों माननीय मन्त्री महोदय, आपने जयपुर जिले की अधिकांश महिलाओं के ट्रांसफर दूर-दूर कर दिए। कौनसी नीति से किए, बताने की कृपा करेंगे ?

(समय समाप्ति-सूचक घण्टी)

एक बार फिर कहना चाहूंगी कि पंचायतों से प्राइमरी शिक्षा वापस ले ली जाए तो शिक्षा जगत पर बहुत बड़ा उपकार होगा। हमारे यहां खेल कूद के बारे में बजट नगण्य है, छात्र-छात्राओं की प्रतिस्पर्धा के लिये पैसा नहीं है, इतना कम पैसा दिया जाता है। जब अन्तर्राष्ट्रीय खेल जगत की प्रतिस्पर्धाएं होती हैं, गेम्स होते हैं, हम देखते हैं कि वहां की लड़कियां स्फूर्ति से भरी हुई नम्बर वन पर आती हैं। हमारे यहां जब अनाउन्समेंट होता है कि भारत ने चौथा नम्बर प्राप्त किया, राजस्थान ने आठवां नम्बर प्राप्त किया तो शर्म से आंखें झुक जाती है। आप यह देखिए कि युद्ध के मैदान में भी विजय होती है, खेल के मैदान में भी विजय होती है और राजनीति के मैदान में भी विजय होती है। तीनों की विजय हासिल करनी है तो बराबर उसके लिए धन देना पड़ेगा। हमारे यहां खेलकूद के लिए काफी कुछ गति लाने के लिए आवश्यक है कि अच्छा पैसा दिया जाय, प्रोत्साहन राशि दी जाये।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। दस मिनट हो गये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : एक मिनट और है। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि आपने पांच कालेज खोलने की बात कही है, एक कालेज जमवारामगढ़ में भी खोलना चाहिए। जयपुर से जमवारामगढ़ और आगे अलवर तक कोई कालेज नहीं है। मेरे यहां बालिका विद्यालय केवल गंगापोल में है। यह बरसों से माध्यमिक विद्यालय चल रहा है, इसको सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल में बदला जाना चाहिए। मुझे एक सूचना आयी है कि बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय का नाम विजय सिंह पथिक, जिनका नाम मैं भूल नहीं सकती, के नाम से किया जाना चाहिए। मेरी आशा है मेरे दोनों प्रस्ताव आप मानेंगे। मैं निवेदन करना चाहती हूं अन्तिम बात कि राजस्थान विश्वविद्यालय के पास एक प्रेस है.... लेकिन प्रेस का उपयोग नहीं होता है, पर्चे बाहर छपते हैं। बाहर छपने से आप यह देखेंगे कि इस तरह के पर्चे, यह राजस्थान विश्व विद्यालय का संस्कृत का पेपर है जो हाथ से लिखा हुआ हैं....

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : पेपर्स आउट होते हैं। आप देखेंगे कि राजस्थान के कितने पेपर्स आउट हुए हैं तो, आप अपने यहां पर प्रकाशन करवायें, शिक्षा के स्तर में सुधार लायें। यह मेरा आपसे आग्रह है।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। आज जो यह....

श्री महावीर प्रसाद जैन : मेरा पाइन्ट आफ़ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष : क्या है, फरमाइये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, वह यह है कि आज की जो कार्य सूची जारी की गई है और विधान सभा की कार्य सूची में जो विषय आ जाते हैं वे हमेशा लिये जाते हैं। यदि आपकी कृपा हो जायेगी तो वह मेरा जो आधे घण्टे की चर्चा का विषय है उसको चाहे अभी ले लें या कल सुबह ले लें।

श्री अध्यक्ष : आप 15 मिनट में करने के लिए तैयार हैं ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : हां 15-20 मिनट में हो जायेगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : क्या 20 मिनट, केवल 10 मिनट में।

श्री अध्यक्ष : हां तो करिये।

श्री हेतराम बेनीवाल : बहस को बीच में स्थगित करके ?

श्री अध्यक्ष : हां बीच में हो जायेगा, क्योंकि हमारा मांग पारित तक का ही समय है।

श्री हेतराम बेनीवाल : सही बात है।

श्री अध्यक्ष : मांग पारित होने के बाद में फिर प्रश्न नहीं है।

आधे घण्टे की चर्चा

(ता. प्र. सं. 246)

दिनांक 11 मार्च, 1991

पंचायत समिति टोंक क्षेत्र में एनीकट का निर्माण

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : अध्यक्ष जी मैं सारे अधिकार संरक्षित हैं। वे आज की सूची पूरी कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, टोंक जिले की पंचायत समिति के बारे में जो मेरा दिनांक 11 मार्च को सवाल आया, पहला तो मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं और आपकी मार्फत इस प्रश्न के माध्यम से पूरे हाऊस को भी कि माननीय सदस्यों के प्रश्नों के जिस प्रकार से विभाग लापरवाही से यह उत्तर लिख देते हैं कि इसके अन्दर सदन के महत्व को नहीं समझते हैं। हमको अपने अधिकारियों को टाईट करना चाहिये। सदन के विशेषाधिकार हैं कि कोई तथ्य छिपाये नहीं जाने चाहिये। सदन के साथ यदि कोई किसी प्रकार के तथ्य छिपाये जाते हैं या तथ्यों के के विपरीत इस प्रकार की बात करते हैं जिसमें मजाक जैसा लगता है, इसलिए आज आधे घण्टे की चर्चा की आवश्यकता हुई इस विषय को लाना पड़ा।

मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने प्रश्न किया था— "क्या यह सही है कि टोंक पंचायत समिति क्षेत्र में एनीकट निर्माण की पर्याप्त साइट उपलब्ध हैं ?" आपने कहा है "जी हां" दूसरा, फिर मैंने पूछा है "क्या विभाग द्वारा (भू-संरक्षण) एनीकट निर्माण हेतु सर्वे कराया गया है ? यदि हां, तो किस-किस जगह एनीकट बन सकते हैं व उनके निर्माण में कितनी-कितनी राशि लगने का अनुमान है ? तथा किस किस जगह कब-कब निर्माण कार्य किस विभाग द्वारा प्रारम्भ करने की योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?" उसका उत्तर दिया गया है, "जी हां, सहायक निदेशक, कृषि (भू-संरक्षण) इकाई टोंक द्वारा स्थानीय प्रशासन के निर्देशानुसार पं. स. टोंक क्षेत्र

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

में एनीकट निर्माण हेतु सर्वे कराया गया है।"

इसमें लिखा है कि सर्वे कराया गया है। आज भी मैं ऐसा समझता हूं कि माननीय मंत्रीजी को जो रिपोर्ट पेश की गयी है उसमें यह कहा है कि हमने कोई सर्वे नहीं किया है, कुछ साइटों का ही सर्वे किया है। उनके उत्तर में यह है कि हमने सर्वे किया है। जब सर्वे किया है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि टोंक पंचायत समिति क्षेत्र में 3 नदियां बहती हैं, सोहेद्रा, बनास और मासी नदी। इन तीनों नदियों में पानी है। इसके अलावा और भी बहुत सारे नाले हैं जगह जगह पर। मैं समझता हूं कि 20 से लेकर 30 एनीकट बनाने के स्थान आज भी उपलब्ध हैं।

अब दूसरा सवाल उठता है कि विभाग ने सर्वे किया है या नहीं किया है, यह तो आप जानें, लेकिन आपको जी. टी. साइट पर देखकर यह बताया जा सकता है कि यहां पर एनीकट का निर्माण हो सकता है। तीसरा, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मंत्रीजी, शायद आपके विभाग ने कहा है कि हमारे पास किसी प्रकार का बजट नहीं है। यह बात ठीक है कि आपका विभाग तो एक तरह से सर्वे का विभाग है, फिर यह कहेंगे कि बजट हमारे पास है तो मशीनरी नहीं है। तो मशीनरी आप वहां पर देवें, चाहे आप बजट उपलब्ध करवायें। नहीं तो फिर किसलिये भू-संरक्षण कार्यालय आपने खोल रखा है ? भू-संरक्षण विभाग का मतलब यह है कि 'भू' का संरक्षण हो और भू-संरक्षण बिना एनीकट के निर्माण के हो नहीं सकता, क्योंकि नाले-परनाले और नदियां निकलती हैं, उनसे भूमि का कटाव होता है। आप यदि जगह-जगह एनीकट बांध देंगे तो भूमि का कटाव रुकेगा। आप मेरे से विचार कर रहे थे कुछ दिन पहले तो फरमा रहे थे कि गुजरात में हमारे मिलने वाले हैं वह रिटायर होकर आये हैं। उन्होंने पैसा लगाकर पानी रोक लिया उसके कारण आज हमारे यहां लोगों ने सोक पिट बनाये। आज सारे हिन्दुस्तान भर के लोग वहां पर देखने के लिये आते हैं। यदि आप एनीकट बनायेंगे तो आज जो बनास नदी पर बीसलपुर बान्ध के कारण जल का संकट खड़ा हो गया है वह संकट भी मिट जायेगा। आज 85 गांवों की रिपोर्ट है कि कुएं गहरे चले गये हैं। जलदाय विभाग ने यह रिपोर्ट भेजी गयी है कि केवल टोंक पंचायत समिति क्षेत्र के 85 गांवों में पानी पीने योग्य नहीं रहा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि हम एनीकट बनाते हैं तो कितने उनसे लाभ हैं। भूमि का कटाव रुकेगा, हमारे जो कुएं गहरे चले गये हैं, पीने योग्य पानी नहीं रहा वह उपलब्ध होगा। आज 85 गांवों की अपन जल योजना बनायें तो मैं समझता हूं कि 5 करोड़ रुपए लगेंगे और यदि एनीकट बनाते हैं तो केवल 20 लाख रुपए में सारे एनीकट्स बन जायेंगे और 5 करोड़ रुपए आप दूसरी योजनाओं पर खर्च करेंगे, वह बच जायेंगे। इससे पर्यावरण की समस्या उत्पन्न हो गयी है वह वृक्षारोपण से पानी रुकेगा तो वृक्षारोपण भी होगा, कृषि का उत्पादन भी होगा, लिफ्ट सिंचाई भी होगी। इस दृष्टि से आप एक तो विभाग को खींचें जो गलत सूचनाएं देते हैं। इसके बारे में

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह गलत परम्परा है कि विधान सभा को गलत सूचना दी जाय, किन्हीं तथ्यों को उससे छिपाया जाय, सही सही बात नहीं की जाय।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि आप क्या यह घोषणा करेंगे कि इन सारी साइटों पर तुरन्त सर्वे करवाएं ? तुरन्त सर्वे की जरूरत नहीं है, आपकी जी टी साइट पर सारे के सारे बने हुये हैं। 10–20 लाख रुपए की राशि स्वीकृत करके चाहे वह डी आर डी ए में दें या जे. आर. वाई. के तहत दें और चाहे किसी भी योजना के तहत दें। परन्तु यह महत्वपूर्ण योजना है। मैं यह समझता हूं कि सारे बजट में, सारी चर्चा में यह कहते हैं कि राजस्थान में पानी की कमी है, एक-एक बूंद पानी का हम उपयोग करेंगे और पानी बेकार नहीं जाने देंगे। मैं उसी भावना के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि आपने बड़ी कृपा की है कि हमारे जीवन के लिये पानी का सवाल है, किसानों और मजदूरों का, उन सबका ध्यान आकर्षित करने के लिये आपने चर्चा की अनुमति दी। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री सम्पत सिंह (कृषि मंत्री) : माननीय सदस्य ने सबसे पहले जो आपत्ति व्यक्त की है कि अधिकारियों ने उन्हें गलत सूचना दी है, मैं बहुत विनम्रता से उन्हें निवेदन करना चाहता हूं, वे स्वयं जानते हैं और एकदम गलत सूचना का फतवा देना स्वयं उनके लिये शोभा नहीं देता है, मेरे लिये भी शोभा नहीं देता है और सदन के लिये भी शोभा नहीं देता है। जिस अधिकारी ने जो सूचना दी है वह अक्षरशः सही दी है। तथ्यों की आन दी स्पाट स्टडी जो हो सकती है, मैं साथ चलने के लिये तैयार हूं। मौके पर कोई ऐसी चीज अगर इस जवाब से जुदा दिखती हो तो मैं उन्हीं के लिये निवेदन करना चाहता हूं कि वे चाहे जो फैसला कर सकते हैं। हमारे बारे में, विभाग के बारे में यह कहना कि लिहाजा उन्होंने गलत सूचना दी है वह तथ्यों से परे है। मैं सिर्फ उदाहरण के तौर पर उनके प्रश्न का अंश पढ़कर और अपने जवाब में से कुछ अंश पढ़ कर के ज्यादा समय सदन का नहीं लूंगा।

उन्होंने पूछा है कि–"क्या विभाग द्वारा (भू-संरक्षण) एनीकट निर्माण हेतु सर्वे कराया गया है ? यदि हां, तो किस-किस जगह एनीकट बन सकते हैं व उनके निर्माण में कितनी-कितनी राशि लगाने का अनुमान है तथा किस-किस जगह कब-कब निर्माण कार्य किस विभाग द्वारा आरम्भ करने की योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?"

माननीय अध्यक्ष महोदय, संक्षेप में निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो जवाब दिया गया है आप स्वयं फैसला कर लें कि इसमें कहां विसंगति है–जी हां। सहायक निदेशक कृषि (भू-संरक्षण) इकाई टोंक द्वारा स्थानीय प्रशासन के निर्देशानुसार पंचायत समिति टोंक क्षेत्र में एनीकट निर्माण हेतु सर्वे कराया गया है। ग्राम सोहेला, ग्राम पंचायत सोहेला, ग्राम मोटूका, ग्रा. पं. जाला, ग्राम एवं ग्राम पं. बगड़ी तथा ग्राम व ग्राम पंचायत भरने के नाले पर एनीकट बन सकते हैं।

सहला एनीकट पर दो लाख रुपए,

(श्री सम्पत सिंह)

मोटूका एनीकट पर 2.50 लाख रुपए, बगड़ी एनीकट पर 3.60 लाख रुपए, जवाहर रोजगार योजना की जीवन धारा योजना में तथा भरनी एनीकट पर चार लाख रुपए, मांडा योजना में लगाने का अनुमान है। चालू वित्तीय वर्ष में सहायक निदेशक कृषि, (भू-संरक्षण) कार्यालय टौंक द्वारा उक्त चारों एनीकट साइट्स पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करवाने की योजना है। सिंचाई विभाग टौंक ग्राम पुरेडा में एनीकट का कार्य आरम्भ कर रखा है। अनुमानित लागत 4.10 लाख रुपए है। यह कार्य जवाहर रोजगार योजना के तहत स्वीकृत है।

अध्यक्ष महोदय, इस सारी सूचना के अलावा माननीय सदस्य ने आज जो बातें सदन में कही हैं उनको संक्षेप में मैं निवेदन करूं कि आज कुल 17 एनीकट इनके यहां पंचायत समिति उनियारा, टोडारायसिंह और देवली में डी.पी.ए.पी. योजना के तहत चयनित हैं और दूसरी एस. आर. ए. सी. योजना के तहत, मैं जो इनके यहां की टोपोग्राफी है उसके हिसाब से स्वीकृत हैं। अगर मैं ब्योरेवार बताऊंगा तो सदन का महत्वपूर्ण समय बर्बाद होगा। कुल 17 इनके यहां योजनाएं चालू हैं और इसमें जो सबसे अन्तिम तौर पर बहुत ही नजदीकी समय में जो ली गई है अभी बगड़ी एनीकट शामिल किया गया है, नवरंग एनीकट 53 हजार रुपए का स्वीकृत किया गया है। बगड़ी एनीकट के 1.50 लाख स्वीकृत हैं जो 15 मार्च से शुरू हुआ है। सहला एनीकट 2.25 लाख, 15 तारीख पिछली से ही शुरू हुआ है, मोटूका दो लाख 19 तारीख से ही शुरू हुआ है और श्योपुरी यह कार्य पूरा हो चुका है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह भी गलत सूचना है। इसमें है कि घास में काम पूरा हो गया है, एक लबादर में हो गया है तो इस साल न तो कोई काम शुरू हुए न पूरा होने का सवाल है।

श्री सम्पत सिंह : मैं बता रहा हूं आप धैर्य रखिए। ट्रेजरी बेन्चेज के आप माननीय सदस्य हैं आपको मुझसे बेहतर जानकारी होनी चाहिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप मेरे साथ चलें।

श्री सम्पत सिंह : मैं तो आपके साथ क्या जाऊंगा, कोई भी नहीं जाएगा आपके साथ। आपको अकेले ही जाना होगा। (व्यवधान)

मुझे आपसे पहले जाने में कोई डर नहीं है फख्र ही महसूस होगा।

अध्यक्ष महोदय, 1990-91 में पचास लाख रुपए उपलब्ध थे हमारे यहां और उसमें से 35 लाख रुपए का काम हो चुका बाकी अभी चालू वर्ष में काम निश्चित रूप से और पूरे होंगे। एक नया सब-डिवीजन भी टौंक में भू-संरक्षण का खोलने के लिए जा रहे हैं। वर्तमान में, मैंने पहले निवेदन किया कि कितने ताजा-ताजा काम इनके यहां शुरू हो रहे हैं। मैं पहले जब विलम्ब से हाजिर हुआ उस वक्त भी यही संकोच रहा होगा कि अगर यह सारी चीजें मैं सदन में माननीय सदस्य के क्षेत्र के लिए बताऊंगा तो दूसरे माननीय सदस्य उतना ही दबाव फिर डालेंगे। सबसे ज्यादा काम आपके क्षेत्र में

(श्री सम्पत सिंह)

हो रहे हैं। जब नया सब डिवीजन खुलेगा निश्चित रूप से नए आयाम बनेंगे। जहां-जहां एनीकेट्स के बारे में सर्वे रिपोर्ट आएगी जिसको दूसरी एजेन्सियां भी अपना सर्वे करती हैं उसमें निश्चित रूप से भू-संरक्षण विभाग की तरफ से सहयोग होगा और हम अपने लक्ष्यों को पूरा करेंगे।

जहां तक माननीय सदस्य ने एनीकट्स के महत्व पर प्रकाश डाला, निश्चित रूप से उसका बड़ा महत्व है। एनीकट के अलावा चाहे खड़ीन हो चाहे नाड़बन्दी हो और जो गुजरात का उन्होंने उदाहरण दिया, निश्चित रूप से वह हमारे लिए एक प्रेरणा दायक चीज है। एक कोई मिस्टर शिंदे हैं जिनको पद्मश्री मिला है। उन्होंने अपनी तनख्वाह में से, अपनी फौज की पेन्शन में से एनीकट बनाकर, गांव में एनीकट से, विकास के काम शुरू किए। सरकार के विभागों के अलावा अगर हम सभी नागरिक इसी तरह से काम करें तो निश्चित रूप से हमारे गांवों का, हमारे देहात का चाहे वह पर्यावरण की व्यवस्था हो, चाहे वह खेती की व्यवस्था हो, उसमें दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी। माननीय सदस्य ने सरकार का, सदन का यह जो ध्यान आकर्षित किया आधा घण्टे की चर्चा की मार्फत, मैं निश्चित रूप से उनका आभारी हूं और जब भी वे स्वयं या दूसरे माननीय सदस्य जो भी आदेश देंगे, सरकार उसके लिए तत्पर है।

मांग संख्या 24 पर विचार

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी।

श्री हरिकुमार औदिच्य (शिक्षा मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज शिक्षा की मांग पर कई माननीय सदस्यों के विचार जानने को मिले हैं। शिक्षा के क्षेत्र में विकास और शिक्षा प्रणाली में सुधार और शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने के लिए सभी प्रकार के जो सुझाव आए हैं, उन सुझावों के लिए मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं। शिक्षा की दृष्टि से मेरे पास कटौती प्रस्ताव आए हैं करीब 258 जो 28 माननीय सदस्यों ने दिए हैं और आज करीब 20 सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया है। और भी कई माननीय सदस्यों ने समय-समय पर इस दृष्टि से महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। मैं उन सारे सुझावों का हृदय से स्वागत करता हूं और सभी माननीय सदस्यों को अपने तौर से यह आश्वासन देना चाहता हूं कि जो भी इन्होंने उपयोगी सुझाव दिए हैं उन सुझावों का हम यथा सम्भव अक्षरशः पालन करने का प्रयास करेंगे।

यह बात सही है, जैसा कई माननीय सदस्यों ने कहा, कि शिक्षा हमारे देश के समाज के विकास की मेरुदण्ड है। जो देश जितना पढ़ा लिखा है, जितना वहां शिक्षा का प्रसार है उतना ही वहां पर उस देश ने विकास किया है। किन्तु दुर्भाग्य से पिछले चालीस वर्षों में हमारी शिक्षा का स्तर काफी नीचे रहा। मैं कोई आलोचना की दृष्टि से बात नहीं कर रहा, सिर्फ 1981 की अगर आप मतगणना के हिसाब से देखें तो हमारे यहां 24.38 प्रतिशत साक्षरता थी। इसीलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन को यह निवेदन करना चाहूंगा कि गत वर्ष जब हमने इस सदन में यह बात कही थी कि अधिक नए स्कूल नहीं खोलकर के शिक्षा का स्तर किस

(श्री हरिकुमार औदिच्य)

प्रकार से ऊंचा हो. किस प्रकार से विद्यार्थियों के अन्दर शिक्षा का विकास हो, इस प्रकार की योजनाएं हमने प्रस्तुत की थीं। आज की चर्चा में जो भिन्न-भिन्न रूप से हमारे सामने प्रश्न आए हैं उसमें मुख्य रूप से तीन आए हैं। एक तो रिक्त पदों की भर्ती, दूसरा नए स्कूल और तीसरा हमारे महापुरुष वेद व्यास जिनके बारे में बड़े संभ्रान्त लोगों ने बातें कही हैं। मैं खास तौर से यह जो तीन मुद्दे आए हैं इसके बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : वेद व्यास कौनसे ? महर्षि क्या ?

श्री हरिकुमार औदिच्य : कलियुगी वेद व्यास।

श्री अध्यक्ष : वेद व्यास का मामला तो आप रखिए, वह फिर कभी हो जाएगा, शिक्षा की बात बताइए, क्या कर रहे हैं आप।

श्री हरिकुमार औदिच्य : मैं सबसे पहले, सदन का अधिक समय नहीं लेता हुआ, यह निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने गत वर्ष बजट के समय में पांच-सात इस प्रकार के मुद्दे रखे थे जो शिक्षा के क्षेत्र में एक बिल्कुल नया प्रयोग था। उस समय सदन ने भी उस बात को काफी सराहा था। उसकी प्रगति के बारे में और दो-चार मिनट में जो नई हमारी योजना है उसके बारे में विचार करके माननीय सदस्यों के जो कटौती प्रस्ताव आए हैं उसके बारे में मोटे मोटे रूप से जवाब देना चाहूंगा।

पहला, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि शैक्षणिक नवाचारों की उपलब्धियों के बारे में ट्यूटोरियल कक्षाएं प्रारम्भ करने की मैंने बात कही कि जो हमारे 27 जिले हैं प्रत्येक जिले में पांच-पांच हम इस प्रकार के स्कूल छांटेंगे जहां पर तीस-तीस विद्यार्थियों के ग्रुप बना कर के ट्यूटोरियल क्लासेज लागू की जाएं। इस दृष्टि से मैं सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि हमने 107 स्कूलों के अन्दर यह योजना लागू की और 39,622 छात्रों ने इस योजना से लाभ उठाया। 1521 अध्यापकों ने इसके अन्दर विशेष रूचि ली। हमारी यह योजना काफी सफल रही है। बच्चों के अभिभावकों ने और, और लोगों ने इस चीज को सराहा है। यहां पर सदन में काफी चर्चा हुई ट्यूशन के बारे में मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि जो ट्यूशन की पुराने समय से काफी पुरानी पद्धति चली आ रही है, यह एक इस तरह का मर्ज है जिसको आप एकाएक समाप्त नहीं कर सकते। जब मैं बजट भाषण पर बोल रहा था तो मैंने ट्यूशन को समाप्त करने की बात कही थी। यह बात सही है कि हम ट्यूशन को समाप्त, जिस माध्यम में चाहते थे और सदन की इच्छा थी, नहीं कर पाए। लेकिन ट्यूशन के जो पुराने नियम पड़े हुए थे उनको हमने इस बार लागू किया है और विभागीय नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ हमने कार्यवाही भी की है। वे अध्यापक जिन्होंने डिक्लेरेशन का लिखकर के भी दिया था चार ट्यूशन करते थे, पांच ट्यूशन करते थे, उनके खिलाफ हमने कार्यवाही की है। मुझे उम्मीद है कि हम आने वाले समय में इस पर और अंकुश लगाएंगे और यह जो शिकायत आम चल रही है इस शिकायत को समाप्त करने की कोशिश करेंगे।

(श्री हरिकुमार औदिच्य)

दूसरा, मैंने एक बात और कही थी; माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी प्रोफेसर साहब बता रहे थे कि पहले शैक्षणिक भ्रमण के लिए लोगों को ले जाया करते थे और यह परम्परा कई वर्षों से समाप्त हो गयी। हमने गत वर्ष जो अच्छे विद्यालय के लड़के थे उनको, कई इस प्रकार के गांव में लोग हैं जो अपने नजदीक के बड़े शहरों को भी नहीं जानते, उस प्रकार के जो अच्छे लड़के हैं उनको हमने दूसरी जगह शैक्षणिक भ्रमण करवाया और पांच लाख रुपये इसके लिए विद्यार्थियों पर खर्च किये।

दूसरी एक बात और कि पर्यावरण की दृष्टि से और बच्चों के द्वारा स्कूलों के माध्यम से नये पौधे नये पेड़ लगाने की योजना स्कूलों के अन्दर हमने प्रारम्भ की थी। उस योजना के अन्दर गत बजट में हमारा 27 हजार का लक्ष्य था। जैसा मैंने उस समय बजट में निवेदन किया था और वह भी इसी प्रकार की योजना थी कि 27 जिलों में हम 10 स्कूल लेंगे और 100-100 पेड़ लगायेंगे। उस हिसाब से हमारा लक्ष्य 27 हजार था लेकिन मैं माननीय सदस्यों को जानकारी देना चाहूंगा कि इस लक्ष्य के अगेंस्ट में हमने दो लाख अड़तीस हजार पांच सौ तीस पौधे लगाये और जब इसका आखिरी सर्वे किया तो उसमें से 1 लाख 72 हजार 445 पौधे अभी ठीक ठाक चल रहे हैं।

दूसरी एक विशेष चर्चा का विषय रहता था स्थानान्तरण का। मैं यह तो नहीं कहना चाहता कि जिस प्रकार चाहते थे उस प्रकार की क्रान्ति की है जो स्थानान्तरण की नीति लागू की सरकार ने लागू की तो एक वर्ष पहले इस तरह की बात चल गयी थी कि शिक्षा विभाग को लोग एक ट्रान्सफर का डिपार्टमेंट कहते थे। हमने उसके ऊपर अंकुश लगाया और आज मैं यह बात गर्व के साथ कह सकता हूं कि....(व्यवधान) तो, ट्रान्सफर तो होंगे लेकिन ट्रान्सफर एक तो राजनैतिक दृष्टि से हों, मनमाने तरीके से हों, वह नहीं डिजायर का सिस्टम हमने समाप्त कर दिया है। जहां खाली पोस्ट है, किसी को लगाना है, जिसका नीति के अन्तर्गत अधिक समय हो गया, वहां तो पदस्थापन होंगे। उसको आप नहीं रोक सकते और उसके बिना काम चलेगा भी नहीं। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं कि जहां पिछले वर्षों में 25,30,35....

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : माननीय शिक्षा मंत्रीजी, डायरेक्टर ने पांच हजार ट्रान्सफर किये हैं। (व्यवधान)

श्री हरिकुमार औदिच्य : आप दीजिए, मैं जांच करवा लूंगा अगर उन्होंने अपने अधिकार से बाहर कोई काम किया है तो। जो पहले जमाने में सरकार का....

श्री रघुवीरसिंह कौशल : नीति के विरुद्ध ट्रान्सफर हुये हैं, उनके खिलाफ भी कुछ नहीं हुआ है। (व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : शिक्षा मंत्रीजी, सबसे बड़ी परेशानी यह है कि आपने जिस तरह से ट्रांसफर नीति में राजनीतिज्ञों के दबाव का मुकाबला किया है वह राजस्थान के इतिहास में हुआ नहीं आज तक। शिक्षा मंत्री जो इधर बैठते थे पहले या इधर भी कोई रहा होगा, पिछले 1977 या 1980 में एक तमाशा बनता था वह तमाशा इस बार

(श्री हेतराम बेनीवाल)

बना नहीं। नहीं तो यहां मंत्री का दफ्तर घेरे रहते थे हजारों आदमी और यही तमाशा चलता था। इसलिए अब जो बोल रहे हैं मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस नीति पर तो आप और सख्ती अपनाओ। जिस नये डायरेक्टर को आपने बदला है पता नहीं वह डगमगा जाय। के. पंवार ने तो काफी मुकाबला किया आप के साथ में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस नीति में आप और सख्ती करेंगे, और राजनैतिक हस्तक्षेप इस मामले में नहीं हो।

श्री हरिकुमार औदिच्य : माननीय सदस्य को मैं धन्यवाद देता हूं। किसी गलत बात के लिए गर्व करने का विचार नहीं रखता। इस दिशा में हमने प्रयास किया। और जिस प्रकार से 30-30 हजार, 35-35 हजार जो सचिवालय से हो गये थे उस प्रकार के....

श्री सम्पत सिंह : प्रोफेसर केदार से पकड़ छोड़ दोगे तो और तरक्की कर जाओगे।

श्री केदारनाथ शर्मा : अभी उम्र है।

श्री हरिकुमार औदिच्य : आप विश्वास रखिये, नाथूसिंह की तरह धोखा नहीं दूंगा आपको।

दूसरी बात, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो यहां पर विशेष चर्चा का विषय रहा, माननीय सदस्य के इस आरोप को या जानकारी को कोई चुनौती नहीं देता। बस इतनी चुनौती देता हूं कि जो उन्होंने अलग अलग जानकारी दी है कि हमारे यहां स्कूल नहीं है, स्कूल के अन्दर अध्यापक नहीं हैं, 10-10 पद खाली हैं उस बारे में मैं निश्चित रूप से जांच करूंगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति के बारे में मैं सदन को जानकारी....

श्री अध्यक्ष : शिकायत यह है कि आप तो नीति पर दृढ़ रहे, आपका डिपार्टमेण्ट नहीं रहा।

श्री हरिकुमार औदिच्य : मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी यही निवेदन करने जा रहा था कि इस प्रकार की शिकायतें मेरे पास हार्डली पांच या सात आई हैं। किसी ने यह नहीं कहा कि मेरा ट्रांसफर नीति के विरुद्ध हो गया है। कहा है तो मैंने उसकी जांच करवायी है। तो मैं यही निवेदन कर रहा था कि दो-चार सदस्यों ने इस बात को बताया कि ढाई-ढाई सौ, तीन-तीन सौ लड़कों के ऊपर एक-एक मास्टर है। मैं उनको चैलेन्ज नहीं करता। अगर उनको इस प्रकार की जानकारी है तो मुझको कहें मैं निश्चित रूप से जा कर इस प्रकार की स्कूलों को देखूंगा कि जहां पर तीन सौ छात्रों के स्कूल में अभी मास्टर नहीं पहुंचाया गया। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, जब गत समय भी चर्चा चल रही थी....

श्री अध्यक्ष : परेशानी यह हो रही है कि आपका डिपार्टमेण्ट पंचायत से मिल रहा है। एक मास्टर और दो सौ लड़के हैं, तीन सौ लड़के हैं। आपके डिपार्टमेण्ट में हो रहा है, यह है।

श्री हरिकुमार औदिच्य : तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि हमारे पास कुल जो पद थे, उस में से मैंने 7760 पद भरे हैं और आज की तारीख में 2329 पद खाली हैं। अब मैं

(श्री हरिकुमार औदिच्य)

यह निवेदन करना चाहूंगा कि 77800 अध्यापकों में से 2,300 पद खाली हैं। 2300 में से भी 1591 तो वे हैं जो एस. टी., एस. सी. का बैक लॉग है जिसको हम किसी प्रकार से भर नहीं सकते हैं। 463 आर.पी.एस.सी. से नाम आने को हैं उसको हम भर्ती नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से आप देखो तो तीन प्रतिशत की हमारे यहां रिक्तता रहती है। इतने बड़े विभाग में, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की रिक्तता तो कोई नई बात नहीं है।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : आर.पी. एस.सी. से नहीं हुआ है तो यह क्या विभाग के अधिकारियों की गलती नहीं है ? यदि समय पर डी.पी.सी. नहीं होती है तो क्या विभाग के अधिकारियों की गलती नहीं है? (व्यवधान)

श्री मदनलाल सैनी : एस टी., एस.सी. के लोग धक्के खा रहे हैं उनको काम नहीं मिल रहा।

श्री हरिकुमार औदिच्य : 10–20 के नाम आप बता दीजिए। लेकिन वे तो हों जो उसे क्वालिफाई करते हों। पढ़े लिखे तो आपको हजारों मिल जायेंगे। ब्राह्मण, बनिये भी मिल जायेंगे।

श्री चुन्नीलाल (खण्डार) : सवाई माधोपुर में एस.सी. और एस.टी. के 143 लड़के हैं जो दो साल पहले से इन्टरव्यू दे कर बैठे हैं और आज तक उन लोगों की पोस्टिंग नहीं की गयी है। (व्यवधान)

श्री अचलाराम : पंचायत राज से शिक्षा को वापस लेने के लिए क्या कर रहे हो ?

श्री हरिकुमार औदिच्य : अब तक रिक्त पदों के बारे में आपसे निवेदन किया। कुल 70 हजार 518 पद हैं जिसमें से 7 हजार 760 हमने इस साल भरे हैं जो मैंने बताया कि रिक्त हैं। एक बात जुबेर खां जी ने कही थी कि कई अध्यापक पोस्टिंग हो जाने के बाद में जाते नहीं हैं, इधर-उधर चक्कर काटते हैं। यह बात सही है कि कई मेडिकल ले लेते हैं, किसी नेता को तलाश करते हैं। इस चक्कर में जरूर लगे रहते हैं। इस प्रकार के अध्यापकों के खिलाफ हम कार्यवाही कर रहे हैं और इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि उनको जितना जल्दी हो सके, ड्यूटी पर भेजा जा सके।

श्री मदनलाल सैनी : जो जगह खाली हैं, कुछ समय के लिए, परीक्षा के दिन हैं एक महीने, दो महीने, तीन महीने के लिए पद भरने की इच्छा रखते हैं क्या ?

श्री हरिकुमार औदिच्य : मेरे ख्याल से आपको इस बात की तो जानकारी होगी कि अगर डेली वेजेज पर भी आप किसी को रख लेते हैं तो हाई कोर्ट से उसको परमानेन्ट रखने के लिए आ जाता है। हम भी इतने मूर्ख नहीं हैं कि किसी को डेली वेजेज पर या टैम्परेरी लगा कर पढ़ाई को चालू रखें, इतना तो ज्ञान हमको भी है। आपके न्यायालय तो तैयार बैठे रहते हैं। किसी प्रकार का कोई सुझाव हो, एकदम स्टे दे देंगे। तो मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि गई बार हमने एक और घोषणा की थी कि हम जो परित्यक्ता हैं, विधवा महिलायें हैं उनको हम सीधा डिपार्टमेण्ट के माध्यम से जॉब देंगे। उनको हमने क्वालीफिकेशन में भी रिलैक्सेशन दिया था। और मुझे सदन को यह जानकारी देते हुए प्रसन्नता है कि

(श्री हरिकुमार औदिच्य)

1990-91 में 310 परित्यक्ता व विधवा महिलाओं की उनकी योग्यता में छूट देकर डाइरेक्ट हमने नियुक्ति की है।

दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा कि सभी सदस्यों को इस बात का....

श्री अध्यक्ष : यह 310 वाली पर्सेन्टेज कितनी हुई ?

श्री हरिकुमार औदिच्य : क्या, साहब?

श्री अध्यक्ष : 77,000 में पर्सेन्टेज कितनी हुई ?

श्री हरिकुमार औदिच्य : 7000 ? नई पोस्टिंग 7700 हैं। उसका पर्सेन्टेज निकाल लीजिए। एक और जानकारी दूं कि हमारे पास आज की तारीख में इस प्रकार का एक भी प्रार्थना पत्र पेण्डिग नहीं है।

श्री मदनलाल सैनी : क्या परित्यक्ता वह है जिसे स्वयं ने पति को छोड़ दिया है या उसके पति ने छोड़ दिया हो ? क्योंकि इस प्रकार के प्रकरण आये हैं कि लोगों ने इसको एक धन्धा बनाया है।

श्री हरिकुमार औदिच्य : अब यह जानकारी मुझे नहीं है। मेरा अनुभव भी नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : नौकरी पाने के लिए वे पहले तो छोड़कर आ जाती हैं और बाद में फिर वापस आ जाती है। क्या यह भी माननीय मंत्रीजी को जानकारी है ?

श्री हरिकुमार औदिच्य : हम तो कोर्ट का सर्टिफिकेट देखते हैं, वह चाहे किसी भी रूप में आया हो। अदालत का सर्टिफिकेट देखते हैं, उनका दोनों का लिखा हुआ नहीं मानते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी के जीवन में महिला आयी ही नहीं, बार-बार आप इन्हें क्यों पूछ रहे हैं ?

श्री लालचन्द डूडी (वन मंत्री) अध्यक्ष महोदय, मैं यही पूछ रहा हूं कि जिस तरह से माननीय सदस्य ने कहा उस तरह की महिला ने माननीय मंत्री जी को अप्रोच किया क्या ?

श्री अध्यक्ष : आप मत पूछिए, आप बिराजिए। मंत्री जी, आप बोलिए।

श्री हरिकुमार औदिच्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। शिक्षा के क्षेत्र में पिछले वर्ष क्रान्तिकारी कदम उठे हैं जिनके बारे में लोगों को कोई कल्पना भी नहीं थी। मैं एक बात और कहना चाहूंगा जिसे माननीय सदस्य मानेंगे और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे करेक्ट कर दें, मुझे इसमें कोई संकोच नहीं। मैं कहना चाहूंगा कि गत वर्ष और पिछले वर्षों में जितनी राशि हमने स्कूलों के निर्माण के लिए जुटाकर दी है, मैं समझता हूं, पिछले 10 वर्षों के तो आंकड़े मैंने देखे हैं, कभी नहीं दी गई। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि 4953 स्कूलोंमें हमने राजकोष से 13,10,01,000 रुपया और जवाहर योजना से 11,79,00-000 रुपया यों करके 24,79,00,000 रु. हमने दिया है और अन्य कोष अलग हैं।

(श्री हरिकुमार औदिच्य)

यह राजस्थान के इतिहास में पहला मौका है। हम जो बात आपसे कहते हैं, सदन से मैंने कही थी तो उन्होंने इस बात का बड़ा मखौल-सा किया था कि आप क्या शिक्षा में परिवर्तन लायेंगे।

श्री प्रेमसिंह बहिया (भीनमाल) : योजना तो हमने बनाई थी।

श्री हरिकुमार औदिच्य : आपसे किसने इन्कार किया था? आप भी दे देते। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : +++ यह बता दीजिए।

श्री हेतराम बेनीवाल : अब आपकी +++ इच्छा है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह धर्म युद्ध नहीं है। एक पर इतने लोग खड़े हो जाते हो।

श्री हरिकुमार औदिच्य : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का दर्द भी सही है। अन्तर इतना-सा लाये हैं कि जहां पर इनके नेता कहते थे कि एक रुपये में 85 पैसा बेकार जाता है और 15 पैसे का सदुपयोग होता है। हमने उस परम्परा को खत्म किया है।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : बेकार जाने का मतलब है कि प्रशासन पर खर्च हो जाता है।

श्री हरिकुमार औदिच्य : और आप प्रतिशत की बात करते हैं तो प्रतिशत की बात सुन लीजिए। अध्यक्ष महोदय, 1988-89 में जो शिक्षा का बजट था उसके मुकाबले 1990-91 में 6.12 प्रतिशत की वृद्धि की और इस बजट में 33.48 प्रतिशत की वृद्धि की है उसके मुकाबले। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात की बड़ी चर्चा चली और यहां 2–4 सदस्य हैं संदेश पहुंचाने वाले, वे उनके पास पहुंचा देंगे। नये स्कूलों के बारे में कहा ऊंट के मुंह में जीरा व अन्य 25 बातें कीं कि इस प्रकार के जो स्कूल खोल रहे हैं वे कम खोल रहे हैं। मैं एक जानकारी आपको देना चाहूंगा कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में जो 1985-86 में लागू हुई थी, एक भी स्कूल नहीं खोला गया और हमने गत वर्ष 10 स्कूल 10+2 के खोले 1985-86 में एक भी स्कूल नहीं खोला है आप बजट उठाकर देख लीजिए 1986-87 में 500 प्राइमरी स्कूल खोले। हमने तो 1000 खोले हैं। उच्च प्राथमिक 200, माध्यमिक 53 तथा 1989-90 का जो साल चुनाव का आया उसमें 700 खोले। फिर भी 700 प्राथमिक स्कूल ही खोले।

श्री हेतराम बेनीवाल : मंत्री जी, यह भी चुनाव का साल है। असल में यह भी चुनाव का साल है, यह आप भूल रहे हैं। आपने 1000 खोले हैं। इन्होंने चुनाव के साल में 6 हजार खोले थे। सच्चाई है कि चुनाव का साल है। माननीय अध्यक्ष जी, आप मानेंगे?

श्री अध्यक्ष : आप हेतराम जी 2 रोड चला रहे हैं। You are blowing cold and warm.

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री हरिकुमार औदिच्य : 1989-90 का जो चुनाव का साल था उसमें इन्होंने 700 प्राइमरी, 291 उच्च प्राथमिक और 763 माध्यमिक विद्यालय खोले थे, वे भी अधूरे थे। 1990-91 में उनका 70 प्रतिशत भार हमने अपने बजट में वहन किया। 267 स्कूल तो ऐसे थे कि जिनकी बिना बजट, कोई फाइनेंशल सेंक्शन ही नहीं थी। अगर इस प्रकार के स्कूलों की ही आपकी मनोवृत्ति हो तो उसके लिए तो मैं मजबूर हूं और उस प्रणाली को....(व्यवधान) दूसरा, हमने स्कूल भवन के साथ-साथ स्कूलों में बच्चों की मौलिक सुविधाएं दरी, पट्टी, और ब्लैक बोर्ड, 2100 माध्यमिक विद्यालयों में 2 करोड़ 10 लाख रुपए का हमने इस प्रकार का सामान जो उनकी प्राथमिक आवश्यकताओं का था। वह जुटाया है। (व्यवधान)।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : पहले तो घोटाला हुआ है सीखो कमाओ योजना में।

श्री हरिकुमार औदिच्य : जांच चल रही है। आप चिन्ता मत करिए। छोड़ेंगे किसी को नहीं। ब्लैक बोर्ड की जांच चल है। हम राजनीतिक आधार पर किसी का विक्टीमाइजेशन नहीं करेंगे। न्याय के माध्यम से, कानून के माध्यम से हम किसी को बख्शेंगे नहीं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ये कह रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते।

श्री प्रेमसिंह वहिया : यह तो जांच गवर्नमेण्ट है। विकास नहीं करेगी।

श्री किशनाराम नाई (डूंगरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, जब माननीय मन्त्री जी रिप्लाई दे रहे हैं तो माननीय सदस्य बीच में डिस्टर्ब करते हैं।

श्री हरिकुमार औदिच्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था, गत वर्ष बड़ी चर्चा हुई कि पाठ्य पुस्तक मण्डल की पुस्तकें समय पर नहीं आई। गत वर्ष जब हमने कार्य संभाला तो वह उसके पहले की छाया थी जो राज हमको छोड़ गए थे। लेकिन इस वर्ष मैं आपको इस बात का विश्वास दिला देना चाहूंगा कि मई के अंत तक पाठ्यपुस्तक मण्डल की सभी पुस्तकें बाजार में उपलब्ध करा दी जायेंगी। हालांकि गत वर्षों में केन्द्र सरकार द्वारा जो कागज का कोटा मिलता था वह रियायती दरों पर मिलता था। अबकी बार तो हमने बाजार भाव से खरीदा है। फिर भी हमारी यह योजना है कि लेटेस्ट 30 मई तक सारी किताबें उपलब्ध करा देंगे।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें भी समय पर उपलब्ध हो जायेंगी ?

श्री हरिकुमार औदिच्य : बिल्कुल हो जायेंगी।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : वे किताबें अभी बदली गयी हैं, जो बदल रहे हैं अगर उस प्रक्रिया को नहीं रोका गया, उसमें बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है मैं आपकी जानकारी के लिए कह रहा हूं।

श्री हरिकुमार औदिच्य : उसकी मुझे जानकारी है और उस प्रक्रिया में हम विचार कर रहे हैं।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : वो किताबें तो उपलब्ध नहीं होंगी बच्चों को।

श्री हरिकुमार औदिच्य : जो उससे पीड़ित हैं वे आपके पास आयेंगे तो मेरे पास भी आयेंगे।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मेरे पास तो आये थे। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : तो क्या उनके बारे में भी आपका कोई ध्यान है ? और उनको राहत पहुंचाने का क्या विचार है ?

श्री अध्यक्ष : महावीर जी, यह प्रक्रिया आप बन्द कीजिए। अब आप बन्द करिए। इनको बोलने दीजिए। आपने तो डिबेट पर डिबेट शुरू कर दी। आप शुरू करिए, माननीय मन्त्री जी। कोई खास बात हो तो समझ में आती है।

श्री हरिकुमार औदिच्य : मैं एक बात गत वर्ष की उपलब्धि के बारे में निवेदन करना चाहूंगा और वह है हमारी संस्कृत शिक्षा। इस बार भी संस्कृत शिक्षा के बारे में माननीय मुख्य मन्त्री जी ने बजट में कहा है, लेकिन गत वर्ष राज्य में संस्कृत के विकास की दृष्टि से जो हमने कार्य किए हैं वे मैं सदन को बताना चाहूंगा। जोधपुर, उदयपुर और कोटा संभाग में क्रमशः आचार्य, शास्त्री एवं वरिष्ठ उपाध्याय स्तर की 4 संस्थाएं क्रमोन्नत की गई हैं। वहीं वेद एवं ज्योतिष विषयों में शोध प्रभागों की स्थापना जयपुर के महाराजा संस्कृत कालेज में कर दी गई है। संस्कृत महाविद्यालयों में वेद, न्यायशास्त्र, ज्योतिष एवं धर्मशास्त्र नये विषय प्रारम्भ किए गए हैं। साथ ही प्रथम बार संस्कृत विषयाध्यक्षों के लिए सेवारत अभिनव प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

संस्कृत महाविद्यालयों एवं विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों की संख्या गत वर्ष जहां 94 हजार थी इस वर्ष बढ़ कर 1.15 लाख हो गई है। 1991–92 के कार्यक्रमों में नीमकाथाना (सीकर), सरमथुरा को शास्त्री स्तर पर तथा तीन प्रवेशिका विद्यालयों, चेचट, बौंली और सागवाड़ा को वरिष्ठ उपाध्याय स्तर पर क्रमोन्नत करने का प्रस्ताव है। दर्शन शास्त्र में शोध प्रभाग की स्थापना एवं ज्योतिष कर्मकाण्ड आदि विषयों के सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाना भी प्रस्तावित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, गत वर्ष की जो हमारे विभाग की उपलब्धि थी उसके बारे में मैंने सदन को जानकारी दी। मैं एक बात और कहूंगा....

श्री अध्यक्ष : यह भी बता दीजिए, शिक्षा के क्रम में बार-बार यह आलोचना होती है कि जो पद्धति शिक्षा की है उसको बदलना चाहिए।

श्री हरिकुमार औदिच्य : मैं अभी कहता हूं।

श्री अध्यक्ष : अब उसमें आपने एक नैतिक शिक्षा भी जोड़ी है, उस पर क्या विचार चल रहा है, जरा बता दीजिए।

श्री हरिकुमार औदिच्य : मैं उसी पर आ रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी अपने बजट भाषण में नैतिक शिक्षा की बात कही थी। उस समय विरोध में बैठने वाले सदस्यों ने उस बात

(श्री हरिकुमार औदिच्य)

का, मुझे कुछ-कुछ ध्यान है, उपहास-सा किया था। क्योंकि नैतिकता जब समाज में से समाप्त होती जा रही है तो नैतिकता की बात तो उपहास लगेगी ही सही। लेकिन मैं यह चाहूंगा कि जो इस प्रकार की नैतिक शिक्षा की बात को उपहास का मुद्दा बनाते हैं तो पिछले चालीस वर्षों में जो बच्चों में संस्कार पड़े हैं नैतिकता के, चरित्र के, उन संस्कारों से अगर वे सन्तुष्ट हैं तब तो मैं कुछ नहीं कहता। अगर मान लीजिए, वे चाहते हैं कि बच्चों के अन्दर, हमारी नयी पीढ़ी के अन्दर कोई परिवर्तन आये तो नैतिक शिक्षा आपको जोड़नी पड़ेगी। नैतिक शिक्षा के बारे में किसी प्रकार का कोई मतभेद हो, मैं समझता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है। केवल मात्र विद्यार्थी को कोई जानकारी देना, सूचना देना मात्र नैतिक शिक्षा नहीं है। नैतिक शिक्षा वह है जिसका विद्यार्थी के चरित्र में रूपान्तरण हो, वह उसको प्रेक्टिकल रूप से बताया जाय। इस उद्देश्य से हमने एक समिति का गठन किया है। वह समिति अपनी सिफारिशें देगी और तीस अप्रेल तक उस समिति के सिफारिशें देने के बाद में नैतिक शिक्षा का क्या स्वरूप होगा, उस पर राज्य सरकार विचार कर पायेगी।

श्री हेतराम बेनीवाल : कमेटी में कौन-कौन हैं? उससे ही पता लगेगा?

श्री हरिकुमार औदिच्य : कमेटी के नाम बताऊं मैं? वह बताता हूं।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : आपको तो वैसे ही याद होगा।

श्री हरिकुमार औदिच्य : एक तो हमारे यहां की संस्कृत एकेडेमी के अध्यक्ष हैं राधाकिशन दीक्षित, एक श्री प्रेमनारायण माथुर, आर. सी. मल्होत्रा जो वी. सी. थे पुराने और एक अन्य, ऐसे चार हैं। चार लोग उसके अन्दर हैं, उनकी हमने एक कमेटी....

श्री रघुवीर सिंह कौशल : चलो ठीक है, तीन तो हो गये।

श्री हीरासिंह चौहान : हेतराम जी, आप सोच रहे थे कि एम. एल. ए. वगैरह को रख दिया होगा हमने। शिक्षा शास्त्रियों को ही शामिल किया है इसमें तो।

श्री जुबेर खां : क्या आप लोग हर समुदाय से एक-एक आदमी लेंगे, जहां नैतिकता की बात आती है?

श्री हरिकुमार औदिच्य : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा का क्षेत्र ऐसा है जिसमें न व्यक्ति देखा जाता है, न समाज देखा जाता है, न वर्ग देखा जाता है। योग्यता देख कर हम उस आदमी को लेते हैं। अब आपके इस प्रेमनारायण जी माथुर से तो मेरा कोई वो नहीं है, आर. सी. मल्होत्रा से तो मेरा कोई वो नहीं है....

श्री हेतराम बेनीवाल : नहीं, नाम पूछने का कारण यही था। कोई बात नहीं।

श्री अध्यक्ष : हो गया आपका समाप्त?

श्री हरिकुमार औदिच्य : अब एक बात मैं निवेदन करना चाहूंगा। मुझे बड़ा

(श्री हरिकुमार औदिच्य)

आश्चर्य इस बात का है, इस सदन के बड़े सम्भ्रान्त और पुराने जो सदस्य हैं, उन लोगों ने एक इश्यू यहां पर खड़ा किया। वह 131 के माध्यम से मेरे पास आया, आपके पास आया, 295 के माध्यम से भी आया और जितने भी माध्यम हो सकते हैं सब माध्यमों से आया और आज कट-मोशन्स में भी नये स्कूलों पर इतना जोर नहीं दिया। मुझे प्रोफेसर केदार साहब माफ करेंगे कि इन्होंने भी उस बात पर ज्यादा जोर दिया, मैं उसी पर निवेदन करना चाहूंगा....

श्री केदारनाथ शर्मा : एजूकेशन बिल पर भी दिया था।

श्री हरिकुमार औदिच्य : हां, दिया था। उस पर भी बोलूंगा मैं। मैं इसमें निवेदन करना चाहूंगा कि बड़ी चर्चा का विषय रहा कि वेद व्यास राजस्थानी भाषा एकेडेमी के अध्यक्ष हैं। अब मेरे ऊपर आरोप यह लगा कि ये राजनीतिक दृष्टि से काम करते हैं। यह आरोप लगा कि भैरोंसिंह मुख्य मन्त्री के अन्दर कोई भाई-भतीजावाद है। अब वाद किसमें है, यह तो मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूं। मैंने जैसे निवेदन किया, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां देहात में सीधे आदमी के लिये कहा जाता है कि यह तो सूतली को भी सांप समझता है, रस्सी को भी सांप समझता है लेकिन पढ़े-लिखे लोग सांप को सूतली समझ रहे हैं, यह अन्तर है।

श्री हेतराम बेनीवाल : अच्छा। इतना खतरनाक।

श्री हरिकुमार औदिच्य : और उसको वह माननीय सदस्य जो हैं, जो माननीय अध्यक्ष हैं उन्होंने अखबारों में दिया। तो, अखबार तो उनके काम करते हैं। अखबार में लिखते हैं मेरे लिए, सरकार के लिए, मुख्य मंत्री के लिए। जो चाहें, लिखें, उनको सुविधा है इस बात की। लेकिन मुख्य मंत्री भैरोंसिंह शेखावत और हरिकुमार इसमें कहां तक लिप्त हैं, यह मैं जानकारी देना चाहूंगा। इन महाशय की नियुक्ति शिवचरणजी माथुर के समय हुई थी, डेट तो इसमें है नहीं, शिवचरणजी माथुर जब मुख्य मंत्री थे तब इनकी नियुक्ति हुई थी। ये आकाशवाणी में काम करते हैं। आकाशवाणी के डायरेक्टर ने लिखा कि हमारे कर्मचारी को आपने बिना हमारी सहमति के कैसे नियुक्ति दे दी, इसको आप हटाइये। उन्होंने लिखा इस बात को। उसके बाद में यहां से लिखा गया, गोपनीय पत्र लिखा चीफ सेक्रेटरी ने, कि उनको एक टर्म तो रखने के लिए जब हमने नोमिनेट कर ही दिया है तो एक टर्म का तो आप इनको मौका दे दो। उसके बाद में डायरेक्टर जनरल, आकाशवाणी, दिल्ली का पत्र आया जिसका आपरेटिव पोर्शन मैं पढ़ कर सुनाता हूं, 20.10.89 को, :

I shall be grateful if you will issue the direction to cancel the offer given to Shri Vedvyas :Letter to the Chief Secretary written by Director General, A. I. R., New Delhi. dated 20.10.1989."

और इसके बाद में यह फाइल तत्कालीन मुख्य मंत्री हरिदेव जोशी के पास गई। चीफ सैक्रेटरी ने इसके ऊपर लिखा 19.2.90 को, कि इसको इस टर्म तक चलने दिया

(श्री हरिकुमार औदिच्य)

जाय। मुख्य मन्त्री लिखते हैं कि इस सुझाव को मैं नहीं मानता, वेद व्यास को जारी रखना सम्भव नहीं है। अब लड़ाई तो माथुर साहब और जोशीजी की, अब हरिकुमार और भैरोंसिंहजी कहां बीच में आ गये? उनको नियुक्ति दी माथुर साहब ने और कैंसिल किया हरिदेव जोशी ने, अब हम तो उनके पोये को सेंक रहे हैं, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : आप बाकी काम उन जैसे नहीं करना, उन्होंने जो बुरे काम किये हैं।

श्री हरिकुमार औदिच्य : अगर आप राजनीति की बात करें, तो, अध्यक्ष महोदय, मेरी माननीय सदस्यों को चुनौती तो नहीं है लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि एक केस ऐसा बता दें जो मैंने राजनैतिक आधार पर किया हो। ये जितनी भी नियुक्तियां की हैं, जो पद रिक्त हो गये थे, उसकी हैं।

श्री अध्यक्ष : हेतरामजी तो बोल नहीं सकते अब। अब और कोई बोलेगा नहीं।

श्री हेतराम बेनीवाल : नहीं, नहीं, इसके बारे में मुझे कहना है कि कांग्रेस वालों ने गलत काम किया, यह उसको दुरूस्त कर दें।

श्री हरिकुमार औदिच्य : तो मैं निवेदन कर रहा था, अध्यक्ष महोदय, मैंने उन्हीं एकेडेमी के अध्यक्षों को नियुक्त किया है जो पद खाली थे। अगर मान लीजिए मैं हटाता, तो आपके सैकण्डरी बोर्ड के चेयरमेन कौन हैं? याद है आपको, कौन हैं चेयरमेन? आपके उद्योग एकेडेमी के चेयरमेन कौन हैं? आपकी ब्रजभाषा एकेडेमी के चेयरमेन कौन हैं? अगर राजनीति होती तो हम उनको साल भर निकालने देते, क्या? लेकिन बिना किसी कारण के हम किसी को परेशान नहीं करते। राजनीतिक दृष्टिकोण आपका रहा होगा, वह आपको मुबारक हो लेकिन हम अपनी तरफ से कोई राजनैतिक दुर्भावना नहीं रखना चाहते। दूसरी बात, यह चार्ज लगाया गया अखबारों में भी आया कि इनकी एड रोक दी है, सहायता इनको नहीं दे रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, उनको तीन क्वार्टर की सहायता मिली है, चौथे क्वार्टर में ऑडिट ऑब्जेक्शन आया कि यह महानुभाव जब से अध्यक्ष बने है, एक भी जनरल बॉडी की मीटिंग नहीं बुलाई और सारे अधिकार स्वयं ने अपने हाथ में ले लिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : जो राजनीतिक दृष्टि से लगाये हैं उनको आप राजनीतिक दृष्टि से हटाओ तो सही। लगाओ तो सही किसी शिक्षा शास्त्री को, पर जो कांग्रेस के हिसाब से कांग्रेसी बैठे हैं उनको तो हटाना बहुत जरूरी है राजनीतिक दृष्टि से।

श्री प्रेमसिंह दहिया : राजनीतिक दृष्टि से लगाये होंगे, राजनैतिक दुर्भावना से नहीं लगाये। दोनों में फर्क है।

श्री कुन्दनलाल मिगलानी (समाज कल्याण राज्य मंत्री) : दुर्भावना से तो जब लगाया जायेगा, लगने वाला तो राजनीतिक दृष्टि से लगेगा न। वह लगेगा तो राजनीतिक दृष्टि से, जैसे आपने लगाया।

श्री हरिकुमार औदिच्य : अब, दहियाजी, इस बात का फैसला तो आप जोशीजी और माथुर साहब से ही करा लेना, हमको क्यों बीच में डालते हो ?

श्री जुबेर खां : जैसी जानकारी आपने दी सदस्यों को, अखबार में भी पढ़ते थे, लेकिन सचिव का पद कैसे नहीं भरा जा रहा छह महीने से ?

श्री हरिकुमार औदिच्य : सचिव का पद भर दिया गया है।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : आपके पास कोई प्रश्न नहीं बचेगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि...हो गया न जल्दी करिये।

श्री हरिकुमार औदिच्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माननीय सदस्यों से पुनः जो उन्होंने इस काम में....

श्री हेतराम बेनीवाल : एजूकेशन बिल के बारे में...

श्री हरिकुमार औदिच्य : एजूकेशन बिल के बारे में दो बातों पर माननीय सदस्यों ने ज्यादा जोर दिया था।

एक तो एजूकेशन बिल और दूसरे ग्राम पंचायतों से मिडल स्कूलों को लेने के बारे में एजूकेशन बिल के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि जो इस हाउस ने बिल पास किया था और माननीय राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति के लिए गया था, वहां से उसमें 4-5 आब्जर्वेशन्स आये है। आब्जर्वेशन्स आप चाहें तो मैं आपको सुना दूं। उसमें सुझाव यह आये थे कि,

1. मान्यता प्राप्त संस्थाओं में न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करना।

2. निर्धारित तिथि को वेतन सुनिश्चित करना।

3. मान्यता की स्वीकृति, प्रोवीडेण्ट फण्ड के सम्बन्ध में कतिपय सुझाव, राज्य सरकार द्वारा इन सुझावों पर विचार करने पर अपनी सिफारिश कराने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है जो कि शिक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में होगी। उसमें दो विधायक भी हैं और उन विधायकों का आया है आपके पास चली जायेगी और कमेटी विचार करके सरकार को अपनी रिपोर्ट दे देगी।

श्री केदारनाथ शर्मा : यह कब मिला आपको ?

श्री हरिकुमार औदिच्य : यह महीने भर से ऊपर हो गया।

श्री केदारनाथ शर्मा : यह इन्नोसेन्ट बिल है आप मूव कर दो।

श्री हरिकुमार औदिच्य : आपके लिए इन्नोसेन्ट है हमें तो सब पक्ष सोचना पड़ेगा। हम सब पक्ष सोच विचार करेंगे, जल्दी में कोई कदम नहीं उठायेंगे। क्योंकि एक ही बात के दो पहलू होते हैं, प्रोफेसर साहब। एक ही पहलू नहीं है। दोनों पर विचार करना पड़ेगा। इसीलिए वह कमेटी बनाई है।

श्री केदारनाथ शर्मा : इसमें कोई जांच की जरूरत नहीं है, कोई स्टडी टीम की जरूरत नहीं है। इसको मूव कर दो।

श्री हरिकुमार औदिच्य : ....दूसरा, आया था पंचायती राज से मिडल स्कूलों को इधर लेने के बारे में। पहले भी कई बार इस प्रकार के प्रश्न उठे हैं और जब मंत्री मण्डल में यह मसला गया तो बीच में पंचायती राज सम्मेलन दिल्ली में हुआ। उसके अन्दर इस प्रकार का रहा कि पंचायतों को जितना ज्यादा से ज्यादा सुदृढ़ किया जाये, उतना करना चाहिए। तो मंत्री मण्डल ने भी इस पर विचार किया और एक समिति का गठन कर दिया गया है कि कौन से काम और कौनसे विभाग पंचायतों में रहें और कौन से नहीं रहें।

श्री अध्यक्ष : औदिच्य जी एक क्वेरी है मेरी इस बारे में। सवाल यह है कि पंचायतों को सुदृढ़ होना चाहिए मगर क्या पंचायतों को सुदृढ़ करने में जो उनके रेवेन्यु कलेक्ट करने के अधिकार हैं, डवलपमेंट के अधिकार हैं, जुडीशियरी के अधिकार हैं, शिक्षा के अधिकार हैं और....

श्री हरिकुमार औदिच्य : वह सब विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष : शिक्षा के अधिकार नहीं हैं। शिक्षा को राजनीति से अलग रखने की बात है।

श्री हरिकुमार औदिच्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो व्यक्तिगत विचार कह सकता हूं। इसके दोनों पहलू हैं। आज स्थिति यह है कि यह दिक्कत हम मानते हैं कि अध्यापकों की तनख्वाह समय पर नहीं मिलती, उनके मेडीकल नहीं बनते हैं....

श्री अध्यक्ष : वह दिक्कत तो छोड़िये। मैं शिक्षा की बात कर रहा हूं।

श्री हरिकुमार औदिच्य : हां, शिक्षा की बात है। अध्यापकों की बात कर रहा हूं मैं। उनका शोषण नहीं होता है। तो उसकी रिपोर्ट आ जायेगी। उसके बाद में केबिनेट में विचार होने के बाद ही मैं कह सकूंगा।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक सवाल है इस शिक्षा को शिक्षा विभाग से दूर करके सरकार ने अनाथ बना दिया है। न तो उनको सेलेरी देते हैं न मेडिकल बिल पास होते हैं और उनका बजट इतना थोड़ा है। राज्य में छठी क्लास से आठवीं कक्षा चलती हैं आपने जिनको जिला परिषदों को दिया है। बिलकुल अनाथ बना दिया है। हमारी लम्बे समय से मांग रही है कि या तो अलग डायरेक्टोरेट बना दीजिए। पंचायतों में 1 से 5 तक शिक्षा चल रही है। उसके लिए हम सब सहमत हैं, चलती रहे। हमारा कहना यह है कि जो मिडल स्कूलें हम जिला परिषदों को देते हैं तत्काल इनको वापिस लेने की घोषणा की जाये। यह हमारे सब की मांग है। यह शिक्षा नहीं चल सकती। लम्बे समय तक कोई विचार नहीं कर रहे हैं, निर्णय नहीं ले रहे हैं। There must be same immediate step.

श्री रघुवीरसिंह कौशल : यह पूरे हाउस की मंशा है। अभी टीचर्स को बारह बारह महीने तनख्वाह नहीं मिलती। यह हाउस की मंशा है।

श्री हेतराम बेनीवाल : हम इस मसले पर हाउस यूनेनीमस हैं।

श्री चम्पालाल बांठिया : इस मामले में

(श्री चम्पा लाल बांठिया)

सभी सर्व सम्मत हैं। पूरा सदन एकमत है फिर क्या बात है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपने उनको शुरू से गुलाम बना दिया था। उसको गुलामी से दूर करिये।

श्री हरिकुमार औचित्य : शुरू से गुलाम तो नहीं बनाया। मैं इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। यह मामला मंत्री मण्डल में विचाराधीन है। यह जरूर कहा गया कि ग्राम पंचायतों में जाने के बाद....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शिक्षा का स्तर बना रहे।... आप बैठिये....। मैं आपकी ही बात कर रहा हूं। सदस्य लोग, इस बात से उनको कोई मत भिन्नता नहीं है, पंचायतों को खूब मजबूत कीजिए, जितने अधिकार दे सकते हैं आप पंचायतों को दीजिए लेकिन इस शिक्षा को अलग से शिक्षा के रूप में रखिये। शिक्षा में किसी प्रकार से एडल्ट्रेशन नहीं हो, उसमें पालिटिक्स नहीं आये, यह देखें।

श्री हरिकुमार औचित्य : मैं समझ गया सदन की भावना को।

श्री चम्पालाल बांठिया : अध्यक्ष महोदय, पंचायतों के पास एग्रीकल्चर एक्सटेन्शन आफिसर्स हैं, पंचायतों के पास पशुपालन विभाग है। उनका न तो कोई बजट है। न उनके पास कोई दवायें हैं। उनके पास कोई काम नहीं है। अगर सरकार चाहती है तो पंचायतों को मजबूत करने के लिए तो जिनके द्वारा गांवों में सुविधा हो सकती है, यह पंचायतों के मूल काम हैं। जब सारा सदन एक मत है, तो फिर क्या बात है?

श्री अध्यक्ष : अब आप समाप्त कीजिए।....बहुत चर्चा हो गयी है। (व्यवधान)

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन के नेता माननीय मुख्य मंत्री जी ने खड़े होकर सारे सदन से यह पूछा है पंचायत राज को शिक्षा मुक्त होना चाहिए और सारे सदन के किसी भी सदस्य ने इसका विरोध नहीं किया....

श्री अध्यक्ष : इसकी चर्चा हो चुकी है। आप बराबर वही कह रहे हैं। हो गया। अब शिक्षा मंत्री जी के पास आपके सबके विचार आ गये। अब आप उनको मौका तो देंगे। आपने अपने विचार व्यक्त कर दिये।

श्री जुबेर खां : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से दो प्रश्न करना चाहूंगा....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ...अभी एक मंत्री और हैं। आज एक सवाल उठा था कि आसाम के प्रवासी लोग यहां आये है। आज आपका एक प्रश्न था कि वहां आसाम में 30 प्रतिशत पर लड़कों को पास कर देते हैं और हमारे यहां पर 36 प्रतिशत पर पास करते हैं। लड़के वहां से जो 30 प्रतिशत में जो पास होकर आ चुके हैं उनके एडमिशन की प्राब्लम है। तो उसके बारे में कुछ विचार कर रहे हैं क्या आप?

श्री हरिकुमार औचित्य : वह एग्जामिन कर रहे हैं।

श्री जुबेर खां : अध्यक्ष महोदय, मैं दो सवाल माननीय मंत्री जी से करना चाहूंगा। मंत्री जी आपने बताया कि एक हजार प्राइमरी स्कूल खोलेंगे। बहुत से गांव ऐसे हैं जो रेवेन्यू विलेजेज हैं और चार पांच सौ से ज्यादा की आबादी है और वहां कोई स्कूल नहीं है तो क्या इस बार सारे रेवेन्यू विलेजेज जिनके अन्दर प्राइमरी विद्यालय नहीं हैं आप यह विद्यालय खोलेंगे या नहीं ? दूसरा मेरा आपसे निवेदन है कि थ्री लेंग्वेज फार्मूला अपने यहां पर है और आपका यह प्रावधान है, यह नीति है और यह कानून है कि अगर किसी भी स्कूल में 10 छात्र किसी तृतीय भाषा में पढ़ने के लिए तैयार हैं तो आप एक अध्यापक वहां उपलब्ध करायेंगे। चाहे वह पंजाबी के लिए हो, चाहे संस्कृत के लिए हो, चाहे उर्दू के लिए हो या चाहे और भी किसी तृतीय लेंग्वेज के लिए हो। मैं यह चाहता हूं कि मेरे इन दो सवालों का जवाब आप दें।

श्री हरिकुमार औदिच्य : माननीय सदस्य इस बात से आश्वस्त रहें कि राज्य और शासन नियम और कानून का है। कानून में जो है उसके अनुसार होगा।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय अध्यक्ष जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है।

श्री अध्यक्ष : There will be no end to it

श्री हीरासिंह चौहान : मेरा निवेदन है कि अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाएं बहुत ही बढ़िया चल रही हैं।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : ....मरुधर बालिका विद्यापीठ है वह बहुत अच्छी चल रही है, उसमें स्टाफ की बहुत कमी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये, बैठिये। माननीय मंत्रीजी।

श्री हीरासिंह चौहान : और जो सब्जेक्ट खोलने वाली बात है जिस पर साल भर से एक्सर साइज कर रहे हैं उस बारे में क्या विचार है ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी आप बोलिये।

श्री हीरासिंह चौहान : मैं आपसे प्रोटेक्शन चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण, अहम् सवाल है।

श्री अध्यक्ष : आप जो बोलते हो वह सब महत्वपूर्ण है, कोई कम महत्वपूर्ण नहीं है।

श्री हीरासिंह चौहान : अनुदान प्राप्त संस्थाएं हैं जिनके लिये सरकार विचार कर रही है।

श्री अध्यक्ष : आप विराजें।

श्री हीरासिंह चौहान : जो सब्जेक्ट खोलने हैं स्कूलों में उसके लिये कोई उत्तर नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : मेरी आवाज आपके जितनी भारी नहीं है इसलिये आप बैठिये।

श्री हीरासिंह चौहान : हम तो सैटिसफेक्शन के लिये बैठते हैं, साहब। मैं आपसे प्रोटेक्शन चाहते हुए निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : आप तो मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो। अब आप बिराज जाओ। माननीय मंत्रीजी, आप बोलिये। आप जानते हैं मेरी आदत को।

श्री हीरासिंह चौहान : नहीं, मैं जानता हूं, साहब, उत्तर तो देवें।

श्री अध्यक्ष : तो मैंने आपको कह दिया वह मान लो आप। आप बैठ जाओ। अब आप बैठ जाइये। बोलिये। आप सत्ता पक्ष में हैं, मंत्रीजी को जाकर घर में बात करिये।

श्री हीरासिंह चौहान : सत्ता पक्ष में तो हैं, आपके आसन से हमें मतलब है। मैं इस पर कोई गलत बात नहीं कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी। गलत तो कोई नहीं कहता यहां। आप बिराजें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं कुछ नहीं बोला।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें। आप बैठिये। आपको बोलना भी नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं टोंक में..

श्री अध्यक्ष : अब आपको कुछ नहीं बोलना। मंत्रीजी, आप बोलिये। विराजिये। बोलना चाहिये था आपको।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह जो आपने जवाहर कला केन्द्र खोल रखा है वह राजस्थान के उस पर नहीं करें।

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये। हां, बोलिये, मंत्रीजी।

मांग संख्या 24 का पारण

सुश्री पुष्पा जैन (कला एवं संस्कृति मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की तो खुशी है। सदन के माननीय सदस्यों ने शिक्षा पर अपने विशेष सुझाव भी दिये और अपनी चिन्ता भी प्रकट की। लेकिन मुझे इस बात का खेद भी है, इस सदन में माननीय सदस्यों से मैं अपेक्षा करती थी, राजस्थान की उस प्राचीन कला संस्कृति को जिसके कारण राजस्थान आज संसार में प्रसिद्ध है, देश और विदेश में राजस्थान कोई शिक्षा के कारण नहीं, राजस्थान कोई एनीकट्स के कारण नहीं, राजस्थान को अगर जाना जाता है तो राजस्थान की प्राचीन कला, संस्कृति के कारण, जो राजस्थान की धरोहर है।

श्री हेतराम बेनीवाल : कोई सदस्य नहीं बोला इस सबके विरोध में।

सुश्री पुष्पा जैन : इसलिये मैं मान लेती हूं कि आपने मुझे क्रेडिट दिया है। मैं इसके लिये सदन की आभारी हूं और कला, संस्कृति विभाग बहुत सुचारू रूप से चल रहा है, मैं इसको मान लेती हूं। अध्यक्ष महोदय पर कुछ कटौती प्रस्ताव जो आज ही मुझे मिले, उन पर मैं निश्चित रूप से चाहूंगी कि अपनी तरफ से उत्तर दूं।

अध्यक्ष महोदय, माननीय बी. डी. कल्ला ने राज्य में सांस्कृतिक नीति बनाने पर सरकार की विफलता के सन्दर्भ में कटौती प्रस्ताव दिये। अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है, आज उनका स्वप्न भंग हुआ, कला-संस्कृति की नीति बनाने पर उन्हें बड़ी चिन्ता हुई। मगर मैं समझ नहीं सकी, जब राज्य सरकार के वे मंत्री थे, उन्होंने उस समय विचार क्यों नहीं करवाया अपनी सरकार से। यह बात मेरी समझ में नहीं

(सुश्री पुष्पा जैन)

आयी। लेकिन मैं, माननीय सदस्य आज मौजूद नहीं हैं, आपकी मार्फत कहना चाहती हूं कि उनकी चिन्ता हमारी भी चिन्ता है और राजस्थान की कला, संस्कृति नीति पर राज्य सरकार तुरन्त विचार कर रही है, थोड़े समय के बाद इस नीति पर अमल करेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ-साथ मैं कहना चाहूंगी....

श्री अध्यक्ष : वे कलाकार नहीं थे, आप कलाकार हैं।

सुश्री पुष्पा जैन : थानागाजी से आने वाले माननीय सदस्य ने थानागाजी क्षेत्र के पुरातत्व महत्व के भवन एवं नगरों के संरक्षण पर अपनी चिन्ता व्यक्त की। मैं उनसे कहना चाहूंगी, ये भवन और पुरातत्व की जितनी भी इमारते हैं केन्द्र सरकार के अधीन हैं। जो मानूमेंट्स केन्द्र सरकार के अधीन होते है उनमें राज्य सरकार अपनी तरफ से दखल नहीं कर सकती है। लेकिन मैं उनकी चिन्ता अपनी मार्फत केन्द्र सरकार तक पहुंचाऊंगी ताकि उनका पूरा संरक्षण हो।

अध्यक्ष महोदय, श्री प्रेमसिहजी दहिया जो भीनमाल से जीतकर आते हैं उन्होंने अपने कटौती प्रस्ताव तो दिये लेकिन जब भाषण कर रहे थे, मैं बड़ी बेसब्री से सुन रही थी कि अपने कटौती प्रस्ताव पर महोदय कुछ तो प्रकाश डालें, लेकिन मुझे....

श्री प्रेमसिह दहिया : 131 में दे दिया। 131 में कल चर्चा हो जायगी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, हरेक के बस की बात नहीं है।

सुश्री पुष्पा जैन : भीनमाल में जो कला संस्कृति का भवन जनता ने बना कर दिया, मैं आपको विश्वास दिलाती हूं वह जनता के कार्यकलापों के लिये, जनता अगर कला-संस्कृति के लिये उसका उपयोग करेगी....

श्री प्रेमसिह दहिया : सरकार ने ताले लगा दिये उसके ऊपर। वह काम नहीं आ रहा है। उसके अन्दर आफिस खोल दिया गया। यह 131 में दे दिया है, इसलिये मैंने यह सही समझा कि अपन उसके अन्दर इसकी चर्चा करें।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य आज से पहले इस सम्बन्ध में दो लाइन भी मुझे लिखते या मुझसे कह देते तो अब तक आपकी समस्या का समाधान मैं स्वयं ही कर देती।

श्री अध्यक्ष : देखिये, कला और भावुकता। यदि कोई एकाध आदमी भी आंसू निकाल देता तो मान लेते कि वह कलाकार है। वह है ही नहीं।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, यह सच है कि भवन बनवाया जनता ने लेकिन कलक्टर से इन्होंने जो एग्रीमेंट किया उसमें यह लिख दिया, इस शर्त को स्वीकार कर लिया कि इस भवन का उपयोग सिर्फ सरकारी कार्यकलापों के लिये किया जायगा। लेकिन मैं इस पक्ष में नहीं हूं। निश्चित रूप से जो भवन कला-संस्कृति के लिये बना है उसमें कला-संस्कृति के सभी कार्यकलाप जनता के द्वारा होने चाहिये। इस सम्बन्ध में मैं निश्चित रूप से बहुत शीघ्र कोई न कोई निर्णय ले लूंगी।

(सुश्री पुष्पा जैन)

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही बांठिया साहब जो बालोतरा से जीत कर आये हैं उन्होंने बाड़मेर जिले की मूर्तियों और शिला लेखों के लिये एक संग्रहालय की मांग की। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान बहुत गरीब प्रदेश है। हम पश्चिमी राजस्थान के लोग सदैव अकाल से जूझते रहते हैं। मैं मानती हूं कि राजस्थान के पुरातत्व विभाग को पुरातत्व, कला और संस्कृति को संजो कर रखना चाहिये। इसके लिये मैं इस सदन का आह्वान करती हूं और सदन के मार्फत राजस्थान की जनता का आह्वान करती हूं कि वह हमें सहयोग दे। केवल राजस्थान का जो खजाना है, राजस्थान की सरकार की जो पूंजी है उसके सहारे आप यह अपेक्षा करते हैं कि राजस्थान की समस्त पूंजी जो कला और संस्कृति के रूप में है उसको संजो कर रखा जाय, तो यह बड़ा मुश्किल है। मैं आपका सहयोग चाहती हूं, अगर आप बालोतरा में भवन बना कर देंगे तो निश्चित रूप से विभाग संग्रहालय खोल कर इन पुरातत्व महत्व की चीजों की रक्षा करेगा।

श्री चम्पालाल बांठिया : करा देंगे।

सुश्री पुष्पा जैन : आदरणीय नत्थीसिंह जी ने, जो इस समय सदन में नहीं हैं, भी एक कहा बृज भाषा, बृज संस्कृति एवं कला विकास की ओर समुचित ध्यान नहीं देने के सम्बन्ध में। मैं समझ नहीं सकी, बृज भाषा का इनका एक फेस्टीवल होता है, फेस्टीवल में वह अब तक मदद लेते रहते थे पर्यटन विभाग से। यद्यपि पर्यटन विभाग का वह कार्य नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी मैंने उनकी भावनाओं का ध्यान रखते हुए इस बार भी बृज भाषा का जो उनका फेस्टीवल हुआ, मैंने अपनी तरफ से कलाकारों को वहां कार्यक्रम के लिये भेजा और जो प्रोग्राम वह चाहते थे उनकी इच्छा के अनुसार भेजा। उसके बावजूद कला-संस्कृति की हम रक्षा नहीं करते, यह मैं समझ नहीं पायी।

अब, अध्यक्ष महोदय, हमारे पास करीब 224 किले हैं, करीब 44 और मानूमेंट्स हैं जिनकी सुरक्षा के लिये हम सतत् प्रयत्नशील हैं। जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने मुझे यह भी कहा कि जिस तरह चित्तौड़ दुर्ग को सहायता की जाकर ऐतिहासिक धरोहर बनाया जा रहा है, उसी तरह से जैसलमेर के किले पर भी ध्यान दिया जाय। मैं उनको यह खुशखबरी देना चाहती हूं कि केन्द्र सरकार की तरफ से अभी दो दिन पहले ही एक टीम भेजी गई थी चित्तौड़गढ़ के लिये। उसी टीम के साथ कल माननीय मुख्य मंत्रीजी की मौजूदगी में चर्चा हुई। उन्हें सुन कर खुशी होगी कि जैसलमेर के जर्रे-जर्रे पर उस समय वार्ता हुई है और पूरे जैसलमेर को पर्यटन, कला, संस्कृति की दृष्टि से पैसे की कोई कमी नहीं आने दी जायगी और इसे बहुत जल्द केन्द्र सरकार और राज्य सरकार मिल कर पूरी तरह से विकसित करेगी। केवल जैसलमेर ही नहीं, मैं अधिक समय नहीं लेना चाहती हूं, राजस्थान के वे बहुमूल्य स्थान, वे बहुमूल्य दुर्ग, वे बहुमूल्य इमारतें जो पैसे के अभाव में अब तक जीर्ण-शीर्ण हो रही हैं, कल केन्द्र सरकार की उस टीम ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि उनके डवलपमेंट और संरक्षण के लिये वह पूरा-पूरा

(सुश्री पुष्पा जैन)

सहयोग देंगे। बहुत जल्द ही वह टीम वापस आ रही है, वह जैसलमेर जायगी और राजस्थान के अन्य जिलों में जहां भी ऐसे स्थान हैं वहां पर जाकर उनका सर्वे करके उन पर पूरा पैसा सैंक्शन करके राज्य सरकार को काम करने के लिये दे दिया जायगा।

श्री मदनलाल सैनी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सवाल है।

श्री अध्यक्ष : आप कौनसी कला में रुचि रखते हैं, यह बताइये।

श्री मदनलाल सैनी : मैं रखता हूं, जवाहर कला केन्द्र....

श्री अध्यक्ष : आप संगीतज्ञ हैं ?

श्री मदनलाल सैनी : केन्द्र का जो नाम है उसके बारे में....

श्री अध्यक्ष : मैं पूछता हूं, आपको संगीत का ज्ञान है ?

श्री मदनलाल सैनी : एक छोटा-सा प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : आपको नृत्य का ज्ञान है ? तो कौनसी कला है ? आपको तबला बजाना आता है ? ढोलकी बजा सकते हैं ? फालतू प्रश्न कर रहे हो।

श्री हरिकुमार औदिच्य : इनको गाल बजाना आता है।

श्री मदनलाल सैनी : पंडित जवाहरलाल जी के नाम पर....

श्री अध्यक्ष : देखिये, कला के नाम पर चर्चा करते हैं, कला सीखिये। विराजें। बैठिये, हो गया।

श्री मदनलाल सैनी : जवाहर कला केन्द्र रखा गया है, इनके नाम को सीमित नहीं करना चाहिये। राजस्थान में कला केन्द्र जो है वह राजस्थान के परिवेश में होना चाहिये। या मरु कला केन्द्र हो सकता है....

श्री अध्यक्ष : बताते नहीं हैं वह परिवेश क्या है। वह तो बताते नहीं हैं।

श्री मदनलाल सैनी : माननीय मंत्री जी, यह जो नाम है इसको सीमित करके राजस्थान तक ही रखना चाहिये। जवाहरलालजी के नाम से और बहुत योजना चल रही हैं। यहां राजस्थान का कोई सुन्दर-सा नाम ऐसा होना चाहिये जिससे यह पता लगे कि यह राजस्थान का कला केन्द्र है।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की राय से इत्तफाक रखती हूं और यह यकीन दिलाती हूं जवाहर कला केन्द्र के नाम के बारे में आपने जो सुझाव दिया है और इस तरह के कई पत्र भी हमारे पास आये हैं माननीय सदस्यों के, मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि बहुत जल्द ही इस पर विचार करके कोई सुचारू निर्णय इस पर लिया जा सकेगा। अध्यक्ष महोदय, जवाहर कला केन्द्र राजस्थान की बहुत बड़ी सम्पत्ति बनने जा रही है और बहुत शीघ्र हम इसको पूरा करके राजस्थान के कलाकारों को समर्पित करने जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में मैं यह भी चाहूंगी कि

(सुश्री पुष्पा जैन)

राजस्थान की जितने भी कला-संस्कृति से संबंधित इकाइयां या केन्द्र हैं जैसे राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, राजस्थान ललित कला अकादमी, राजस्थान स्कूल आफ आर्ट्स जयपुर, राजस्थान संगीत संस्थान, जयपुर कत्थक केन्द्र आदि-आदि को भी विभिन्न अलग-अलग स्थानों से हटा कर जवाहर कला केन्द्र के साथ ही एक ही स्थान पर केन्द्रित करके राजस्थान के कलाकारों के लिए एक काम्प्लेक्स बना दिया जाय इस पर भी राज्य सरकार विचार कर रही है।

एक माननीय सदस्य ने अरबी-फारसी रिसर्च सेन्टर के बारे में अपनी चिन्ता प्रकट की है। उन्होंने बताया कि इसमें कई तरह की कारगुजारियां हो रही हैं, कई तरह के घपले हैं, कई तरह के भ्रष्टाचार हैं। मैं माननीय सदस्य को निवेदन करना चाहती हूं कि इस सम्बन्ध में यदि आप मुझे पूरी जानकारी देंगे तो निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, इसका आप क्या करोगे यदि नाचने-कूदने को भी कोई भ्रष्टाचार मान ले। हम लोग नाचेंगे, गायेंगे और कह देंगे भ्रष्टाचार हो रहा है तो आप क्या करोगे।

श्री हरिकुमार औदिच्य : अध्यक्ष महोदय, नये जो डांस होते हैं उनमें तो हो जाता है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : फोक डांस बोलो। (व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के दूर-दराज इलाकों में, गांवों में हमारे कई कलाकार, हमारी कला-संस्कृति धूमिल हो रही है। हम प्रयास कर रहे हैं, इन कलाकारों को निखार कर, तराश कर आगे लाया जाय, कला-संस्कृति को आगे लाया जाय ताकि देश-विदेश, संसार में राजस्थान का नाम चमक सके और राजस्थान जिसकी धरोहर है उस धरोहर के नाम से इस संसार में प्रसिद्ध हो। यहां ज्यादा से ज्यादा पर्यटक आयें और राजस्थान के मार्फत केन्द्र सरकार को....

श्री अध्यक्ष : एक काम और करिये। इन कलाकारों को आप बाहर तो भेज देती हैं। अब वह धुर गांवों से रशिया और फ्रांस तो पहुंच जाते हैं और फिर यहां आकर रोटी मांगते हैं तो यहां उनका स्तर फिर से बढ़े, उसकी चिन्ता भी करिये। बाहर तो भेजना बहुत अच्छा है लेकिन उनके स्तर की चिन्ता भी करिये।

सुश्री पुष्पा जैन : यह आपने कहा, यह स्वयं मेरे मन में भी था। मैं आपको यकीन दिलाती हूं कि भविष्य में इस सम्बन्ध में भी कोई सुचारू योजना आपकी राय से मैं बना कर इस पर निश्चित रूप से अमल करूंगी।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। प्रश्न यह है कि मांग संख्या 24, शिक्षा, कला एवं संस्कृति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 8,62,28,06,000/- (रुपये आठ अरब,

(श्री अध्यक्ष)

बासठ करोड़, अट्ठाइस लाख, छः हजार) तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की कार्यवाही कल दिनांक 21.3.91 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तद्नन्तर सदन की कार्यवाही सायं 6.23 बजे दिनांक 21.3.91 के म. पू. 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट-1

तारांकित प्रश्न संख्या 78 की सूची

विधान सभा क्षेत्र संगरिया जिला-गंगानगर में स्वीकृत आयुर्वेदिक औषधालय,

क्र.सं.	नाम स्थान	स्वीकृत/पदस्थापन का विवरण					
		चिकित्सक		नर्स-कम्पाउण्डर		परिचारक	
1.	लालगढ़ जाटान	एक	पदस्थापित	एक	पदस्थापित	एक	पदस्थापित
2.	गणेशगढ़	"	"	"	"	"	"
3.	पक्का सारणा	"	"	"	"	"	"
4.	सादुलशहर	"	"	"	"	"	"
5.	नगराना	"	"	"	"	"	रिक्त
6.	मननी वाली	"	"	"	"	"	पदस्थापित
7.	खेरवाला	"	"	"	"	"	"
8.	किकर वाली	"	"	"	"	"	रिक्त
9.	नूरपुर ढाणी	"	"	"	"	"	पदस्थापित
10.	अमरपुरा जालू	"	"	"	"	"	रिक्त
11.	दुलपुरा	"	"	"	"	"	पदस्थापित
12.	77 के. डब्ल्यू. ताखरावाली	"	रिक्त	"	रिक्त	"	रिक्त
13.	हिरणा वाली	"	पदस्थापित	"	पदस्थापित	"	रिक्त
14.	बनवाली	"	"	"	"	"	पदस्थापित
15.	हरिपुरा	"	"	"	"	"	रिक्त
16.	कालवासिया	"	"	"	"	"	रिक्त

परिशिष्ट–2

तारांकित प्रश्न संख्या 79 की सूची

जम्मू कश्मीर एवं पंजाब से राज्य में आये परिवारों की संख्या

क्र.सं.	नाम जिला	आये परिवार		वापिस जाने वाले परिवार		निवास कर रहे परिवार		विशेष विवरण
		परिवार सं.	सदस्य सं.	परिवार सं.	सदस्य सं.	परिवार सं.	सदस्य सं.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
जम्मू कश्मीर से आये परिवार								
1.	अजमेर	5	15	2	5	3	9	एक परिवार के 4 सदस्यों में से एक सदस्य चले गये।
2.	अलवर	6	13	6	13	–	–	
3.	भीलवाड़ा	4	17	–	–	4	17	
4.	जयपुर	52	134	–	–	52	134	
5.	उदयपुर	15	30	–	–	15	30	
		82	209	8	18	74	190	

1	2	3	4	5	6	7	8
	पंजाब से आने वाले परिवार						
1.	भरतपुर	5	29	2	9	3	20
2.	भीलवाड़ा	5	21	4	13	1	8
3.	बून्दी	14	81	–	–	14	81
4.	श्रीगंगानगर	262	1167	–	–	262	1167
		286	1298	6	22	280	1276
	कुल योग	368	1507	14	40	354	1466

परिशिष्ट-3

समयाभाव के कारण सदन में न लिए जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

राज्य में पर्यटन विकास की योजनायें

81. श्री फूलचन्द गुर्जर(नीमकाथाना) : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान में पर्यटन विकास की क्या-क्या योजनायें हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या बलेश्वर, गणेश्वर (नीमकाथाना) जिला सीकर के स्थान भी पर्यटन-विकास के लिये चयनित हैं ? यदि हां, तो इनके विकास पर अब तक कितनी राशि खर्च की गई तथा इनके विकास हेतु भविष्य में कितनी राशि खर्च करने का प्रावधान है ?

उत्तर

(1) राजस्थान में पर्यटन विकास की जो योजनायें वर्ष 1990-91 में ली गई है, उनका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी हां। बलेश्वर एवं गणेश्वर के विकास हेतु विभाग द्वारा वर्ष 1989-90 में 1.00 लाख रुपये की स्वीकृति जारी की गई थी और अब तक उक्त स्थानों के विकास पर 98,622·01 रुपयों की राशि व्यय की जा चुकी है। वार्षिक योजना वर्ष 1991-92 हेतु इन स्थलों के विकास पर 3.27 लाख रुपयों का प्रावधान रखा गया है।

वर्ष 1990-91 हेतु पर्यटक स्थलों के विकास की योजना

(राशि लाख रु में)

1-	आमेर में विभिन्न पर्यटन स्थलों का विकास	15.00
2-	मेड़तनी बावड़ी, झुन्झुनूं के विकास कार्य	4.70
3-	जन्तर मन्तर (जयपुर) के विकास कार्य	2.00
4-	लोहार्गल एवं किरोड़ी स्थित स्थलों के विकास कार्य	1.05
5-	मचकुण्ड धौलपुर का पर्यटन स्थल के रूप में विकास कार्य	7.00
6-	अनासागर (अजमेर) हेतु पैडल बोट्स की खरीद	0.40
7-	जयपुर में पर्यटक स्वागत केन्द्र की स्थापना	10.00
8-	बाणगंगा एवं शिकार बुर्ज के स्थलों का विकास	7.00
9-	गुलाब सागर जोधपुर पर विकास कार्य	5.00
10-	पुष्कर घाटों का विकास	6.13
11-	ओसिया मन्दिर जोधपुर का विकास	5.81

(पर्यटन मन्त्री)

12-	जसवन्त थड़ा जोधपुर का विकास	1.06
13-	गढीसर टैंक जैसलमेर में विकास कार्य	6.71
14-	गेटोर (जयपुर) में विकास कार्य	8.00
15-	डेजर्ट ट्रॉयंगल की प्रोजेक्ट रिपोर्ट हेतु कन्सलटेन्सी फीस	0.80
16-	जय उद्यान (गोविन्ददेव जी के मन्दिर के पीछे) में विकास कार्य	8.00
17-	मिन्नी नक्की लेक मा. आबू में रिटेनिंगवाल को ऊंचा करने का कार्य	6.00
18-	पर्यटक स्थलों पर सूचना पट्ट	1.12
19-	मचकुण्ड धौलपुर के पर्यावरण सुधार एवं विकास के कार्य	10.00
	केन्द्र प्रवर्तित योजना हेतु राज्य योजना में प्रावधान	
20-	ट्यूरिस्ट काम्पलेक्स बून्दी का निर्माण	2.26
21-	मिडवे धौलपुर का निर्माण	2.38
22-	फतेहपुर (शेखावाटी) में पर्यटक विश्राम गृह का निर्माण	7.00
23-	झालावाड़ ट्यूरिस्ट बंगले का निर्माण विविध पर्यटन स्थलों के विकास के प्रस्ताव	7.28
		135.20

छबड़ा क्षेत्र में डीजल व पैट्रोल पम्प का अभाव

82. श्री नन्दकिशोर शर्मा (छबड़ा) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि छबड़ा क्षेत्र में डीजल व पेट्रोल पम्प की कोई व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार ट्रक आपरेटर्स, किसानों व जीप चालकों को असुविधा से राहत देने हेतु यहां पैट्रोल एवं डीजल पम्प लगाने हेतु केन्द्र सरकार को सिफारिश करने का विचार रखती है ?

उत्तर

जी, हां । छबड़ा क्षेत्र में डीजल व पैट्रोल पम्प की कोई व्यवस्था नहीं थी । छबड़ा में डीजल पैट्रोल पम्प लगाने हेतु स्टेट कॉर्डीनेटर इण्डियन आयल कार्पोरेशन लि., जयपुर को प्रस्ताव भिजवाए गए जिस पर भारत... पैट्रोलियम द्वारा छबड़ा एवं छीपाबड़ोद के पास कवाई स्थान पर पैट्रोल पम्प स्थापित किया गया है । उक्त पैट्रोल पम्प ने फरवरी, 91 में कार्य आरम्भ कर दिया है ।

(219)

जहाजपुर क्षेत्र की प्रस्तावित पेयजल योजना

83. श्री शिवजी राम (जहाजपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

जहाजपुर विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्र की कौन कौन सी पेयजल योजनाएं स्वीकृति हेतु प्रस्तावित हैं, एवं इनमें से कौन-कौन सी योजनाएं स्वीकृत की जा रही हैं?

उत्तर

सन्दर्भित क्षेत्र के हेतु ग्रामीण क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना टिक्कड़-कुच्छलवाड़ा कलां तथा जहाजपुर की शहरी पुनर्गठित जलप्रदाय योजना, जहाजपुर राजस्थान जल प्रदाय सीवरेज मण्डल के विचाराधीन है। इन्हें धन की उपलब्धता के अनुसार स्वीकृति दी जा सकेगी।

जैतारण एवं रायपुर पंचायत समिति के गांवों का विद्युतिकरण

84. श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

वर्ष 1991–92 में जैतारण एवं रायपुर पंचायत समितियों के कितने ग्रामों का विद्युतिकरण करने का सरकार का विचार है ? इनमें कितने कृषि कनेक्शन दिये जायेंगे ?

उत्तर

पंचायत समिति जैतारण एवं रायपुर के ग्रामों का शत प्रतिशत विद्युतिकरण हो चुका है। अब कोई ग्राम विद्युतिकरण हेतु शेष नहीं है। कृषि कुओं का पंचायत समितिवार लक्ष्य निर्धारित करने की प्रक्रिया अब बदल दी गई है। अब वर्षवार विद्युतिकरण कार्यक्रम तय किया जाता है। जैसे इस वर्ष मार्च, 1982 तक के सभी सामान्य श्रेणी के प्रार्थना पत्र स्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के मार्च 1985 तक के सभी मामले निपटा दिये जायेंगे।

ग्राम पंचायत पीपलबारा (झाडोल) को आवंटित राशि

85. श्री कुबेर सिंह (फलासिया) : क्या विशिष्ठ योजना-संगठन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) ग्राम पंचायत पिपलबारा तहसील झाडोल, जिला उदयपुर को वर्ष 1988-89, 1989-90 व 1990-91 में कितनी-कितनी राशि विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कब-कब दी गई एवं उक्त राशि का उपयोग कब-कब किस-किस कार्य हेतु किया गया ? कृपया योजना का नाम तथा आवंटित राशि स्वीकृत राशि सहित पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पंचायत के वर्तमान सरपंच द्वारा जीवनधारा योजना के अन्तर्गत आवंटित राशि का उपयोग लोगों के झूठे अंगूठे लगवाकर स्वयं कर लिया गया ? यदि हां, तो सरपंच के विरुद्ध धनराशि के दुरुपयोग किये जाने के कारण सरकार जांच करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) इन तीन वर्षों में ग्राम पंचायत पीपलबारा को विभिन्न योजनाओं में दी गई राशि का विवरण निम्न प्रकार से हैं–

1– वर्ष 88–89 में फेयरवेद रोड पीपलबारा की स्वीकृत टाडा योजना में 10000/- रुपये (दस हजार रुपये) की दी गई जिस पर 8,305.00 (आठ हजार तीन सौ पांच रुपये) व्यय हुए। यह भुगतान मजदूरों पेटे हुआ है यह राशि दिनांक 23.8.88 को दी गई थी।

2– वर्ष 89–90 में पंचायत पीपलबारा को जवाहर रोजगार योजना में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण उदयपुर से 95998.00 रुपये एवं 66.50 क्विं. गेहूं दिया गया है। उक्त राशि के बदले निम्न कार्य स्वीकृत हुए :—

क्र. सं.	नाम कार्य	स्वीकृत राशि	व्यय राशि
1	2	3	4
I	आवास भवन एस. टी. के.	4824.00	4824.00
II	सामाजिक वानिकी क्वाटर	25000.00	22247.00
III	सड़क पीपलबारा से जामुन	10000.00	9840.00
IV	पीपलबारा तालाब मरम्मत	30000.00	24104.65
V	डिस्पेन्सरी भवन पीपलबारा	30000.00	19475.00
	कुल व्यय राशि		77416.65

3– वर्ष 90–91 :–नये वित्त आयोग का प्राथमिक शाला की 100000.00 एक लाख की स्वीकृती जिला ग्रामीण विकास अभिकरण उदयपुर से प्राप्त हुई है इस कार्य हेतु 20,000/- रुपये (बीस हजार रुपये) सामग्री क्रय हेतु पंचायत को 19.2.91 को दिया गया है। इसके अतिरिक्त कोई राशि किसी भी योजना के तहत पंचायत पीपलबारा को न तो स्वीकृत हुई न दी गई है।

(2) जी नहीं। ग्राम पंचायत पीपलबारा को जीवनधारा योजना के अन्तर्गत सरपंच को राशि नहीं दी गई, सीधे लाभान्वितों को दी गई है।

कोटा जिले की सहरिया विकास परियोजना

86. श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या कोटा जिले में सहरिया विकास परियोजना संचालित है ? यदि हां, तो कहां-कहां व कब-कब प्रारम्भ हुई ?

(श्री हेमराज मीणा)

(2) प्रारम्भ से अब तक कितनी बजट-राशि का आवंटन किया गया ? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या विकास कार्यों के लिए विभिन्न विभागों को सहरिया विकास परियोजना से राशि आवंटन की गई ? यदि हां, तो वर्षवार कितनी-कितनी राशि का आवंटन किया गया ?

(4) विभागों ने कितनी-कितनी राशि किस किस कार्य पर कब कब खर्च की ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां । कोटा जिले की पंचायत समिति किशनगंज एवं शाहबाद में सहरिया आदिम जाति का बाहुल्य है, जिनके विकास हेतु सहरिया विकास परियोजना वर्ष 1977-78 से प्रारम्भ की गई ।

(2) सहरिया विकास परियोजनान्तर्गत प्रारम्भिक वर्ष 1977-78 से 1990-91 तक कुल 349.003 लाख रुपये की धन राशि विशेष केन्द्रीय सहायता एवं राज्य योजनान्तर्गत आवंटित की गई है । वर्षवार आवंटित कुल राशि परिशिष्ट "एक" में दर्शाई गई है ।

(3) जी हां । विकास कार्यों के लिए विभिन्न विभागों को सहरिया विकास परियोजना से राशि आवंटित की जाती है । वर्षवार, सैक्टर/कार्यक्रमानुसार आवंटित राशि का विवरण परिशिष्ट "2" पर उपलब्ध है ।

(4) विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु उपलब्ध कराई गई राशि का व्यय विवरण परिशिष्ट "3" पर उपलब्ध है । इसे सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई) ।

भीलवाड़ा जिले के आयुर्वेद औषधालयों में रिक्त पद

87. श्री लक्ष्मीलाल (आसीन्द) एवं श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या आयुर्वेद राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) भीलवाड़ा जिले के किस किस औषधालय में वैद्य एवं कम्पाउण्डर के पद रिक्त है ? उक्त रिक्त पदों की पूर्ति सरकार कब तक कर देगी ?

(2) आयुर्वेद औषधालयों में प्रतिवर्ष कितनी धनराशि की दवाइयां दी जाती हैं ?

उत्तर

(1) भीलवाड़ा जिले के निम्न औषधालयों में आयुर्वेद चिकित्सक का पद रिक्त हैं–

1. कालियावास	4. गाजणा
2. आगरिया	5. कोठिया
3. छापडेल	6. उमाजी का खेडा

भीलवाड़ा जिले के निम्न औषधालयों में नर्स/कम्पाउण्डर के पद रिक्त हैं–

1. खेरूणा	3. रोपा
2. मेघरास	4. दांतडा

इन रिक्त पदों की पूर्ति शीघ्र ही की जा रही है ।

(आयुर्वेद राज्य मन्त्री)

(2) विभागीय औषधालयों को उनकी गत वर्ष की उपलब्धि वार्षिक रोगी संख्या के आधार पर, निम्न मापदण्ड के अनुसार बजट आवंटित कर, उसी सीमा में उपलब्ध औषधियां दी जाती हैं :–

बहिरंग विभाग – प्रतिरोगी प्रतिदिन एक रुपया

अंतरंग विभाग – प्रतिरोगी प्रतिदिन तीन रुपया।

ड्रिल पाइपों की खरीद

88. श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत) एवं श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : क्या भू-जल राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1989-90 में भू-जल विभाग द्वारा साढ़े तीन इंच के कितने ड्रिल पाइपों की खरीद की गई ?

(2) उक्त ड्रिल पाइपों की आपूर्ति हेतु भू-जल विभाग को किन-किन फर्मों ने किस-किस दर से टेण्डर दिये ? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(3) भू-जल विभाग ने किस फर्म से उक्त पाइप खरीदने हेतु आदेश दिया ?

(4) क्या उक्त फर्म को ड्रिल पाइपों की आपूर्ति भू-जल विभाग को करने का आदेश नियमों एवं प्रक्रियाओं के विपरीत था ?

(5) उक्त महंगे पाइपों की खरीद से भू-जल विभाग को कितनी राशि की हानि उठानी पड़ी ? सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) 125 ड्रिल पाइप खरीदे गये थे।

(2) विवरण सदन की मेज़ पर रख दिया गया है।

(3) मै. कोरस इण्डिया लि., नई दिल्ली को क्रय आदेश दिया गया।

(4) जी नहीं।

(5) मामला लोकायुक्त के विचाराधीन है। लोकायुक्त से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर यथेष्ट कार्यवाही की जावेगी।

Comparative Rates of Drill Pipes against tender T-8/89-90/Item No. 6.

			M/s Rock Drill India Pvt. Ltd.	M/s Rock Drill India, Jodhpur	M/s Kores India Ltd. New Delhi		M/s JVM Engg. Co.
1.	Rate	Drill Pipe	11950.00	12000.00	14100.00	14100.00	13500.00
		Thread Protectors.	Incl.	Incl.	1000.00	—	Incl.
2.	E.D.	21%	Not applicable at present, will be charged if applicable.	Not applicable at present, will be charged if applicable.	No. E.D.	—	2835.00
3.	A) CST	4%	—	—	604.00	564.00	683.40
	B) RST	10%	1195.00	1200.00	—	—	—
4.	Octori		—	—	005.00 Approximately	5.00	5.00 Apporoximately.
Total Price							
Comparative Rates			11950.00	12000.00	15709.00	14669.00	16993.40
Landed Cost (Plus RST)			13145.00	13200.00	15709.00	14669.00	16993.40

Note :

The rates are not firm as E.D to be Charged if applicable and due to any revision in custom duty and rate of exchange of sterling Pound and Yen the rates will be revised. These factors would have revised the rates on higher side at the time of supply.

Drill pipes were purchased without thread Protectors, therefore, final landed cost comes to Rs. 14669/- only.

गुलाबपुरा बनेड़ा (वाया आगूचा) रोड़

89. श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या गुलाबपुरा से बनेड़ा वाया आगूचा रोड़ पूर्ण डामरीकरण युक्त है ? यदि अपूर्ण है तो कितनी डामरीकरणयुक्त है तथा कितनी गिट्टीयुक्त है।

(2) क्या पूर्ण सड़क (डामरीकरण) बनाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक पूर्ण हो जाएगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं। सड़क की वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार है :—

डामरयुक्त सड़क	29.30 कि. मी.
गिट्टीयुक्त सड़क	27.00 कि. मी.
ग्रेवल सड़क	01.00 कि. मी.
कुल लम्बाई	57.30 कि. मी.

(2) जी नहीं। बनेड़ा से आगूचा सड़क 0/0 कि. मी. से 25/0 कि. मी. तक डामरयुक्त बनाने का प्रावधान है। कि. मी. 0/0 (बनेड़ा) से कि.मी. 16/0 तक डामर सड़क पूर्व में बनाई जा चुकी है। अब कि.मी. 16/0 से कि.मी. 25/0 तक 9 कि.मी. लम्बाई में डामर की सड़क बनाने का प्रावधान है। अब शेष सड़क कि.मी. 25/0 से 44/0 डामरयुक्त बनाना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

बूंदी जिले के पर्यटक स्थानों पर नागरिक सुविधाएं

90. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बूंदी जिले की इन्द्रगढ़ अतिरिक्त तहसील में बीजासन माता, कमलेश्वर महादेव तथा इन्द्रगढ़ का दुर्ग पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र है तथा यहां पर हजारों यात्री हर वर्ष दर्शन करने आते हैं तथा हर वर्ष विशाल मेले लगते हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि यहां पर नागरिक सुविधाएं सड़क, पेयजल, प्रकाश, सफाई आवागमन के साधन सुरक्षा एवं आवास की समुचित व्यवस्था नहीं होने से यात्रियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ?

(3) क्या सरकार उक्त स्थानों को पर्यटन केन्द्र घोषित कर उक्त सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। इन स्थलों पर अधिकांशतः स्थानीय श्रद्धालु यात्री ही आते हैं।

(2) कमलेश्वर महादेव एवं बीजासन माता स्थानीय महत्व के तीर्थ स्थल है तथा इनकी पानी, प्रकाश, आवागमन, सफाई इत्यादि की व्यवस्था भी स्थानीय स्तर पर ही की जाती है। इन्द्रगढ़ दुर्ग वर्तमान में निजी सम्पत्ति है एवं वहां पर ताला लगा हुआ है।

(पर्यटन मंत्री)

(3) विभाग किसी भी स्थान विशेष को पर्यटन की दृष्टि से तभी विकसित करता है, जब कि वहां 12 महीनों देशी विदेशी पर्यटकों का काफी संख्या में आना-जाना लगा रहता हो। स्थानीय धार्मिक महत्व के स्थानों को पर्यटन केन्द्र के रूप में विभाग विकसित नहीं करता है। इन्द्रगढ़ दुर्ग पर फ्लड लाईटिंग की योजना भारत सरकार के पर्यटन विभाग को प्रेषित की गई है। जिसकी स्वीकृति अपेक्षित है।

उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों पर नियन्त्रण

91. **श्री बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में उपभोक्ता वस्तुओं के भाव गत वर्ष में लगभग डेढ़ गुने से अधिक बढ़ गये हैं ? यदि हां, तो जिन्सवार वित्तीय वर्ष 1989-90 एवं 1990-91 में उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों की सूची सदन की मेज पर रखें। वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिये राज्य सरकार ने क्या क्या उपाय किये ? व इसके क्या परिणाम रहे ?

(2) क्या यह सही है कि खाद्य तेल का मूल्य गत वर्ष की तुलना में लगभग दुगुना हो गया है ? यदि हां, तो आपूर्ती विभाग ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये उसका क्या परिणाम रहा ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा राशन की दुकानों पर जो गेहूं वितरित किया जाता है वह पूरे राज्य में सही रूप में वितरित नहीं हो रहा है ? यदि नहीं, तो राज्य की जनसंख्या की तुलना में गेहूं की मात्रा कितनी-कितनी कब कब किस-किस जिले को दी गई एवं वह आवश्यकता से कितनी कम रही ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) राज्य में 1989 को आधार वर्ष मानकर वर्तमान मूल्य सूचकांक में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी हुई ?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है कि उपभोक्ता वस्तुओं के भाव गत वर्ष से लगभग डेढ़ गुणा से अधिक बढ़े हैं। गत वर्ष के मुकाबले उपभोक्ता वस्तुओं के भावों में 6.37% से 34.45% तक की बढ़ोतरी हुई है। जिन्सवार वृद्धि की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा किये गये उपाय निम्न प्रकार हैं :—

(i) राज्य में प्रचलित साविधिक आदेशों के प्रावधानों को कड़ाई से अनुपालन कराने के निर्देश जारी किये गये।

(ii) आवश्यक वस्तुओं का अतिरिक्त कोटा केन्द्र सरकार के माध्यम से प्राप्त किया गया।

(iii) पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य नियंत्रण आदेश लागू किया गया।

(iv) गेहूं थोक विक्रेताओं द्वारा 7

(खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री)

दिन से अधिक गेहूं का स्टाक खरीद के बाद रखने पर प्रतिबन्ध लगाया गया।

(v) उपभोक्ताओं के लिए डीजल की स्टाक सीमा निर्धारित की गई।

इन उपायों से आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में स्थिरता आई है।

(2) यह सही नहीं है। खाद्य तेलों के भाव गत वर्ष की तुलना में 34.42% से 45.30% की सीमा में वृद्धि हुई है। खाद्य तेलों के मूल्यों पर नियंत्रण के उद्देश्य से केन्द्र सरकार से अधिक से अधिक खाद्य तेलों का आवंटन मांगा गया और आवंटित मात्रा को अधिक से अधिक उठवा कर वितरण कराये जाने की व्यवस्था की गई। इसके अतिरिक्त स्टाक सीमा संबंधी प्रावधानों की अनुपालना कराने के निर्देश जारी किये गये, ताकि खाद्य तेलों की जमाखोरी पर अंकुश लग सकें। इन कदमों के परिणामस्वरूप खाद्य तेलों के मूल्यों में पिछले दो माहों से स्थिरता रही है।

(3) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार से प्राप्त गेहूं के आवंटन को आवश्यकता एवं उपलब्धी के आधार पर अक्टूबर, 90 से फरवरी, 91 तक किये गये गेहूं आवंटन मात्रा की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) श्रम ब्यूरो भारत सरकार, शिमला द्वारा राजस्थान के जयपुर तथा अजमेर केन्द्रों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार किया जाता है। आधार वर्ष 1982 – 100 के आधार पर वर्ष 1989 तथा 1990 का उपभोक्ता वार्षिक औसत सामान्य मूल्य सूचकांक निम्न प्रकार है :—

केन्द्र	1989	1990	प्रतिशत विचलन
जयपुर	169	184	8.88
अजमेर	171	190	11.11

223

औसत मूल्य सम्बन्धी सूचना वर्ष 1990-91

.9 / D	26.10 / 90	30.11 / 90	28.12 / 90	25.1 / 91	18.2 / 91	औसत मूल्य	प्रतिशत वृद्धि/कमी
09	3.16	3.34	3.44	4.14	4.16	3.27	13.54
71	8.78	8.75	8.61	8.61	8.46	8.55	10.32
53	5.86	5.93	5.79	6.07	6.00	5.53	8.64
84	2.76	2.64	2.71	2.92	2.94	2.75	29.11
70	2.71	2.69	2.75	3.06	3.09	2.74	7.45
73	2.73	2.73	2.75	2.89	3.03	2.74	7.03
86	11.46	11.54	11.79	11.79	11.86	11.50	5.80
69	12.00	12.07	12.00	12.39	12.32	12.03	9.96
80	10.00	9.79	9.64	9.68	9.57	9.68	6.37
07	36.21	35.50	37.14	42.29	42.14	36.31	39.07
07	30.43	31.57	32.59	36.14	36.07	29.70	45.30
29	32.86	32.00	34.36	36.00	35.14	32.45	34.42
64	38.79	37.57	37.00	40.43	40.43	35.83	34.45
64	8.75	8.76	8.86	9.04	8.86	8.74	(—) 2.24
86	3.36	3.21	2.89	2.64	2.43	2.85	37.68
79	5.21	5.21	6.50	6.86	6.07	4.08	114.74
45	3.46	3.46	3.46	3.49	3.49	3.47	(—) 0.29
14	3.48	3.46	3.47	3.47	3.47	3.43	25.64

-20 मार्च, 1991-परिशिष्ट

के मासिक औसत मूल्य सम्बन्धी सूचना वर्ष, 1989-90

	11.9 / 88	27.10 / 89	24.11 / 89	29.12 / 89	26.1 / 89	23.2 / 90	30.3 / 90	औसत मूल्य
	2.94	2.89	2.92	2.92	2.95	2.94	2.81	2.88
	8.54	8.08	8.04	8.07	7.64	7.76	7.48	7.76
	5.14	5.23	5.24	5.16	5.99	4.96	4.88	5.09
	2.27	2.11	2.06	2.26	2.18	2.18	2.24	2.13
	2.63	2.33	2.40	2.46	2.36	2.38	2.44	2.55
	2.74	2.41	2.44	2.48	2.42	2.43	2 49	2.56
	10.86	10.64	10.46	10.43	10.53	10.67	11.43	10.87
	11.21	11.21	10.71	10.57	10.50	10.61	11.29	10.94
	9.86	9.93	9.79	9.18	8.62	8.88	8.82	9.10
	26.86	26.71	25.93	24.93	26.43	27.43	29.85	26.11
	20.64	20.71	21.07	20.93	20.86	21.07	22.64	20.44
	24.36	23.00	22.64	27.86	23.86	25.14	27.14	24.14
	27.36	27.64	27.71	25.93	26.36	27.93	28.29	26.65
	10.14	9.74	9.29	8.39	8.68	8.69	8.81	8.94
	2.26	2.36	2.36	1.52	1.63	1.54	1.93	2.07
	1.96	2.93	2.82	2.05	2.04	1.79	1.82	1.90
	3.46	3.48	3.48	3.48	3.48	3.48	3.48	3.49
	2.56	3.00	2.95	2.96	3.00	3.09	3.21	2.73

माह अक्टूबर, 90 से फरवरी, 91 तक गेहूं के आवंटन का मानचित्र

(मात्रा मै. टनों में)

क्र.सं.	नाम जिला	अक्टूबर 90	नवम्बर 90	दिसम्बर 90	जनवरी 91	फरवरी 91
1	2	3	4	5	6	7
1.	अजमेर	9500	9500	9500	9700	9000
2.	अलवर	200	500	500	1000	1500
3.	बाड़मेर	6000	6000	6000	3500	4000
4.	बून्दी	200	200	300	1000	1000
5.	बांसवाड़ा	500	500	500	3000	3000
6.	भरतपुर	500	500	500	1754·9	1500
7.	भीलवाड़ा	2000	2000	2000	2200	2500
8.	बीकानेर	2000	2000	2000	4000	3000
9.	चूरू	4000	4000	4900	5500	5500
10.	चित्तौड़गढ़	500	500	500	1000	1000
11.	डूंगरपुर	3500	3500	3500	4300	3500
12.	श्रीगंगानगर	500	500	1000	2000	1500
13.	जयपुर	2000	2000	2000	9000	7000
14.	जोधपुर	8500	8000	5500	6900	6000
15.	जैसलमेर	2500	2500	900	1000	1000
16.	जालौर	5600	5000	5000	3500	3000
17.	झुन्झुनू	1000	1000	1900	1700	2000
18.	झालावाड़	500	500	1500	1500	1000
19.	कोटा	200	200	600	2000	2000
20.	नागौर	1500	1500	1500	1662	1500
21.	पाली	5600	6654·9	5500	6000	5000
22.	सीकर	1500	1000	2000	2000	2000

226

1	2	3	4	5	6	7
23.	स. माधोपुर	500	500	500	1000	1000
24.	सिरोही	3000	3000	3000	3000	2500
25.	टोंक	2000	2000	2000	2800	2000
26.	उदयपुर	6000	6000	6000	7500	6000
27.	धौलपुर	200	200	200	500	1000

जोधपुर लिफ्ट पेयजल योजना

92. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 1990-91 में जोधपुर लिफ्ट बांडी बेसिन पेयजल योजना बिसलपुर पेयजल योजना व गन्देली साहबा पेयजल योजना हेतु कितना बजट प्रावंटित किया गया तथा कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया, इसमें कितना बजट खर्च हुआ व कितना लक्ष्य पूरा हुआ, आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि गन्देली साहाबा परियोजना से चूरू तहसील के पांच गांव अभी तक पाइप लाइन से नहीं जोड़े गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ? अब कब तक सरकार इन गांवों को पाइप लाइन से जोड़ देगी ?

(3) क्या यह भी सही है कि साहाबा के पास 3 कि.मी. पाइप लाइन काफी समय पहले चोरी हो गई ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

(4) गन्देली साहावा योजना के अन्तर्गत कितने गांवों में पानी की टंकियां अभी तक पाइप लाइन से नहीं जोड़ी गई है ? सूची तहसीलवार सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि सरकार गन्देली साहावा योजना में चूरू तहसील के ग्रामों को शामिल करने हेतु पुनः सर्वे का विचार रखती है ? यदि हां, तो सर्वे कब तक पूरा हो जायेगा ?

उत्तर

(1) वांछित विवरण प्रपत्र "अ" में संलग्न है।

(2) परियोजना से चूरू तहसील के चार ग्रामों को जोड़ा जाना शेष है। इन्हें वर्ष 1991-92 में जोड़ा जाना सम्भावित है।

(3) साहवा के निकट 2 कि.मी. पाइप चोरी होने पर फरवरी, 1988 में तुरन्त पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री)

गई। अपराधियों को गिरफ्तार किया जा चुका है तथा मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

(4) वांछित सूची प्रपत्र "ब" पर संलग्न है।

(5) जी नहीं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

राज्य में नये पुलिस थाने

93. श्री बहादुरसिंह (दानपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में सरकार कितने नये पुलिस थाने खोलने का विचार कर रही हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) बांसवाड़ा जिले में कितने थाने खोलने का प्रस्ताव है, नाम तथा स्थान का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या ग्राम आबापुर में थाना खोलने का प्रस्ताव है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) राज्य में 38 नये पुलिस थाने खोलने के प्रस्ताव राज्य सरकार के पास विचाराधीन है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) बांसवाड़ा जिले में पुलिस चौकी बदरेल को थाने में क्रमोन्नत किये जाने के प्रस्ताव राज्य सरकार के पास विचाराधीन है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) ग्राम आबापुरा किस जिले में है प्रश्न में यह स्पष्ट नहीं है। यदि आबापुरा जिला बांसवाड़ा में ही है तो इस ग्राम को प्रस्तावित थाना बदरेल में रखे जाने का प्रस्ताव है। ग्राम आबापुरा में थाना खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

राज्य में निम्न स्थानों पर पुलिस थाने कायम किये जाने के प्रस्ताव राज्य सरकार के पास विचाराधीन है :–

क्र.सं. 1	नये पुलिस थाने खोलने के प्रस्ताव 2	पुलिस चौकी को थाने में क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव 3	कालम 2 एवं 3 का योग 4
(1) जयपुर शहर/ग्रामीण			
	1. पुलिस थाना ईदगाह	1. पुलिस चौकी अमरसर	
	2. पुलिस थाना कस्बा मनोहरपुर	2. पुलिस चौकी बनेठी	
	3. पुलिस थाना सुभाष चौक	3. पुलिस चौकी नरेना	

1	2	3	4
	4. पुलिस थाना नीमड़ी		
	5. पुलिस थाना विद्याधरनगर		
	6. पुलिस थाना जालूपुरा		
	7. पुलिस थाना खातीपुरा		
	8. पुलिस थाना महेशनगर		
	9. पुलिस थाना ट्रांसपोर्टनगर		
	10. पुलिस थाना सांगानेर सदर		10+3=13
(2) कोटा शहर/ग्रामीण			
	–	1. पुलिस चौकी सारथल	–+1=1
(3) अजमेर जिला			
	1. केकड़ी सदर	1. पुलिस चौकी आनासागर	
		2. पुलिस चौकी केसरबाग	
		3. पुलिस चौकी नाका मदार	
		4. पुलिस चौकी केसरगंज	
		5. पुलिस चौकी चांदगेट	
		6. पुलिस चौकी सूरजपोल	
		7. पुलिस चौकी आदनवाड़ा	
		8. पुलिस चौकी बांदर सिन्दरी	1+8=9
(4) अलवर जिला			
	1. आवासन मण्डल की एस.डब्ल्यू. जी. कॉलोनी, अलवर में अरावली विहार।	–	1+–=1
(5) झुन्झुनूं जिला			
	–	1. पुलिस चौकी, पचलंगी	–+1=1
(6) भरतपुर जिला			
	–	1. पुलिस चौकी, रूदावल	–+1=1

1	2	3	4
(7) बीकानेर जिला			
	1. जयनारायण व्यास कॉलोनी	1. पुलिस चौकी, खाजूवाला	1+1=2
(8) बांसवाड़ा जिला			
	–	1. पुलिस चौकी, बदरेल	– +1=1
(9) पाली जिला			
	–	1. पुलिस चौकी, रोहित	– +1=1
(10) चित्तौड़गढ़ जिला			
	–	1. पुलिस चौकी, भोपालसागर	– +1=1
(11) भीलवाड़ा			
	1. सुभाषनगर	1. पुलिस चौकी, रायला	1+1=2
(12) उदयपुर जिला			
	–	1. पुलिस चौकी, टीडी 2. पुलिस चौकी, कोर	– +2=2
(13) जोधपुर जिला			
	–	1. पुलिस चौकी, नागौरी गेट 2. पुलिस चौकी, रातानाड़ा	– +2=2
(14) टोंक जिला			
	–	1. पुलिस चौकी, बनेठा	– +1=1

कृषि उपज मण्डी निम्बाहेड़ा की अधूरी सड़कें

94. श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कृषि उपज मण्डी, निम्बाहेड़ा द्वारा कितनी सड़कें निर्माणाधीन अधूरी पड़ी हैं उन्हें, कब तक पूरा कराया जायेगा ?

(2) वर्ष 1991 में निम्बाहेड़ा कृषि उपज मण्डी द्वारा प्रस्तावित कितनी सड़कों के निर्माण की स्वीकृति हुई हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(230)

उत्तर

(1) मण्डी समिति द्वारा निर्माणाधीन सड़कों की सूची परिशिष्ट "क" पर है। निर्माणाधीन सड़कों में सम्पर्क सड़क आखिया से अम्बामाता की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। शेष सड़कों का कार्य प्रगति पर है जो वित्तीय वर्ष 1991-92 तक पूर्ण होना सम्भावित है।

(2) वर्ष 1990-91 में कृषि उपज मण्डी समिति, निम्बाहेड़ा द्वारा प्रस्तावित सड़कों एवं राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत सड़कों की सूची परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

परिशिष्ट "क"

कृषि उपज मण्डी समिति, निम्बाहेड़ा की निर्माणाधीन सड़कों की सूची :-

क्र.सं.	सड़क का नाम		लम्बाई (कि.मी. में)	प्रगति
1.	सम्पर्क सड़क गादोला से रठाजना द्वितीय चरण		1.50	कार्य प्रगति पर है
2.	,,	केसुन्दा	1.50	,,
3.	,,	उदयपुर रोड से जावदा	1.50	,,
4.	,,	नीमच रोड से जालिया	0.70	,,
5.	,,	नीमच रोड से पिपलिया	0.70	,,
6.	,,	हुडमतिया कुडाल से छोटीसादड़ी	2.50	,,
7.	,,	अरनियाजोशी से टाईउखलिया	2.00	,,
8.	,,	बरवाड़ा नाका से छोटी सादड़ी वाया अचलपुरा	2.00	,,
9.	,,	बरेखन	1.00	,,
10.	,,	आखिया से अम्बामाता	1.50	कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है।

परिशिष्ट "ख"

वर्ष 1990-91 में प्रस्तावित सड़कें

कृषि उपज मण्डी समिति निम्बाहेड़ा द्वारा प्रस्तावित एवं राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत सड़कों की सूची

क्र. सं.	सड़कों का नाम		लम्बाई (कि. मी. में)	राशि (लाखों में)	स्वीकृति दिनांक
1.	सम्पर्क सड़क	कदमाली	2.00	5.00	11-2-91
2.	,,	सतखंड से सीतारामजी का खेड़ा	3.50	8.50	,,
3.	,,	अरनिया माली	2.00	5.00	,,
4.	,,	अरनोदा से चरलिया	2.00	5.00	,,
5.	,,	टाटरमाला से मीनाणा	2.00	5.00	,,
6.	,,	मोहलिया से गोदाणा रोड़	2.00	5.00	,,
7.	,,	स्वरूपगंज से मुख्य सड़क	1.00	2.50	,,
8.	,,	नीमच रोड़ से सुखी	1.50	3.75	,,
9.	,,	गोटड़ा से कारूण्डा चौराहा	2.00	5.00	,,
10.	,,	बरेखन निम्बाहेड़ा छोटीसादड़ी रोड़	1.00	2.00	31-10-91

विधान सभा क्षेत्र डग के गांवों का विद्युतीकरण

95. **श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) डग विधान सभा क्षेत्र के कितने ग्रामों में विद्युतीकरण कर दिया गया है ? कितने गांव विद्युतीकरण से वंचित हैं ? सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या अगले वित्तीय वर्ष में शेष ग्रामों का विद्युतीकरण करने की योजना है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) डग विधान सभा क्षेत्र के मार्च, 1990 के अन्त तक 150 ग्रामों का विद्युतीकरण कर दिया गया है जिनमें से 146 गांवों का विद्युतीकरण होना शेष था। सूची "अ" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(232)

(ऊर्जा मन्त्री)

(2) राज्य में अभी करीब 10 हजार गांवों का विद्युतिकरण होना शेष हैं। अतः अगले वर्ष तक सभी गांवों का विद्युतीकरण संभव नहीं हैं। वित्तीय साधनों को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न चरणों में यह कार्य किया जायेगा। अगले वर्ष का कार्यक्रम अभी निश्चित नहीं हुआ है।

सूची "अ"

डग विधान सभा क्षेत्र के विद्युतीकृत ग्रामों की सूची (31-3-90 तक)

क्र सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.	क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.
1.	साकरिया	26/6/16	22.	पदमा खेड़ी	88
2.	गुराडिया झाला	18	23.	बडिया बीरनजी	89
3.	सेमली छटोठ	20	24.	पीपाखेड़ी	91
4.	रोझाना	23	25.	तलावली	92
5.	जैता खेड़ी	25	26.	बेडला	100
6.	करनपुरा	26	27.	उन्हेल	108
7.	गमछार	27	28.	भारका	124
8.	गोल खेड़ी	28	29.	दुधलाई	125
9.	कोलवी उर्फ मण्डी		30.	मन्दिरपुर	126
	राजेन्द्रपुर	29	31.	पतलाई	127
10.	हरनी खेडा	23	32.	भैरू खेडी	128
11.	भाट खेडी	58	33.	निराणिया	129
12.	कुटकी	59	34.	उमटिया	131
13.	विलावली	60	35.	धामन्दा कलां	134
14.	चिस्तीपुरा	61	36.	धामन्दा खुर्द	135
15.	मलहारगंज	62	37.	सुजानपुर	136
16.	लूना खेडी	64	38.	भैसाफर	138
17.	लुना खेडी	65	39.	किशननगर	139
18.	मेलकी	66	40.	पाडला	140
19.	जामुनिया	73	41.	कोलवी	141
20.	सुनारी	82	42.	गुनाई	144
21.	ढाबला	84	43.	हरनावदा	145

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.	क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.
44.	बरडिया	147	70.	निपानियाउदा	26/4/54
45.	गागुरनी	148	71.	गुराडिया भर्ता	55
46.	डाबला	149	72.	नारायन खेडा	56
47.	कबीरी	151	73.	पालिया	57
48.	धुतरिया	152	74.	करन खेडी	58
49.	भैसडिया	157	75.	निरधारी	59
50.	सारंगा खेडा	162	76.	गुराडिया माना	60
51.	म्यारसा	163	77.	सरकन्या	61
52.	पिपालिया कलां	165	78.	कोथला	62
53.	कल्याणपुरा	167	79.	खण्डार	63
54.	हिदायत नगर	168	80.	गुढा	64
55.	डग	178	81.	माल खेडा	65
56.	घाटी	181	82.	बाजपुरा	66
57.	डोडी	189	83.	गुराडिया जोगा	70
	विधान सभा क्षेत्र डग पं. समिति झालरापाटन		84.	खारया	72
			85.	हतुनिया	74
58.	लकडिया	26/4/37	86.	मोगरा	75
59.	विशनिया	38	87.	काली तलाई	76
60.	कोटडा	41	88.	नल खाडी	77
61.	मीया खेडा	42	89.	आकखेडी	78
62.	किण्डी खेडा	43	90.	हडमत्या	79
63.	माडंवी	44	91.	मोरडा	80
64.	देवरिया	45	92.	ब्रहमली	81
65.	पचपहाड	46	93.	सरोद	82
66.	ऐरा खेडा	47	94.	रनायरा	83
67.	सागंली	50	95.	दोवडा	84
68.	मुगलाना	52	96.	जसवंतपुरा	85
69.	खोती	53	97.	महुडिया	86

239

क्र. सं. ग्राम का नाम	कोड नं.	क्र. सं. ग्रामों का नाम	कोड नं.
98. देत्या खेडी	87	124. बनी	114
99. भैसानी	88	125. खोखटिया खुर्द	115
100. लोलडा	89	126. गांगुलिया खेडी	116
101. खार खेडा	90	127. कराबन	117
102. निपानिया हाडा	91	128. चन्द्रपुरा	118
103. मुवानिया पुरा	92	129. ठीकरिया	119
104. सागडिया	93	130. दुगनी	120
105. नाहरदहा	94	131. चांदखेडी	121
106. चन्द्रपुरा	95	132. गुराडिया खुर्द	122
107. मिसरोली	96	133. खण्डार	123
108. झाकिया	97	134. नाथु खेडी	124
109. अरनिया	98	135. सेमली	125
110. आमालिया	99	136. लाडखेडा	126
111. झीझनी	26/4/100	137. आवर	127
112. भगवतीपुरा	101	138. शेखपुरा	128
113. राजगढ़	102	139. पगाडिया	129
114. झीकडिया	103	140. पायरा	130
115. सिहलगढ़	104	141. मीमनी	131
116. मरलावदा	106	142. जालनी	132
117. खोखरिया कलां	107	143. राजपुरा	133
118. छानका खेडा	108	144. हत्या गोड	135
119. घुघवा	109	145. जाजनी	136
120. खोला खेड़ी	110	146. मोरू खेड़ी	138
121. अरू खेडी	111	147. खेडा	139
122. सिहपुरा	112	148. विन्तायगा	140
123. बिस्तुनिया	113	149. गुराडिया कलां	141
		150. सालरिया	142

ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में स्वीकृत ग्रामों की सूची

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.	क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.
1.	ऐडी	26/4/48	25.	गुराडिया इसर	75
2.	पडासली	49 वर्ष 91-92 में स्वीकृत	26.	टिमटिया	76
			27.	टापली	77
3.	आनन्दपुरा	67	28.	बेटी खेडी	78
4.	लाम्बी	51	29.	बोर खेडी कचनारा	79
5.	रतनपुरा	68	30.	बोर बरडी	80 फेज्ड 91-92
6.	बम्बोरी	69			
7.	देवरी	71	31.	देला खेडी	81
8.	सेमली जस्सा	73	32.	सेकला	83
9.	कोचरिया खेड़ी	105	33.	बरखेड़ा	85
10.	बोरखेड़ी	134	34.	दवार खेडी	86
11.	देवगढ़	137	35.	बोर खेडी अजना	87
12.	गरडा	26/6/57	36.	आक्या परमार	90
13.	धींगनी	19	37.	लाखा खेड़ी परमार	101
14.	करनालिया	21			
15.	हसामदी	22	38.	वडिया लाखा	102 फेज्ड 91-92
16	निपान्या कालू	24			
17.	मोकल खेडी	63	39.	सरवर	103
18.	कालू	67 91-92 के कार्यक्रम में स्वीकृत	40.	मगली	115
			41.	रामपुरा	116
			42.	कच्छनाडा	117
19.	भुवालद	68 ,,	43.	सुहागढ़ा	118
20.	नयाखेडा	69	44.	खरूटी	119
21.	खरचन्या	70 ,,	45.	बाटा खेडी	120
22.	पीपल्टा	71	46.	बिसाई	121 ,,
23.	देवगढ़	72	47.	राजपुरा	122
24.	लसूडिया	74 फेज 91-92	48.	उदयपुर	123 ,,

1	2	3	1	2	3
49.	पिपलिया खुर्द	132 फैज 91–92	76.	महदी खेड़ा	180
50.	चन्द्रपुरा	133	77.	मगंवालिया	182
51.	माधवी	137	78.	बनी खेडा	183
52.	मालपुरा	142	79.	पड़ासली	184 फैज 91–92
53.	कीटिया	143	80.	केलु खेडा	185
54.	कुण्डिया	146	81.	नाहर घट्टी	186
55.	करनपुरा	150	82.	सकतपुरा	187
56.	फाजिला पुरा	153	83.	बिरमा खेडी	189
57.	शेखपुरा	154	84.	छान	190
58.	सालटिया	155	85.	डोवडा	191
59.	नन्दपुरा	156	86.	टोवडा	192
60.	लुहाड़िया	157	87.	खमला	133
61.	पवांडला	158			
62.	गोविन्दपुरा	160			
63.	सिकन्दरपुर	161			
64.	डोली सराना	164			
65.	परथीगढ़	166			
66.	चौकड़ी खुर्द	169			
67.	चाचुनी	170			
68.	दुधालिता	171			
69.	शिवगढ़	172			
70.	रतनपुरा	173			
71.	चौकड़ी कलां	174			
72.	जगदीशपुरा	175			
73.	गिरधारीपुरा	176			
74.	गुढा	177			
75.	दरियावपुरा	179			

××× विद्युतीकरण योजना में सम्मिलित नहीं ग्रामों की सूची

1.	पाटा पीपली	26/6/1
2.	मुण्डला	2
3.	छपिया	3
4.	मकोडिया	4
5.	सेमली गेहलोत	5
6.	आक्या गेहलोत	6
7.	झीकडिया	7
8.	बनकडी	8
9.	घटिया	9
10.	वोर खेडी करमचन्द	10
11.	रलायती	11
12.	कोलवा गूजर	12

1	2	3
13.	करना खेडी	13
14.	देवरिया किलाल	14
15.	रावतपुरा	15
16.	बिसनिया	30
17.	पिपलाई	31
18.	रापा खेडी	32
19.	रनावरा	34
20.	देवरिया कंवल	35
21.	पासलिया	36
22.	निपानिया झाला	37
23.	कुण्डला	38
24.	जाखनी	39
25.	भड़का	40
26.	खेजड़िया	41
27.	सीन्थला	42
28.	पडासली	43
29.	सीमबिड़ी	44
30.	श्रावण गुराडी	45
31.	साती खेडी	46
32.	खोकर खेड़ी	47
33.	हडमत्या रतना	48
34.	हडमत्या मेरा	49
35.	टोंकडा	50
36.	भजनपुर	51
37.	बरन्या	52
38.	निसल खेडी	54
39.	छायन	55
40.	खमक खेडी	56
41.	लाखा खेडी उमठ	57
42.	गुराडिया देवड़ा	57
43.	कीरिया	93
44.	बामन देवरिया	94
45.	चान्द खेडी	95
46.	रामपुरिया	96
47.	करमा खेडी	97
48.	खेर खेडा	98
49.	सालरिया	99
50.	चिड़ी	104
51.	खायरी	105
52.	कागडिया	106
53.	धर्मपुरी	107
54.	सेदरा	109
55.	डोकर खेडा	110
56.	बीला खेडी	111
57.	कुमठिया	112
58.	चाडा	113
59.	बडिया हीर जी	114

XXX उपरोक्त में से चालू वर्ष में अब तक चार ग्राम क्रम संख्या 2, 30, 38 व 62 का विद्युतीकरण किया जा चुका है।

पाली जिले के विद्यालय

96 श्री प्रभुराम गरासिया (पिंडवाड़ा) : क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले की सोजत एवं मारवाड़ जंक्शन तहसीलों में पंचायत समितियों के अधीन कितने प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या उक्त विद्यालय स्कूल भवनों में संचालित हैं ? यदि नहीं, तो कितने विद्यालय ऐसे हैं जिनके पास स्वय के स्कूल भवन नहीं हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) पंचायत समितियों में क्या अध्यापकों की संख्या छात्रों की संख्या के अनुपात में पूरी है ? यदि नहीं, तो सरकार कब तक रिक्त स्थानों को भरने का विचार रखती है ?

(4) क्या सरकार उक्त तहसीलों में नये विद्यालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) पाली जिले की सोजत पंचायत समिति क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय 93 उच्च प्राथमिक विद्यालय 29 एवं मारवाड़ जंक्शन समिति क्षेत्र प्राथमिक विद्यालय 96 उच्च प्राथमिक विद्यालय 30 सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) उक्त विद्यालय स्वयं के स्कूल भवनों में संचालित हैं तथा 5 विद्यालय माध्यमिक विद्यालय से इसी वर्ष अलग होने के कारण भवन रहित हैं जिनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(3) अधिकांश स्कूलों में संख्या पूरी है जहां कमी है उनकी पूर्ति हेतु जिला परिषद् द्वारा चयन कार्यवाही पूरी की जा रही है ।

(4) नये विद्यालय निर्धारित रीति के अनुसार खोले जाते हैं ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

उदयपुर नगर के आयुर्वेदिक औषधालय

97. श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर नगर में आयुर्वेद के कितने राजकीय औषधालय कार्यरत हैं और उसमें वैद्यों और उप वैद्यों की संख्या कितनी है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) उदयपुर नगर के आयुर्वेद चिकित्सालयों में स्वीकृत दवाइयों के लिये रखे गये प्रावधान और उन पर हुए व्यय का विगत 3 वर्षीय विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि सिन्धी बाजार, आयुर्वेदिक चिकित्सालय में कार्यरत कम्पाउन्डर श्री सत्यनारायण शर्मा का स्थानान्तरण पूलिया, जिला भीलवाड़ा किया गया था और रिलीव भी दिनांक 3-8-90 को कर दिया गया था ? उन्हें पुन: जिला आयुर्वेद अधिकारी, उदयपुर द्वारा दिनांक 27.10.90 को सिन्धी बाजार औषधालय में पदस्थापित किया गया ?

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

यदि हां, तो श्री शर्मा दिनांक 3.8.90 से 27.10.90 तक कहां रहे? इस पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? क्या इस सम्बन्ध में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जा रही है? यदि हां, तो क्या?

(4) क्या यह सही है कि श्री सत्यनारायण शर्मा कम्पाउण्डर के विरुद्ध विभिन्न आरोप लगाये गये और उनके विरुद्ध ज्ञापन भी विभाग में प्राप्त हुए? यदि हां, तो इन ज्ञापनों पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उदयपुर नगर में आयुर्वेद के 8 औषधालय वर्तमान में संचालित हैं। वांछित विवरण (परिशिष्ट 'क') सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) वांछित सूचना (परिशिष्ट 'ख') सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(3) श्री सत्यनारायण शर्मा, कम्पाउण्डर राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय सिन्धी बाजार उदयपुर का स्थानान्तरण निदेशालय पत्रांक 16791 दिनांक 30.6.90 द्वारा फूलिया खुर्द (भीलवाड़ा) (जिला औषधालय में किया गया था। जिला आयुर्वेद अधिकारी उदयपुर ने भी दिनांक 5.7.90 को आदेश जारी कर दिये, किन्तु उन्हें दिनांक 3-8-90 तक सम्बन्धित चिकित्साधिकारी ने औषधालय का चार्ज लेकर कार्यमुक्त नहीं किया। दिनांक 3.8.90 को श्री सत्यनारायण शर्मा को अवकाश काल में ही बिना चार्ज लिये कार्यमुक्त करने के आदेश चिकित्साधिकारी ने जारी किये किन्तु वे आदेश श्री शर्मा को दिनांक 17.11.90 तक तामिल नहीं हो सके। इस बीच दिनांक 5.10.90 को मुन्सिफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, अजमेर के न्यायालय द्वारा यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया गया। न्यायालय का यह आदेश अभी भी प्रभावी है। प्रार्थी श्री सत्यनारायण शर्मा स्थगन आदेश के पश्चात जब अपने कार्य पर उपस्थित हुए तो जिला आयुर्वेद अधिकारी ने उन्हें कार्य पर उपस्थिति नहीं करने दी। इस पर प्रार्थी ने न्यायालय आदेश की अवमानना का प्रार्थना-पत्र दिनांक 25.10.90 को न्यायालय में पेश किया। चूंकि श्री शर्मा को कार्यमुक्त करने के आदेश तामील नहीं हुये थे और उनका पदस्थापन स्थान सिन्धी बाजार बना रहने से तथा न्यायालय आदेश की अवमानना नहीं होने देने के उद्देश्य से निदेशालय के पत्र दिनांक 26.10.90 द्वारा श्री शर्मा को उनके पदस्थापन स्थान पर उपस्थिति करने देने के निर्देश दिये गये।

दिनांक 3.8.90 से 26.10.90 तक की अवधि जिला आयुर्वेद अधिकारी उदयपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त कम्पाउण्डर अवकाश पर अथवा संघ की मांगों के सम्बन्ध में वार्ता हेतु अन्यत्र उपस्थित रहा है।

(4) जी हां। प्राप्त शिकायतों की प्राथमिक जांच उपनिदेशक, उदयपुर से करायी गयी जांच अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 7.8.90 को प्रस्तुत की है, जिसमें शिकायतें निराधार होना पाना

(आयुर्वेद मंत्री)

लिखा है। जांच रिपोर्ट पर निर्णय राज्य सरकार के विचाराधीन है।

एक अन्य शिकायत के सन्दर्भ में निदेशालय के पत्रांक 24056-57 दिनांक 1.7.87 द्वारा श्री शर्मा को राजस्थान असैनिक सेवा (वर्गीकरण नियन्त्रण व अपील) नियमों के नियम 17 में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

परिशिष्ट 'क'

उदयपुर नगर में संचालित आयुर्वेद औषधालयों/चिकित्सालयों की सूची तथा उनमें स्वीकृत चिकित्सक व नर्स/कम्पाउण्डर के पदों का विवरण--

क्र. सं.	स्थान औषधालय	स्वीकृत पद	
		चिकित्सक	नर्स/कम्पाउण्डर
1.	मोती चौहटा, उदयपुर	6	19
2.	सिन्धी बाजार, उदयपुर	1	3
3.	धानमण्डी, उदयपुर	1	2
4.	आयड़, उदयपुर	1	2
5.	टेकरी, उदयपुर	1	2
6.	सुन्दरवास, उदयपुर	1	2
7.	गोवर्धन विलास, उदयपुर	1	2
8.	चान्दपोल, उदयपुर	1	1

परिशिष्ट 'ख'

उदयपुर नगर में संचालित आयुर्वेद औषधालयों/चिकित्सालयों की स्वीकृत औषध बजट एवं वितरित औषधियों का विवरण—

(राशि रुपयों में)

क्र. सं.	स्थान औषधालय	1987-88		1988-89		1989-90	
		स्वीकृत बजट	औषध वितरण	स्वीकृत बजट	औषध वितरण	स्वीकृत बजट	औषध वितरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आयड़, उदयपुर	4000	3921	4400	3915	5900	32 4
2.	टेकरी, उदयपुर	13500	10607	15300	8066	17900	4285

(आयुर्वेद मंत्री)

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	धानमण्डी, उदयपुर	18300	10433	33600	7512	19800	6741
4.	सिंधी बाजार, उदयपुर	11500	8806	23250	3622	2100	2061
5.	सुन्दरवास, उदयपुर	21600	15415	39200	9400	60000	17035
6.	गोरधनविलास, उदयपुर	7800	5536	15650	5089	13000	6724
7.	मोती चौहटा, उदयपुर	75000	92085	75000	67332	75000	71667
8.	चांदपोल, उदयपुर (वर्ष 1988-89 में नवीन स्वीकृत)	—	—	—	—	2000 (1990-91)	1291

श्रमिकों के दैनिक वेतन में वृद्धि

98. रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या राज्य में श्रमिकों के लिए कोई दैनिक वेतन नीति लागू की गई है ? यदि हां, तो न्यूनतम दैनिक वेतन में कितनी वृद्धि की गई है ? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि देश के अन्य प्रान्तों जैसे हरियाणा पंजाब की अपेक्षा राजस्थान में न्यूनतम वृद्धि कम ही की गई है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इस दर पर पुनर्विचार कर न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों का दैनिक वेतन समय-समय पर न्यूनतम वेतन अधि. के तहत निर्धारित किया जाता है तथा दिनांक 2.7.90 से 37 अनुसूचित नियोजनों में श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में निम्न प्रकार वृद्धि की है :-

अकुशल श्रमिक	8/-
अर्द्ध कुशल श्रमिक	8/-
कुशल श्रमिक	8/-

इस प्रकार दैनिक वेतन दर में वृद्धि की जाकर श्रमिकों का न्यूनतम वेतन दिनांक 2.7.90 से निम्न प्रकार निर्धारित किया गया है।

अकुशल श्रमिक	22/- रुपये प्रति दिन
अर्द्धकुशल श्रमिक	23.50 रुपये प्रति दिन
कुशल श्रमिक	25.00 रुपये प्रति दिन

प्रति सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) प्रत्येक राज्य अपने साधनों को ध्यान में रखते हुए श्रमिकों का न्यूनतम वेतन निर्धारित करता है। राज्य सरकार द्वारा भी न्यूनतम वेतन निर्धारित करते समय राज्य की आर्थिक स्थिति एवं स्वयं के संसाधनों एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों में हुई वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए न्यूनतम

(श्रम मन्त्री)

वेतन का निर्धारण/पुनः निर्धारण किया जाता है। राज्य सरकार निकट भविष्य में न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी करने का कोई विचार नहीं रखती है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जैसलमेर जिले के भू-जल भण्डार

99. श्री जितेन्द्र सिंह (जैसलमेर) : क्या भू-जल राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जैसलमेर जिले में लाठी और चान्दन क्षेत्र में भू-जल का विपुल भंडार उपलब्ध है।

(2) क्या सरकार उक्त भू-जल को सूखाग्रस्त क्षेत्र में उपयोग में लाने की कोई योजना बना रही है ? वर्ष 1991–92 में जैसलमेर क्षेत्र में कहां-कहां कितने नलकूप और खोदने की योजना है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

तारांकित प्रश्न संख्या 100

(स्थगित)

जिला बांसवाड़ा किसानों को कुएं खुदवाने हेतु ऋण

101. श्री नवनीत लाल नीनामा (घाटोल) : क्या अकाल राहत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य में 1988-89, 1989-90 में अकाल राहत कार्यों में किसानों को कुएं खुदवाने हेतु सरकार द्वारा राशि दी गई है ? यदि हां, तो जिला बांसवाड़ा में कितने किसानों को अकाल राहत में कुएं खुदवाने के ऋण दिये गये हैं ? नाम किसान मय गांव, पंचायत समिति वार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि बरसात के मौसम में कुए खुदवाने का काम बन्द कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इन कुओं का कार्य राज्य सरकार दुबारा प्रारंभ कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान में वर्ष 1988-89, 1989-90 में अकाल राहत कार्यों में किसानों को कुएं खुदवाने हेतु राहत विभाग द्वारा कोई ऋण राशि नहीं दी गई।

(2) किसानों को कुआं खुदवाने के लिए कोई ऋण राशि ही नहीं दी गई। अतः काम बन्द करवाने का प्रश्न नहीं उठता।

मथुरा वृन्दावन में राज्य की जायदाद

102. श्री मांगीलाल मेघवाल (केशोराय पाटन) :—क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के अधीन मथुरा वृन्दावन में देवस्थान

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

के मन्दिर एवं अन्य जायदाद है ? यदि हां, तो क्या उक्त मंदिरों एवं जायदाद की देखभाल राज्य सरकार द्वारा की जाती है ? क्या मन्दिरों की सम्पत्ति एवं जायदाद राज्य सरकार के ध्यान में है ? यदि हां, तो कितने कितने मूल्य की क्या-क्या वस्तुएं सम्पत्ति व जायदाद है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार के ध्यान में लाया गया है कि मथुरा वृन्दावन के मन्दिरों की जायदादों पर अतिक्रमण हो रहा है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) राजस्थान के अधीन मथुरा, वृन्दावन में देवस्थान के मन्दिर एवं जायदाद है इनकी देखभाल राज्य सरकार द्वारा की जाती है राज्य सरकार के मंदिरों की सम्पत्ति व जायदाद ध्यान में हैं । सम्पत्ति जायदाद एवं वस्तुओं के मूल्य की सूची 'क' मय विवरण संलग्न है।

(2) मथुरा वृन्दावन में राज्य सरकार देवस्थान विभाग के जिन मंदिरों की जायदाद पर अतिक्रमण हुये हैं उनकी सूची 'ख' मय कार्यवाही विवरण के संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखा गया)

आवासन मण्डल अजमेर द्वारा मकानों का निर्माण

103. श्री श्रीकिशन सोनगरा (अजमेर पूर्व) : क्या आवासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अजमेर आवासन मण्डल द्वारा वर्ष 1989-90 व 90-91 में जनता के लिए किस-किस श्रेणी के कितने मकान बनाये गये हैं ?

(2) क्या अजमेर आवासन मण्डल ने अजमेर में कोई आवासन योजना प्रारंभ की है ? यदि हां, तो किस-किस श्रेणी के कितने-कितने मकान बनाने का प्रावधान है ?

(3) अजमेर नगर में विभिन्न आवासीय योजनाओं में कितने आवेदन पत्र पंजीकृत हैं, एवं किस वर्ष तक के आवेदकों को मकान आवंटित कर दिये गये हैं ?

उत्तर

(1) अजमेर आवासन मण्डल द्वारा वर्ष 1989-90 में ब्यावर की आवासीय योजना के अन्तर्गत मध्यम आय वर्ग 'अ' के 158, मध्यम आय वर्ग 'ब' के 37 मकानों का निर्माण किया गया। वर्ष 1990-91 में ब्यावर की आवासीय योजना में उच्च आय वर्ग के 18 आवासों एवं अजमेर में स्ववित्त पोषित योजना (उच्च आय वर्ग) के 14 मकानों का निर्माण किया गया।

(2) जी हां। अजमेर खण्ड द्वारा अजमेर शहर में आवासन मण्डल द्वारा निम्नांकित योजनाएं प्रारम्भ की हैं :—

1. शास्त्री नगर, 2. वैशाली नगर, 3. धोला भाटा, 4. अजय नगर, 5. आना सागर सर्क्युलर रोड, 6. नाका मदार इसके अतिरिक्त अजमेर के उपखण्ड ब्यावर एवं किशनगढ़ में भी आवासन मंडल द्वारा योजनाएं प्रारम्भ की है।

योजना का नाम	आ.द.क. वर्ग	अल्प आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग 'अ'	मध्यम आय वर्ग 'ब'	उच्च आय वर्ग	कुल
1. शास्त्री नगर	—	—	32	37	—	69
2. वैशाली नगर	—	36	58	221	79	394
3. घोला भाटा	50	249	—	23	—	322
4. अजय नगर	400	182	16	37	—	535
5. आना सागर	287	318	97	59	27	788
6. नाका मदार	500	—	192	—	—	692
7. ब्यावर	286	262	287	152	56	1043
8. किशनगढ़	257	71	78	74	8	488

इन उपरोक्त योजनाओं के अतिरिक्त नाका मदार योजना अजमेर में 351 अल्प आय वर्ग के मकानों का वर्ष 1989-90 में कार्य प्रारम्भ करने हेतु योजना बनाई गई थी जिसकी हुडको से स्वीकृति भी दिनांक 30-3-89 को प्राप्त हो गई थी। इसी प्रकार वर्ष 1990-91 में 468 मकानों (अल्प आय वर्ग) 345 (मध्यम आय वर्ग 'अ') 123 का निर्माण कार्य दोराई अजमेर योजना में करने हेतु योजना बनाई गई जिसकी स्वीकृति भी दिनांक 20.11.90 को प्राप्त हो गई थी लेकिन जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा इन योजनाओं के लिये वर्ष 1993 से पूर्व पानी उपलब्ध कराने में असमर्थता व्यक्त किये जाने के कारण इन योजनाओं का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका।

(3) अजमेर में कुल 7878 पंजीकृत आवेदक हैं। आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के लिये वर्ष 1979 तक, अल्प आय वर्ग के 1978 तक, मध्यम आय वर्ग 'अ' के 1979 तक (स्वेच्छा से फ्लेट चाहने वाले आवेदकों को 1981 तक) मध्यम आय वर्ग 'ब' 1978 तक एवं उच्च आय वर्ग के 1979 तक के पंजीकृत आवेदकों को आवास आवंटित किये जा चुके हैं।

परिशिष्ट-4

अतारांकित प्रश्न संख्या 118 का विवरण

राजस्थान में मुक्त हुए बन्धक श्रमिकों का जिलेवार व स्थानवार विवरण

1.	अजमेर	52	
2.	अलवर	57	(48 नूंह, हरियाणा से मुक्त होकर आये)
3.	बांसवाड़ा	327	
4.	बाड़मेर	357	(गुड़गांव से 31, जैसलमेर से 26, कोटा से 28, बूंदी से 31, घड़साना, गंगानगर से 159 बं.श्र. मुक्त हुए)
5.	भरतपुर	48	(25 फरीदाबाद, हरियाणा से मुक्त होकर आये)
6.	भीलवाड़ा	282	(2 चित्तौड़ से मुक्त होकर आये)
7.	बीकानेर	36	(3 घड़साना, गंगानगर से मुक्त होकर आये)
8.	बून्दी	379	
9.	चित्तौड़गढ़	365	
10.	चूरू	44	(6 ब.श्र. बीकानेर से मुक्त होकर आये)
11.	धौलपुर	1	
12.	डूंगरपुर	179	
13.	गंगानगर	175	
14.	जयपुर	26	(6 रोहतक से, 3 जोधपुर से मुक्त होकर आये)
15.	जैसलमेर	2	
16.	जालोर	16	(1 ब.श्र. नूंह हरियाणा से मुक्त होकर आया)
17.	झालावाड़	191	
18.	झुन्झुनू	62	(इनमें से 13 ब.श्र. जयपुर जिले से, 32 ब.श्र. भटिंडा से मुक्त होकर आये। उक्त 32 ब.श्र. के मुक्ति प्रमाणपत्र आना शेष है।
19.	जोधपुर	35	(30 गुड़गांव से एवं 5 कोटा से)
20.	कोटा	4095	(66 का मुक्ति प्रमाणपत्र आना शेष है)
21.	नागौर	15	(8 ब.श्र. जयपुर से मुक्त हुए)

22.	पाली	16	
23.	स. माधोपुर	16	
24.	सीकर	68	(55 ब. श्र. दिल्ली से, 9 मेरठ, उ.प्र. से मुक्त कराये, 4 भटिण्डा पंजाब से मुक्त होकर आये इनका मुक्ति प्रमाणपत्र आना शेष है)
25.	सिरोही	25	
26.	टौंक	6	
27.	उदयपुर	24	
28.	अन्य	405	(ये वे बन्धक श्रमिक हैं जो कोटा के रेलवे कन्स्ट्रक्शन कं. से मुक्त कराकर उड़ीसा व बिहार भेजे गये)

परिशिष्ट-5

अतारांकित प्रश्न संख्या 126 की सूची

पद का नाम	स्थान का नाम	पद
	शहरी क्षेत्र	
अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	एम.जी. अस्पताल, बांसवाड़ा	1
उप नियन्त्रक	,,	1
कनिष्ठ विशेषज्ञ	,,	2
चिकित्सा अधिकारी	,,	4
,, पब्लिक हैल्थ लेब	,,	1
,, लीव रिजर्व ,,	,,	1
	ग्रामीण क्षेत्र	
कनिष्ठ विशेषज्ञ	परतापुर	1
,,	आनन्दपुरी	2
,,	बागीडोरा	1
,,	कुशलगढ़	3
,,	तलवाड़ा	2
एस. एम. ओ.	परतापुर	1
,,	छोटी सरवन	1
,,	छोटा डूंगरा	1
,,	कुशलगढ़	2
,,	छींच	1
,,	आनन्दपुरी	1
,,	बाटोल	3
चिकित्सा अधिकारी	तलवाड़ा	1
,,	कालामेला	1
,,	अरथना	1
,,	बरोडिया	1
,,	आनन्दपुरी	1
,,	नाहरपुरा	1
,,	भखुलकियर	1

(290)

परिशिष्ट–6

अतारांकित प्रश्न संख्या 129 की सूची

जिला पाली में स्थित उप स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पदों की सूची

क्र.सं.	प्रा. स्वास्थ्य केन्द्र का नाम	स्वीकृत उप केन्द्र की सं.	रिक्त	रिक्त उपकेन्द्र का नाम	ए.एन.एम. पद
1	2	3	4	5	6
1.	बेड़ा	47	17	1. भीटवाड़ा	1
				2. गोरिया	1
				3. गुढालास	1
				4. धणी	1
				5. दांतीवाड़ा	1
				6. पांचलवाड़ा	1
				7. कुरण	1
				8. रघुनाथपुरा	1
				9. लालपुरा	1
				10. पीपला	1
				11. कुन्डाल	1
				12. चामुन्डेरी राजावतान	1
				13. सेणा	1
				14. बीरमपुरा	1
				15. कुमटिया	1
				16. श्री सेला	1
				17. मोकमपुरा	1
2.	बाकली	37	11	1. पराकिया	1
				2. कोरटा	1
				3. दीनावास	1
				4. भनापुरा	1

1	2	3	4	5	6
				5. गोगरा	1
				6. भचून्दा	1
				7. घणी	1
				8. देवतरा	1
				9. जाणावलुपुरा	1
				10. हिंगोला	1
				11. नयालपुरा	1
3.	बूसी	29	9	1. रामजी का गुढा	1
				2. गन्दडी	1
				3. नवजीवनकलां	1
				4. बोरडी	1
				5. चांगवा	1
				6. ढारिया	1
				7. छोटीरानी	1
				8. पुनाडिया	1
				9. करली	1
4.	चन्डावल	43	10	1. मेव	1
				2. रामासनी	1
				3. खारियानी	1
				4. सागवास	1
				5. सिसरवाडा	1
				6. बिजपुर	1
				7. मालपुरियाकला	1
				8. मालपुरिया खुर्द	1
				9. लोनेरा	1
				10. दुरासनी	1
5.	खेरवा	25	25	1. हरी	1

1	2	3	4	5	6
				2. एन्दलवास	1
				3. पेणावा	1
				4. साकदडा	1
				5. गोदावास	1
6.	खारची	38	9	1. गुडारामसिंह	1
				2. धामली	1
				3. बबाग	1
				4. चेलावास	1
				5. बडी	1
				6. देवली	1
				7. झिनझाडी	1
				8. समरावर	1
				9. राजकीयावास	1
7.	वाढोत	23	4	1. कोलार	1
				2. मान्डीनगर	1
				3. ससरी	1
				4. बाणी	1
8.	नीमाज	45	12	1. रणीगा	1
				2. सोनाणा	1
				3. दुदापुरा	1
				4. गुढापृथ्वीपुराज	1
				5. बेलाडा	1
				6. लीतरिया	1
				7. फूलमाल	1
				8. बाकावास	1
				9. भूजन्डा	1
				10. लाखनी	1

1	2	3	4	5	6
				11. बुमालिया	1
				12. थरासनी	1
9.	पीपलिया	33	7	1. कालबखुर्द	1
				2. कालबकला	1
				3. चित्ताड	1
				4. सबलपुरा	1
				5. जगमालपुरा	1
				6. दीपावास	1
				7. भैरुकानाका	1
10.	रोहट	20	3	1. खानेडी	1
				2. दुदवा	1
				3. खाण्डी	1

परिशिष्ट-7

अतारांकित प्रश्न संख्या 141 की सूची

विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा के वर्ष 1986-86 से 1989-90 तक विद्युतीकरण हेतु वार्षिक ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम में प्रस्तावित ग्रामों की सूची

क्र.सं. 1	ग्राम का नाम 2	कोड नं. 3	क्र.सं. 1	ग्राम का नाम 2	कोड नं. 3
पं. स. निम्बाहेड़ा					
1-	मोहम्मदपुरा	21/7/7	15-	रावलिया	164
2-	नवाबपुरा	6	16-	श्रीपुरा	166
3-	पेवन्दा खेड़ा	37	17-	निम्बोदा	171
4-	फुटवाल	42	18-	दीपुपुरा	147
5-	कानपुर	47	19-	सोलतपुरा	85
6-	भागल	111	20-	नादिया	82
7-	सापलिया खेड़ी	88	21-	श्री नगर	163
8-	बामनिया	83	22-	अजोता	161
9-	कलन्दर गढ	84	23-	लक्ष्मीपुरा	160
10-	पील खेडी	154	24-	धारेश्वर	162
11-	मलकपुरा	126	25-	पानगढ	144
12-	मनोहर खेडी	149	26-	बेनीपुरा खुर्द	115
13-	एकलिंगपुरा	140	27-	बेनीपुरा कलां	116
14-	बेनीपुरिया	165			
पं. स. छोटी सादड़ी					
1-	मानपुरा जागीर	21/8/43	6-	देवली	61
2-	फतेहपुरासिंह जी का खेडा	42	7-	करणपुरा कलां	56
3-	एकलिंगपुरा	44	8-	काला कोट	86
4-	कल्याणपुरा	150	9-	अखेपुरा	60
5-	छायान खुर्द	139	10-	भैरवी जागीर	59

1	2	3	1	2	3
11-	सांगडी खेडा	83	21-	डावटा	77
12-	नया खेडा	48	22-	पीलीखेडा	58
13-	हरिसिंह जी का खेडा खुर्द	53	23-	पाटिया	89
14-	भचेडी	54	24-	हरमारा की रेल	88
15-	इंटो का तालाब	90	25-	नेगडिया	52
16-	कांकरा	57	26-	हरसिंह जी का खेडा कलां	51
17-	बूरा	87	27-	करणपुरा खुर्द	55
18-	ऊण्डा बेला	46	28-	उदपुरा खुर्द	62
19-	कंवर चौकी	63	29-	लबाना खेडा	72
20-	सरवानिया	74	30-	खानपुर	76

(254)

परिशिष्ट-8

अतारांकित प्रश्न संख्या 142 की सूची

फागी विधान सभा क्षेत्र में हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण के बारे में की गई कार्यवाही का विवरण

क्र.सं. 1	ग्राम पंचायत का नाम 2	हरिजन बस्ती का नाम 3	विवरण 4
1-	-	मूंडिया खुर्द	31-3-87 विद्युतीकृत
2-	-	स्वामी का बास	28-2-87 ,,
3-	-	रामनिवास पटेल कालोनी	31-3-89 ,,
4-	-	निमोड़िया	31-3-89 ,,
5-	-	रायसिंहपुरा	31-10-89 ,,
6-	-	बड़ोदिया	31-7-89 ,,
7-	-	तामडिया	15-1-90 ,,
8-	नीमेड़ा	ह.ब. रोड़ लाइट, निमेड़ा	अनुबन्ध पत्र नहीं देने के कारण निरस्त कर दी गई है।
9-	डीडावता	ह.ब. रोड़ लाइट, डीडावता	,,
10-	नीमेड़ा	ह.ब. रोड़ लाइट, नीमेड़ा	,,
11-	झाड़ला	ह.ब. रोड़ लाइट, दत्तली	,,
12-	झाड़ला	ह.ब. रोड़ लाइट, दत्तली	,,
13-	नीमेड़ा	ह.ब. रोड़ लाइट, जगन्नाथपुरा	,,
14-	नीमेड़ा	ह.ब. रोड़ लाइट, श्रीरामगंज	,,
15-	झाड़ला	ह.ब. रोड़ लाइट, खिजूरिया	,,
16-	चित्तोडा	ह.ब. रोड़ लाइट, मानपुर गेट	आर.ई.सी. स्कीम बनाने के लिये एवं स्वीकृति के लिये भेजी जा रही है।
17-	माधोराजपुरा	ह.ब. इन्द्रा आवासीय योजना, माधोराजपुरा	,,

1	2	3	4
18-	डाबिच	ह.ब. रोड़ लाइट, डाबीच	आर. ई. सी. स्कीम बनाने के लिये एवं स्वीकृति के लिये भेजी जा रही है।
19-	डाबिच	ह.ब. रोड़ लाइट, रैगरों की ढ़ाणी, डाबीच	"
20-	चित्तोड़ा	ह.ब. चित्तोड़ा	"
21-	डाबिच	ह.ब. रोड़ लाइट, फतेहरामपुरा	"
22-	डाबिच	ह.ब. श्रीरामपुरा	"
23-	डाबिच	ह.ब. रोड़ लाइट, गोपालपुरा	"
24-	पहाड़िया	ह.ब. रोड़ लाइट, मोहब्बतपुरा	तकमीना बनाने की कार्यवाही जारी है।
25-	पहाड़िया	ह.ब. रोड़ लाइट, मोहब्बतपुरा	"
26-	पहाड़िया	ह.ब. रोड़ लाइट, मोहब्बतपुरा	"

परिशिष्ट-9

अतारांकित प्रश्न संख्या 145 की सूची

सुमेरपुर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1990–91 में कृषि, घरेलू व औद्योगिक श्रेणी में दिये गये कनेक्शनों की ग्रामवार संख्या सूची

क्र. सं. 1	गांव का नाम 2	घरेलू 3	कृषि 4	उद्योग 5
1.	आकड़दरा	11	—	—
2.	अनोपपुरा	3	—	—
3.	बसंत	13	1	—
4.	बोंगड़ी	10	—	—
5.	बीरामी	26	—	—
6.	बावागांव	27	—	—
7.	बडगावेड़ा	5	—	—
8.	बीठूड़ा	10	—	—
9.	दौलतपुरा	8	—	—
10.	भीदा ढाणी	9	—	—
11.	ढोला जागीर	66	2	1
12.	घणा	1	—	—
13.	ढीगोला	6	—	—
14.	केनपुरा	12	—	—
15.	खागड़ी	3	—	—
16.	पावा	4	1	—
17.	चाणोद	44	—	—
18.	लाणोद	1	—	—
19.	बलाना	29	2	1
20.	सांडेराव	35	5	1
21.	कोशेलाव	48	1	1
22.	वेनपुरा	4	1	—

1	2	3	4	5
23.	दुजाना	32	1	—
24.	देवतरा	20	3	—
25.	धीमाड़ा	7	—	—
26.	मोकमपुरा	14	—	—
27.	बमनीया	8	1	—
28.	धासादा	4	—	—
29.	फतापुरा	7	—	—
30.	खीमेल	41	1	1
31.	माताजी वाड़ा	7	2	—
32.	सुमेरपुर	162	1	8
33.	भणगोर	15	—	—
34.	कोलीवाड़ा	59	—	—
35.	जवाई बांधी	15	—	—
36.	बलवाना	22	—	—
37.	जाखोड़ा	14	—	—
38.	नेतरा	41	—	—
39.	रोजरा	24	—	—
40.	पुराड़ा	14	—	—
41.	खोचांदी	47	1	1
42.	भोमाया	17	—	—
43.	कोरटा	26	1	1
44.	बामनेरा	9	1	—
45.	कानपुरा	10	—	—
46.	पालड़ी	20	—	—
47.	फुतापुरा	2	—	—
47.	धनापुरा	1	—	—
48.	तखतगढ़	69	—	2
50.	बाकली	33	—	—

1	2	3	4	5
51.	मोवी	12	—	—
52.	जाणा	7	—	—
53.	रामनगर	2	—	—
54.	सलोदरिया	10	—	—
55.	विडिया	39	—	—
56.	राजपुरा	—	—	1
57.	भारून्दा	16	1	—
58.	बलपुरा	1	—	—
59.	नवाखेडा	1	—	—
60.	गलधनी	22	—	—
61.	मोरडू	1	—	—
62.	गोठारा	8	—	—
63.	खींदारा गांव	8	—	1
64.	पराखीया	17	—	1
65.	पोयणा	12	—	—
		योग : 1263	25	19

सुमेरपुर विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में कृषि, घरेलू व औद्योगिक बकाया ग्रामवार कनेक्शनों की संख्या सूची

क्र. सं.	गांव का नाम	घरेलू	कृषि	उद्योग
1	2	3	4	5
1.	बमनीया	3	13	–
2.	घाणड़ा	7	11	–
3.	फत्तापुरा	6	3	–
4.	खीमेल	42	23	–

1	2	3	4	5
5.	पावा	51	15	–
6.	बिरामी	6	20	–
7.	बाबा गांव	23	4	–
8.	चाणोद	22	–	–
9.	लाणोद	18	2	–
10.	बसन्त	22	12	1
11.	बलान	11	11	1
12.	सान्डेराव	11	37	2
13.	कोशेलाव	95	68	–
14.	दुजाना	34	26	–
15.	ढोला जागीर	4	7	–
16.	बांगड़ी	7	8	–
17.	आकड़दा	6	2	–
18.	अनोपपुरा	5	–	–
19.	बड़गावड़ा	10	3	–
20.	बिठुड़ा	2	3	–
21.	चाचुन्दा	7	–	1
22.	ढोलपुरा	4	1	–
23.	डोला शासन	1	2	1
24.	घणा	11	9	–
25.	हिंगोला	6	11	–
26.	सांगड़ी	1	6	–
27.	पिचावा	11	6	–
28.	गुड़िया	12	5	–
29.	सिन्दरू	30	16	–
30.	मोकमपुरा	13	23	–
31.	देवतरा	2	12	–

(260)

1	2	3	4	5
32.	खीमाड़ा	2	16	–
33.	बरली		1	–
34.	वेनपुरा		3	–
35.	सुमेरपुर	211	3	3
36.	अणगोर	4	–	–
37.	कोलीवाड़ा	4	9	–
38.	जवाई बांध	5	–	–
39.	बलवाना	8	10	–
40.	जाखोडा	5	22	–
41.	नेतरा	6	21	–
42.	रोजरा	5	7	–
43.	पुराड़ा	24	10	–
44.	खीवांदी	25	9	–
45.	चोमावा	2	7	–
46.	कोरटा	17	13	–
47.	बामनेरा	3	2	–
48.	कानपुरा	3	9	–
49.	पालड़ी	7	16	–
50.	फत्तापुरा	2	3	–
51.	धनापुरा	1	2	–
52.	तख्तगढ़	41	–	3
53.	बाकली	4	35	–
54.	मोवी	10	32	–
55.	नाणा	1	9	–
56.	रामनगर	4	2	–
57.	सलोदिया	1	3	–
58.	बिठीया	–	3	–
59.	राजपुरा	–	6	–

1	2	3	4	5
60.	भारून्दा	–	10	–
61.	बलुपुरा	–	7	–
62.	नवाखेड़ा	–	4	–
63.	गलथनी	–	11	–
64.	सोनपुरा		2	–
65.	मोरडू	–	3	–
66.	वागरा	–	1	–
67.	खींदारा गांव	–	10	–
68.	पराखिया	–	13	–
69.	पोयरणा	–	2	–
	योग :	908	678	13

परिशिष्ट-10

अतारांकित प्रश्न संख्या 146 की सूची

जोधपुर जिले में वर्ष 1988–89 व 1989–90 में अनुसूचित जाति श्रेणी में कृषि कनेक्शन हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों व दिये गये कृषि कनेक्शनों की संख्या सूची–

क्र.सं.	गांव का नाम	प्राप्त आवेदन पत्र	दिये गये कनेक्शन
1	2	3	4
1.	करवड़	1	—
2.	बैरू	4	4
3.	इन्द्रोका	0	3
4.	कैस	5	4
5.	मनाई	3	—
6.	सालोड़ी	5	1
7.	माणकलाव	1	—
8.	मालकोसनी	2	—
9.	जातिवास	2	—
10.	बिलाड़ा	5	—
11.	खारिया मीठापुर	7	4
12.	पीचीयाक	2	1
13.	वरना	1	1
14.	विजासिनी	1	1
15.	हर्ष	2	2
16.	भाक	2	2
17.	सिलारी	1	1
18.	जसपाली	2	1
19.	रिया	1	—
20.	माडपुरिया	5	2
21.	सवासपुरा	7	2

1	2	3	4
22.	वासनी खारिया	3	1
23.	गोडावट	2	1
24.	पीपाड़ रोड	1	—
25.	गुरकासनी	5	—
26.	वरेसन्दा	6	2
27.	हरियावाणा	12	—
28.	खेजड़ला	2	—
29.	छापला	2	—
30.	खारिया खंगार	2	1
31.	देवातड़ा	4	3
32.	बुड़ादिया	1	—
33.	सोपड़ा	1	—
34.	ताम्बडिया कलां	2	—
35.	ढोटियाल	1	—
36.	नांगलवास	1	—
37.	घोरू	1	—
38.	रूढ़िया	6	—
39.	विरानी	6	—
40.	अरटिया कलां	3	1
41.	मोस्तरा	5	4
42.	कलावास	1	—
43.	हीरादेसरा	1	—
44.	वन्दड़ा	2	—
45.	अरटिया खुर्द	3	3
46.	भोपालगढ़	3	—
47.	वासनी हरिसिंह	1	—
48.	हिंगोली	1	—
49.	गादेरी	3	1

269

1	2	3	4
50.	आसोप	9	7
51.	कुम्हारा	2	–
52.	रड़ोद	2	–
53.	गोविन्दपुर	1	–
54.	गरासनी	3	3
55.	रामपुरा	2	2
56.	सुरपुरा खुर्द	2	2
57.	नाहासर	3	–
58.	रजलानी	2	–
59.	वारनी खुर्द	2	1
60.	कुई इंदा	1	1
61.	वालेसरा कला	1	–
62.	केतु कला	2	–
63.	विराई	1	1
64.	गोपालसर	1	1
65.	वस्तवा	5	–
66.	उराम्बुर	1	1
67.	चिड़वई	1	1
68.	चोरड़िया	3	1
69.	फलाऊ	1	1
70.	चामू	1	–
71.	डेरिया	1	–
72.	जेठानिया	1	1
73.	दासनिया	1	–
74.	माणू राजवा	1	–
75.	कुशलावा	1	1
76.	खींचन	1	1
77.	कोतू राठौड़ा	1	1

1	2	3	4
78.	बिराई	5	3
79.	कैलाव कला	1	1
80.	नेनड़ा	2	2
81.	मैलाना	2	2
82.	लदेरा कला	1	1
83.	वासनी पाता	1	1
84.	धनारी कला	4	3
85.	नारिया खुर्द	1	1
86.	नादिया कला	1	1
87.	सोयला	4	2
88.	चरालिया	1	1
89.	मवाद	1	1
90.	लवेरा खुर्द	1	1
91.	तिवरी	20	15
92.	वालरवा	12	10
93.	वीज वाडिया	1	—
94.	राजासनी	1	—
95.	देवड़ा	5	3
96.	वरलावासजी	5	4
97.	जेलू गंगाड़ी	5	5
98.	मैसर कोटयाली	6	4
99.	बड़ा कोरेचा	3	3
100.	मालुंगा	1	1
101.	वाड़ी	2	1
102.	बानकावारा	1	—
103.	मलानिया सारा	7	5
104.	रामपुरा	1	—
105.	मैसूर कुतड़ी	6	4

1	2	3	4
106.	उम्मेद नगर	4	2
107.	खुडियाला	1	–
108.	नेरवा	2	–
109.	आंमिया	1	–
110.	वेड्चारन	2	–
111.	वेराड़	1	–
112.	गोपासरिया	1	–
		315	149

जोधपुर जिले में वर्ष 1988-89 एवं 1989-90 में अनुसूचित जनजाति श्रेणी में कृषि कनेक्शन हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों व दिये गये कृषि कनेक्शनों की संख्या सूची :–

क्र सं.	गांव का नाम	प्राप्त आवेदन पत्र	दिये गये कनेक्शन
1.	सदिया	2	–
2.	ओस्तरा	2	2
3.	नाढासर	1	–
4.	आसोप	5	2
5.	तिवरी	–	–
6.	वालेसर कुई जोधा	1	–
7.	फलौदी	–	–
8.	बावड़ी कैलवा कला	1	–
		12	4

परिशिष्ट-11

अतारांकित प्रश्न संख्या 151 की सूची

(1) पंचायत समिति, घाटोल, जिला बांसवाड़ा के 31 ग्राम पंचायतों में वर्ष 1985 से 1990 तक 13284 व्यक्तियों को चयनित किया गया।

(2) ग्राम पंचायत बड़ी पड़ाल, पंचायत समिति घाटोल जिला बांसवाड़ा में वर्ष 1985 से 1991 तक 132 परिवारों का चयन किया गया, 66 लाभान्वित किये गये एवं 66 परिवार शेष रहे हैं। इनका वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है :—

वर्ष	चयनित	लाभान्वित	शेष उपलब्ध परिवार
1985-86	26	16	10
1986-87	74	12	72
1987-88	—	10	62
1988-89	—	—	62
1989-90	—	—	62
1990-91	32 (अन्त्योदय)	28	66
योग	132	66	66

उपरोक्त शेष रहे 66 परिवारों में से 34 परिवार ए. ग्रा. वि. कार्यक्रम के एवं शेष 32 अन्त्योदय में चयनित परिवार हैं। शेष रहे परिवारों में से पात्र परिवारों को नियमानुसार लाभान्वित करने का प्रयास किया जावेगा।

269

परिशिष्ट-12

अतारांकित प्रश्न संख्या 152 का विवरण

जिला कलक्टर महोदय, बून्दी के आदेश क्रमांक : एफ 25-4 (एस.एस.)विकास/88/430-32 दिनांक 10 मार्च, 1989 के द्वारा वर्ष 1988-89 हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम रघुनाथपुरा पंचायत दुगारी के निम्न व्यक्तियों को 1250/- रुपये नकद सहायता एवं 2 क्विंटल गेहूं कीमत 328/- रुपये 1578/- रुपये प्रति व्यक्ति से स्वीकृति प्रदान की गई थी।

क्र.सं.	नाम व पिता का नाम	जाति	ग्राम	पंचायत
1-	श्री कस्तुरा आ. गोरू	बैरवा	रघुनाथपुरा	दुगारी
2-	श्री लोडक्या आ. गोपाल	बैरवा	रघुनाथपुरा	दुगारी
3-	श्री रुगनाथ आ. नानू	बैरवा	रघुनाथपुरा	दुगारी
4-	श्री करणा आ. नानगा	बैरवा	रघुनाथपुरा	दुगारी
5-	श्री गंगाराम आ. मंगला	बैरवा	रघुनाथपुरा	दुगारी
6-	श्री लोडक्या आ. कंवरा	बैरवा	रघुनाथपुरा	दुगारी
7-	श्री प्रहलाद आ. बजरंगा	बैरवा	रघुनाथपुरा	दुगारी
8-	श्री रामदेव आ. कजोड़	बैरवा	रघुनाथपुरा	दुगारी
9-	श्री केसरा आ. किशोर	बैरवा	रघुनाथपुरा	दुगारी
10-	श्री घासी आ. गंगाराम	बैरवा	रघुनाथपुरा	दुगारी

पंचायत समिति, नैनवा द्वारा भुगतान आदेश क्रमांक 70-71 दिनांक 10-08-89 जारी किया गया जिसमें 10 स्वीकृत व्यक्तियों को 1250/- रुपये प्रति व्यक्ति नकद तथा 2 क्विंटल गेहूं रुपये 328/- प्रति व्यक्ति दिये जाने के आदेश प्रसारित किये गये।

परिशिष्ट-13

अतारांकित प्रश्न संख्या 153 की सूची

क.सं.	नाम उचित मूल्य दुकान
1.	रामनगर सहकारी उपभोक्ता भण्डार उचित मूल्य दुकान 178/181
2.	मै. ओमप्रकाश हरीशकुमार उचित मूल्य दुकान 155-57
3.	मै. महावीर प्रसाद जैन, मानसिंहपुरा उचित मूल्य दुकान नम्बर 430-431
4.	मै. नवनीतकुमार जसोरिया, उचित मूल्य दुकान नम्बर-30
5.	मोहन लाल दुसाद उचित मूल्य दुकान नम्बर-132
6.	मै. सन्तोष कुमार, उचित मूल्य दुकान नम्बर 291-92
7.	मै. महावीर प्रसाद जैन, उचित मूल्य दुकान नम्बर 431
8.	मै. रामबाबू, उचित मूल्य दुकान नम्बर 285
9.	हरिओम शर्मा, मुरलीपुरा उचित मूल्य दुकान नम्बर 285
10.	राजकुमार जैन, उचित मूल्य दुकान नम्बर 466
11.	उचित मूल्य दुकान नम्बर 45
12.	उचित मूल्य दुकान नम्बर 378
13.	उचित मूल्य दुकान नम्बर 218/232
14.	मै. लल्लू लाल कुमावत, उचित मूल्य दुकान नम्बर 470
15.	उचित मूल्य दुकान नम्बर 124-125
16.	गिर्राज गोयल, सिन्धी कालोनी, जयपुर उचित मूल्य दुकान नम्बर 495
16.	हनुमान सहाय अग्रवाल,
18.	मिट्टी के तेल व चीनी नहीं मिलने बाबत।
19.	मै. शफी मोहम्मद कुरैशी, उचित मूल्य दुकान नम्बर 212 व 131
20.	मै. हरिनारायण लल्लूराम, उचित मूल्य दुकान नम्बर 498
21.	दुकान नम्बर-30
22.	मै. शंकरसिंह, उचित मूल्य दुकान नम्बर 232 व 218
23.	उचित मूल्य दुकान नम्बर 270
24.	केदारनाथ अग्रवाल, उचित मूल्य दुकान नम्बर 290
25.	हरिओम शर्मा, सिन्धी कालोनी, झोटवाड़ा, उचित मूल्य दुकान नम्बर 285

(270)

26. दुकान नम्बर 337 व 350 श्री राम कालोनी, स्टेशन रोड, शनिश्चर जी के मन्दिर के पीछे।
27. दुकान नम्बर 256 व 257 नाहरी का नाका, जयपुर।
28. उचित मूल्य दुकान नम्बर 311, खातीपुरा।
29. उचित मूल्य दुकान नम्बर 24
30. श्री मोहन लाल, जयलाल मुंशी का रास्ता, उचित मूल्य दुकान नम्बर 122
31. उचित मूल्य दुकान नम्बर 475, भोमियों की छतरी, आदर्श नगर।
32. उचित मूल्य दुकान नम्बर 466
33. उचित मूल्य दुकान नम्बर 28 व 33।
34. उचित मूल्य दुकान नम्बर 422 शिवाड़ एरिया, बापूनगर।
35. उचित मूल्य दुकान नम्बर 528
36. उचित मूल्य दुकान नम्बर 529
37. उचित मूल्य दुकान 428, 432, 445
38. उचित मूल्य दुकान नम्बर 224

परिशिष्ट-14

अतारांकित प्रश्न संख्या 156 की सूची

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत पं. स. शाहबाद की कूप निर्माण की सूची

क्र. सं.	किसान का नाम	गांव
1	2	3
1.	श्री गोदा/टुण्डा चमार	सहरोल तलहटी
2.	श्री लाल/लच्छी सहर	,,
3.	श्री अपरू/दयाचन्द धोबी	,,
4.	श्री चेबू/दुर्जन सहर	बिरयानी
5.	श्री खच्चू/तुल्ला सहर	,,
6.	श्री धुल्ली/अलाडिया	,,
7.	श्री रामचन्द्र/अपरू सहर	,,
8.	श्री खेरू/किशा सहर	गोयरा
9.	श्री जोखा/अमरलाल सहर	शुभधरा
10.	श्री गब्बू/जल्या सहर	ओयल
11.	श्री गोदा/मम्मा सहर	देवरी
12.	श्री नकदू/खच्चू चमार	,,
13.	श्री गोविन्दा/फोदलिया चमार	,,
14.	श्री बाबर/बंशी सहर	,,
15.	श्री तिरसिया/धर्मा सहर	,,
16.	श्री खेरू/सौमा चमार	,,
17.	श्री मंगलिया/फोदलिया चमार	,,
18.	श्री दुलीचन्द/कुंजीलाल अहेडी	चांदा
19.	श्री उम्मेदसिंह/धूलसिंह अहेडी	चिन्डालिया
20.	श्री ग्यारसी/सूखा चमार	हुतवारी
21.	श्री लक्ष्मणलाल/कन्हैयालाल बलाई	,,
22.	श्रीमती गब्बूबाई/ओंकार चमार	,,
23.	श्री बलराम/भोलाल सहर	पेनावडा

1	2	3
24.	श्री तेज्या/बग्शी सहर	पेनावड़ा
25.	श्री राधे/पेमा सहर	कलोनी
26.	श्री फुन्दीलाल/जसराम सहर	मानासागर
27.	श्री सुखदेव/छोटू सहर	,,
28.	श्री पूना/कमजी भील	,,
29.	श्री रईसा/परसु सहर	,,
30.	श्री सुन्दरलाल/सूखा सहर	,,
31.	श्री नाथू/कनजी सहर	,,
32.	श्री अमृतलाल/हल्कू सहर	,,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम		
1.	श्री भोदू/फागू सहर	बिरयानी
2.	श्री मुकुन्दी/गंगासहर	,,
3.	श्री घासीया/भोला सहर	,,
4.	श्री रतना/तुला सहर	,,
5.	श्री भंवरा/तुला सहर	,,
6.	श्री भूरा/घासी चमार	,,
7.	श्री जसुवा/लुक्की चमार	सहरोल तलहटी
8.	श्री गणपत/भंवरा चमार	,,
9.	श्री बावरिया/पिरसु सहर	,,
10.	श्री सुरिया/प्रताप खंगार	,,
11.	श्री माना/सुन्दरलाल	,,
12.	श्री रती/प्यारे सहर	भोयल
13.	श्री हरीराम/दयाचन्द सहर	,,
14.	श्री लाला/रंगलाल सहर	,,
15.	श्री जगनी/हंसा सहर	,,
16.	श्री पोच्या/परमा सहर	,,
17.	श्री नकटू/खच्चू सहर	,,
18.	श्री साजनदेही/पुरानी सहर	,,

1	2	3
19.	श्री कम्मू/नरेन्द्र सहर	मोयल
20.	श्री पाती/फैली सहर	फरदुम्रा तलहटी
21.	श्री रतना/फेन्दी सहर	,,
22.	श्री मोडू/कान्हा सहर	हरीपुरा
23.	श्री देसू/ग्रसाड़िया सहर	,,
24.	श्री ग्रमरलाल/रामचन्द्र सहर	,,
25.	श्री बाबू/बन्शी सहर	,,
26.	श्री मोतिया/परमा सहर	,,
27.	श्री रतना/फीता सहर	खुशालपुरा
28.	श्री तिरस्या/ल्लेरी सहर	,,
29.	श्री मांगीलाल/हीरा सहर	,,
30.	श्री जगेद/सोमा सहर	,,
31.	श्री सुखालाल/भोला सहर	डडावड
32.	श्री पूरा/नूरजी भील	घुभघरा
33.	श्री कल्याण/बद्री सहर	देवरी
34.	श्री गब्बू/मन्नाजी सहर	,,
35.	श्री प्यारेलाल/कुपा सहर	,,
36.	श्री ग्रमरलाल/भजना सहर	,,
37.	श्री दोल्या/धूल्या सहर	,,
38.	श्री मांगीलाल/गोधा चमार	केलवाडा
39.	श्री मूलचन्द/चतरा चमार	,,
40.	श्री हल्कू/सरमानिया कोली	,,
41.	श्री गज्जू/मदन वर्मा	नारायणखेडा
42.	श्री मंगलिया/रतना चमार	,,
43.	श्री मानू/परसा चमार	,,
44.	श्री शम्भा/हीरा सहर	सेमलीफाटक
45.	श्री मिश्रीलाल/परसू सहर	महोदरा
46.	श्री जमनालाल/लसुवा	सहर महोदरा

1	2	3
47.	श्री फगुवा/रकोली सहर	सहर महोदरा
48.	श्री सीताराम/हब्बा बलाई	,,
49.	श्री मुरली/लालसिह अहेडी	ऊनी
50.	श्री जगन्नाथ/भंवरलाल सहर	पेनावडा
51.	श्री जगनिया/पेमा	सहर हरिपुरा
52.	श्री रंगा/तेज्या सहर	,,
53.	श्री फागु/कान्हा सहर	,,
54.	श्री देवीलाल/अमरलाल सहर	,,
55.	श्री सुखा/बन्शी धोबी	रामपुर तलहटी
56.	श्री मुरारी/किशना धोबी	,,
57.	श्री सुखलाल/आनन्दीलाल सहर	ओगरड
58.	श्री डग्गी/बन्शी सहर	कस्बाथाना
59.	श्री हजारी/भंवरिया सहर	हरिपुरा
जवाहर रोजगार योजना		
1.	श्री राम किशन/सुगनी	बामनगंवा
2.	श्री पितराम/चिन्टू	,,
3.	श्री नथुआ/जसुआ	,,
4.	श्री रतना/पाच्या	बिरयानी
5.	श्री हुकुमचन्द/हरचन्दी	पुरुषोत्तमपुरा
6.	श्री सिल्लू/लुक्की	सहरोल तलहटी
7.	श्री बद्री/भंवरलाल	,,
8.	श्री सीताराम/सुन्दरलाल	,,
9.	श्री माना/चिन्टू	,,
10.	श्री गणपत/भवरू	,,
11.	श्री छीता/चेडा	हनोतिया
12.	श्री मंगी/घसीटा	,,
13.	श्री जगराम/श्रीराम	गोयरा

1	2	3
14.	श्री लच्छी/अर्जुन	बीलखंडामाल
15.	श्री मोहन/चेतु	,,
16.	श्री भमरू/रूगनी	,,
17.	श्री खेरू/चिनई	,,
18.	श्री भमरू/हरिया	करवाथाना
19.	श्री मुरारीलाल/मूंगालाल	,,
20.	श्री जगदीश/घासीलाल	केलवाडा
21.	श्री गंगाराम/गिरधारी	पेनावदा
22.	श्री बच्चू/बद्रीलाल	,,
23.	श्री सांवलिया/हरिराम	खिरिया
24.	श्री मोठूलाल/श्री अर्जुन	,,
25.	श्री मदनलाल/भागचन्द	,,
26.	श्री हरीलाल/देवीलाल	अहेडी
27.	श्री भीसा उर्फ छीतर/श्री कुंजीलाल	हतवारी
28.	श्री राजाराम/रामकिशन	वाल्दा

सिचाई सुविधा प्राप्त कुओं की सूची

1.	श्री लक्ष्मणलाल/कन्हैयालाल बलाई	हतवारी
2.	श्री तेज्या/बंशी सहर	पेनावदा
3.	श्री बलराम/शोलाल सहर	,,
4.	श्री नाथू/कनजी सहर	मानासागर

276

परिशिष्ट-15

अतारांकित प्रश्न संख्या 157 की सूची

क्र.सं.	नाम गैस वितरक	स्थान
1	2	3
1.	जयपुर गैस सर्विस	जयपुर (आई. ओ. सी.)
2.	पण्डित गैस सर्विस	,,
3.	नवीन गैस सर्विस	,,
4.	राजधानी गैस सर्विस	,,
6.	शांति गैस सर्विस	,,
6.	राज. राज्य सह. क्रय विक्रय संघ	,,
7.	कविता एण्टर प्राईजज	,,
8.	मीना एण्टर प्राइजेज	,,
9.	तेज एण्टर प्राईजेज	,,
10.	चिकारा गैस सर्विस	जयपुर
11.	सुषमा गैस सर्विस	,,
12.	पूरन गैस सर्विस	,,
13.	ओम गैस एजेन्सी	,,
14.	जोधपुर गैस एजेन्सी सर्विस	जोधपुर
15.	वीर शिव गैस सर्विस	,,
16.	टेक्नोक्रेस	,,
17.	प्रताप गैस एजेन्सी	,,
18.	महावीर गैस सर्विस	,,
19.	ए. एस. सी सप्लाई डिपो	,,
20.	फलौदी गैस सर्विस	फलौदी
21.	बिलाड़ा गैस सर्विस	बिलाड़ा
22.	सोजत गैस सर्विस	सोजत
23.	करूपा गैस एजेन्सी	जैसलमेर
24.	बी.के. एण्टर प्राईजेज	पाली
25.	माउण्ट गैस एण्टर प्राईजेज	माउण्ट आबू
26.	अबंदा गैस सर्विस	आबू रोड
27.	बाड़मेर गैस एजेन्सी	बाड़मेर
28.	बालोतरा गैस सर्विस	बालोतरा
29.	अरावली गैस सर्विस	उदयपुर
30.	उदयपुर गैस सर्विस	उदयपुर
31.	शिव शक्ति गैस सर्विस	उदयपुर
32.	टौंक गैस डिस्टीब्यूटर्स	टौंक
33.	रेन एण्टर प्राईजेज	स. माधोपुर
34.	प्रियंका गैस सर्विस	हिण्डौन
35.	जे.के. एण्टर प्राईजेज	गंगापुर सिटी
36.	करौली गैस सर्विस	करौली
37.	ब्रज गैस	भरतपुर
38.	एम्यूनेशन डिपो	भरतपुर
39.	गुनेर गैस सर्विस	अलवर
40.	गोविन्द गैस सर्विस	अलवर
41.	फ्लेम गैस सर्विस	बीकानेर
42.	बी.एस.यू.डबल्यू.बी.	बीकानेर

1	2	3
43.	ए. एस. सी. गैस एजेन्सी	बीकानेर
44.	राजेश गैस सर्विस	राजगढ़
45.	हनुमानगढ़ गैस सर्विस	हनुमानगढ़
46.	ए.एस.सी. सप्लाई डिपो	श्रीगंगानगर
47.	एस.एस.यू.डबल्यू.बी.	,,
48.	आर डी एम ई सी सी बी	दरिबा
49.	ए.एस.यू.डबल्यू.बी.	अजमेर
50.	अवन्तिका एण्टर प्राईजेज	,,
51.	कुक एन कुक	,,
52.	श्री चन्दरियन गैस एजेन्सी	,,
53.	उदय गैस एजेन्सी	,,
54.	के.सी.एम.एस	कोटा
55.	दिनेश गैस एजेन्सी	,,
56.	सुविधा गैस एजेन्सी	,,
57.	राजस्थान इण्डेन गैस	,,
58.	ए एस सी गैस एजेन्सी	,,
59.	चित्तोड़गढ़ गैस सर्विस	चित्तौड़गढ़
60.	गिरधर गैस सर्विस	मकराना
61.	कचामन गैस सर्विस	कुचामन सिटी
62.	पेंशा कारपोरेशन	भीलवाड़ा
63.		
64.	विक्टोरी गैस सर्विस	पलानी
65.	कोपर कल्याण ट्रस्ट	खेतड़ी
66.	मोन्टू गैस सर्विस	नीम का थाना
67.	शंभू गैस सर्विस	बारी
68.	बयाना गैस सर्विस	बयाना
69.	ब्यावर गैस सर्विस	ब्यावर
70.	जयकृष्णा गैस एजेन्सी	रतनगढ़
71.	ए.एस.सी गैस एजेन्सी	नसीराबाद
72.	चोखानी गैस सर्विस	नवलगढ़
73.	शेखावाटी गैस सर्विस	झुन्झुनू
74.	ए. एस. सी. गैस एजेन्सी	सूरतगढ़
75.	बी. के. एजेन्सी	जयपुर (इन आपरेट) बंद है
76.	देव गैस सर्विस	,, ,, बन्द है।
77.	मैसर्स अमित गैस सर्विस	दौसा (बी.पी. सी.)
78.	मैसर्स कांकरिया गैस सर्विस	जयपुर
79.	मैसर्स पार्बती गैस सर्विस	,,
80.	शिव गैस सर्विस	,,
81.	मै. उर्मिल गैस सर्विस	,,
82.	मै. राजधानी गैस सर्विस	,,
83.	मै. अम्बिका गैस सर्विस	,,
84.	मै. अलवर गैस	अलवर
85.	मै. मॉडर्न गैस सर्विस	,,
86.	मै. राज गैस सर्विस	भरतपुर

2703

1	2	3
87.	मै. श्रीराम गैस सर्विस	डीग
88.	मै. गोदारा गैस एजेन्सी	रावतसर
89.	मै. जय बजरंगबली गैस सर्विस	सूरतगढ़
90.	मै. जालोर गैस सर्विस	जालौर
91.	मै. द्वारकेश गैस एजेन्सी	कांकरोली
92.	मै. कालिका गैस सर्विस	निम्बाहेड़ा
93.	मै. नूतन गैस सर्विस	उदयपुर
94.	मै. अरुण गैस एजेन्सी	बूंदी
95.	मे. अरविन्द गैस एजेन्सी	कोटा
96.	मै. सुलभ गैस	,,
97.	मै. ख्वाजा गैस एजेन्सी	अजमेर
98.	मै. विमल डिस्टीब्यूटर्स	भीलवाड़ा
99.	मै. बागड़िया गैस सर्विस	चूरू
100.	मै. विक्रम गैस सर्विस	सीकर
101.	मंगलम गैस सर्विस	सरदार शहर
102.	मै. देव गैस सर्विस	जोधपुर
103.	मै. मडोर गैस सर्विस	,,
104.	मै. सिधार्थ गैस सर्विस	बीकानेर
105.	कोटा गैस कम्पनी	कोटा (एच.पी. डीलर)
106.	बतरा गैस सर्विस	उदयपुर
107.	अणुशक्ति सहकारी उपभोक्ता भण्डार	कोटा
108.	जावर माइन्स इंप्लोईज कोपरेटिव सोसायटी अलि.	उदयपुर
109.	डागा गैस सर्विस	बीकानेर
110.	गहलोत गैस सर्विस	नागौर
111.	शशि गैस सर्विस	जयपुर
112.	मारवाड़ गैस सर्विस	जोधपुर
113.	मै. भगवती एण्टरप्राईजेज	अजमेर
114.	मै. मोहनलाल ओमप्रकाश एच.पी.गैस डीलर	सिरोही
115.	मेसर्स झालावाड़ गैस एजेन्सी	झालावाड़
116.	लक्ष्मी गैस एजेन्सी	डूंगरपुर
117.	मै. महेन्द्रा गैस सर्विस	जैसलमेर
118.	मै. मरुधर गैस	जोधपुर
119.	मै. हाड़ौती गैस कंपनी	कोटा
120.	मै. मेवाड़ जावा गैस सर्विस	उदयपुर
121.	मै. मोहन गैस एजेन्सी	जयपुर
122.	गगन गैस एजेन्सी	श्री गंगानगर
123.	मै. शिवाने गैस सर्विस	धोलपुर
124.	मै. मारुति मंगल गैस सर्विस	चूरू
125.	मै. मोहन गैस सर्विस	अलवर
126.	मै. वायु सैनिक गैस एजेन्सी	झुन्झुनु
127.	किशनगढ़ गैस सर्विस	किशनगढ़

1	2	3
128.	मै. आनन्द गैस एजेन्सी	जयपुर
129.	मै. ख्याल लक्ष्मी गैस एजेन्सी	जयपुर
130.	मै. बरन गैस सर्विस	कोटा
131.	मै. खराड़ी गैस सर्विस	बांसवाड़ा
132.	मै. चन्द्रा गैस सर्विस	जोधपुर
133.	मै. अग्रवाल गैस सर्विस	जयपुर
134.	मै. मातृछाया गैस सर्विस	अजमेर
135.	गोयल गैस सर्विस	(ब्यावर) अजमेर
136.	मै. की एस एन्टर प्राईजेज	जयपुर
137.	मै. झालरापाटन गैस सर्विस	झालावाड़
138.	मै. खण्डेलवाल गैस सर्विस	जयपुर
139.	राज गैस सर्विस	बीकानेर
140.	मैं. फतेहपुर सर्विस	सीकर
141.	अम्बिका गैस सर्विस	सीकर
142.	मै. किसान गैस सर्विस	जोधपुर
143.	मै. ओम गैस सर्विस	अजमेर
144.	मै. सूर्या गैस सर्विस	उदयपुर
145.	मै. रणथम्भोर गैस सर्विस	सवाई माधोपुर
146.	मै. आशीश गैस एजेन्सी	जयपुर
147.	मै. आधुनिक गैस एजेन्सी	कोटा
148.	मै. विजय गैस सर्विस	झुन्झुनू
149.	मै. सरस्वती गैस एजेन्सी	जयपुर

परिशिष्ट-16

अतारांकित प्रश्न संख्या 162 की सूची

राजस्थान सरकार
कृषि (ग्रुप बी) विभाग

क्रमांक पं. च. 15/कृषि-ग्रुप 2बी/89 जयपुर, दिनांक : 19.10.89

सचिव,
राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड
जयपुर।

विषय :– कृषि उपज मण्डी समितियों के अन्तर्गत नवीन ग्रामीण सम्पर्क सड़कें एवं अधूरी सड़कों को पूर्ण कराने की स्वीकृति !

महोदय,

निर्देशानुसार जिला बाड़मेर, अलवर, झालावाड़, गंगानगर, कोटा, झुन्झुनू, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, जोधपुर, उदयपुर, टौंक, बीकानेर, अजमेर, सीकर, जयपुर, नागौर, पाली एवं भीलवाड़ा जिलों के अन्तर्गत कार्यरत विभिन्न कृषि उपज मण्डी समितियां जिनका विस्तृत विवरण संलग्न किया जा रहा है के लिए नवीन ग्रामीण सम्पर्क सड़कों/अतिरिक्त सड़कों को निर्माण कराने/पूर्ण कराने की राज्य सरकार की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

भवदीय
(प्राणेश्वर तिवाड़ी)
उपशासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, कृषि मन्त्री/कृषि उत्पादन सचिव/सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
2. सम्भागीय आयुक्त, बीकानेर, अजमेर, जोधपुर, कोटा एवं जयपुर
3. निदेशक, कृषि विपणन विभाग, राज. जयपुर
4. मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग (पथ) जयपुर
5. जिलाधीश, बाड़मेर, अलवर, झालावाड़, श्रीगंगानगर, कोटा, झुन्झुनू, चित्तौड़गढ़, स. माधोपुर, जोधपुर, उदयपुर, टौंक, बीकानेर, अजमेर, सीकर, नागौर, पाली एवं भीलवाड़ा

6. प्रशासक/सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, बाड़मेर, खैरथल, गोविन्दनगर, अलवर (जिला अलवर) भवानी मण्डी, झालरापाटन, झालावाड़ (जिला-झालावाड़), रोड़मलसर, श्री विजय नगर, (जिला-श्री गंगानगर) सूरजगढ़, झुन्झुनू (जिला-झुन्झुनू) प्रतापगढ़ (जिला-चित्तोड़गढ़) गंगापुर सिटी (जिला-स. माधोपुर) बिलाड़ा (जिला-जोधपुर), उदयपुर, निवाई- (जिला-टोंक), लूणकरणसर (जिला-बीकानेर) ब्यावर, केकड़ी, विजय नगर जि.-अजमेर) नीमकाथाना (सीकर) दौसा, चौमू (जयपुर) डेगाना (नागौर) जेतारण (पाली) मांडलगढ़ (भीलवाड़ा)

उपशासन सचिव,

क्र. सं.	जिला	मण्डी समिति का नाम	सड़क का नाम	लंबाई (कि.मी. में)	राशि (लाखों में)
1.	चित्तोड़गढ़,	1. प्रतापगढ़			
			1–सं. सड़क पूपना से टाण्डा	2.00	4.00
			2– ,, मुवासिया से गाढोला	3.50	8 75
			3– , दलोट से चकूण्डा वाया चन्देरा	2.00	4.00
			4– ,, सम्पर्क सड़क से बोरी, नारायण खेड़ा	2.50	5.00

परिशिष्ट "ख"

राजस्थान सरकार

क्रमांक-प. 15, 18 कृषि/ग्रुप-2बी/90/ दिनांक 11.2.91

सचिव,
राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
जयपुर।

विषय :-कृषि उपज मण्डी समितियों के अन्तर्गत नवीन ग्रामीण सम्पर्क सड़कों के निर्माण कराये जाने की स्वीकृति।

महोदय,

निर्देशानुसार जिला/चित्तोड़गढ़, कोटा, झुन्झुनू, श्री गंगानगर, नागौर, चुरू, अजमेर जिलों के अन्तर्गत कार्यरत विभिन्न कृषि उपज मण्डियों का जिनका विस्तृत विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न किया गया है, के लिये नवीन ग्रामीण सम्पर्क सड़कों के निर्माण

2002

कराये जाने की राज्य सरकार की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

भवदीय
(रविशंकर श्रीवास्तव)
उपशासन सचिव

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, कृषि मन्त्री/कृषि उत्पादन सचिव/सार्वजनिक निर्माण विभाग।
2. संभागीय आयुक्त, उदयपुर, नागौर, चूरू, अजमेर, चित्तोड़गढ़, कोटा, झुन्झुनू, श्रीगंगानगर।
3. निदेशक, कृषि विपणन विभाग राजस्थान जयपुर।
4. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग (पथ) जयपुर।
5. जिलाधीश, नागौर, चूरू, अजमेर, चित्तोड़गढ़, कोटा, झुन्झुनू, (श्रीगंगानगर)
6. प्रशासक/सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति प्रतापगढ़, इटावा, सूरजगढ़, डीडवाना, चूरू, रतनगढ़, केकड़ी, श्री विजयनगर, निम्बाहेड़ा।
7. अधीक्षण अभियन्ता, रा. रा. कृषि विपणन बोर्ड, वृत्त प्रथम/द्वितीय, जयपुर।
8. अधिशाषी अभियन्ता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, उदयपुर/बांरा/जयपुर, द्वितीय/अजमेर/बीकानेर, हनुमानगढ़।
9. आरक्षित प्रश्नावली।

उपशासन सचिव,

क्र सं.	नाम जिला	कृ.उ.म. समिति का नाम	सं. सड़कों का नाम	लंबाई (कि.मी.)	राशि (लाखों में
1-	चित्तोड़गढ़	1-प्रतापगढ़			
			1-सं. सड़क धामलिया से कामलिया तक	1.00	2.00
			2-,, ,, जाखमरोड़ से ग्यासपुर	1.25	1.75
			3-,, ,, सेलारपुरा से बसेरी	1.25	3.78
			4-,, ,, बरमण्डल से चनीयाखेड़ी	3.00	12.50
			5-,, ,, अचलावदा से गोतमेश्वर	2.00	5.80
			6-,, ,, मानपुरा से रायपुर	4.00	12.20
			7-,, ,, कड़ियावद से नीमच रोड़	1.00	3.50
			8-,, ,, सिद्धपुरा से चित्तोड़गढ़ रोड़	1.00	3.50
			9-,, ,, रठाजना से बरखेड़ा	2.00	5.00

परिशिष्ट-17

अतारांकित प्रश्न संख्या 164 की सूची

	पदनाम	योग	जनजाति एवं अनु. जाति के आरक्षण हेतु भरे गये पदों की संख्या	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
1.	अतिरिक्त निदेशक कृषि	3	–	
2.	अतिरिक्त निदेशक कृषि (भू.सं.)	1	–	
3.	अतिरिक्त निदेशक कृषि (अनुसंधान)	2	–	
4.	संयुक्त निदेशक कृषि	21	–	
5.	संयुक्त निदेशक कृषि (सांख्यिकी)	1	–	
6.	संयुक्त निदेशक कृषि (अनुसंधान)	10	–	
7.	मुख्य सांख्यिकी अधिकारी	1	–	
8.	अधीक्षण अभियन्ता	9	–	
9.	अधिशाषी अभियन्ता	23	–	
10.	उप निदेशक कृषि (विस्तार)	60	9	
11.	उप निदेशक कृषि (सांख्यिकी)	10	–	
12.	भू-सर्वेक्षण अधिकारी/समकक्ष	63	–	

(2??)

1	2	3	4	5
13.	सहायक निदेशक कृ (वि.)	149	1	
14.	सहायक निदेशक कृषि (सांख्यिकी)	8	1	
15.	सहायक अभियन्ता	141	–	
16.	विषय विशेषज्ञ	484	13	
17.	सहायक कृषि अधिकारी	1375	133	इन पदों की भर्ती राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है। उनके द्वारा उपलब्ध चयनित अभियार्थियों को इस विभाग द्वारा नियुक्ति दी जाती है।
18.	सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी	224	2	,, ,, ,,
19.	सांख्यिकी	17	–	
20.	कनिष्ठ अभियन्ता	456	16	विभाग द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता की भर्ती आयोजना (जनशक्ति) विभाग में पंजीकृत कृषि अभियांत्रिकी स्नातकों की सूची द्वारा भरी जाती है, उनके यहां उपलब्ध अनु. जाति/जनजाति सभी अभियार्थियों को नियुक्ति दे दी जाती है।
20.	सहायक कृषि रसायन/सहा. पौध विज्ञ सहा. शस्य वैज्ञानी, सहा. उद्यान विशेषज्ञ सहा. वनस्पति विशेषज्ञ/सहा. कीट विज्ञानी	165	2	
21.	वरिष्ठ प्रारूपकार	22	–	100 प्रतिशत पदोन्नत द्वारा

1	2	3	4	5
22.	कनिष्ठ प्रारूपकार	96	5	50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा
23.	अनुरेखक	21	–	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा
24.	फोरमैन	5	–	पदोन्नति द्वारा
25.	मैकेनिकल सुपरवाइजर	1	–	,, ,,
26.	मशीन आपरेटर	8	–	सीधी भर्ती द्वारा
27.	इलेक्ट्रीशियन ग्रेड–I	1	–	पदोन्नति द्वारा
28.	इलेक्ट्रीक हेल्पर ग्रेड–II	4	–	सीधी भर्ती द्वारा
29.	कारपेन्टर	1	–	,, ,,
30.	वाहन चालक	455	36	,, ,,
31.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	68	8	
32.	कृषि अन्वेषक	85	15	
33.	कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक	35	1	
34.	प्रयोगशाला सहायक	54	3	
35.	सूचना शाखा के समस्त पद	43	2	
36.	कम्प्यूटर आपरेटर	3	–	
37.	कृषि पर्यवेक्षक	5285	1175	

1	2	3	4	5
38.	निजी सहायक	22	–	
39.	कार्यालय अधीक्षक	5	1	
40.	कार्यालय सहायक	50	5	
41.	शीघ्र लिपिक	40	1	
42.	वरिष्ठ लिपिक	354	27	
43.	कनिष्ठ लिपिक	528	59	
44.	वरिष्ठ निजी सहायक	8	–	
45.	च. श्रे. कर्मचारी	718	17	

परिशिष्ट-18

अतारांकित प्रश्न संख्या 173 की सूची

क्र.सं.	जिला	पंचायत समिति का नाम	पाठशाला	विशेष विवरण
1.	भरतपुर	नगर	1. खोहरी	खातेदारी अधिकारी की भूमि में।
			2. महरायपुर	"
			3. बनेनी घोसला	"
			4. बनेनी चंदा	"
			5. भूराका	"
			6. चिरावल वाली	"
			7. जाटोली	"
			8. भुजापुरगढ़ी	"
			9. नौगांवा	"
			10. नगला मोगरा	"
			11. ककराला	"
			12. साधपुर	"
			1. अकबरपुर	मेव अनुसूचित जाति की भूमि में।
			2. पालो	"

(202)

परिशिष्ट-19

अतारांकित प्रश्न संख्या 174 की सूची

सेवा में,

श्रीमान् सचिव,
जिला परिषद्, अलवर ।

विषय :– विकास अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ को शीघ्र सजा देने ।

निवेदन है कि इस भ्रष्ट अधिकारी को शीघ्र सजा देकर हम अध्यापिकाओं का पीछा छुड़ावें । संलग्न अखबार पर ध्यान दें ।

भवदीया
ह०
मीरा सैन,
अध्यापिका
पं. स. लक्ष्मणगढ़

2.12.90

अखबार की कटिंग

विकास अधिकारी पर रिश्वत का आरोप

(निजी संवाददाता) लक्ष्मणगढ़ । दिसम्बर, लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति के विकास अधिकारी ए. के. सिंह पर यहां की एक उद्योग अध्यापिका मीरा सैन ने उसको प्रदान की जाने वाली पांच सौ रुपये की नकद पारितोषिक राशि में से दो सौ रुपये जबरन छीनने का आरोप लगाया है ।

मीरा सैन ने उक्त वाकये की शिकायत जिलाधीश एवं लक्ष्मणगढ़ के प्रधान अशोक सिंह से की है और उसके दो सौ रुपये दिलवाने की मांग की है ।

उधर जावली ग्राम के रामसिंह नरुका की पत्नी श्रीमती प्रेमलता ने भी लक्ष्मणगढ़ के बी.डी.ओ. पर एक हजार रुपये रिश्वत लेने का आरोप लगाया है ।

2814

परिशिष्ट–20

परिशिष्ट "अ"

अतारांकित प्रश्न संख्या 176 की सूची

गत वर्ष बाढ़ व वर्षा से क्षतिग्रस्त कच्चे मकान एवं उनको दी गई सहायता का तहसीलवार विवरण

क्र.सं.	नाम जिला	नाम तहसील	कच्चे मकान पूर्ण क्षतिग्रस्त		दी गई अनुदान राशि	
			शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण
1	2	3	4	5	6	7
1.	बाड़मेर	बाड़मेर	1395	591	697500	295500
		पचपदरा	2298	2459	1149000	1229500
		गुडामालानी	—	752	—	376000
		सिवाना	—	3381	—	1690500
		बायतु	—	305	—	152500
		चौहटन	—	325	—	162500
			3693	7813	1846500	3906500
2.	जालोर	जालोर	—	2861	—	2239000
		आहोर	—	2406	—	2254000

1	2	3	4	5	6	7
		भीनमाल	110	2769	75500	2136500
		रानीवाड़ा	—	462	—	394500
		सांचोर	—	2894	—	2087500
		योग :	110	11392	75500	9111500
		जोधपुर	346	3798	104450	1159700
		शेरगढ़	—	133	—	30400
		ओसियां	—	712	—	168200
		योग :	346	4643	104450	1358300
		कुल योग :	4149	23848	2026450	14376300
			27,997		1,64,02,750	

परिशिष्ट-21

अतारांकित प्रश्न संख्या 180 की सूची

परिशिष्ट "क"

विधान सभा क्षेत्र सिवाना जिला बाड़मेर में स्वीकृत औषधालयों की सूची तथा इनमें पदस्थापित स्टाफ व रिक्त पड़े पदों का विवरण

क्र.सं.	स्थान औषधालय	स्टाफ का विवरण		
		चिकित्सक	नर्स/कम्पाउण्डर	वार्ड बाय(परिचारक)
1.	पादरू	पदस्थापित	पदस्थापित	पदस्थापित
2.	राखी	रिक्त	पदस्थापित	पदस्थापित
3.	जेठन्तरी	पदस्थापित	पदस्थापित	पदस्थापित
4.	रानी देसीपुरा	पदस्थापित	रिक्त	पदस्थापित
5.	बामसिन	पदस्थापित	पदस्थापित	पदस्थापित
6.	सेवाली	पदस्थापित	रिक्त	पदस्थापित
7.	सिवाना	पदस्थापित	पदस्थापित	पदस्थापित
8.	समदड़ी	पदस्थापित	पदस्थापित	पदस्थापित
9.	कुण्डल	पदस्थापित	पदस्थापित	पदस्थापित
10.	मोकलसर	रिक्त	पदस्थापित	पदस्थापित
11.	खरडप	रिक्त	पदस्थापित	रिक्त
12.	करमावास	रिक्त	पदस्थापित	पदस्थापित
13.	निठोडा (वर्ष 1989–90 में नवीन स्वीकृत)	रिक्त	रिक्त	रिक्त